वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

स्वावलम्बन
Swavlamban
सशक्तिकरण... EMPOWERMENT...

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग

वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग

डिज़ाईन एवं मुद्रक : **बंगाल ऑफसेट वर्क्स**
16/335, खजूर रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
फोन नम्बर : 23524200, 23610455

विषय–सूची

अध्याय / अनुभाग		पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1-2
1.1	पृष्ठभूमि	1
1.2	विभाग को आबंटित कार्य	1
1.3	लक्ष्य समूह : विकलांग व्यक्ति	2
2.	सिंहावलोकन	3
3.	सांविधिक ढांचा	4-9
4.	विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करना	10-11

विषय–सूची

अध्याय / अनुभाग		पृष्ठ
5.	राष्ट्रीय नीति, "विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन" और एशिया तथा प्रशांत देशों में विकलांग व्यक्तियों हेतु "अधिकार को साकार करना" पर इंच्योन कार्यनीति	**12-17**
5.1	राष्ट्रीय नीति	12
5.2	विकलांग व्यक्तियो के अधिकारो पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन	14
5.3	एशिया तथा प्रशांत देशों में विकलांग व्यक्तियों हेतु "अधिकार को साकार करना" पर इंच्योन कार्यनीति	16
6.	विभाग के अधीन सांविधिक निकाय	**18-37**
6.1	विकलांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त	18
6.2	राष्ट्रीय न्यास	18
6.3	भारतीय पुनर्वास परिषद	31

विषय–सूची

अध्याय / अनुभाग **पृष्ठ**

7.	**विभाग की विभिन्न योजनाएं**	**38-73**
7.1	मंत्रालय की योजनाएं; एक सिंहावलोकन	38
7.2	मंत्रालय की फलैगशिप योजनाएं	38
7.3	अन्य केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाएं	52
7.4	जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र	68
8.	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**	**74-97**
8.1	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी)	74
8.2	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिमको)	91

विषय–सूची

अध्याय / अनुभाग		पृष्ठ
9.	राष्ट्रीय संस्थान और केन्द्र	98-142
10.	नई पहलें (योजनाएं / कार्यक्रम)	143-146
11.	राष्ट्रीय पुरस्कार	147-154

अनुबंध

अनुबंध		पृष्ठ
1.	विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग को आबंटन कार्य	155-157
2.	2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या	158-160
3.	2001 और 2011 की जनगणना के बीच, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की राज्य वार स्थिति की तुलना	161-164
4.	राष्ट्रीय न्यास के अन्तर्गत नोडल एजेन्सी केन्द्रों की सूची	165-174
5.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सूची जहां राज्य स्तरीय समन्वय समिति स्थापित कर दी गई है	175-176
6.	एडिप योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों/राष्ट्रीय संस्थानों/एलिमको को निधियां जारी करने को दर्शाने वाला विवरण	177
7.	विकलांग व्यक्तियों हेतु यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग की सहायता की योजना (एडिप) के अंतर्गत, शिविर गतिविधियों हेतु एनजीओ/डीडीआरसी/आईआरसीएस/डीआरसी/राज्य निगमों को अनुदान सहायता का राज्य वार ब्यौरा	178-181
8.	एडिप योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में, एन.जी.ओ./राज्य निगमों/डीडीआरसी/आईआरसीएम को एजेंसी वार जारी अनुदान सहायता का ब्यौरा	182-191

अनुबंध

अनुबंध		पृष्ठ
9.	आबंटित राज्यों में शिविर गतिविधियों के लिए एनआई/सीआरसी/एलिमको को जारी निधियां	192-193
10.	एडिप योजना के अंतर्गत मुख्यालय गविविधियों के लिए जारी निधियां	194-196
11.	एडिप योजना के अंतर्गत आयोजित विशेष शिविर	197-199
12.	दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत एनजीओ को जारी अनुदान सहायता का ब्यौरा	200-279
13.	डीडीआरएस के अंतर्गत जारी अनुदान सहायता और लाभार्थियों की संख्या का राज्य वार ब्यौरा	280-283
14.	दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत एनजीओ को जारी अनुदान सहायता का राज्य वार ब्यौरे का सार	284-286
15.	सिपडा के अंतर्गत संस्थानों/संगठनों को "मुख्य शीर्ष 3601" के अंतर्गत अनुदान सहायता का ब्यौरा	287-288
16.	सिपडा के अंतर्गत संस्थानों/संगठनों को "मुख्य शीर्ष 2235" के अंतर्गत अनुदान सहायता का ब्यौरा	289-292

अनुबंध

अनुबंध		पृष्ठ
17.	सिपडा के अंतर्गत 2014–15 के दौरान खोली गई/स्थापित नई डीडीआरसी	293
18.	डीडीआरएस के अंतर्गत निधियन की गई चालू डीडीआरसी	294-295
19.	सिपडा के अंतर्गत निधियन की गई चालू डीडीआरसी	296
20.	राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे पाठयक्रमों का ब्यौरा (2014–15)	297-308
	शब्दावली	**309-333**

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तिकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मसलों पर ध्यान केन्द्रित करने और संबंधित गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक डिसैबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया था। यह विभाग विभिन्न पणधारकों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के बीच प्रभावी करीबी समन्वयन सहित विकलांग व्यक्तियों एवं विकलांगता से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

1.2 विभाग के आवंटित कार्य

1.2.1 भारत सरकार नियमावली (कार्य आवंटन) के अनुसार विभाग के लिए आवंटित कार्य **अनुबंध 1** में दिए गए हैं। विभाग को मुख्य रूप से विकलांग जनों के सशक्तिकरण का कार्य सौंपा गया है।

1.2.2 **विजनः** एक ऐसा समावेशी समाज बनाना जिसमें विकलांग व्यक्तियों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

1.2.3 **मिशनः** विकलांग जन सशक्तिकरण कार्य विभाग का मिशन अपने विभिन्न अधिनियमों/संस्थाओं/संगठनों तथा पुनर्वास की योजनाओं के माध्यम से अपने लक्ष्य समूह अर्थात् विकलांग व्यक्तियों को सशक्त करना है और एक ऐसा वातावरण सृजित करना जिसमें उन्हें समाज में समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज के स्वतंत्र एवं उत्पादक सदस्यों के रूप में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना है।

1.2.4 अपने विजन को पूरा करने एवं मिशन को सफल बनाने के लिए, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए प्रयास करता है:—

(क) पुनर्वास के लिए नीचे उल्लिखित उपाय करना:–

(i) शारीरिक पुनर्वास, जिसमें जल्दी पता लगाना तथा शीघ्र हस्तक्षेप, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास तथा विकलांगताओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सहायक तंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता शामिल है;

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित शैक्षणिक पुनर्वास;

(iii) आर्थिक पुनर्वास; और

(iv) सामाजिक सशक्तिकरण

(ख) पुनर्वास व्यावसायिकों/कर्मियों को तैयार करना।

(ग) आंतरिक कार्य–क्षमता/प्रतिक्रियाशीलता/सेवा प्रदायगी में सुधार।

(घ) समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता सृजन के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु समर्थन।

1.3 लक्ष्य समूह : विकलांग व्यक्ति

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2(न), (जिसे पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के रूप में भी जाना जाता है) "विकलांग व्यक्ति को" ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी विकलांगता से न्यूनतम 40% पीड़ित है।

यह विकलांगता (क) दृष्टि बाधिता (ख) कम दृष्टि (ग) कुष्ठ रोग उपचारित (घ) श्रवण बाधित (ङ) चलन विकलांगता (च) मानसिक रोग (छ) मानसिक मंदता (ज) स्वलीनता (ऑटिज्म), (झ) प्रमस्तिष्क अंगघात अथवा (ञ) (छ), (ज) और (झ) में से दो या अधिक का संयोजन, हो सकता है। [धारा 2(झ), विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, सह पठित ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2(ञ)]

अध्याय 2

सिंहावलोकन

2.1 वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्ति हैं (जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है)। कुल विकलांग व्यक्तियों में से 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ स्त्रियां हैं। इनमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक् बाधित, चलन बाधित, मानसिक रोगी, मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं।

यद्यपि जनसंख्या 2001 और 2011 के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक–2** पर दी गई है, जनसंख्या 2011 के अनुसार, विकलांगता के प्रकार के अनुसार, भारत में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या निम्नवत है:–

विकलांगता के प्रकार के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या भारत : 2011

विकलांगता के प्रकार	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
कुल	26,810,557	1,49,86,202	1,18,24,355
देखने में	50,32,463	26,38,516	23,93,947
सुनने में	50,71,007	26,77,544	23,93,463
बोलने में	19,98,535	11,22,896	8,75,639
चलने में	54,36,604	33,70,374	20,66,230
मानसिक मंदता	15,05,624	8,70,708	6,34,916
मानसिक रोगी	7,22,826	4,15,732	3,07,094
कोई अन्य	49,27,011	27,27,828	21,99,183
बहु विकलांगता	21,16,487	11,62,604	9,53,883

अध्याय 3

सांविधिक ढांचा

3.1 संगत संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना के माध्यम से अन्य बातों के साथ साथ अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करता है।

संविधान का भाग (III) सभी नागरिकों (कुछ मामलों में गैर नागरिकों के लिए भी) लिए छः मौलिक अधिकारों का एक सेट प्रदान करता है। इनमें शामिल हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी अधिकार भले ही विकलांग व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हैं, परंतु संविधान के इस भाग में ऐसे व्यक्तियों का कोई विशिष्ट उल्लेख दिखाई नहीं देता है।

संविधान के भाग (IV) में राज्य की नीति के निदेशक तत्व शामिल किए गए हैं। यद्यपि ये गैर न्यायाधीन हैं, इन्हें देश के शासन में मौलिक घोषित किया गया है। इन सिद्धांतों को राज्य की नीति का अनिवार्य आधार होना अपेक्षित था। ये वास्तव में भविष्य के विधायकों और कार्यकारियों को जारी मार्गदर्शन की प्रकृति के हैं।

अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलागंता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त, कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।" इसके अलावा, अनुच्छेद 243—छ की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243—ब की 12वीं अनुसूची, जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं जिम्मेवारियों से संबंधित हैं, में समाज

के अन्य कमजोर वर्गों में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और हितों के संरक्षण शामिल है। उक्त अनुसूचियों के संबंधित उद्धरण नीचे प्रस्तुत है:

अनुच्छेद – छ की 11वीं अनुसूची: "विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण" (प्रविष्टि सं 26)।

अनुच्छेद – ब की 12वीं अनुसूची: "विकलांग और मानसिक रूप मंद व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण" (प्रविष्टि सं 09)।

विभाग विकलांगता और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण के विभिन्न पहलूओं को शासित करने वाले निम्नलिखित विधानों का कार्यान्वयन करता है: –

1. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992,
2. निशक्त व्यक्ति **(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी)** अधिनियम, 1995; और
3. स्वलीनता, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम**, 1999।

इन अधिनियमों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गयी है;–

3.2 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

भारतीय पुनर्वास परिषद को वर्ष 1992 में संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। परिषद पुनर्वास व्यावसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण का नियमन और इसको मॉनीटर करती है और पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है।

इस परिषद को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

(i) शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना;

(ii) भारत में पुनर्वास व्यावसायिकों हेतु विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा स्वीकृत अर्हताओं की मान्यता के संबंध में मंत्रालय को सिफारिशें करना;

(iii) भारत के बाहर संस्थानों द्वारा अर्हताओं के संबंध में मंत्रालय को सिफारिशें करना;

(iv) परीक्षाओं में निरीक्षण करना;

(v) पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों का पंजीकरण; तथा

(vi) पंजीकृत व्यक्तियों की विशेष सुविधाएं और व्यावसायिक आचार व्यवहार को निर्धारित करना।

3.3 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु आर्थिक और समाज आयोग द्वारा संयोजित विकलांग व्यक्तियों का एशियन और प्रशांत दशक 1993–2002 को शुरू करने हेतु दिसम्बर, 1992 में, बीजिंग में आयोजित बैठक में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण सहभागिता और समानता संबंधी उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम), 1995 अधिनियमित किया। भारत इस उद्घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, पुनर्वास, नियोजन, गैर भेदभाव और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले इस अधिनियम में "विकलांगता" को दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टि, श्रवण बाधिता, चलन संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता और कुष्ठ रोग मुक्त के रूप में परिभाषित किया गया है। यह "विकलांग व्यक्ति" को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित न्यूनतम 40% विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति के रूप में भी परिभाषित करता है।

चूँकि "विकलांग को राहत ...." सूची II की मद सं. 9 : संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची, इस अधिनियम को अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है, जो संसद को "अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान" अधिनियमित करने की शक्ति देता है सह पठित सूची I की मद संख्या 13: संघ सूची: "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, परिसंघों और अन्य निकायों में भागीदारी करने और इनमें लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करने"

3.3.1 इस अधिनियम को नये विधान से बदलने के प्रयास

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, के उपबंधों के सामंजस्य के दोहरे उद्देश्य के साथ

और बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, भी, सरकार ने राज्य सभा में 07–02–2014 को विकलांग व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 प्रस्तुत कर दिया है। विधेयक को संसदीय समिति को जांच और रिपोर्ट हेतु भेजा गया है।

बिल को प्रस्तुत करने के बाद विभाग को लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिन्हें संसदीय स्थायी समिति को उनके विचारार्थ भेज दिया गया। इसके अलावा स्थायी समिति ने लोगों के प्रतिक्रिया/सुझाव आमंत्रित किए तथा इस पर विभाग की प्रतिक्रिया भी मांगी। इन सुझावों पर विभाग की प्रतिक्रिया पहले ही लोकसभा सचिवालय को समिति के विचारार्थ भेज दी गई है। संसदीय स्थायी समिति ने सचिव विकलांग जन सशक्तिरकण विभाग के साथ 27–11–2014 को एक बैठक की। संसदीय स्थायी समिति ने तमिलनाडु और कर्नाटक का दौरा भी किया ताकि क्रमशः विकलांग विकलांगता संगठनों/संघों और राज्य सरकार के विचारों को जाना जा सके।

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

3.4 ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 एक कल्याण विधान है जो इस अधिनियम में उल्लिखित विकलांग व्यक्तियों के चार विशिष्ट वर्गों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए प्रावधान करता है। यह अधिनियम विकलांगताओं के विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों की देखभाल एवं सहायता पर केन्द्रित है।

इस अधिनियम के कुछ उल्लेखनीय प्रावधान इस प्रकार हैं:

- ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास का गठन;
- स्थानीय स्तर समितियों का गठन;
- कानूनी संरक्षक की नियुक्ति।

3.4.1 ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास का गठन

इस अधिनियम की धारा 3 से 9 के तहत चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को अधिगृहित करने, धारित करने और उनका निपटान करने, और संविदा करने व उक्त नाम द्वारा वाद चलाने एवं वादी बनने हेतु एक निकाय कारपोरेट, राष्ट्रीय न्यास के गठन का प्रावधान है।

धारा 10 के तहत यथा पारिभाषित, राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

(क) विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ख) विकलांग व्यक्तियों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(घ) विकलांग व्यक्ति, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की सम्स्याओं का हल ढूँढ़ना।

(ङ) विकलांग व्यक्तियों के माता–पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।

(च) विकलांग व्यक्तियों के लिए संरक्षकों और न्यासियों की नियुक्ति, जिन्हें इसकी जरुरत है, के लिए प्रक्रिया विकसित करना।

(छ) विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।

यह अधिनियम न्यास के कार्यों और कामकाज के लिए सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन एक बोर्ड के हाथों में निहित करने जो उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और सभी कार्य कर सकता है जो एक बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, के लिए प्रावधान करता है।

अधिनस्थ विधानपद समिति ने सचिव विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग के साथ 13.05.2014 को एक मौखिक साक्ष्य किया जो ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अगंघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1995 के अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के बारे में था। समिति ने अपनी रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ साथ अधिनियम के अंतर्गत बनाये, गए नियमों तथा विनियमों की समीक्षा करने को कहा ताकि बेहतर कार्यान्वयन के लिए कतिपय अंतर को दूर किया जा सके। तदनुसार सचिव, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग के अधीन 12.03.2015 को एक समिति का गठन किया गया।

3.5 स्थानीय स्तर समितियां

अधिनियम की धारा 13 में स्थानीय स्तर समितियों (एल एल सी) के गठन का प्रावधान है, जिसमें निम्मिलिखित शामिल हैः

(क) संघ या राज्य सिविल सेवा का अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से कम न हो अथवा किसी जिले का एक जिला न्यायाधीश या जिला आयुक्त;

(ख) किसी पंजीकृत संगठन (एनजीओ) का प्रतिनिधि; और

(ग) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (न) में यथा परिभाषित एक विकलांग व्यक्ति।

इस समिति का मुख्य कार्य विकलांग व्यक्तियों के लिए संरक्षक की नियुक्ति इत्यादि है।

स्थानीय स्तर समिति का कार्यकाल 3 वर्ष या तब जब यह पुनर्गठित की जाती है, तब तक के लिए होता है।

3.6 संरक्षकों की नियुक्ति

अधिनियम की धारा 14 से 17 में ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए उनके अभिभावकों की सहमति से एक संरक्षक की नियुक्ति इत्यादि का प्रावधान है।

जहां कहीं भी आवश्यकता होती है, नियुक्त संरक्षक के पास या तो ऐसे विकलांग व्यक्ति ओर उसके संपत्ति की देखभाल अथवा विकलांग व्यक्ति के भरण–पोषण के लिए जिम्मेवार होता है।

अध्याय 4

विकलांगता प्रमाण पत्र का मुद्दा

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में उन विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ सुविधाओं का प्रावधान है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी से यथा प्रमाणित किसी विकलांगता से कम से कम 40% ग्रस्त हैं। इस प्रकार कोई विकलांग व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। ये प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तत्कालीन डीडी ब्यूरो द्वारा बनाए गए दिशा–निर्देशों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

राज्य सरकारें विकलांग व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं। 10 फरवरी, 2014 तक की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2001 और वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गम की तुलनात्मक स्थिति **अनुबंध–3** पर दी गयी है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक 44.7% विकलांग व्यक्तियों को 10.02.2015 तक, विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं।

निःशक्त व्यक्ति नियमावली, 1996 में, दिनांक 30.12.2009 की अधिसूचना संख्यांक 16–2/2007–डीडी. III के तहत संशोधन किया गया है और संशोधित नियमावली में अन्य बातों के साथ–साथ, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरलीकृत एवं विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। संशोधित नियमावली में 'मेडिकल बोर्ड' के स्थान पर 'चिकित्सा प्राधिकारी' को चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के विहित किया गया है। चिकित्सा प्राधिकारियों को समुचित सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, विकलांगता प्रमाण पत्र, आवेदन प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अंदर और अधिक से अधिक एक माह के अंदर जारी कर दिया जाना चाहिए। चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित निर्णय की समीक्षा करने का प्रावधान इसी प्रक्रिया के अंतर्गत समाहित किया गया है।

निःशक्त व्यक्ति नियमावली में संशोधन के पश्चात राज्य सरकारों को अपनी–अपनी नियमावली में उपयुक्त संशोधन करने और चिकित्सा प्राधिकारियों को अधिसूचित करने हेतु

दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में, बहुस्तरीय चिकित्सा प्राधिकारियों के सुझाव दिये गये हैं, ताकि स्पष्ट विकलांगता के मामले में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो (सीएचसी) और अनुमंडल के स्तर पर एक ही डाक्टर द्वारा विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है; अस्पष्ट रोग के मामले में, यह प्रमाण पत्र किसी विशेषज्ञ द्वारा जारी किया जा सकता है और बहु विकलांगता के मामले में, एक बहु सदस्यीय मंडल को यह प्रमाणपत्र जारी करना होगा। इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी विशेषज्ञों और परीक्षण सुविधाओं की सेवाएं लेने का प्रावधान किया गया है, यदि ये सेवाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं। विभाग अधिसूचना और इन दिशानिर्देशों के प्रचालन हेतु इस विषय पर राज्य सरकारों से बात कर रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों के संबंध में चिकित्सा प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दिया है। कई राज्य सरकारें भी राज्य निःशक्त व्यक्ति नियमावली में संशोधन करना शुरु कर दिया है, और चिकित्सा अधिकारियों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं।

इस विषय पर जागरुकता बढ़ाने के लिए, विभाग द्वारा विकलांगता प्रमाणपत्र के संबंध में जानकारी हेतु एक समावेशी उपयोगी पुस्तिका निकाली गयी है, ताकि आवेदक को असुविधा न हो और समय पर प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय 5

राष्ट्रीय नीति 2006, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूनसीआरपीडी), 2006 और एशिया तथा प्रशांत देशों में विकलांग व्यक्तियों हेतु ''अधिकार को साकार करना'' हेतु इंच्योन कार्यनीति

5.1 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006

यह मानते हुए कि विकलांग व्यक्ति देश के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन हैं और यदि उन्हें समान अवसर और प्रभावी पुनर्वास उपाय उपलब्ध हों तो उनमें से अधिकांश व्यक्ति बेहतर गुणवत्ता वाली जिंदगी जी सकते हैं, सरकार ने, उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करने को ध्यान में रखते हुए, जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज में उनकी पूरी भागीदारी प्रदान कर सके, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार और प्रकाशित की है।

विकलांगता रोकथाम और पुनर्वास उपायों पर केन्द्रित इस नीति में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

i. विकलांगता रोकथाम

ii. पुनर्वास उपाय

II क. शारीरिक पुनर्वास रणनीति

- जल्दी पता लगाना और हस्तक्षेप करना
- परामर्श एवं चिकित्सा पुनर्वास

- सहायक उपकरण
- पुनर्वास व्यावसायिकों का विकास

II ख. विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा

II ग. विकलांग व्यक्तियों का आर्थिक पुनर्वास

- सरकारी प्रतिष्ठानों में नियोजन
- निजी क्षेत्र में रोजगार
- स्व–रोजगार

III. विकलांग महिलाओं के लिए प्रावधान

IV. विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान

V. बाधामुक्त परिवेश

VI. विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करना

VII. सामाजिक सुरक्षा

VIII. गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रोत्साहन

IX. विकलांग व्यक्तियों से संबंधित नियमित सूचनाओं का संकलन

X. अनुसंधान

XI. खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन

XII. विकलांग व्यक्तियों से संबंधित विद्यमान अधिनियमों में संशोधन

तदनुसार, इस नीति के अंतर्गत हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्रः रोकथाम, जल्दी पता लगाना और हस्तक्षेप; पुनर्वास कार्यक्रम; मानव संसाधन विकास; विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा नियोजन; बाधारहित परिवेश; सामाजिक संरक्षण; अनुसंधान; खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां।

राष्ट्रीय नीति के कार्यान्व्यन के लिए निम्नलिखित तंत्र हैं:

i. इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय करने के लिए विकलांगता जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल एजेंसी है।

ii. पणधारकों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का समन्वय करती है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह की समिति होती है।

iii. इस नीति के कार्यान्वयन के लिए गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, युवा कार्य एवं खेलकूद, रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, श्रम, पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों और प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, लोक उद्यम, राजस्व, सूचना प्रौद्योगिकी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागों की भी पहचान की गयी है।

iv. पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकाएं जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों से संबद्ध हैं। स्थानीय स्तर के मामलों पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में इनसे अहम भूमिका निभाना अपेक्षित है।

v. विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, केन्द्र स्तर पर एवं राज्य आयुक्त, राज्य स्तर पर अपनी सांविधिक जिम्मेवारियों के अलावा राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

5.2 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन, 2006

यह संधिपत्र 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और 30 मार्च 2007 को राष्ट्र पक्षों द्वारा हस्ताक्षर हेतु रखा गया। इस संधिपत्र के अंगीकरण से विकलांग व्यक्तियों को पूरे विश्व में अपने अधिकारों की मांग करने और अपने अधिकारों का लाभ उठाने के लिए राज्य, निजी और सिविल समिति एजेंसियों को जवाबदेह बनाने में विकलांग व्यक्तियों को सशक्त किया है।

भारत कुछ चुनिंदे प्रथम राष्ट्रों में से एक है, जिसने इस संधिपत्र की अभिपुष्टि की है। 30 मार्च 2007 को भारत द्वारा संधिपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने और बाद में अभिपुष्टि किए जाने के परिणाम स्वरूप, देश में यह कानून 3 मई 2008 से प्रभावी हो गया। यह संधिपत्र प्रत्येक राष्ट्र पक्षों को निम्नलिखित तीन दायित्व देते हैं:

क. संधिपत्र के प्रावधानों का क्रियान्वयन

ख. देश के कानूनों को संधिपत्र के अनुकूल बनाना और

ग. राष्ट्र रिपोर्ट तैयार करना

इस संधिपत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों से इस संधिपत्र के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने हेतु ठोस उपाय करने का अनुरोध किया गया जैसा उनमें से प्रत्येक पर लागू हो। उन से संबंधित करने का प्रावधानों को कार्यान्वित, जो उन पर लागू हैं और उनसे संबंधित हैं। महिलाओं एवं बच्चों पर ध्यापन केन्द्रित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा मंत्रालयों से उन विधानों और आदेशों की पहचान करने, जिनमें इस समझौते के आलोक में संशोधन करना अपेक्षित है, और अपेक्षित संशोधन करने की प्रक्रिया शुरु करने का भी अनुरोध किया गया।

इसी प्रकार, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों से भी इस करार के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों/दायित्वों की जाँच करने का अनुरोध किया गया जो उनसे संबंधित हो सकता है और उनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों से, इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ताकि उनका उपयोग राष्ट्रं रिपोर्ट तैयार करने में किया जा सके। इस संधिपत्र के दायित्वों को पूरा करने के लिए कड़ी निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

इस संधिपत्र के अंतर्गत दिए गए दायित्वों, कि प्रत्येक राष्ट्र पक्ष को करार शुरु होने के दो वर्षों के पश्चात राष्ट्र रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, के अनुरूप राष्ट्र रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित कदम उठाए गए। भारत सरकार की ओर से देश की पहली रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए अप्रैल, 2010 में, विकलांगता अध्ययन केन्द्र, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद को नियुक्त किया गया है। तदनुसार, कई केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और राष्ट्रीय संस्थानों से प्राप्त रिपोर्टों/इनपुट को राष्ट्र की रिपोर्ट के प्रारंभिक मसौदे में शामिल किया गया। इस मसौदे पर जनवरी, 2012 में, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक में और मार्च, 2012 में नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति की बैठक में चर्चा की गयी।

विचार विमर्श, टिप्पणियों इत्यादि के आधार पर नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ द्वारा राष्ट्र रिपोर्ट का एक संशोधित मसौदा तैयार किया गया, जिसकी विदेश मंत्रालय (विधि एवं

करार प्रभाग और यूएनईएस प्रभाग) के परामर्श से इस विभाग में जाँच की गयी। विदेश मंत्रालय के सलाह के आधार पर जनवरी, 2014 में मसौदा राष्ट्र रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर और परिवर्तनों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया और इस रिपोर्ट को संशोधित कर पुनरीक्षण हेतु विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया।

5.3 एशिया तथा प्रशांत देशों में विकलांग व्यक्तियों हेतु "अधिकारों को साकार करें" हेतु इंच्योन कार्यनीति

एशिया और प्रशांत देशों हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग के मंत्रियों, सदस्य प्रतिनिधियों और एसोसिएट सदस्य इंच्योन कोरिया में 29 अक्तूबर से 02 नवंबर 2012 से आयोजित विकलांग व्यक्तियों के एशियाई तथा प्रशांत दशक 2003–2012 के कार्यान्वयन की अंतिम समीक्षा पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक में एकत्र हुए और एशियाई तथा प्रशांत देशों में विकलांग व्यक्तियों हेतु "अधिकारों को साकार करना" के लिए इंच्योन कार्य नीति को अपनाया। ईएससीएपी ने 25 अप्रैल से 01 मई 2013 को आयोजित अपने 69वें सत्र में संकल्प पारित किया, जिसमें मंत्रालयी घोषणा और इंच्योन कार्य नीति को समर्थन दिया गया।

एशियाई तथा प्रशांत देशों में विकलांग व्यक्तियों हेतु ''अधिकारों को साकार करना'' के लिए इंच्योन कार्य नीति में 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए–

i. गरीबी उन्मूलन और कार्य तथा रोजगार अवसरों को बढ़ाना;

ii. राजनीतिक प्रक्रिया और निर्णय लेने में सहभागिता का संवर्धन;

iii. भौतिक वातावरण, सार्वजनिक परिवहन, ज्ञान, सूचना और संचार में पहुंच को बढ़ाना;

iv. सामाजिक संरक्षण को मजबूत करना;

v. विकलांग छात्रों के प्रारंभिक हस्तक्षेप और शिक्षा को बढ़ाना;

vi. लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना;

vii. समावेशी विद्धवन्स, जोखिम, घटाव तथा प्रबंध विकलांगता सुनिश्चित करना;

viii. विश्वसनीयता और विकलांगता आंकड़ों की तुलना में सुधार;

ix. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन को लागू करना तथा पुष्टि को बढ़ाना और सम्मेलन के साथ राष्ट्रीय विधान का सामंजस्य; और

x. उप क्षेत्र, क्षेत्र तथा अंतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना।

इंच्योन कार्य नीति में क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की बात कही गयी है और इसमें कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने के लिए कोर संकेतक भी शामिल हैं। इंच्योन कार्य नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने की दृष्टि से, यूएनईएससीएपी ने विकलांग व्यक्तियों हेतु एशियाई तथा प्रशांत दशक 2013–2022 पर एक कार्य समूह का गठन किया है। कार्य समूह में 15 सदस्य देशों के सरकारी प्रतिनिधि शामिल हैं जिसमें भारत और एशियाई तथा प्रशांत क्षेत्र के 15 सिविल सोसाइटी संगठन भी शामिल हैं। कार्य दल की पहली बैठक इंच्योन कोरिया में 25 से 26 फरवरी 2014 को आयोजित की गई।

कार्य समूह का दूसरा सत्र नई दिल्ली में 2 से 3 मार्च 2015 को विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यूनेस्केप सचिवालय के सहयोग से आयोजित किया गया। दूसरे सत्र में लगभग 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 13 सदस्य देशों– चीन, बांग्लादेश, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, मंगोलिया, पाकिस्तान, कोरिया, रशियन, फैडरेशन समोआ, थाईलैंड और भारत क्षेत्र में कार्यरत 14 सिविल सोसाईटी संगठनों ने भाग लिया। भारत तथा चीन को कार्य समूह के क्रमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।

अध्याय 6

सांविधिक निकाय और उनकी गतिविधियां (2013–14)

6.1 विकलांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी)

6.1.1 सिंहावलोकन

विकलांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त के कार्यालय की स्थापना, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 57 के अंतर्गत की गयी है। मुख्य आयुक्त को विकलांग व्यक्तियों लिए राज्य आयुक्तों के कार्य का समन्वय, केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग पर निगरानी और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों तथा उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं के संरक्षण के लिए उपाय करने के कार्य सौंपे गए हैं। मुख्य आयुक्त विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के हरण अथवा नियमों, उप नियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों, निदेशों के कार्यान्वयन नहीं करने से संबंधी शिकायतों की जाँच करते हैं और शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित प्राधिकरणों से मामले को उठाते हैं। मुख्य आयुक्त इस तरह के किसी भी गैर अनुपालना की अपनी ओर से भी नोटिस ले सकते हैं और संबंधित प्राधिकारी से मामले को उठा सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को अपना कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए, कुछ प्रयोजनों हेतु तदनुसार कार्य करने के लिए एक सिविल कोर्ट की शक्तियां दी गयी हैं।

6.2 ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास

6.2.1 सिंहावलोकन

राष्ट्रीय न्यास, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं

से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

एक सार्वभौम प्रश्न है जो कि गंभीर और बड़ी विकलांगताओं से ग्रस्त बच्चों के परिवारों को परेशान करती है– "मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा?" इसका उत्तर एक हद तक इस अधिनियम में उल्लिखित विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के संरक्षकों की नियुक्ति के प्रावधान के माध्यम से इस अधिनियम द्वारा दिया गया है। यह गैर सरकारी संगठनों/अन्य सेवा प्रदाताओं की भी सहायता करता है।

राष्ट्रीय न्यास का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को गरिमा के साथ स्वतंत्र जीवनयापन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम के अंतर्गत विकलांगजन को समान अवसर प्रदान करने, अधिकारों का संरक्षण करने और पूर्ण भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है।

6.2.1.1 नेटवर्क

कार्यक्रमों और गतिविधियों के कार्यान्वयन को सुगम करने के लिए राष्ट्रीय न्यास जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश भर में 685 स्वैच्छिक संगठनों का एक नेटवर्क स्थापित करने में समर्थ रहा है। ये संगठन राष्ट्रीय न्यास से पंजीकृत हैं और वे जिला, राज्य और आरंभिक स्तरों पर बुनियादी संरचना प्रदान करते हैं।

6.2.1.2 स्थानीय स्तर समिति

यह अधिनियम संरक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर 3 सदस्यीय स्थानीय स्तर समिति (एलएलसी) की स्थापना का प्रावधान करता है, जो कि एक आवश्यकता आधारित समर्थकारी प्रावधान है। करीब करीब देश के सभी जिलों को कवर करते हुए (जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर) अब तक 628 एलएलसी की नियुक्ति की गयी है। दिनांक 19.1.2015 की स्थिति के अनुसार, इन समितियों द्वारा कुल 4,086 कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति की गयी है। एक राष्ट्रीय कानूनी संरक्षक प्रमाणपत्र निक्षेपागार (एनडीएलजीसी) भी स्थापित किया गया है।

6.2.1.3 राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र (एसएनएसी)

राज्य स्तर पर इस स्कीम की प्रभावी कार्यान्वयन सहित, राष्ट्रीय न्यास

की गतिविधियों के कार्यान्वयन और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने एवं संपर्क बनाने के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक प्रतिष्ठित एनजीओ को राज्य नोडल अभिकरण केन्द्र (एसएनएसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में पूरे देश में 31 एसएनएसी हैं। एसएनएसी का ब्यौरा **अनुबंध–4** में दिया गया है।

राष्ट्रीय न्यास, संस्थांगत गतिवधियां चलाने, यथा ट्रस्ट की स्कीमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत एनजीओ के साथ बैठक करने, अन्य एनजीओ के साथ नेटवर्क बनाने और राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाने के लिए स्थानीय स्तर समितियों और राज्य स्तरीय समन्वय समितियों के साथ बैठक, के लिए निधि प्रदान करता है। राष्ट्रीय न्यास सरकारी अधिकारियों, व्यावसायिकों, अभिभावकों और सहोदरों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भी निधि प्रदान करता है।

6.2.1.4 राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी)

राष्ट्रीय न्यास की योजनओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। विकलांगता संबंधी कार्य की देखरेख करने वाले राज्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे और संबंधित एसएनएसी इसके संयोजक होंगे। अबतक 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसएलसीसी का गठन कर दिया गया है, जिसका ब्यौरा **अनुबंध–5** में दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्विव और लक्षद्वीप में कोई एसएलसीसी नहीं खोले गए हैं।

6.2.2 विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां (2014–15)

वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय न्यास की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के भाग के रूप में की गई प्रमुख गतिविधियां नीचे वर्णित हैः–

6.2.2.1 निरामय (स्वास्थ्य बीमा) स्कीम

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मंदबुद्धि और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए शुरु की गई यह एक अद्वितीय स्वास्थ्य बीमा योजना

है। इसे 10 राज्यों के 10 चयनित जिलों में दो वर्षों के लिए शुरु की गयी थी। इसकी लोकप्रियता के कारण इसका पूरे देश में (जे एंड के को छोड़कर) विस्तार किया गया।

इस योजना के अंतर्गत, विकलांग व्यक्तियों को ओपीडी चिकित्सा से लेकर अस्पताल भर्ती तक के विभिन्न चिकित्सा सेवाओं के लिए 1 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध होता है। इसमें 15,000/– रुपए प्रतिमाह तक की पारिवारिक आय वाले के लिए 250/– रुपए प्रतिवर्ष तथा 15,000/– रुपए प्रतिमाह से अधिक पारिवारिक आय वाले के लिए 500/– रुपए प्रतिवर्ष का नाममात्र का शुल्क है।

वर्ष 2014–15 में, कुल 50,541 लाभन्वितों को शामिल किया गया है और 3.48 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं; आज तक 5839 दावे को निपटाए गए हैं। मध्य प्रदेश, राज्य के लाभान्वितों का नामांकन शुल्क का भुगतान कर इस योजना में शामिल हो रहा है।

6.2.2.2 *सहयोगी देख–रेख प्रशिक्षण और प्रदाता स्कीम*

इस स्कीम के अंतर्गत, विशेषज्ञों एवं व्यावसायिकों, जिन्हें मास्टर प्रशिक्षक कहा जाता है, के माध्यम से देशभर में चयनित गैर–सरकारी संगठन के केन्द्रों में देख–रेख प्रदाता प्रकोष्ठ (सीजीसी) स्थापित किए गए हैं। देख–रेख सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण एवं देख–रेख सेवा प्राप्ति के इच्छुकों का नामांकन सीजीसी में किया जाता है।

देशभर में कुल संस्वीकृत 40 सीजीसी में से, 36 सीजीसी स्थापित किए जा चुके हैं। इस स्कीम ने 2499 देख–रेख सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 1052 देख–रेख सेवा प्रदाताओं को तैनात किया जा चुका है।

विकलांग जनों के लिए इसे और स्वीकार्य बनाने के लिए इस स्कीम को संशोधित किया जा रहा है।

6.2.2.3 *सम्भव – एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र*

सम्भव – विकलांग व्यक्तियों के लिए दिल्ली में एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र, एक्शन फॉर एबिलिटी डेवलपमेंट एंड इनक्लुशन (एएडीआई), नई

दिल्ली (राष्ट्रीय न्यास का एक पंजीकृत संगठन) स्थापित किया गया है। यह उन विभिन्न तरीकों को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे, बोलचाल (बोलचाल के वैकल्पिक तरीकों को समझकर और उपयोग कर), सीखने और चलन में सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। देश में विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियों को एक केन्द्रीय स्थल पर एकीकृत किया गया है ताकि सभी प्रयोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के सहायक यंत्रों, उपकरणों और सॉफटवेयरों के बारे में सूचना उपलब्ध हो सके। बहुत सारे विकलांग जन और उनके माता–पिता भी सम्भव में आ रहे हैं। सामूहिक सुग्राहीकरण एवं और अनुष्ठापन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान 2265 विकलांग व्यक्ति और उनके माता–पिता ने सम्भव का दौरा किया है। दिल्ली के सम्भव केन्द्र का संपर्क ब्यौरा निम्नवत है:

एक्शन फॉर एबिलिटी डेवलपमेंट एंड इनक्लूशन
2, बलबीर सक्सेना मार्ग, हौज खास, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली
(हौज खास मेट्रो स्टेशन के पास)
दूरभाष 011–26864736
संपर्क व्यक्ति : सुश्री मनुजा मिश्रा/श्री विनय विज
मोबाइल : 9968304227
फैक्स : 26853002
ईमेल : Aadijagruti@yahoo-com

6.2.2.4 शीघ्र हस्तक्षेप की गतिविधियों को बढ़ाना

स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सहयोग कर राष्ट्रीय न्यास के शीघ्र हस्तक्षेप कार्य को बढ़ाने के मुद्दे को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उनके राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकरण (आरबीएसके) के तहत उठाया जा रहा है।

विकास में देरी वाले विकलांग बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप, चिकित्सीय एवं गैर चिकित्सीय, दोनो प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चों को लंबी अवधि तक चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो सकती है। तथापि, राष्ट्रीय न्यास यह महसूस करता है कि किसी शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम की सफलता के लिए गैर चिकित्सीय सहायता

महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विशेषकर विलंबित विकास और विकलांग बच्चों के पालन–पोषण पर केन्द्रित है। शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम विकासात्मक विलंब वाले विकलांग बच्चों की मद्द करता है, ताकिः

i. थेरेपी और और विशेष शिक्षा से क्षमताओं को बढाने और बच्चों जहाँ तक संभव हो मील का पत्थर हासिल करने में मदद करना;

ii. द्वितियक बाधिता की रोकथाम करना; और

iii. सामाजिक और भौतिक परिवेश को संशोधित करना और अपनाना।

राष्ट्रीय न्यास ने मई 2014 में लुधियाना, पंजाब में शीघ्र हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय न्यास ने मई 2014 में लुधियाना, पंजाब में शीघ्र हस्तक्षेप प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया, जिसमें शीघ्र हस्तक्षेप विशेषज्ञों द्वारा 32 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

शीघ्र हस्तक्षेप प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय न्यास ने शीघ्र हस्तक्षेप विशेषज्ञों के परामर्श से एक विवरणिका तैयार की है। यह विवरणिका बाल स्वास्थ्य विकास से संबंधित सभी विषयों का संकलन है।

रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 8.1.2015 को राष्ट्रीय न्यास में शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की गयी थी। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने की और इसमें डॉ नीलम सोढ़ी, बोर्ड सदस्य, डॉ. अरुण सिंह, सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. नमिता जैकब और सुश्री मधुमति बोस, विशेषज्ञ शीघ्र हस्तक्षेप ने हिस्सा लिया। इस बैठक में शीघ्र हस्तक्षेप की गतिविधियां बढ़ाने के संबंध में कई निर्णय लिए गए।

6.2.2.5 समर्थः एक आवासीय देखभाल स्कीम

समर्थ स्कीम जो वर्ष 2005 में शुरु कि गई थी और कुल 119 केन्द्रों को दो से तीन वर्ष की अवधि के दौरान टेपरिंग आधार पर निधि प्रदान की गयी थी। यह एक आवासीय योजना है और सभी आयु वर्गों के अनाथ एवं निःसहाय व्यक्तियों सहित वयस्क विकलांग व्यक्तियों को दीर्घावधि आवासीय देखभाल सेवा प्रदान करता है। यह संकट वाले परिवार को रहने की सुविधाएं प्रदान कर राहत देखभाल प्रदान करता है।

आवासीय देखभाल सेवा सुविधा प्रदान करने के अलावा, इस स्कीम में व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण, मनोरंजन, खेलकूद इत्यादि का प्रावधान है।

आज की तिथि में 3000 से अधिक लाभार्थी इन केन्द्रों में रह रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 23.42 लाख रुपए की राशि जारी की गयी है।

6.2.2.6 बढ़ते कदम : एक अखिल भारत जागरुकता वर्धन कार्यक्रम

बढ़ते कदम विकलांगता की क्षमताओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने और एक समावेशी समाज की स्थापना करने पर लक्षित, संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति अधिकार संधिपत्र (यूएनसीआरपीडी) में यथा परिकल्पित विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में जागरुकता लाने के लिए राष्ट्रीय न्यास द्वारा आयोजित किए जाने वाला अपने तरह का पहला अखिल भारत जागरुकता वर्धन अभियान है।

यह वर्ष 2009 में 14 राज्यों में शुरु किया गया था और फिर पूरे देश में इसका विस्तार किया गया और ग्राम एवं पंचायत स्तर तक को कवर किया गया।

पिछले 5 वर्ष के दौरान, आम लोगों को सुग्राही करने के लिए विभिन्न संचार तकनीकों जैसे मेला, प्रदर्शनी, रैली, चित्रकारी और पेंटिंग स्पर्द्धा, नुक्कड़ नाटक, ड्रामा, अदृश्य थियेटर, रोड शो, सेमिनार, कार्यशाला आदि का उपयोग किया गया।

विभिन्न प्रकार की मुद्रित सामग्री और प्रकाशनों का भी इस अभियान के दौरान उपयोग किया गया, जैसे, स्कीम पोस्टर, कार्यक्रम, गतिविधियां, विकलांग व्यक्ति अधिकार, मिथक पुस्तिका, स्वलीनता विषय पर विकलांगता विशिष्ट फ्लायर इत्यादि।

पूर्व प्रचार हेतु राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए, पर्चों का वितरण किया गया, रणनीतिक स्थानों पर पोस्टर लगाए गए।

वर्ष 2014 के दौरान, पंजीकृत संगठनों और एसएनएसी से बढ़ते कदम अभियान के पिछले पाँच वर्ष पर फीडबैक/सुझाव मांगने

के प्रयास किए गए ताकि इस अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके।

6.2.2.7 ज्ञान प्रभाः छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को कौशल विकास और रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण/प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 2008 में प्रारंभ की गयी थी और इसके प्रचालनात्मक अनुभवों के आधार पर दिसंबर, 2010 में इसे निम्नवत परिशोधित किया गया।

(क) 15000 रुपए की मासिक पारिवारिक आय सीमा और छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए अगले वर्ष 50% अंक हासिल करने की शर्त समाप्त कर दी गयी। अब नवीनीकरण वर्ग में नियमित उपस्थिति के आधार पर किया जाता है (शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रमाणित किया जाना है)।

(ख) छात्रवृत्ति की राशि को 700 रुपए से बढाकर 1000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया।

आवेदन राष्ट्रीय न्यास की वेब समर्थित एमआईएस (*www.thenational.in*) के माध्यस से ऑन लाइन किए जा सकते हैं। ये पूरे वर्ष वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब तक 71 छात्रों (वर्तमान में संवितरित 3 छात्र सहित) को छात्रवृत्ति की राशि संवितरित की जा चुकी है।

6.2.2.8 घरौंदा : आजीवन आश्रय एवं देखभाल योजना

सूचिबद्ध सेवा प्रदाताओं द्वारा ऑटिज्म, मस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से ग्रस्त विकलांग व्यस्कों को 'आजीवन आश्रय एवं देखभाल सेवा' प्रदान करने के लिए, विकलांग व्यस्क राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत ग्रुप होम एवं पुनर्वास गतिविधियां (घरौंदा) शुरु किया गया था। यह योजना भुगतान आधार पर विहित न्यूनतम गुणवत्ता की देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करता है।

वर्तमान में यह स्कीम निम्नलिखित 12 स्थापनों के लिए संस्वीकृत है : (i) केपीएएमआरसी–बंगलोर, (ii) ओपन लर्निंग सिस्टम–भुवनेश्वर, (iii) प्रयास एंड पार्टनर, हुगली (iv) सवाली (पुणे), (v) छत्तीसगढ़ सरकार–रायपुर (vi) उत्तराखंड सरकार (हरिद्वार), (vii) त्रिपुरा सरकार (अगरतला), (viii) हरियाणा सरकार (चंडीगढ़), (ix) डेरा मुस्कान, दिल्ली, (x) आधार, नासिक, और (xi) स्वयंक्रुशी, आंध्र प्रदेश।

इनमें से आठ संगठनों में कार्य शुरु हो गए हैं – (i) केपीएएमआरसी, बंगलोर, (ii) सवाली, पुणे, (iii) डेरा मुस्कान, दिल्ली, (iv) ओपन लर्निंग सिस्टम, भुवनेश्वर, (v) छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर, (vi) आधार नासिक, (vii) प्रयास, कोलकाता और (viii) पार्टनर हुगली, हुगली, पश्चिम बंगाल।

इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 2.54 करोड़ रुपए की संचयी राशि जारी कर दी गयी है।

6.2.2.9 राष्ट्रीय कानूनी संरक्षकता प्रमाणपत्र निक्षेपागार (एनडीएलजीसी) और कानूनी संरक्षकों का ऑनलाइन मॉड्युल

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 में स्थानीय स्तर समिति, जो इस अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत गठित है, द्वारा कानूनी संरक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। कानूनी संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं और कई कानूनी और प्रशासनिक मामलों में इस पर विश्वास किया जाता है। यह ध्यान में रखते हुए कि उनका उचित दस्तावेजीकरण और रिकार्ड रखना बहुत अनिवार्य है, सभी कानूनी संरक्षक प्रमाण पत्रों का एक कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन निक्षेपागार विकसित किया गया, जिसमें कानूनी संरक्षकों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 1.4.2010 से यह अनिवार्य बना दिया गया है कि कानूनी संरक्षकता के लिए नियुक्ति का कोई भी आवेदन चाहे वह पेपर के रूप में प्राप्त होता है या सॉफ्ट कॉपी के रूप में, इसे ऑनलाइन रूप में बनाया जाएगा। इस मामले पर राज्य सरकारों एवं जिला कलेक्टरों से बात की जा सकती है, जो सामान्यतया एलएलसी के अध्यक्ष होते हैं। इससे इस अवधारणा और प्रक्रियाओं को अन्य प्रमाण पत्रों, जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्रों इत्यादि पर विस्तार किया जा सकेगा।

6.2.2.10 ऑनलाइन स्वलीनता (ऑटिज्म) सूचना और संसाधन केन्द्र पोर्टल

राष्ट्रीय न्यास को स्वलीनता सूचना और संसाधन केन्द्र, कई व्यावसायिकों, चिकित्सकों और भारत सरकार के अधिकारियों का देश में उपलब्ध सभी रणनीतियों, हस्तक्षेपों और सेवाओं को एक साथ लाने के साझे सपनों का परिणाम है। ऑनलाइन ऑटिज्म सूचना एवं संसाधन केन्द्र (www.autismresourcecenter.in) का दिनांक 04.09.2013 को शुरु किया गया।

पोर्टल की स्थापना विकलांग व्यक्तियों के अभिभावकों को ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों हेतु उपलब्ध सेवाओं में प्रारंभिक रूप से जानने और हस्तक्षेप करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया।

6.2.2.11 लोतिका सरकार विन्यास निधि

प्रो. लोतिका सरकार विन्यास निधि वर्ष 2013 में शुरु की गयी थी। राष्ट्रीय न्यास के लिए स्व. प्रो. लोतिका सरकार द्वारा दिए गए विन्यास निधि विलेख में कुल 25 लाख रुपए हैं, जिसे मूल निधि/सावधि जमा स्वरूप में रखा गया है। इस विलेख के निम्ननलिखित उद्देश्य हैं:

- व्यवहार्य आजीविका के लिए उद्यम स्थापित करने के प्रयोजन से विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना।
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) गुजर बसर करने वाले विकलांग व्यक्तियों अथवा अधिक सहायता आवश्यकता वाले व्यक्तियों को सहायता प्राप्त जीवन यापन के लिए प्रावधान ।
- राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप विकलांग व्यक्तियों को सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए अनुदानों, ऋणों अथवा अन्य लाभों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना।

वर्ष 2012 में, लोतिका सरकार विन्यास निधि के लिए पहली बैठक आयोजित की गयी थी और 4 जनवरी 2013 को अर्थात प्रो. लोतिका सरकार के 90 वें जन्म दिवस पर वर्ष 2003 में चार लाभार्थियों को 2,45,474/— रुपए की राशि प्रदान की गयी थी। फिर वर्ष 2014 में 2,32,000/— रुपए की राशि 11 लाभार्थियों को वितरित की गयी।

6.2.2.12 वर्ष 2014 के लिए स्पंदन पुरस्कार

स्पंदन पुरस्कार समारोह दिनांक 10 सितंबर 2014 को एनडीएमसी सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया था। इस समारोह में श्री सुदर्शन भगत, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस समारोह को अपनी उपस्थिति से सुशोभित किया। ये पुरस्कार माननीय राज्यमंत्री द्वारा 15 व्यक्तियों एवं संगठनों को दिए गए।

6.2.2.13 अन्य गतिविधियां: कुछ अन्य गतिविधियों में निम्न शामिल हैं–

(i) माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिनांक 10.09.14 को राष्ट्रीय न्यास की द्विमासिक पत्रिका– 'एनेबिलिंग' को विमोचन किया।

(ii) 12 सितंबर, 2014 को ज्ञान कार्यशाला

(iii) 15 सितंबर, 2014 से 30 सितंबर, 2014 तक हिंदी पखवाड़ा

(iv) स्वच्छ भारत अभियान

(v) दिल्ली हाट ने आईएनए में 01 नवंबर, 2014 से 10 नवंबर, 2014 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शिल्पोत्सव 2014–एक 10 दिन के मेले का आयोजन किया गया।

(vi) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2014 में भागीदारी

(vii) झारखंड और पश्चिम बंगाल में समेकित जागरूकता कैंप

6.2.2.14 सफलता की कहानियां

(i) सुश्री साथ्या :– 22 वर्षीय सुश्री साथ्या जो मानसिक अंगघात से पीड़ित है, पांडिचेरी में अपने दादा–दादी के साथ रहती है। उसने सरकारी स्कूल में आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई की। वित्तीय समस्या के कारण उसने अपनी दादी की रोडसाइड दुकान पर काम करना शुरु कर दिया।

वर्ष 2010 में साथ्या बेबी साराह के घर में आयी। वहाँ उसने भाषा और सृजनात्मक सोच का प्रशिक्षण प्राप्त किया। गायन एवं कविता लेखन उसका सबसे बड़ा जुनून है। उसे पढ़ना बहुत पसंद है।

युवा एवं बाल नेतृत्व न्यास (टीवायसी) और मुघिल कल्याण संगठन की मद्द से और बेबी साराह गृह से प्राप्त प्रोत्साहन से वह कई कविताएं लिख सकी ओर 100 सर्वश्रेष्ठ कविताओं का चयन किया गया और साथ्या की पहली पुस्तक **निमिर्नधु कोंडल** जिसका तात्पर्य है **स्टैंडिंग टॉल, का दिनांक 2 फरवरी 2014 को डॉ. रामदास, पुडुचेरी विश्वविद्यालय ओर विभिन्न गणमान्य पेशेवरों** के समक्ष मोचन किया गया। अब उसे **'कविथई साथ्या'** के नाम से जाना जाता है। उसे विश्व महिला दिवस पर फॉर्ड आई टी ग्लोबल, चैन्नई और पुडुचेरी के शिक्षा विभाग से सम्मान मिला।

वह साराह आर्ट एंड क्राफ्ट केन्द्र (व्यावसायिक इकाई) का विपणन प्रभारी भी है और उसकी किताब पुडुचेरी के विभिन्न शिक्षण संस्थानों की पुस्तकालयों में रखी गई हैं। अब वह पुडुचेरी और उसके आस–पास के सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रेरणास्रोत बन गयी है।

(ii) मास्टर मनिष :– मनिष नागदा नामक एक छोटे से शहर में रहता है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला का एक शांत स्थान है, जहॉ के लोग इतना ही कमा पाते हैं, जितने से दो वक्त का खाना मिल जाता है। मनिष को मानसिक अंगघात है और उसको दमा भी है। उसके पिता एक बैंक में चपरासी हैं।

'स्नेह' विशेष आवश्यकता शिक्षा गृह, राज्य नोडल एजेंसी केंद्र ***(एसएनएसी), राष्ट्रीय न्यास, मध्य प्रदेश*** के माध्यम से उसे ***राष्ट्रीय न्यास निरामय स्कीम*** के बारे में सूचना प्राप्त हुई। निरामय स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ने न सिर्फ उसके स्वास्थ्य एवं उपचारात्मक आवश्यकताओं को कवर किया अपितु उसे परिवहन सुविधा भी प्रदान की। ***उसके पिता श्री अशोक कुमार ने कहा कि उन्होंने निरामय स्कीम के अंतर्गत नियमित रूप से थेरेपी और परिवहन प्रभार के रूप में वित्तीय सहायता का दावा किया।*** अब मनिष अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हम आशा करते हैं कि वे शीघ्र ही चलना शुरु कर देगा और जिन्दगी के लुत्फ उठा सकेगा।

(iii) अक्षय :– चार वर्ष का अक्षय जिला कोप्पल, कर्नाटक का बच्चा है और मानसिक अंगघात से पीड़ित है। एक दिन उसके माता–पिता समुहा आए, ***जो कि राष्ट्रीय न्यास का एक पंजीकृत संगठन है।***

समुहा में उपलब्ध समुदाय आधारित पुनर्वास कर्मियों ने अपना मूल्यांकन किया और उन्हें शारीरिक एवं मानसिक विकास से संबंधित समस्या दिखाई दिया। तत्पश्चात, उन्होंने उनके माता–पिता को उचित प्रशिक्षण एवं सलाह दी। उनके माता–पिता ने फिजियोथेरेपी सीखी और अपने बच्चा पर उसको नियमित रूप से आजमाया।

वर्तमान में अक्षय अपना संतुलन रख पा रहा है, बैठ रहा है और चल पा रहा है। वह सभी गाड़ियों की आवाजें पहचान पा रहा है और जानवरों, पक्षियों के चित्र देखकर उन्हें ठीक प्रकार से पहचान रहा है। माता–पिता उसके स्वास्थ्य और उसकी मानसिक और शारीरिक विकास से बहुत खुश हैं।

6.3 भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)

भारतीय पुनर्वास परिषद को शुरु में 31 जुलाई, 1986 के संकल्प संख्या 22–17/83–एच डब्ल्यू–III के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 का XXI के अंतर्गत स्थापित किया गया था। संसद में पारित एक अधिनियम नामतः भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 34) दिनांक 1 सितंबर, 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। परिषद पुनर्वास व्यावसायिकों व कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित और मॉनीटर करने एवं पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढावा देने और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर के रख रखाव के लिए जिम्मेवार है।

6.3.1 परिषद के उद्देश्य

1. विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित करना और मोनिटर करना।
2. विकलांग व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न वर्गो के पेशेवरों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मानक विहित करना।
3. देश भर में एकरूपता लाने के लिए सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इन मानकों को विनियमित करना।
4. भारत में पुनर्वास पेशेवरों के लिए विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा संस्वीकृत योग्यताओं की मान्यता हेतु मंत्रालय को परामर्श देना।
5. भारत के बाहर संस्थानों द्वारा प्रदत्त योग्यताओं की मान्यता के संबंध में मंत्रालय को सिफारिश करना।
6. मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यताओं धारण करने वाले व्यक्तियों का केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना।
7. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों के साथ सहयोग कर सतत पुनर्वास शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
8. पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

6.3.2 परिषद के कार्य

1. भारत में किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य संस्था द्वारा प्रदत्त योग्यता जो अनुसूची में शामिल है, पुनर्वास पेशेवरों के लिए मान्यता प्राप्त होगा।

2. कोई भी विश्वविद्यालय अथवा अन्य संस्था जो पुनर्वास पेशेवरों को योग्यता प्रदान करता है परंतु अनुसूची में शामिल नहीं है, इस प्रकार की योग्यता हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन कर सकता है और केन्द्र सरकार, परिषद से सलाह लेकर अधिसूचना के जरिए अनुसूची में संशोधन कर सकता है ताकि इस प्रकार की योग्यताओं को इसमें शामिल किया जा सके और इस प्रकार की अधिसूचना यह निदेश दे सकता है कि किसी विर्निदिष्ट तिथि के पश्चात, जब संस्वीकृति मिल जाती है, इस अनुसूची के अंतिम कॉलम में कोई प्रविष्टि की जाएगी।

3. परिषद किसी भी अन्य देश में एक मान्यता प्राप्त प्राधिकरण के साथ योग्यता की मान्यता के लिए पारस्परिकता की एक योजना बना सकता है। ऐसी योजना के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, अधिसूचना के जरिए अनुसूची में संशोधन कर सकता है ताकि इस प्रकार की योग्यताओं को जिसे परिषद ने मान्यता देने का निर्णय लिया है इसमें शामिल किया जा सके और इस प्रकार की अधिसूचना में यह निदेश दे सकता है कि किसी विर्निदिष्ट तिथि के पश्चात, जब संस्वीकृति मिल जाती है, इस अनुसूची के अंतिम कॉलम में यह घोषणा करते हुए प्रविष्टि की जाएगी कि यह योग्यता मान्यता प्राप्त है।

4. इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के केन्द्रीय पुनर्वास पेशेवर रजिस्टर में पुनर्वास पेशेवर के रूप में पंजीकरण।

5. भारत के विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता देने के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।

6. पुनर्वास पेशेवरों के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार और आचार संहिता के मानक निर्धारित करना।

7. पुनर्वास के क्षेत्र में पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं/विश्वविद्यालयों का आकलन और संस्वीकृति प्रदान करना और सरकार द्वारा उनकी मान्यता देने और मान्यता वापस लेने को सुगम करना।

8. पुनर्वास योग्यता को मान्यता देने के प्रयोजन से परिषद जैसा उचित समझे वैसे किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान का निरीक्षण करने के लिए कितने भी निरीक्षकों को नियुक्त कर सकता है जहॉ पुनर्वास पेशेवरों को शिक्षा दी जाती है अथवा किसी परीक्षा में शामिल हो सकता है।

6.3.3 परिषद की प्रमुख गतिविधियां (2014–15)

(i) दो नये पाठ्यक्रम विकसित और मानकीकृत किए गए और 11 पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया है। वर्तमान सूचनानुसार, 65 पाठ्यक्रम नियमित कार्यविधि से चलाए जा रहें हैं और 13 पाठ्यक्रम पत्राचार माध्यम से चलाए जा रहें हैं।

(ii) 520 संस्थानों और 09 मुक्त विश्वविद्यालय को देश भर में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातको, स्नातकोत्तरों, एम फिल और मनोविज्ञान डिप्लोमा के आरसीआई अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाने के लिए संस्वीकृत किए गए हैं। 27 नये संस्थाओं को 48 पाठ्यक्रम बैचों के लिए अनुमोदित किए गए हैं और 146 संस्थानों को 209 पाठ्यक्रम बैचों को चलाने के लिए अनुमोदन को विस्तार दिए गए हैं।

(iii) केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में 5986 पेशेवरों और 6230 कर्मियों का पंजीकरण किया गया है और सीआरआर में संचयी संख्या 100,184 (40,559 पेशेवर और 59,625 कर्मचारी) पहुँच गयी है।

(iv) 251 सतत पुनर्वास शिक्षा (सीआरई) कार्यक्रम संस्वीकृत किए गए और 85 सेमिनार/कार्यशालाओं को सीआरई स्टेट्स की मंजूरी दी गयी है।

(v) मीडिया लैब एशिया (एमएलए) के साथ मिलकर परिषद द्वारा शुरु किए गए विकलांगता संबंधी राष्ट्रीय इंटरेक्टिव वेबपोर्टल 'पुनर्भव' को तीन और वर्ष के लिए विस्तार दिया गया है। इस वेब पोर्टल को एक ही मंच पर विभिन्न विकलांगता संबंधी मुद्दों के संबंध में सूचना प्रदान करने हेतु डिजायन किया

श्रीमती स्तुति कक्कड़, सचिव, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, प्रो. सुदेश मुखोपाध्याय, अध्यक्ष, आरसीआई और श्री अवनीश के. अवस्थी, संयुक्त सचिव, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय विचार–विमर्श सम्मेलन में

प्रो. सुदेश मुखोपाध्याय, अध्यक्ष, आरसीआई 29 दिसंबर 2014 को विकलांगता क्षेत्र में राष्ट्रीय शोध परामर्श कार्यक्रम के अवसर पर श्रीमती स्तुति कक्कड़, सचिव, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को बधाई देते हुए

(बाएं से दाएं) श्रीमती स्तुति कक्कड़, सचिव, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गेहलोत और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत और श्री हरि बाबु, 'संसद सदस्य तिरुपति में अंचलीय समन्वयन समिति के उद्घाटन के दौरान

गया है और यह विकलांग व्यक्तियों, पेशेवरों, नीति निर्धारकों, छात्रों, माता–पिता, सामुदायिक कर्मियों ओर अन्य पक्षधारकों के लिए बहुत उपयोगी है।

(vi) 29 दिसंबर 2014 को आईएसआईसी, नई दिल्ली में विकलांगता पुनर्वास में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा बनाने के लिए राष्ट्रीय विकलांगता शोध कार्यक्रम ।

(vii) इंफाल, हुगली, वाराणसी, उना, पुणे, तिरूपति और चेन्नै स्थित सात क्षेत्रीय समन्वय समितियों को वर्ष के दौरान पुनः गठित किया गया है। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत द्वारा तिरूपति में 27.09.2014 को दक्षिण क्षेत्र, जेडसीसी का उद्घाटन किया गया।

(viii) आरसीआई की सामान्य परिषद के साथ 12 विशेषज्ञ समितियों को पुनर्गठित किया गया है।

(ix) भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 (1992 का 34) की धारा 29 की उपधारा (ट) के अंतर्गत दिनांक 10/06/2014 को परीक्षा संचालन विनियमों, परीक्षकों की योग्यता और ऐसी परीक्षाओं की शर्तों के विनियमों को अधिसूचित करने एक राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गयी है और एनबीईआर की साधारण निकाय का गठन किया गया है। राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड (एनबीईआर) को क्रियात्मक बनाने हेतु कार्रवाई शुरु की गयी है।

(x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) के कार्यान्वयन के लिए आरसीआई अनुमोदित संस्थाओं में अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लैपटॉप की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु छात्रों की अंतिम सूची को अंतिम रूप दिया गया है और इसे आरसीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

(xi) आरसीआई द्वारा एक कार्यकारी समिति और दो सामान्य परिषद की बैठकें आयोजित की गयी।

(xii) दिनांक 2.10.2014 को आरसीआई भवन परिसर और पड़ोस की सफाई कर स्वच्छ भारत मिशन कर शुरुआत की गयी। स्वच्छ भारत मिशन के भाग के रूप में वर्ष के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गयी।

प्रो. सुदेश मुखोपाध्याय, अध्यक्ष, आरसीआई, श्री डी. एन. श्रीनिवासाप्पा, सदस्य सचिव और आरसीआई के अन्य कर्मचारी 2 अक्तूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के उद्‌घाटन के अवसर पर

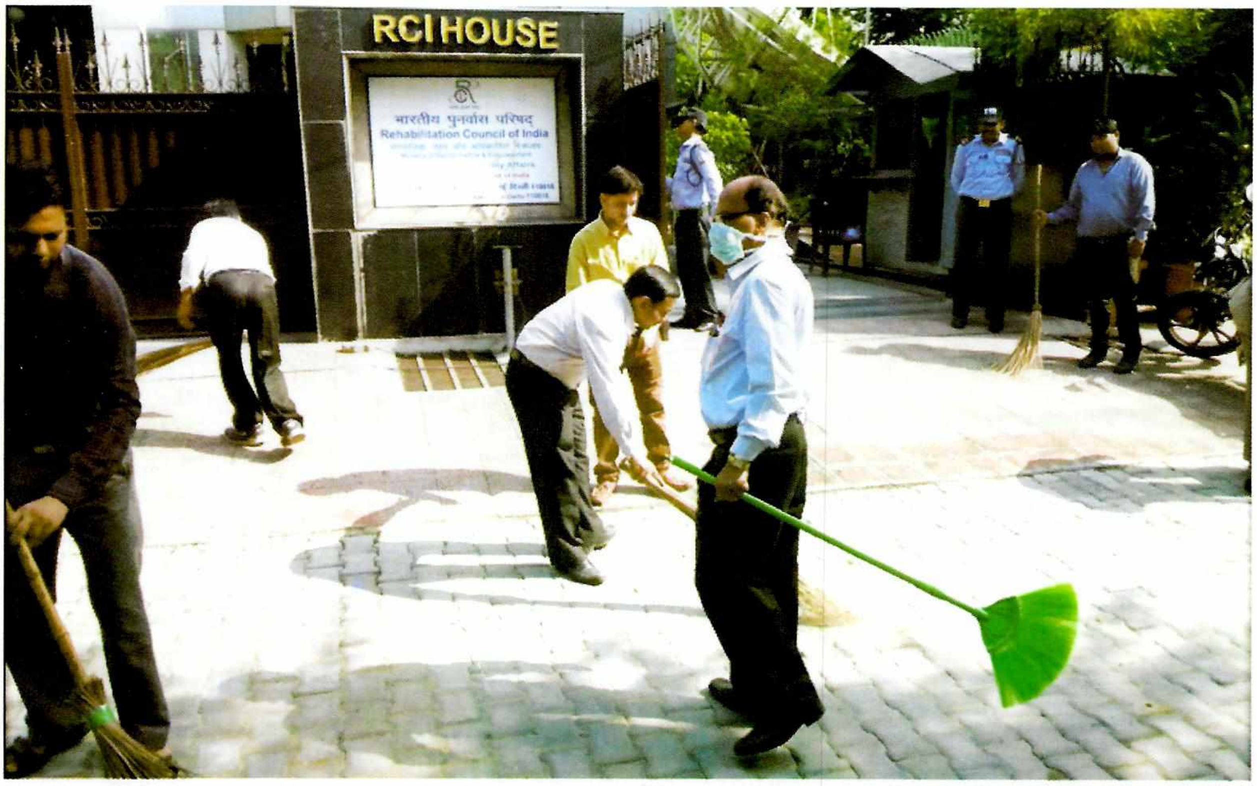

सदस्य सचिव और आरसीआई के अन्य कर्मचारी 2 अक्तूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के उद्‌घाटन के अवसर पर

अध्याय 7

विभाग की विभिन्न योजनाएं

7.1 एक सिंहावलोकन

यह विभाग, विकलांग व्यक्तियों के संशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य उनका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास को बढावा देना और विकलांग व्यक्तियों को उनके जीवन की गुणवत्ता बढाने और प्रतिष्ठित जिंदगी जीने के लिए विकास करना है। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. **विकलांग व्यक्तियों को यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना (एडिप)**
2. **विकलांग व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)**
3. **दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)**

7.2 विभाग की फलैगशिप योजनाएं

7.2.1 विकलांग व्यक्तियों को यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना (एडिप)

योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थानों/संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों/भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिमको)/जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों/राज्य विकलांग विकास निगमों अन्य स्थानीय निकायों/गैर सरकारी संगठनों) को जरुरतमंद विकलांग व्यक्तियों को उनकी विकलांगता के प्रभाव को कम कर और साथ ही उनकी आर्थिक क्षमताओं में वृद्धि कर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढावा देने के लिए टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, प्रमाणिक

सहायता तंत्र और उपकरण की खरीद में सहायता देने के लिए सहायता अनुदान देना है। सहायक उपकरण विकलांग व्यक्तियों को उनके स्वतंत्र क्रियाकलाप में सुधार लाने और विकलांगता की सीमा और द्वितीय विकलांगता को रोकने के लिए दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत आपूर्ति किए गए सहायक तंत्र एवं उपकरण का उचित प्रमाणीकरण होना चाहिए। इस योजना में सहायक उपकरण प्रदान किए जाने से पहले जब कभी भी आवश्यकता हो, दोष निवारक शल्य क्रिया किए जाने की भी परिकल्पना है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, देश के सभी जिलों को कवर करने को ध्यान में रखते हुए, निधियों का राज्यवार और आगे जिलावार अनुमानित आवंटन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, विकलांगता शिविरों का आयोजन जिला वार किया जाना है। वर्ष 2013–14 से राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों से, शिविरों का आयोजन करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्ताव की सिफारिश करते समय, निधियों के जिला वार नेशनल आवंटन का ख्याल किए बिना दुर्लभ और सेवा वंचित क्षेत्रों के कवरेज पर ध्यान केन्द्रित करना अपेक्षित है।

वर्ष 2014–15 का परिव्यय 110 करोड़ रुपए था, जिसमें 93.87 करोड़ का व्यय से इस स्कीम के अंतर्गत किया गया। 15.02.2015 एडिप योजना के अंतर्गत निधियों को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है:

(क) एडिप–एसएसए शिविरों के आयोजन के लिए

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और स्कूल जाने वाले को सहायक तंत्र एवं उपकरण वितरित किए जाते हैं। एचआरडी के साथ हुए समझौते के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी एलिमकों को व्यय के 40% की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और व्यय के 60% एडिप योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता के द्वारा।

(ख) विशेष शिविरों के लिए

जब कभी भी मांग होती है, अवसर के आधार पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है।

(ग) मुख्यालय गतिविधियों के लिए

I. पात्र लाभान्वितों, जो इस संस्थान अथवा अपने संबंधित क्षेत्रीय केन्द्रों से संपर्क करते हैं, को सेवा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एलिमको को एडिप अनुदानों की आवश्यकता होती है।

II. कुछ सुस्थापित एनजीओ के केन्द्र/उपकेन्द्र होते हैं जो विकलांग व्यक्तियों के लिए ओपीडी कार्यकलाप करते हैं और दोषनिवारक शल्य क्रियाएं करते हैं। कई विकलांग व्यक्ति सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए अपने केन्द्रों/उप केन्द्रों से संपर्क करते हैं। इसलिए, एडिप अनुदान उनके संबंधित मुख्यालय गतिविधियों के लिए जारी किए जाते हैं।

(घ) जिला स्तरों पर सेवाएं/शिविर

एडिप योजना के अंतर्गत, सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शिविर आयोजित करने के लिए अनुदान भी जारी किया जाता है।

वर्ष 2014–15 के लिए 15.02.2015 तक, उपर्युक्त गतिविधियों के लिए निधियों का वितरण और निर्मोचन नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	एडिप योजना के अंतर्गत गतिविधि	जारी की गई निधियां
1.	शिविर गतिविधि	1549.09
2.	मुख्यालय गतिविधि	3124.67
3.	एडिप–एएसए	2050.00
4.	विशेष शिविर	1350.00
5.	कोकलियर इम्प्लांट	1313.40
	कुल	**9387.16**

7.2.1.1 इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियां निम्नवत हैं:

वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ रू. में)	जारी की गई राशि (करोड़ रू. में)	कार्यान्वयन एजेंसियों की संख्या जिनकी सहायता की गई	लाभान्वितों की संख्या (लाख रूपए में)
2012–13	100.00	70.60	96	2.60 (अनुमानित)
2013–14	110.00	95.36	104	2.80 (अनुमानित)
2014–15 (15.02.2015 तक)	110.00	94.87	43	2.60 (अनुमानित)

वर्ष 2014–15 के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों/राष्ट्रीय संस्थानों/एलिमको/सीआरसी को जारी निधियों का सार (15.02.2015 तक) **अनुबंध–6** में दिया गया है और वर्ष 2014–15 के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत एनजीओ को दी गई अनुदान सहायता का राज्य वार विवरण (15.02.2015 तक) **अनुबंध–7** में दिया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान (15.02.2015 तक) इस स्कीम के अंतर्गत शिविर गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई अनुदान सहायता का एजेंसी वार, राज्य वार और जिले वार विवरण **अनुबंध–8** में दिया गया है और एनआईज/ एलिमको/सीआरसी को शिविर गतिविधियों के लिए जारी की गयी अनुदान सहायता (15.02.2015 तक) **अनुबंध–9** में दी गयी है। मुख्यालय गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई अनुदान सहायता और वर्ष 2014–15 के दौरान (15.02.2015 तक) विभिन्न राज्यों में आयोजित विशेष शिविरों का विवरण क्रमशः **अनुबंध–10 एवं अनुबंध–11** में है।

7.2.1.2 निगरानी तंत्र

इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए निम्नलिखित तंत्र बनाए गए हैं:

(i) विकलांगता से संबंधित विभाग की योजनाओं (विशेषकर एडिप, डीडीआरएस, डीडीआरसी के लिए) के कार्यान्वयन की निगरानी

के प्रयोजन से संयुक्त सचिव (विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है।

(ii) विभाग की विकलांगता से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों का निरीक्षण, निगरानी और मार्गदर्शन करने के लिए विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग के प्रभाग प्रमुखों/अवर सचिवों और राष्ट्रीय संस्थाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का आवंटन।

(iii) एडिप योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार की सिफारिशों और किसी कार्यान्वयन एजेंसी विशेष के संबंध में प्रस्तुत की गई निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर अनुदान जारी किए जाते हैं। संस्तुति प्राधिकारी, संगठन को दिए गए पूर्व के अनुदान के लाभान्वितों के 5% से 10% नमूने की जाँच भी करते हैं। संशोधित एडिप योजना के अनुसार, सहायता प्राप्त लाभान्वितों के नमूने की जाँच को बढ़ाकर क्रमशः 10% और 15% कर दिया गया है।

(iv) संगठनों को अपने पूर्व के अनुदान के संबंध में लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(v) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वर्ष 2012–13 की अवधि के दौरान और वर्ष 2013–14 से अनिवार्य रूप से, जारी की गई अनुदान सहायता से संवितरित सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के लाभान्वितों की सूची, उनके फोटो, पता, दिए गए सहायक यंत्र और उपकरण और उनकी लागत जैसे दस्तावेजों की अपलोडिंग वेबसाइट पर करना अनिवार्य है।

7.1.2.3 एडिप योजना में संशोधन

एडिप योजना को दिनांक 1.4.2014 से संशोधित कर दिया गया है।

संशोधित एडिप योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः

(i) 100% रियायत के लिए आय पात्रता की वर्तमान सीमा 6,500/– रुपए प्रतिमाह में वृद्धि कर 15,000/– रुपए प्रतिमाह और 50% रियायत के लिए वर्तमान के 15,001/– रुपए से बढ़ाकर 20,000/– रुपए प्रतिमाह।

(ii) दृष्टि बाधित छात्रों को (18 वर्ष की उम्र से अधिक) को पाँच वर्षों में एक बार एक्सेसिबल मोबाइल प्रदान करना और स्कूल जाने वाले विकलांग छात्रों (10वीं एवं उससे ऊपर के छात्रों) को 10 वर्ष में एक बार लैपटॉप, ब्रेल नोट टेकर और ब्रेलर प्रदान करना।

(iii) सहायक यंत्रों/उपकरणों की अधिकतम लागत की सीमा को एकल विकलांगता वाले छात्रों के लिए 6000/— रुपए से बढ़ाकर 10,000/— रुपए और विकलांगताओं वाले छात्रों के लिए यह सीमा 8000/— रुपए से बढाकर 12,000/— रुपए कर दिया गया।

(iv) चिकित्सीय/शल्य चिकित्सा सुधार की अधिकतम लागत सीमा, जो वर्तमान में 500/— रुपए से 3,000/— रुपए है, को निम्नवत संशोधित किया गया है:—

(क) श्रवण और वाक बाधिता के लिए 500/— रुपए से 1000/— रुपए।

(ख) दृष्टि बाधित के लिए 1,000/— रुपए से 2,000/— रुपए।

(ग) अस्थि विकलांगता के लिए 3,000/— रुपए से 5,000/— रुपए।

(v) मोटरयुक्त ट्राइसाईकिल और व्हीलचेयर के लिए सब्सिडी की वर्तमान सीमा को, गंभीर रूप से विकलांग और चलन विकलांगता जैसे क्वेटड्रीप्लजिक (एससीआई), मसकुलर डायसट्राफी, स्ट्रोक, मानसिक अगंघात, हेमिप्लेजिया और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्ति, जिसमें या तो तीन/चार अंग अथवा आधा शरीर गंभीर रूप से विकृत है, 6,000/— रुपए से 25,000/— रुपए बढाना। यह 16 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 10 वर्ष में एक बार दिया जाएगा।

(vi) इस योजना के अंतर्गत 6.00 लाख रुपए प्रति इकाई की अधिकतम सीमा में श्रवण बाधित 500 बच्चे प्रतिवर्ष के लिए कर्णावर्त तंत्रिका आरोपण का प्रावधान। लाभान्वितों के लिए आय सीमा वही रहेगी अर्थात् 15,000/— रुपए प्रतिमाह वाले के लिए 100% और 15,001/— रुपए से 20,000/— रुपए प्रतिमाह वालों के लिए यह रियायत 50% होगी।

(vii) कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता का 5% जागरुकता, मूल्यांकन और अनुवर्ती शिविरों के आयोजन के लिए प्रशासनिक/ऊपरी व्यय के रूप में खर्च करने के निदेश दिए गए हैं।

7.2.1.4 एडिप योजना के अंतर्गत विभाग ने विकलांग व्यक्तियों हेतु आधुनिक यंत्र तथा सहायक उपकरणों की विकलांगता वार सूची इस प्रकार अधिसूचित की है–

(i) दृष्टि बाधितः

(i) दृष्टि बाधितों हेतु संकेतक मूल्य, विशिष्टता, और खरीद का स्रोत दर्शाते हुए 51 सहायक उपकरणों की सूची; और (ii) संकेतक मूल्य और खरीद का स्रोत दर्शाते हुए दृष्टि बाधित विकलांगों हेतु श्रेणी वार किटस अर्थात किट–1: कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए, किट–2: कक्षा 6 से 8 तक में प्राथमिक स्कूल से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिये, किट–3: कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिये, किट–4: कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चों के लिये, जिसके दो उप भाग अर्थात किट–4 (क) दृष्टिहीन छात्रों के लिये और किट–4 (ख) कम दृष्टि के छात्रों के लिये हैं, किट–5: कॉलेज के छात्रों के लिये है जिसके 2 उप–भाग हैं अर्थात किट–5: (क) दृष्टिहीन छात्रों के लिए और किट–5: (ख) कम दृष्टि के छात्रों के लिये हैं और किट–6: एडीएल किट वयस्कों के लिये है को दर्शाता हुआ दिनांक 23 जुलाई, 2014 का का.ज्ञा. [illegible] 4–2 (7)/2014/डीडी–I इसमें दृष्टि बाधितों हेतु सा[illegible] दृष्टि उपकरणों की सूची और अधिकतम (हाई एंड) [illegible] सामान्य उपकरणों की सूची भी दी गई है।

(ii) कुष्ठ प्रभावितः

(i) कॉमन सहायक दैनिक रहन–सहन किट (एडी[illegible]) [illegible] द्वारा खरीद की जाएगी और वितरित की ज[illegible] और (ii) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, शारीरिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान और सहभागी गैर–सरकारी संगठनों द्वारा वितरण किये जाने हेतु आवश्यकता अनुसार 34 वैयक्तिक वैकल्पिक उपकरणों की सूची का उल्लेख

करता हुआ दिनांक 12 अगस्त, 2014 का का.ज्ञा. संख्या. 4–2(11)/2014/डीडी–I.

(iii) बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगताः

बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु वित्तीय सहायता के लिए (क) मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए 4 किट अर्थात् (i) किट–1 (क): आयु समूह 0–3 वर्षः प्रारंभिक हस्तक्षेप समूह (कोडः ईआई) और किट–1 (ख): आयु समूह 0–3 वर्ष में बहुविकलांगों हेतु टीएलएम किट, (ii) किट–2: आयु समूह 3–6 वर्ष (पूर्व प्राथमिक समूह) (कोडःपीपी), 1(iii): किट–3: आयु समूह 7–11 वर्ष (प्राथमिक समूह) (कोडःपीआर) और (iv): किट–4: आयु समूह 12–15 और 16–18 वर्षः (माध्यमिक और पूर्व व्यावसायिक) (कोडःएसईसी/पीवी)। देशभर में विशेष स्कूलों में इन किटों की आपूर्ति शुरू करने हेतु (ख) बहुविकलांगताओं से ग्रस्त बच्चों के लिए 3 टीएलएम किट्स–अर्थात किट–(i): आयु समूह 3–6 वर्ष (ii) किट–2: आयु समूह 6–10 वर्ष और (iii): किट–3: आयु समूह 10 वर्ष और उससे ऊपर और (v) एलिमको मॉडल सैंसरी किटः बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु मल्टी सैंसरी समावेशी शिक्षा विकास का उल्लेख करता हुआ दिनांक 21 अगस्त, 2014 का का.ज्ञा. संख्या. 4–2(14)/2013/डीडी–I.

(iv) श्रवण बाधितः

(क) श्रवण यंत्रों/उपकरणों की फिटमेंट और खरीद हेतु और (ख) कोकलियर इंपलाटेशन और खरीद हेतु दिशा–निदेशों का उल्लेख करता हुआ दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 का का.ज्ञा. संख्या. 4–2(8)/2014/डीडी–I. आय मापदंड, वर्ष 2014–15 के दौरान कोकलियर इंपलांट हेतु अंतिम तारीख और स्क्रीनिंग समिति के गठन के मामले में दिनांक 20.10.2014 के का.ज्ञा. में संशोधन का उल्लेख करता हुआ उसके बाद में जारी किया गया दिनांक 13 जनवरी, 2015 का शुद्धि पत्र संख्या 4–2(8)/2014/डीडी–I.

नोटः ऊपर उल्लिखित सूची, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइटः **www.socialjustice.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

7.2.2 दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

विभाग की, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), इस विभाग की एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसमें मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास प्रदान करने की परियोजना शामिल है। यह योजना वर्ष 1999 से परिचालन में है, जिसका उद्देश्य समर्थकारी परिवेश सृजित कर और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए परियोजना चलाने के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित कर निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

7.2.2.1 डीडीआरएस दिशा निर्देश

दिनांक 1.4.2013 से लागू डीडीआरएस दिशा निर्देशों में, स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा प्रदत्त क्षेत्र सेवाओं, को कवर करते हुए 18 मॉड्ल परियोजनाएं शामिल हैं, जिसे अनुदान सहायता के माध्यम से सहायता दी जा सकती है। इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. प्रि–स्कूल और शीघ्र हस्तक्षेप के लिए कार्यक्रम

ii. विशेष शिक्षा

iii. व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियोजन

iv. समुदाय आधारित पुनर्वास

v. मानवशक्ति का विकास

vi. मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक–सामाजिक पुनर्वास और

vii. कुष्ठ उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास इत्यादि।

1 अप्रैल 2009 से सरकार द्वारा इस योजना के लागत मानदंडों और दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। इस संशोधन में मानदेयों, व्यय के आवर्ती मदों और गैर आवर्ती मदों के संशोधित लागत मानदंड शामिल हैं। इसके अलावा, विभिन्न मॉडल परियोजनाओं में मानवशक्ति वर्गों का परिमेयकरण और विलयन

किया गया है। मूल योजना के 80 वर्गों की तुलना में संशोधित वर्ग में 66 मानवशक्ति वर्ग हैं। नए कौशल के लिए उभरती आवश्यकताओं : कंप्युटर अनुप्रयोग और प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, इंटरनेट प्रबंधन, मोबाइल रिपेयरिंग इत्यादि पर विचार करते हुए कुल 14 नये ट्रेड जो वीटीसी में उपलब्ध कराए जा सकते हैं, को भी जोड़ा गया है। विभाग द्वारा स्थापित जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) को भी उनके पाँच वर्षों की संचालन अवधि (जम्मू एवं कश्मीर अथवा पूर्वोत्तर में स्थापित केन्द्रों के लिए) और तीन वर्षों की संचालन अवधि (शेष पूरे देश में स्थापित केन्द्रों के लिए) के पश्चात, इस योजना के अंतर्गत निधि दी जाती है। तदोपरांत, इन केन्द्रों को जिला के एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन को उनके आगे के संचालन के लिए और अनुरक्षण के लिए सौंप दिया जाता है।

डीडीआरएस योजना के अंतर्गत वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) वित्तीय

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	व्यय
2010–11	120	82.26
2011–12	120	86.15
2012–13	120	46.99
2013–14	90	63.64
2014–15	90	39.72 (28.02.2015 तक)

(ii) वास्तविक

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या		प्रतिशत उपलब्धि
	लक्ष्य	उपलब्धि	
2010–11	2.00	2.30	115
2011–12	2.30	2.55	110.86
2012–13	2.50	1.54	61.60
2013–14	2.50	2.60	104
2014–15	2.60	1.46 (28.02.2015 तक)	56.15 (28.02.2015 तक)

वर्ष 2014–15 के दौरान डीडीआरएस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन का राज्य वार ब्यौरा **अनुबंध–12** में दिया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान इस योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन को जारी सहायता अनुदान के ब्यौरे का राज्यवार सार **अनुबंध–13** में दिया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान एनजीओ को जारी अनुदान सहायता का राज्य वार ब्यौरे का सार **अनुबंध–14** पर है।

7.2.2.2 सफलता की कहानियां

यह बच्ची विभाग संबंधी डीडीआरएस के अंतर्गत जीआईए सहयोग से संचालित विशेष विद्यालय में पढ़ रही है)

नाम– सुश्री निशिता जैन

आयु– 11 वर्ष

पारिवारिक पृष्ठभूमि– निशा एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। उसकी मां एक गृहणी है और उनकी एक छोटी सी मोबाईल की दुकान है। उसका एक छोटा भाई भी है।

विकलांगता – जन्म से ही दोनों ऊपरी हाथ खराब हैं

निशिता एक उत्साही ग्यारह वर्षीय बच्ची है जो स्थायी विकलांगता के बावजूद स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। वह सक्रीय रूप से स्कूल की सभी गतिविधियों में भाग लेती है और स्कूल तथा अड़ोस–पड़ोस में काफी लोकप्रिय हैं।

निशिता के जन्म से ही कोहनी के ऊपर दोनों हाथ नहीं हैं। उसका जन्म बिना दोनों हाथों के हुआ था। निशिता ने बिना दोनों हाथों के अपने जीवन को जीना सीख लिया है। वह अपने दायें पैर का प्रयोग करके लिखती है और अपने अधिकतर कार्य दायें व बायें पैरों का वैकल्पिक रूप से प्रयोग करके कर लेती है। स्कूल के अन्य बच्चों, जिन्हें कृत्रिम अंगों का लाभ प्राप्त है, के समान निशिता के लिए यह विकल्प उपलब्ध नहीं है क्योंकि कोहनी से ऊपर हाथों की सर्जरी एक जटिल प्रक्रिया है। वह स्वयं को अपंग नहीं मानती है तथा अपने दैनिक जीवन के कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहती है।

समेकित शिक्षा का प्रभाव–

अमर ज्योति स्कूल द्वारा प्रदान किए गए समग्र वातावरण के कारण, डीडीआरएस (भारत सरकार की योजना) के अन्तर्गत सहायता, निशिता स्वंय को एक सक्षम, आत्मविश्वासी तथा स्वतंत्र बच्ची के रूप में विकसित करने में सफल हुई है। उसने न केवल शैक्षिक क्षेत्र में अपनी दक्षता को सिद्ध किया है बल्कि अन्य गतिविधियों जैसे नृत्य, संगीत तथा चित्रकला आदि में भी अपनी कुशलता को प्रदर्शित किया है। उसने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए हैं।

निशिता एक सृजनात्मक बच्ची भी है। उसे चित्रकला से प्रेम है और उसकी चित्रकला सटीक तथा सुविकसित है। निशिता का नृत्य कौशल विशेष रूप से उत्कृष्ट है। वह अपने मित्रों के साथ नृत्य की सृजनात्मक मुद्राओं की कोरियोग्राफी का कोई अवसर नहीं छोड़ती है। दोनों हाथों के अभाव ने उसे इन गतिविधियों में भाग लेने से कभी नहीं रोका। कलर चैनल द्वारा आयोजित इंडियास गौट टैलेंट कार्यक्रम में उसके द्वारा भाग लिया जाना उसके नृत्य कौशलों की पराकाष्ठा थी।

वह अपने दायें पैर से लिखती है और अति उच्च्य गुणवत्ता वाले कक्षा कार्य तथा गृह कार्य करती है। पिछले कुछ वर्षों में निशिता के शैक्षिक परिणाम निरंतर अच्छे रहे हैं और उसने हर विषय में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उसका सुलेख कक्षा में सबसे अच्छा है और उसकी परिकलन कला उत्कृष्ट है। उसे पढना अच्छा लगता है तथा वह नई परिस्थितियों में अपने विचारों के प्रयोग का प्रयास करती है। उसकी विकलांगता उसे किसी भी रूप से नहीं रोक पाती है और वह अपने पैरों का प्रयोग करके अपनी पुस्तकों को व्यवस्थित करती है और अपने सहपाठियों से पहले तैयार हो जाती है। वह अपने अभिजात समूह के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।

निशिता जैन–इंडियास गोट टेलेंट के सेमी फाइनल में

निशिता जैन– मुस्कान और आंसू

7.2.3 विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन के लिए योजना का कार्यान्वयन पीडब्ल्युडी एक्ट, 1995 के प्रावधानों, विशेषकर, पुनर्वास और बाधारहित प्रवेश के प्रावधानों, के कार्यान्वयन के अनुसण में, इस योजना के अंतर्गत स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों सहित राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न अन्य निकायों को अनुदान सहायता दी जाती है। विभाग द्वारा स्थापित जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) और संयुक्त पुनर्वास केन्द्र (सीआरसी) को भी इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। बाधा मुक्त प्रवेश से संबंधित गतिविधियों के प्रकार जिसके लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, वह व्यापक है, जिसमें रैंप, लिफ्ट, स्पर्शनीय रास्ता, नये उत्पाद विकास और अनुसंधान इत्यादि शामिल है।

वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों पर जोर दिया गया थाः–

i) पीडब्ल्युडी अधिनियम की धारा 46 के अनुसार, महत्वपूर्ण सरकारी भवनों (राज्य सचिवालय, अन्य महत्वपूर्ण राज्य स्तर कार्यालयों, जिला कार्यालयों, राज्य विश्वविद्यालय भवनों/परिसरों, चिकित्सा महाविद्यालयों और अनुमंडल मुख्यालयों में प्रमुख अस्पतालों, अन्य महत्वपूर्ण सरकारी भवनों) में बाधा मुक्त परिवेश प्रदान करना। इसमें रैंप, रेल, लिफ्ट, व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के अनुकूल शौचालय, ब्रेल साइनेज और श्रव्य संकेतों, स्पर्शनीय फर्श इत्यादि शामिल हैं।

ii) प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी भारत सरकार की वेबसाइट के दिशा–निर्देशों के अनुसार, जो उनकी वेबसाइट *http://darpg.nic.in* पर भी उपलब्ध है, राज्य और जिला स्तरों पर सरकारी वेबसाइटों को विकलांग व्यक्तियों के अनुकुल बनाने के लिए।

iii) जिला मुख्यालयों पर शीघ्र नैदानिक और हस्तक्षेप केन्द्रों को स्थापित करने के लिए।

iv) विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय को अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए।

v) राज्य सरकारों को एक मुश्त अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए।

vi) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 45 में प्रस्तुत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए:

(क) व्हील चेयर प्रयोक्ताओं को सुगम पहुंच उपलब्धि कराने के लिए मार्गो में मोड़ तथा ढलान प्रदान करना।

(ख) दृष्टिहीन या अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए जेब्रा क्रासिंग की सतह पर खांचे प्रदान करना।

(ग) दृष्टिहीन या अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर कोनों पर खांचे प्रदान करना।

(घ) विकलांग जनों के लिए उपयुक्त संकेत उपलब्ध कराना।

vii) विकलांग जनों के लिए विशेष मनोरंजन केन्द्रों के निर्माण हेतु जहां उपयुक्त सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों के पास अपनी स्वंय की भूमि हो। इस परिप्रक्ष्य में, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 43 (ग) के अध्याय VII से संदर्भ प्राप्ति किया जा सकता है।

viii) अधिनियम में विनिर्दिष्ट कोई अन्य। गतिविधि हेतु किन्तु कार्य विभाग की मौजूदा योजनाओं द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध। नहीं कराई गई है/शामिल नहीं किया गया है, जिस पर मंत्रालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) के स्वीकृति से मामला–दर–मामला आधार पर विचार किया जाएगा।

वर्ष 2014–15 के लिए बजटीय आवंटन को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार, उनके विकलांग जनों की जनसंख्या के अनुसार, अनुमानतः विभाजित कर दिया गया है और तदनुसार प्रस्ताव मांगे गए हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, बाधा मुक्त प्रवेश संबंधित गतिविधियों के लिए, 6 राज्यों और 01 संघ राज्य क्षेत्रों को और सीआरसी एवं डीडीआरसी सहित 32 संस्थानों/संगठनों को अनुदान सहायता जारी कर दी गयी है। वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विभिन्न संगठनों को इस योजना के अंतर्गत दी गई अनुदान सहायता का ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध–15 और 16** पर दिया गया है।

7.3 अन्य केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाएं

7.3.1 विकलांग व्यक्तियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप

योजना के उद्देश्य और सारः

भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एम फिल/पी.एच.डी पाठ्यक्रमों की पढाई करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को फेलोशिप प्रदान करने हेतु

राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना वित्त वर्ष 2012–13 में आरंभ की गई थी।

- इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष विकलांग व्यक्तियों को 200 (कनिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप, जेआरएफ) को फेलोशिप प्रदान किए जाते हैं। यदि विकलांगता वाले विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो इस वर्ष फेलोशिप का प्रयोग न किए जाने वाली संख्या को अगले शैक्षिक स्तर के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है।
- यदि उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक होती है तो, यूजीसी उम्मीदवारों द्वारा उनके स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर उनका चयन करता है।

फेलोशिप की राशिः

(i) जीआरएफ तथा एसआरएफ के लिए फेलोशिप की दरें यूजीसी फेलोशिप के अनुसार होंगी। वर्तमान में यह दरें निम्नानुसार हैं:

1	इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी, विज्ञान तथा मानविकी और सामाजिक ज्ञान **(कला तथा ललित कला सहित)**	आरंभिक दो वर्षों के लिए प्रति माह @ रू. 25,000/– (जेआरएफ) शेष कार्यकाल प्रतिमाह @ रू. 28,000/– (एसआरएफ)
2	मानविकी तथा सामाजिक ज्ञान **(कला तथा ललित कला सहित)** के लिए	आकस्मिक व्यय आरंभिक दो वर्षों के लिए प्रति वर्ष @ रू. 10,000/– शेष कार्यकाल प्रति वर्ष @ रू. 20,500/–
3	विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए	आकस्मिक व्यय आरंभिक दो वर्ष प्रतिवर्ष / रू. 12,000/– शेष अवधि के लिए प्रति वर्ष @ रू. 25,000/–
4	विभागीय सहायता (सभी विषय)	अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मूल संस्थान को प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष @ रू. 3,000/–
5	एस्कॉर्ट/रीडर सहयोग (सभी विषय)	शारीरिक तथा दृष्टि विकलांगताः वाले विद्यार्थियों के मामले में प्रति माह @ रू. 2,000/–

(ii) मकान किराया भत्ता (एचआरए) यूजीसी पैर्टन पर होगा और यह उन विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा जिन्हें होस्टल सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई होस्टल सुविधा को लेने से इंकार करता है तो, विद्यार्थियों को एचआरए प्रदान नहीं किया जाएगा। अन्य सुविधाओं जैसे चिकित्सा सुविधा, प्रसूति अवकाश सहित अवकाश आदि सुविधाएं उनके फेलोशिप कार्यक्रम के लिए यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाएंगी।

फेलोशिप हेतु पात्रताः

(i) कोई विकलांग विद्यार्थी जिसे विश्व विद्यालय या शैक्षिक संस्थान में एम. फिल/पीएचडी डिग्री के लिए प्रवेश प्रदान किया गया है।

(ii) दो वर्षों के पश्चात, यदि विद्यार्थी के अनुसंधान कार्य की प्रगति संतोषजनक रहती है तो उसके कार्यकाल को तीन और वर्षों के लिए वरिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप (एसआरएफ) के रूप में बढ़ाया जा सकता है। जीआरएफ तथा एसआरएफ के लिए कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अवधि

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि	जीआरएफ तथा एसआरएफ के लिए पात्रता	
		जीएफआर	एसआरएफ
एम.फिल	2 वर्ष	2 वर्ष	शून्य
पीएचडी	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष
एमफिल/पीएचडी	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष

लाभार्थियों की संख्या तथा अब तक जारी की गई राशिः

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (रू. करोड़ में)	टिप्पणियां
2012–13	176	शून्य	अगले वर्ष जारी की गई राशि
2013–14	178	9.655	दोनों वर्षों के उम्मीदवारों के लिए 2012–13 तथा 2013–14
2014–15	294	6.02	पिछले वर्षों तथा चालू वर्ष के लाभार्थियों के लिए
कुल	**648**	**15.675**	

सफलता की कहानियां: आरजीएनएफ के लाभार्थी

श्री ब्रह्मानंद पाद्रा, एम.फिल, द्वितीय वर्ष, जेएनयू, नई दिल्ली

मैं ब्रह्मानंद पाद्रा हूं और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एम.फिल. दूसरे वर्ष का विद्यार्थी हूं। मुझे विकलांगता हेतु आरजीएनएफ स्कॉलरशिप प्राप्त हो रही है जो विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। मैं एक दृष्टिहीन विद्यार्थी हूं और एक गरीब परिवार से आता हूं। इसलिए अपनी उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था मेरे लिए अत्यंत कठिन कार्य था। जब मुझे भारत सरकार के माध्यम से विकलांगता के लिए आरजीएनएफ प्राप्त हुआ, तब मैं बिना किसी बोझ के सुगमता से अपनी उच्च शिक्षा को जारी रख पाया। मुझे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इसलिए मैं इस फेलोशिप योजना से प्रसन्न हूं तथा पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मैं विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने विकलांगजनों की शिक्षा को संवर्धित करने के लिए इस प्रकार की फेलोशिप आरंभ की है।

सफलता की कहानियां: आरजीएनएफ के लाभार्थी

सुश्री पवित्रा अग्रवाल, पीएचडी, स्कॉलर, जेएनयू, नई दिल्ली

मुझे विकलांग विद्यार्थी के लिए आरजीएनएफ स्कॉलरशिप सितंबर 2013 में प्राप्त हुई है। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। मैंने 2010 में निट (एनईटी) की परीक्षा उत्तीर्ण की और मैं एम.फिल डिग्री धारक हूं किन्तु, उस समय मैने किसी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं ली थी। इस स्कॉलरशिप ने मेरे विद्यार्थी जीवन के लिए नए मार्ग खाले दिए हैं और मेरे अनुसंधान कार्य को नए पंख प्रदान किए हैं। इस क्षेत्र में शारीरिक विकलांगता के कारण अनेक समस्याएं हैं जिन्हें बिना पैसे के पूरा कर पाना संभव नहीं है। आरजीएनएफ ने मुझे अपना अनुसंधान कार्य पूरा करने के लिए यह अवसर तथा शक्ति प्रदान की है। यह एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जिसने अनेक अन्य विद्यार्थियों की भी मदद प्रदान की है और एक अनुसंधान स्कॉलर के रूप में स्कॉलरशिप जैसे जेआरएफ की अधिक धनराशि प्राप्त करने में यह अत्यंत सहायक है, इसलिए मैं अनुरोध करती हूं कि जीआरएफ के संदर्भ में आरजीएनएफ की राशि में संवर्धन करने पर कृपया विचार करें। मैं इस स्कॉलरशिप के लिए आभार व्यक्त करती हूं और इस प्रकार की स्कॉलरशिप को आरंभ करने के लिए विभाग को अत्याधिक धन्यवाद देती हूं। मेरा आरजीएनएफ आईडी सं. है–RGNF-2013-14D-GEN-RAJ-56638.

श्री बंदेप्पा, आरजीएनएफ लाभग्राही

मुझे इस फेलोशिप (विकलांग विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप) के संबंध में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आरजीएनएफ एक बहुत अच्छी योजना है, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। कोई अन्य एजेंसी आर्थिक रूप से गरीब विकलांग बच्चों को निधियां उपलब्ध नहीं कराती हैं। यदि कुछ एजेंसियां धन उपलब्ध भी करा रही हैं, वे बहुत कम जो कि हमारी शैक्षिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। किन्तु आरजीएफएन उच्च शिक्षा के लिए हमें अच्छी वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है और इस संबंध में मैं विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा आरजीएनएफ का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने मुझे मेरी पी.एच.डी कार्य के लिए यह प्रतिष्ठित मैरिट फेलोशिप प्रदान की है। मेरा आरजीएएफ आईडी. सं. है 2012–13/आरजीएनएफ–2012–13डी–ओबीसी–केएआर–56729

7.3.2 विकलांग छात्रों के लिए प्रि–मैट्रिक तथा पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना के उद्देश्य तथा सारः

- इन योजनाओं का उद्देश्य प्रि–मैट्रिक स्तर (कक्ष IX तथा X) और पोस्ट–मैट्रिक स्तर (कक्षाएं XI, XII तथा स्नातक डिग्री/डिप्लोमा स्तर तक) में अध्ययन हेतु विकलांग विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
- अभिभावकों की आय सीमा : प्रि–मैट्रिक हेतु 2 लाख रू. वार्षिक, पोस्ट–मैट्रिक हेतु 2.50 रू. वार्षिक।
- इन दोनों योजनाओं को विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आरंभ किया गया है।
- वित्तीय सहायता में स्कॉलरशिप, पुस्तक अनुदान, एस्कॉर्ट/रीडर भत्ता आदि शामिल हैं।
- प्रति वर्ष प्रि–मैट्रिक स्तर के लिए 46,000 तथा पोस्ट–मैट्रिक के लिए 16,650 स्कॉलरशिप प्रदान की जाएंगी।
- इन दो स्कॉलरशिप योजनाओं में लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार/संघ राष्ट्र क्षेत्र की सिफारिश के पश्चात गुण–दोष आधार पर किया जाता है।
- इन योजनाओं को वर्ष 2015–16 से डीईआईटीवाई द्वारा विकसित वेब पोर्टल "नेशनल ई–स्कॉलरशिप पोर्टल" के माध्यम से ऑन लाइन क्रियान्वित किया जाएगा।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान इन योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

स्कॉलरशिप का मूल्य –

1 प्रि–मैट्रिक स्कॉलरशिपः

प्रि–मैट्रिक स्कॉलरशिप के मूल्य में पाठ्यक्रम की पूर्व अवधि के दौरान निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) स्कॉलरशिप तथा अन्य अनुदान,

(ii) भत्ते।

(i) स्कॉलरशिप की दरें और अनुदानः

मदें	दिवसीय छात्र	होस्टल के छात्र
शैक्षिक वर्ष में 10 माह के लिए देय स्कॉलरशिप की दर (प्रति माह रूपए में)।	350	600
पुस्तकें और तदर्थ अनुदान (प्रति माह रूपए में)	750	1,000

(ii) भत्तेः

भत्ते	राशि (रू. में)
(क) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक रीडर भत्ता।	160
(ख) मासिक परिवहन भत्ता, यदि विद्यार्थी होस्टल में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के भीतर है।	160
(ग) व्यापक विकलांगता (यथा 80% या अधिक विकलांगता) वाले दिवाछात्र/निम्न अत्यंत विकलांगता वाले विद्यार्थी को मासिक एस्कॉर्ट भत्ता	160
(घ) मासिक सहायक भत्ता जो शैक्षिक संस्थान के होस्टल में रहने वाले गंभीर ऑर्थोपेडिक विकलांगता वाले बच्चे, जिसे हैल्पर के सहयोग की आवश्यकता है, को सहायता उपलब्ध कराने के इच्छुक होस्टल के किसी कर्मचारी के लिए लागू होगा।	160
(ङ) मानसिक रूप से मंद तथा मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों के लिए मासिक कोचिंग भत्ता।	240

2 **पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिपः**

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि में पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के दौरान निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) अनुरक्षण भत्ता

(ii) पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिए विकलांग विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त भत्ता।

(iii) अनिवार्य अप्रत्यर्पणीय शुल्क की प्रतिपूर्ति।

(iv) अध्ययन दौरा प्रभार।

(v) रिपोर्टों/परियोजनाओं को तैयार करने के लिए टाइपिंग/मुद्रण प्रभार।

(vi) पत्राचार पाठ्यक्रम में पढने वाले विद्यार्थियों के लिए पुस्तक भत्ता।

(vii) विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तक बैंक सुविधा।

ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) अनुरक्षण भत्ता

समूह	**अनुरक्षण भत्ते की दर (प्रति माह रूपए में)**	
	हॉस्टल के छात्र	**दिवसीय छात्र**
समूह I चिकित्सा में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम (एलोपैथी, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियां), इंजीनियरिंग, प्रोद्योगिकी, नियोजन, वास्तुशिल्प, अभिकल्प, फैशन टैक्नोलाजी, कृषि, पशुविज्ञान, एलाइड साइंस, प्रबंधन, व्यावसाय वित्त/प्रशासन, कम्पूटर विज्ञान/अनुप्रयोग।	1200	550

समूह	अनुरक्षण भत्ते की दर (प्रति माह रूपए में)	
	हॉस्टल के छात्र	दिवसीय छात्र
समूह II निम्नलिखित क्षेत्रों में डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमः फार्मा (बी.फार्मा), एलएबी, बीएफएस, अन्य पैरा–चिकित्सा शाखाएं जैसे पुनर्वास, डायगनोस्टिक आदि, मास कम्युनिकेशन, होटल प्रबंधन तथा खानपान, ट्रैवल/टूरिजम/हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन, इंटीरियर डैकोरेशन, न्यूट्रीशन और डायटिक्स, कामर्शियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं (जैसे बैंकिंग, बीमा, कर निर्धारण आदि) जिसके लिए न्यूनतम प्रवेश अर्हता उच्चतर माध्यमिक स्तर (10+2) है।	820	530
समूह III अन्य सभी पाठ्यक्रम जो स्नातक डिग्री प्रदान करते हैं तथा जो समूह । तथा ।। में शामिल नहीं हैं जैसे बीए/बी.एससी/बी.कॉम आदि।	570	300
समूह IV सभी मैट्रिक पूर्व स्तर के गैर डिग्री पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश की अर्हता हाई स्कूल (कक्षा X) है, उदाहरण के लिए सीनियर सेकंडरी सर्टिफिकेट (कक्षा XI तथा XII); दोनों सामान्य तथा व्यावसायिक क्षेत्र, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलीटैक्नीक में 3 वर्ष का डिप्लोमा आदि।	380	230

(ii) विद्यार्थी की विकलांगता के आधार पर अतिरिक्त भत्ता

इसके अतिरिक्त, इस योजना में अध्ययन दौरा प्रभारों, पुस्तक भत्ते, पुस्तक बैंकों, टाइपिंग तथा मुद्रण प्रभारों, रीडर भत्ता, एस्कार्ट भत्ता, कोचिंग भत्ता और विशेष भत्ता आदि का भी प्रावधान है।

(iii) अनिवार्य गैर–प्रत्यर्पणीय शुल्कों की प्रतिपूर्ति

स्कॉलरों को नामांकन/पंजीकरण, ट्यूशन, खेलकूद, यूनियन, पुस्तकालय, पत्रिका, चिकित्सा जांच तथा ऐसे अन्य शुल्कों को अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाएगा तो स्कॉलर द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय/बोर्ड को देय होंगे। तथापि, प्रत्यर्पणीय जमा राशि जैसे जमानती राशि, प्रतिभूति जमा को इसमें शामिल नही किया गया है।

आवेदन कैसे किया जाए:

वर्ष 2014–15 हेतु: इस योजना को राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसलिए, उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने हुए अपने आवेदन को संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश को भेजा जाएगा। लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों की सूची विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग को भेजी जाएगी।

वर्ष 2015–16 से आगे: इस योजना को इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित राष्ट्रीय ई–स्कालरशिप पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। उम्मीदवार उक्त पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाइन आवेदन करेगा।

आवेदन और चयन की प्रक्रिया

(क) विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग योजना के विवरण की घोषणा करेगा और प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से तथा वेबसाइटों के माध्यम से और अन्य मीडिया माध्यमों से

आवेदन आमंत्रित करेगा। आवेदन इस प्रयोजन के लिए विकसित की जा रही ऑन–लाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से मंगवाए जाएंगे।

(ख) आवेदक आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व ऑन–लाइन प्रणाली के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेगा। सभी अपेक्षित दस्तावेजों जैसे फोटोग्राफ, आयु साक्ष्य, विकलांगता प्रमाणपत्र, माता पिता का आय प्रमाणपत्र आदि विधिवत रूप से निर्धारित प्रारूप में भरकर ऑनलाइन प्रणाली में अपलोड किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात इसका प्रिंटआउट निकाल कर उसे विद्यालय/संस्थान में भेजेगा जहां वे शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। वह विद्यालय/संस्थान उस आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों जैसे आयु, जन्म तिथि, पीडब्यूडी प्रमाणपत्र, पाठ्यक्रम की मान्यता, प्राप्त शुल्क आदि का आवश्यक सत्यापन करने के पश्चात इसे संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को भेजेगा। राज्य शिक्षा विभाग संबंधित संस्थान की मान्यता सहित आवश्यक विवेकपूर्ण जांच करने के पश्चात इस आवेदन को अपनी सिफारिश सहित विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग को भेजेगा।

(घ) अंतिम चयन विकलांग व्यक्तियों को, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य शिक्षा विभाग की सिफारिशों तथा अन्य बातों के साथ साथ, उस राज्य के लिए उपलब्ध स्लॉटों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। किसी राज्य के लिए उपलब्ध स्लाटों की संख्या का निर्धारण भारत में कुल विकलांग जन जनसंख्या की तुलना में राज्य में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है।

(ङ) यदि कोई उम्मीदवार एक राज्य में स्थायी रूप से निवास करता है किन्तु शिक्षा अन्य राज्य में प्राप्त कर रहा है तो, उस उम्मीदवार के आवेदन पर उसके गृह राज्य के स्लाट के अंतर्गत ही विचार किया जाएगा और उसके आवेदन के लिए

उस राज्य के शिक्षा विभाग की सिफारिश की आवश्यकता होगी जिस राज्य का वह स्थायी निवासी है।

(च) चयन के लिए गुण–दोष मापदंडः चयन के समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता हैः

(i) योजना में दिए अनुसार पात्रता शर्तों को पूरा करना।

(ii) राज्य शिक्षा विभाग की सिफारिश

(iii) राज्य के लिए उपलब्ध स्लॉटों की संख्या।

(iv) अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशित की दृष्टि से उम्मीदवारों के गुण–दोष।

(v) यदि दो उम्मीदवारों के अंकों का प्रतिशत बराबर होता है तो, विकलांगता के प्रतिशत पर विचार किया जाएगा अर्थात विकलांगता के उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवार को वरीयता प्रदान की जाएगी। इसके बावजूद, दो उम्मीदवार बराबरी पर रहते हैं तो आयु के कारक पर विचार किया जाएगा अर्थात बड़ी आयु के उम्मीदवार को वरीयता प्रदान की जाएगी।

नोटः *वर्ष 2014–15 के लिए, योजना को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जा [illegible] है।*

उस राज्य के शिक्षा विभाग की सिफारिश की आवश्यकता होगी जिस राज्य का वह स्थायी निवासी है।

(च) **चयन के लिए गुण–दोष मापदंडः** चयन के समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता हैः

(i) योजना में दिए अनुसार पात्रता शर्तों को पूरा करना।

(ii) राज्य शिक्षा विभाग की सिफारिश

(iii) राज्य के लिए उपलब्ध स्लॉटों की संख्या।

(iv) अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशित की दृष्टि से उम्मीदवारों के गुण–दोष।

(v) यदि दो उम्मीदवारों के अंकों का प्रतिशत बराबर होता है तो, विकलांगता के प्रतिशत पर विचार किया जाएगा अर्थात विकलांगता के उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवार को वरीयता प्रदान की जाएगी। इसके बावजूद, दो उम्मीदवार बराबरी पर रहते हैं तो आयु के कारक पर विचार किया जाएगा अर्थात बड़ी आयु के उम्मीदवार को वरीयता प्रदान की जाएगी।

नोटः *वर्ष 2014–15 के लिए, योजना को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।*

7.3.3 विकलांगता वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज स्कॉलरशिप

विकलांगता वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृति योजना मास्टर डिग्री तथा पीएचडी के स्तर पर विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छूक विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। प्रति वर्ष 20 स्कॉलरशिप प्रदान की जाती हैं जिनमें से 06 स्कॉलरशिप महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। स्कॉलरशिप राशि में अनुरक्षण भत्ता, आकस्मिक भत्ता, टयूशन शुल्क तथा विमान यात्रा की लागत आदि शामिल हैं। यह योजना वर्ष 2014–15 में आरंभ की गई है। इसमें माता पिता की आय की सीमा प्रति वर्ष 6.00 लाख रूपए है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रति वर्ष दो विकलांग छात्रों के लिए "पैसेज अनुदान" का प्रावधान भी है। केवल वे विकलांग छात्रों इसके लिए पात्र होंगे जो स्नातकोत्तर

शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान या विदेश में प्रशिक्षण (संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों को छोड़कर) के लिए विदेशी सरकार/संगठन या ऐसी किसी अन्य योजना के अंतर्गत मैरिट स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं, जहां विदेश यात्रा का खर्च उपलब्ध नहीं कराया जाता है। पैसेज अनुदान में गृह स्टेशन से विदेश के संस्थान तक एअर इंडिया की उड़ान में इकनामी श्रेणी में जाने व आने का विमान किराया प्रदान किया जाता है।

न्यूनतम अर्हताः

पी.एच.डी. हेतु – संगत मास्टर डिग्री में प्रथम श्रेणी या 55% (पचपन प्रतिशत) अंक या समकक्ष ग्रेड।

आयुः योजना के विज्ञापन के माह के प्रथम दिन को 35 (पैंतीस वर्ष) से कम

आय सीमाः प्रति वर्ष 6.00 लाख रूपए।

एक परिवार में बच्चों की अधिकतम संख्याः समान माता पिता/अभिभावक के दो से अधिक विकलांग बच्चे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

वित्तीय सहायता की मात्राः

क्र.सं	भत्ते का प्रकार राशि	
1.	वार्षिक अनुरक्षण भत्ता	यूके हेतु– जीबीपी 9,900/–
		अन्य देशों हेतु– यूएसडी $ 15,400/–
2.	वार्षिक आकस्मिक भत्ता	यूके हेतु– जीबीपी 1,100/–
		अन्य देशों हेतु– यूएसडी $ 1,500/–
3.	आकस्मिक यात्रा भत्ता	यूएसडी $ 20/–
4.	उपकरण भत्ता	रू. 1500/–
5.	ट्यूशन शुल्क, विमान यात्रा का खर्च, पोल टैक्स, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा प्रीमियम	वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

लाभ की अवधि – (क) पीएच.डी हेतु – 4 वर्ष, (ख) मास्टर डिग्री हेतु – 3 वर्ष,

आवेदन कैसे किया जाए:

वर्ष 2014–15 हेतु इस योजना को ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विकलांग के सशक्तिकरण विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है क्यों कि कोई पोर्टल उपलब्ध नहीं है। आवेदन समाचार पत्रों तथा विभाग की वेबसाइट में विज्ञापन प्रकाशित करके आमंत्रित किए गए हैं। विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है और चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

वर्ष 2015–16 से आगे: इस योजना को इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित "राष्ट्रीय ई– छात्रवृत्ति पोर्टल" के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। उम्मीदवार उक्त पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाइन आवेदन करेगा।

पात्र उम्मीदवारों की गैर उपलब्धता के कारण यह स्कॉलरशिप किसी और को प्रदान नहीं की जा सकती है।

7.3.4 विकलांग जनों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले निजी क्षेत्रक नियोक्ताओं को प्रोत्साहन

योजना के उद्देश्य तथा संक्षिप्त ब्यौरा:

इस योजना का उद्देश्य निमित क्षेत्र में विकलांग जनों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। विकलांग जनों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले निजी क्षेत्रक नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिए जाने की योजना 2008–09 में आरंभ की गई थी।

योजना के घटक:

इस योजना के अंतर्गत, 25000 रूपए तक की मासिक परिलब्धियां प्राप्त करने वाले विकलांग जन के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रथम तीन वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के प्रति नियोक्ता के अंशदान का भुगतान किया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान (ईपीएफएंडएमपी) अधिनिमय के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन का 1.1 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार का भुगतान नियोक्ता द्वारा ही किया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2008 से लागू है।

लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया: नियोक्ता सक्षम प्राधिकरण को पहली बार कर्मचारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करेगा जब ईपीएफ तथा ईएसआईसी के अंतर्गत ऐसे लाभों के लिए दावा किया जाएगा। सरकार सीधे कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल योजनाओं के लिए नियोक्ता का अंशदान उपलब्ध कराएगी। ऐसा कर्मचरियों के लिए अधिकतम तीन वर्षों के लिए किया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान (ईपीएफएंडएमपी) अधिनिमय के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतनका 1.1 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार का भुगतान नियोक्ता द्वारा ही किया जाएगा।

कार्यान्वयन प्रक्रिया:

(क) नियोक्ता सक्षम प्राधिकरण को पहली बार कर्मचारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करेगा जब ईपीएफ तथा ईएसआईसी के अंतर्गत ऐसे लाभों के लिए दावा किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान (ईपीएफएंडएमपी) अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतनका 1.1 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार का भुगतान नियोक्ताओं द्वारा ही किया जाएगा।

(ख) इस योजना के अंतर्गत विकलांग जन के संबंध में, भारत सरकार द्वारा प्रथम तीन वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईसीआईसी) के प्रति नियोक्ता के अंशदान का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान (ईपीएफएंडएमपी) अधिनिमय के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतनका 1.1 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार का भुगतान नियोक्ता द्वारा ही किया जाएगा।

(ग) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग अग्रिम के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी

राज्य बीमा निगम को एकमुश्त निधि उपलब्ध कराएगा। इसका प्रयोग योजना के अंतर्गत नियोक्ता से प्राप्त व्यक्तिगत दावों के समायोजन के लिए किया जाएगा। यह राशि संगठनों को आविधक रूप में प्रदान की जाएगी।

7.3.5 जागरूकता सृजन और प्रचार

यह योजना सितंबर 2014 में शुरू की गई और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 से जारी है। योजना का उददेश्य इलैक्ट्रोनिक, प्रिंट, फिल्म मीडिया आदि के माध्यम से सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रचार करना है। साथ ही विकलांग व्यक्तियों को उनके वैधानिक अधिकारों के बारे में सिविल सोसाईटी को शिक्षित करना, विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों पर नियोजकों को संवेदी बनाना, विकलांगता आदि के बारे में जागरूकता संवर्धन और समाज को संवेदी बनाना है।

2. (क) निम्नलिखित संगठन इसके लिए पात्र है–

(i) स्वयं सहायता समूह

(ii) परोकारी और स्वपरोकारी संगठन

(iii) जागरूक और सामाजिक रवैये में बदलाव लाने के लिए कार्यरत अभिभावक और समुदाय संगठन

(iv) मनोवैज्ञानिक और भावात्मक सहायता सेवा

(v) समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन

(vi) तनाव प्रबंधन और सामाजिक एकाकी उन्मूलन हेतु कार्यरत संगठन

(vii) श्रम बाजार कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, विकलांग व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने हेतु कार्यरत संगठन

(ख) जो संगठन अनुदान चाहते हैं उन्हें सोसाइटी के रूप में 03 वर्ष से कार्यरत अथवा सार्वजनिक न्यास जिनका अच्छा रिकॉर्ड हो, होना चाहिए।

3. वित्तीय सहायता की मात्रा और विषय पर निम्नलिखित रूप से गठित समिति द्वारा विचार किया जाता है–

(i) संयुक्त सचिव (जागरूकता सृजन और प्रचार), विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग

(ii) एकीकृत वित्त प्रभाग का प्रतिनिधि, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग

(iii) डीएवीपी का प्रतिनिधि

(iv) विकलांग व्यक्ति/विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिनिधि समूह संगठन

(v) निदेशक/उप सचिव (जागरूकता सृजन और प्रचार)

4. योजना के अंतर्गत स्वीकार्य सहायता के घटकों में– विकलांग व्यक्तियों को ऑनलाईन परामर्श देने के लिए हैल्पलाईन की स्थापना, विषय विकास, प्रकाशन और न्यूज मीडिया, राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन, अतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी अथवा एनजीओ/स्वंय सहायता समूहों द्वारा आयोजित विभिन्न योजनाओं हेतु समर्थन, वाणिज्यिक संस्थान और नियोजकों को संवेदी बनाने के लिए स्वंयसेवी/आउटरीच कार्यक्रम, मनोरंजन और पर्यटन, समुदाय रेडियों में भागीदारी, मीडिया गतिविधियां, शामिल हैं।

5. 12वीं योजना के दौरान योजना हेतु बजट प्रावधान 50.00 करोड़ रूपए है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 28.02.2015 तक 55.75 लाख रूपए जारी कर दिए हैं। 34.00 लाख रूपए की राशि समर्थन ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड बैंगलुरू को जारी कर दी गई है, जो दृष्टि बाधित क्रिकेटरों जिन्होंने साउथ अफ्रिका में आयोजित "दृष्टिहीनों हेतु क्रिकेट वर्ल्डकप" जीता है, को नकद पुरस्कार के रूप में दी जाएगी।

7.4 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र

जिला स्तर पर जागरूकता जागृत करने, पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास व्यावसायिकों को प्रशिक्षण करने के उद्देश्य से अवसरंचना एवं क्षमता के निर्माण को सुगम बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से देश के सभी असेवित जिलों में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करते हुए विकलांग व्यक्तियों को विस्तृत सेवाएं प्रदान

की जा रही हैं । डीडीआरसीएस की योजना का प्रारम्भ नवीं पंचवर्षीय योजना से किया गया था तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखी गई है ।

डीडीआरसीएस के लक्ष्य

डीडीआरसीएस को केन्द्र तथा राज्य सरकारों से वित्तीय, अवसंरचनात्मक, प्रशासनिक एवं तकनीकी समर्थन प्राप्त होता है कि वे अपने संबंधित जिलों में पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धि की व्यवस्था कर सकें। डीडीआरसीएस के प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

- कैम्प आयोजन के माध्यम से सर्वेक्षण एवं विकलांग व्यक्तियों तक पहुंच स्थापित करके;
- विकलांगता निवारण के लिए प्रोत्साहन स्वरूप जागरूकता जागृत करके;
- प्रारम्भिक मध्यवर्तन;
- सहायक उपकरणों, सहायक उपकरणों के प्रावधान/संस्थान, अनुवर्तन/मरम्मत की आवश्यकता का मूल्यांकन करते हुए;
- थेराप्यूटिक सेवाएं अर्थात फिजियोथरेपी, आक्यूरपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी इत्यादि;
- विकलांगता प्रमाण पत्र, बस पास एवं अन्य रियायतों एंव सुविधाएं सुगम बनाते हुए;
- सरकारी एवं चैरिटेबल संस्थानों के माध्यम से सर्जिकल उपचार के लिए संदर्भ एवं व्यवस्था;
- बैंकों तथा एनएचएफडीसी की स्टेट चैनेलाइज्ड एजेंसियों (एससीए) सहित अन्य संस्थानों से स्व–रोजगार हेतु ऋण व्यवस्था;
- विकलांग जनों, उनके माता–पिता एवं परिवार के सदस्यों को परामर्श;
- बाधा मुक्त वातावरण को प्रोत्साहन;
- निम्नलिखित के माध्यम विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, वोकेशनल प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए समर्थित एवं अनुपूरक सेवाएं प्रदान करना:–
- अध्यापकों, समुदाय एवं परिवारों को अनुस्थापन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना

- प्रारम्भिक प्रोत्साहन एवं शिक्षा, वोकेशनल प्रशिक्षण एवं रोजगार के प्रति प्रारम्भिक प्रेरणा स्वरूप विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना;
- स्थानीय संसाधनों एवं डिजायनिंग को ध्यान में रखते हुए विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित व्यवसाय का चयन एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना तथा उचित नौकरियों की खोज करना ताकि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके;
- विद्यमान शिक्षण, प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक संस्थानों के लिए संदर्भ सेवाएं प्रदान करना।

यह योजना राज्य तथा केन्द्र सरकार का संयुक्त उद्यम है। डीडीआरसी का निधियन "निःशक्त जन अधिनियम के कार्यान्वयन की योजनाओं" के अंतर्गत 3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि (पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के लिए 5 वर्ष) के लिए होती है तथा उसके पश्चात योजनाओं के लिए दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) में से टैपरिंग आधार पर निधियन किया जाता है ।

वर्ष 2010–11 से पूर्व स्वीकृत किए गए 199 डीडीआरसी में से, वर्तमान में 184 कार्यात्मक हैं तथा देश के विभिन्न भागों के विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ।

नए डीडीआरसीएस की स्थापना

(i) **XIवीं योजना में 100 नए डीडीआरसी की स्थापना** – XIवीं पंचवर्षीय योजना में देश के सभी असेवित जिलों के लिए तथा विशेषकर उन जिलों के लिए जहां विकलांग जनसंख्या सबसे अधिक है एवं दूरस्थ एवं अगम्य क्षेत्रों को शामिल किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई थी। अतः डीडीआरसी की स्थापना के लिए 100 नए जिलों की शिनाख्त की गई। तथापि 31.3.2014 तक केवल 52 जिलों में ही डीडीआरसी की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता जारी की जा सकी। वर्ष 2014–15 के दौरान 4 नए डीडीआरसी की स्थापना के लिए स्वीकृति जारी की गई है। इस प्रकार कुल 56 नए डीडीआरसी की स्थापना ही संभव हो पाई है। इन डीडीआरसी से संबंधित विवरण **अनुबंध–17** में दिया गया है।

(ii) इसके अलावा, वर्ष 2012–13 में असम, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के उन जिलों के लिए, जहां जापानी एनसेफालिटिस/एक्यू एनसेफालिटिस सिन्ड्रॉम की घटनाएं काफी अधिक हैं, 15 और नए डीडीआरसी के लिए अनुमोदन प्रदान किया

गया है। इनमें से वर्ष 2013–14 के दौरान 9 डीडीआरसी की स्थापना कर दी गई है।

डीडीआरएस तथा एसआईपीडीए योजनाओं के अंतर्गत डीडीआरसी को जारी किए गए निधियन से संबंधित विवरण **क्रमशः अनुबंध–18 तथा 19** में दिया गया है।

डीडीआरसी को निधियन तथा डीडीआरसी के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन

संशोधित दिशा निर्देशों के प्रमुख आकर्षण निम्नानुसार हैंः–

(i) आवृति एवं गैर–आवृति व्यय के लिए लागत मानदंड 1.4.2010 से संशोधित कर दिए गए हैं। उच्च दबाव वाले, सीमांत क्षेत्रों, प्रशांत क्षेत्रों तथा जन–जाति उप योजना क्षेत्रों में स्थित डीडीआरसी पुनर्वास व्यवसायिक देश के शेष भाग में दिए जाने वाले मानदेय की दर से 20% मानदेय के पात्र किए गए हैं।

एसआईपीडीए के अंतर्गत प्रति डीडीआरसी प्रति वर्ष के लिए विद्यमान एवं संशोधित लागत मानदंड

(लाख में)

पदनाम	संशोधन पूर्व (प्रति वर्ष)	संशोधित लागत (प्रति वर्ष)	
	पुरानी दरें	सामान्य	विशेष क्षेत्रों के लिए 20% वृद्धि
कुल मानदेय	5.64	8.10	9.72
कार्यालय व्यय/आकस्मिकताएं	1.50	2.10	2.10
उपकरण (केवल पहले वर्ष)	5.00	7.00	7.00
पहले वर्ष का योग	12.14	17.2	18.82
दूसरे वर्ष का योग	7.14	10.2	11.82
तीसरे वर्ष का योग	7.14	10.2	11.82
पीडब्ल्युडी अधिनियम के अंतर्गत कुल व्यय	26.42	37.6	42.46

किसी योजना में जनशक्ति पर प्रतिवर्ष किया जाने वाला कुल व्यय 8.10 लाख तथा पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एवं दीव, दादरा तथा नगर हवेली एवं जम्मू व कश्मीर के मामले में 9.72 लाख से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए ।

तथापि, राज्य सरकारें जिलाधीश को आवश्यकता समझे जाने पर मानदेय की अनुपूरक व्यवस्था अथवा डीडीआरसी की आवश्यकताओं के आधार पर उपलब्ध निधियों में से प्रयोग के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(ii) जिला विकलांगता पुनर्वास अधिकारी (डीडीआरओ)

पिछली योजना में डीडीआरओ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। संशोधित योजना में यह व्यवस्था की गई है कि जिला प्रबंधन टीम के निर्णय के आधार पर किसी विद्यमान व्यवसायिक को अथवा राज्य सरकार के किसी उचित अधिकारी को डीडीआरओ के रूप में नामित किया जा सकेगा।

डीडीआरओ रोजमर्रा आधार पर डीडीआरसी के लिए समन्वयन, प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा तथा उसे प्रति माह @ 2000/— रूपए के मानदेय का भुगतान किया जाएगा ।

(iii) सिपडा के अंतर्गत डीडीआरसी के लिए निधियन की अवधि

संशोधन पूर्व योजना में सभी राज्यों के डीडीआरसी के लिए निधियन की अवधि 3 वर्ष तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) एवं जम्मू व कश्मीर के लिए 5 वर्ष थी। अब जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त एसआईपीडीए के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ शासित प्रदेशों को भी 5 वर्ष के लिए निधियन प्रदान किया जाएगा ।

(iv) डीडीआरसी के अंतर्गत अनुदानों की टैपरिंग

संशोधन पूर्व योजना में 3/5 वर्षों के पश्चात अनुदानों में 10% की वार्षिक टैपरिंग की जा सकती थी परन्तु संशोधित योजना में डीडीआरएस के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति शुरू होते ही डीडीआरसी के लिए टैपरिंग को निम्नानुसार प्रतिबंधित किया गया है:

क) 2 वर्षों के अंतराल पर स्वीकार्य अनुदान सहायता में 5% की कटौती।

ख) अनुदान में टैपरिंग स्वीकार्य लागत पर 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ग) ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए टैपरिंग की अनुमति नहीं होगी।

(v) राज्य सरकार की भूमिका

राज्य सरकारों से डीडीआरसी की प्रभावी कार्यशीलता के लिए अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने की आशा की गई है। राज्य/जिला प्रशासन की मुख्य सहभागिता का सुनिश्चिय करने के लिए राज्य सरकारें अपने विभिन्न कार्यकलापों के प्रभावी संचलन के लिए डीडीआरसी की मानदेय एवं अन्य अपेक्षाएं जारी कर सकती हैं।

राज्य सरकारों द्वारा जिलाधीशों को डीएमटी की अध्यक्षता का दायित्व सौंपकर उन्हें डीडीआरसी योजना की विस्तृत अपेक्षाओं की सतही वास्तविकताओं पर विचार करते हुए डीडीआरसी के प्रभावी संचलन के लिए संशोधन करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

केन्द्रीय निधियों को जारी करने में हो रही प्रक्रियात्मक देरी की स्थिति में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से उभरने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जिलाधीशों को उनके अपने अधिकार क्षेत्र में रखी निधियों में से अंतरिम अग्रिम निकासी के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

अध्याय 8

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

8.1 राष्ट्रीय विकलांग जन वित्त एवं विकास निगम

राष्ट्रीय विकलांग जन वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) की स्थापना 24 जनवरी, 1997 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह निगम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत, लाभ प्राप्त न करने वाली एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है तथा इसके पास 400.00 करोड़ रु. (चार सौ करोड़ रुपए मात्र) की अधिकृत शेयर पूंजी और 240.80 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी है। इस कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

1. उद्देश्य –

1. विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक विकास सम्बंधी कार्यकलापों और स्वरोजगार उपक्रमों को प्रोत्साहित करना।
2. विकलांग व्यक्तियों के उद्यम कौशल के उन्नयन हेतु, उन्हें ऋण प्रदान करना, ताकि स्वरोजगार उपक्रमों का समुचित और कुशल प्रबंधन किया जा सके।
3. विकलांग व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना, ताकि वे व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर व्यावसायिक पुनर्वास/स्वरोजगार हेतु सक्षम हो सकें।
4. विकलांगता से ग्रस्त स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की सहायता करना ताकि वे अपने उत्पादों और वस्तुओं का विपणन कर सकें।

कार्यकरण एवं प्रक्रियाः

यह निगम राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को निधियां प्रदान करता है।

ऋण आधारित कार्यकलापः

यह 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र भारतीय नागरिकों को किसी आय अर्जक इकाई की स्थापना हेतु सुविधाजनक शर्तों पर रियायती ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है, जिनके लिए निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	योजना / कार्यकलाप	अधिकतम ऋण (लाख रु. में)	लाभार्थियों द्वारा ब्याज दर देना	ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि
1.	लघु व्यवसाय में क्रय / व्यापार कार्यकलाप	3.00	5–6%	10 वर्ष
2.	लघु व्यवसाय में सेवा क्षेत्र	5.00	5–6%	10 वर्ष
3.	वाणिज्यक वाहनो की खरीद	10.00	5–7%	10 वर्ष
4.	विशेष श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनो की खरीद	25.00	5–8%	10 वर्ष
5.	लघु औद्योगिक इकाई	25.00	5–8%	10 वर्ष
6.	कृषि सम्बंधी कार्यकलाप	10.00	5–7%	10 वर्ष
7.	मानसिक मंदता, सेरेबल पाल्सी तथा ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों में स्वरोजगार	10.00	5–7%	10 वर्ष
8.	युवा विकलांग व्यावसायियों के लिए ऋण	25.00	5–8%	10 वर्ष
9.	अपनी भूमि पर व्यवसाय परिसर विकसित करने के लिए योजना	3.00	5–6%	10 वर्ष

क्र. सं.	योजना/कार्यकलाप	अधिकतम ऋण (लाख रु. में)	लाभार्थियों द्वारा ब्याज दर देना	ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि
10	सहयोगी उपकरणों की खरीद हेतु योजना	5.00	5–6%	10 वर्ष
11	विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण	20.00	4% (पुरुष) 3.5% (महिला)	7 वर्ष
12	भारत में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण	10.00	4% (पुरुष) 3.5% (महिला)	7 वर्ष
13	व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण	2.00	5–6%	7 वर्ष
14	मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अभिभावक संघ को ऋण	5.00	5–6%	10 वर्ष
15	सूक्ष्म ऋण योजना (एससीए के माध्यम से)	10.00/ एनजीओ (रूपए 0.50 लाख लाभार्थी)	5% तक	3 वर्ष
16	विकलांगता के क्षेत्र में कार्यशील गैर सरकारी संगठनों की क्षमता विस्तार हेतु योजना	5.00	5–6%	5 वर्ष

विकलांगता से ग्रस्त महिलाओं को स्व–रोजगार योजना के तहत 1% ब्याज दर में छूट प्राप्त है तथा शैक्षिक ऋण के अधीन पर 0.5% की छूट।

सभी स्व–रोजगार योजनाओं में वीएच/एचएच/एमआर को ब्याज दर में 0.5% की छूट प्राप्त है।

गैर–ऋण आधारित कार्यकलापः

निगम विकलांग व्यक्तियों के समग्र हित के उद्देश्य से, अपने अधिदेश के अनुरूप निधियां भी प्रदान करता है तथा विभिन्न कार्यकलाप आयोजित करता है। ये इस प्रकार हैं :

क. **ईडीपी/कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमः** कौशल एवं उद्यमिता विकास की योजना के तहत प्रशिक्षण आयोजित/प्रायोजित करने के लिए, अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ख. **प्रचार एवं जागरूकताः** निगम योजनाओं के विज्ञापन और प्रचार हेतु अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां प्रदान करता है।

ग. **हैंड–होल्डिंग सहायताः** एनएचएफडीसी पंजीकृत संस्थाओं को प्रति विकलांग व्यक्ति 1000/– रु. तक की हैंड–होल्डिंग सहायता प्रदान करता है, ताकि ऋण प्राप्त करने अथवा प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु विकलांग व्यक्तियों को सूचना प्राप्त हो सके, तथा प्रक्रियात्मक प्रलेखन संबंधी औपचारिकताओं के लिए सहायता मिल सके।

छात्रवृत्ति योजनाः

निगम सरकार की निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा हैः–

(i) विभाग की, **राष्ट्रीय विकलांग जन निधि** नामक निधि से विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना।

(ii) विकलांग व्यक्ति सशक्तीकरण न्यास निधि **(न्यास निधि)** से विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना।

निष्पादन एवं उपलब्धि (2014–15)

i) वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि

वर्ष के दौरान (28.02.2015 तक), निगम की वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	विवरण	धन राशि (करोड़ रु. में)	लाभार्थियों की संख्या (*)
i)	संस्वीकृति	66.90	10490
ii)	संवितरण	79.83	10741

* *जारी की गई अग्रिम निधि के सापेक्ष औसत ऋण आधार पर लाभार्थियों की अनुमानित संख्या सहित*

ii) ईडीपी एवं कौशल विकास प्रशिक्षण–

वर्ष 2014–15 (28.02.2015 तक) निगम ने 10743 विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु, 11–40 करोड़ रूपए का अनुदान स्वीकृत किया।

पहल

निगम ने वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के दायरे को बढ़ाने के लिए कुछ पहल की हैं, जो निम्नानुसार हैं:

क) राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम के प्रभाव और इसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए ऋण नीति का उदारीकरणः

1. विशेष वाहनों हेतु, योजना वाणिज्यिक रूप से चलाने के लिए वाहन खरीदने की योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को 10.00 लाख से बढ़ाकर 25.00 लाख रूपए करना (जैसे जेसीबी, रोड रोलर, सीवेज सेक्शन ट्रक, बस, टिपर ट्रक आदि)।
2. आय संबंधी मानदंड को हटानाः– वार्षिक आय से संबंधित पात्रता मानदंड हटा दिया गया है और इस प्रकार आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता, जिससे विकलांग व्यक्तियों को कठिनाई होती थी, खत्म कर दी गई है।
3. एनएचएफडीसी योजनाओं के तहत, ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा को हटाया जाना।
4. युवा व्यावसायियों के लिए योजना के तहत ऋण प्राप्त करने हेतु आयु सीमा को 18–35 वर्ष से बढ़ाकर 18–45 वर्ष करना।
5. स्वारोजगार योजनाओं के तहत वीएच, एचएच तथा एमआर श्रेणी से संबंधित विकलांग व्यक्तियों को 0.5% की दर से ब्याज में छूट प्रदान करना।
6. कौशल एवं उद्यमिता विकास योजना के तहत प्रति राज्य 5.00 लाख रु. की अनुदान सीमा को हटाना।

(ख) नई योजनाओं का आरम्भ

1. विकलांग व्यक्तियों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने तथा स्वरोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए सहयोगी उपकरण हेतु

वित्तीय सहायता की योजना। विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण की खरीद के लिए 5.00 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

2. ''विशेष उद्यमी मित्र'' (वीयूएम) के माध्यम से विकलांग उद्यमियों को हैंड–होल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए योजना।

3. ''प्रशिक्षण मित्र'' (पीएम) के माध्यम से, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को हैंड–होल्डिंग सहायता प्रदान करना।

4. सामाजिक उद्यमी तैयार करने के लिए, विकलांगता के क्षेत्र में कार्यशील गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजना।

5. अपनी भूमि पर स्वरोजगार संबंधी कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए वाणिज्यिक/व्यावसायिक परिसर के निर्माण हेतु, वित्तीय सहायता की योजना।

6. 'भारतीय बैंकर संघ योजना' के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु ऋण योजना।

(ग) विकलांग व्यक्तियों हेतु एनएचएफडीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सुविधाओं का सृजनः–

एनएचएफडीसी ने छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण तथा कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु पैनल में शामिल होने के लिए अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) आदि के साथ भागीदारी

एनएचएफडीसी ने भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत विकलांग व्यक्तियों को प्रतिभूति–मुक्त रियायती ऋण प्रवाह उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ करार सम्पन्न किया है। निगम संबंधित पीएसबी/आरआरबी को 100% पुनर्वित्त प्रदान करता है। वर्तमान में, निगम ने सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों (पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, 24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ भी

करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में फैले हुए हैं।

अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के करार के प्रयास किए जा रहे हैं। आरआरबी/पीएसबी का माध्यम एक अतिरिक्त चैनल है, जो वर्तमान राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसियों से अलग है तथा यह विचार किया गया है कि, इससे और नए क्षेत्रों तक निगम की पहुंच में वृद्धि होगी।

(ड.) राज्यों संघ/राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने की प्रणाली

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निगम की भिन्न–भिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, निगम के पास निम्नलिखित आंतरिक तंत्र मौजूद हैः–

1. ऋण का उपयोगः

कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग निधि जारी होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर करना होता है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई निधियों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होता है।

2. एनएचएफडीसी लाभार्थियों का क्षेत्र निरीक्षणः

एनएचएफडीसी विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने अधिकारियों और/अथवा बाह्य एजेंसियों द्वारा आवधिक आधार पर लाभार्थियों का स्थल निरीक्षण करवाता है।

3. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएंः

निगम विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु, नियमित रूप से अपनी राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसियों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करता है। ऐसे मंचों पर संबंधित राज्यों में योजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं पर चर्चा और उनका मूल्यांकन किया जाता है। चर्चाओं के आधार पर, एनएचएफडीसी के उद्देश्यों के दायरे के भीतर रहते हुए, नीतियों/कार्य–विधियों में उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं।

4. **आंतरिक समीक्षा बैठकः**

निगम की योजनाओं के विभिन्न राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा निगरानी भी निगम की आंतरिक बैठकों/चर्चाओं में की जाती है, तथा उसके बाद सामान्यतः योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

छात्रवृत्ति योजनाः

(i) राष्ट्रीय विकलांग–जन निधि से विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

वर्ष 2009–10 से, निगम विकलांग छात्रों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन करता आ रहा है। विगत दो वर्षों के दौरान योजनाओं के तहत प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	वर्ष 2009–10 से पहले से (राष्ट्रीय निधि) छात्रवृत्ति का वितरण		
	वर्ष	**छात्रवृत्ति प्रदान की गई**	**छात्रवृत्ति राशि**
1.	2009–10	417 नई छात्रवृत्ति	रू.52,81,975/–
2.	2010–11	470 नई छात्रवृत्ति	रू.60,15,775/–
3.	2011–12	492 नई छात्रवृत्ति और 11 नवीनीकरण छात्रवृत्ति	रू.66,64,524/–
4.	2012–13	476 नई छात्रवृत्ति 33 नवीनीकरण छात्रवृत्ति	रू.62,09,860/–
5.	2013–14	472 नई छात्रवृत्ति और 40 नवीनीकरण छात्रवृत्ति	रू.53,35,351/–
6.	2014–15	*	*
7.	योग	2327 नई छात्रवृत्ति और 84 नवीनीकरण छात्रवृत्ति	**रू.2,95,07,485/–**

**शैक्षिक वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है।*

(ii) **विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण हेतु न्यास निधि से विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः–**

निगम 2011–12 से विकलांग छात्रों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन करता आ रहा है।

पिछले दो वर्षों के दौरान, योजना के तहत प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	**वर्ष**	**छात्रवृत्तियों की संख्या**	**छात्रवृत्ति धनराशि (लाख रु. में) (नवीनीकरण सहित)**
1	2011–12	1000	57649796
2	2012–13	1000 नए+ 216 नवीनीकरण	77748872
3	2013–14	2000 नए+ 293 नवीनीकरण	132416657
4	2014–15 (31.12.2014 तक)	1414 नए+ 158 नवीनीकरण	88200115
5	योग	5414 नए+ 667 नवीनीकरण	35,60,15,440/–

**शैक्षिक वर्ष 2014–15 के दौरान, पहली और दूसरी तिमाही (01.07.2014 से 31.12.2014) के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तथापि, तीसरी और चौथी तिमाही की छात्रवृत्ति का वितरण 30.07.2014 से पहले कर दिया जाएगा।*

समझौता ज्ञापन श्रेणी – सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा एनएचएफडीसी को वर्ष 2013–14 के लिए उत्कृष्ट निष्पादन श्रेणी में रखा गया है।

क. प्रदर्शनी/जागरूकता कैंप/कार्यशाला ब्यौरा–

जागरूकता कैंपः– एनएचएफडीसी द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान 28.02.2015 तक निम्नलिखित जागरूकता कार्यक्रम/अभियान में भाग लिया गया–

(i) एनएचएफडीसी ने अक्षय प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में 15.04.2014 को जागरूकता निर्माण सत्र में भाग लिया और विकलांग व्यक्तियों और अक्षय प्रतिष्ठान के स्टॉफ को एनएचएफडीसी की योजनाओं की जानकारी दी।

(ii) एनएचएफडीसी ने एटीडीसी, बल्लभगढ़ में टूल वितरण कैंप में भाग लिया और योजनाओं पर 03.06.2014 को जानकारी प्रदान की।

(iii) एनएचएफडीसी द्वारा, मंगलकोट ब्लॉक, वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में 01 से 03 जुलाई, 2014 को 03 मूल्यांकन सह जागरूकता कैंप आयोजित किए।

(iv) एनएचएफडीसी ने विकलांग व्यक्तियों हेतु, आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ओरीएन्टेशन कार्यक्रम कोलकाता में 18.08.2014 को भाग लिया।

(v) एनएचएफडीसी ने नागपुर में 13 से 14 अक्तूबर, 2014 को, एनएचएफडीसी के एससी, महाराष्ट्र द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

(vi) एनएचएफडीसी ने अपने स्टेकहोल्डर्स के लिए, नई दिल्ली में 28.10.2014 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

(vii) एनएचएफडीसी ने इंडिया हैबिटेड सैंटर, नई दिल्ली में 28 से 29 नवंबर, 2014 को भारत में विकलांग व्यक्तियों का आर्थिक सशक्तिकरण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

(viii) एनएचएफडीसी ने मंगलकोट में 15.12.2014 को जागरूकता कैंप आयोजित किया।

(ix) एनएचएफडीसी ने विकलांग व्यक्तियों हेतु सैक्टर 28 फरीदाबाद में 25.12.2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर जागरूकता कैंप आयोजित किया।

(x) भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा फरीदाबाद में, एनएचएफडीसी की योजनाओं पर फरीदाबाद और पलवल में 10 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए–

क्र. सं.	दिनांक	स्थान का नाम
1.	20.12.2014	बी.आर. अम्बेडकर जन कल्याण समिति, होडल, पलवल
2.	22.12.2014	संत रविदास मंदिर, बल्लभगढ़
3.	25.12.2014	समुदाय केन्द्र, सैक्टर–28, फरीदाबाद
4.	01.01.2015	विलेज शेखरी, बल्लभगढ़
5.	05.01.2015	सैक्टर–12, मार्किट, फरीदाबाद
6.	08.01.2015	तिलपत, फरीदाबाद
7.	10.01.2015	सराय ख्वाजा, फरीदाबाद
8.	12.01.2015	सैक्टर–12, फरीदाबाद
9.	12.01.2015	रामलीला समिति, नं. 01, मार्किट, फरीदाबाद
10.	12.01.2015	शाहपुर एवं सरूपुर, बल्लभगढ़

(ख) क्षेत्रीय/राज्य मेलों/शिविरों/प्रदर्शनियों में भागीदारी–

एनएचएफडीसी द्वारा, वर्ष 2014–15 के दौरान, 28.02.2015 तक, निम्नलिखित जागरूकता क्षेत्रीय/राज्य मेलों/शिविरों/प्रदर्शनियों में भागीदारी में भाग लिया गया–

i. एनएचएफडीसी द्वारा बर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल के खैरो ग्राम में 15 और 16 मई, 2014 को युगाध्य पूजा मेले में भाग लिया और वहां अपना स्टॉल भी लगाया।

ii. एनएचएफडीसी ने, निरतार कटक में, 24.05.2014 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित कैंप में भाग लिया।

iii. एनएचएफडीसी ने, रांची में, 30.08.2014 को, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित कैंप में भाग लिया।

iv. एनएचएफडीसी ने, गुमला (झारखंड) में, 31.08.2014 को, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित कैंप में भाग लिया।

v. एनएचएफडीसी ने, विकलांग व्यक्तियों हेतु, एलिमको के सहयोग से, 22.09.2014 को कचार, मंगलकोट, बर्धमान, पश्चिम बंगाल में समेकित शिविर आयोजित किए।

vi. 27.09.2014 को, पंडित दीनदयाल शारीरिक विकलांग संस्थान द्वारा आयोजित, जोब फेयर में एनएचएफडीसी ने भाग लिया।

vii. 28 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 2014 को धर्मपुर, जिला सोलन (हि.प्र.) में आयोजित जन सूचना अभियान में एनएचएफडीसी ने भाग लिया।

viii. 16.10.2014 को वीआरसीएच, दिल्ली में, जोब फेयर में एनएचएफडीसी ने भाग लिया।

ix. 16.10.2014 को वीआरसीएच, कटक में जोब फेयर में एनएचएफडीसी ने भाग लिया।

x. 16.10.2014 को, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में जॉब फेयर में एनएचएफडीसी ने भाग लिया।

xi. 16.10.2014 को, अमर ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट, द्वारा दिवाली मेला में एनएचएफडीसी ने भाग लिया।

xii. यंत्र और सहायक उपकरण कैंप, खंडवा (मध्य प्रदेश) में, एनएचएफडीसी ने भाग लिया।

xiii. 1 से 10 नवम्बर 2014 तक, शिल्पोत्सव दिल्ली हाट में, एनएचएफडीसी के 33 लाभार्थियों ने भाग लिया। लाभार्थियों ने कुल 29.13 लाख रूपये की बिक्री की।

xiv. 14 से 27 नवम्बर, 2014 तक आईआईटीएफ 2014, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में, एनएचएफडीसी के 19 लाभार्थियों ने भाग लिया।

xv. 7 से 15 दिसम्बर, 2014 तक ईस्ट हिमालियन एक्सपो 2014, कंचनजंगा स्टेडियम, सिलिगुड़ी में, एनएचएफडीसी के तीन लाभार्थियों ने भाग लिया। लाभार्थियों ने कुल 1.64 लाख रूपये की बिक्री की।

xvi. 10 से 12 दिसम्बर, 2014 तक, जन सूचना अभियान, बाटला, जिला–गुरदासपुर (पंजाब) में एनएचएफडीसी ने भाग लिया।

xvii. 12 जनवरी, 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित कंपोजिट कैंप, फर्रूखाबाद (उ.प्र.) में एनएचएफडीसी ने भाग लिया।

xviii. एनएचएफडीसी द्वारा वर्धवान (पश्चिम बंगाल) में, विकलांग व्यक्तियों हेतु, एक जॉब फेयर 22 जनवरी, 2015 को आयोजित किया गया।

xix. 23.09.2014 को, वीआरसी द्वारा, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार), देश से बाहर 12 जॉब फेयरों में एनएचएफडीसी ने भाग लिया।

क्रम सं.	वीआरसीएच का नाम
1	वीआरसीएच, पटना
2	वीआरसीएच, दिल्ली
3	वीआरसीएच, वड़ौदरा
4	वीआरसीएच, अहमदाबाद
5	वीआरसीएच, उना
6	वीआरसीएच, भुवनेश्वर
7	वीआरसीएच, चैन्नई
8	वीआरसीएच, लुधियाना
9	वीआरसीएच, जयपुर
10	वीआरसीएच, हैदराबाद
11	वीआरसीएच, कानपुर
12	वीआरसीएच, कोलकाता

xx. राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम ने, 27.01.2015 को, नशा–मुक्ति केन्द्र, सैक्टर–14, फरीदाबाद में एक जॉब फेयर का आयोजन किया, जिसमें रोजगार हेतु जॉब फेयर में भाग ले रहे विभिन्न नियोजकों/कंपनियों द्वारा 902 विकलांग व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया।

xxi. राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम ने, 27.01.2015 को लखीमपुर खीरी (उ.प्र.), में यंत्र और उपकरण वितरण कैंप में भाग लिया।

xxii. एनएचएफडीसी ने स्पोर्ट कांपलैक्स, सैक्टर 12, फरीदाबाद में 01.02.2015 को विकलांग व्यक्तियों हेतु आयोजित कैंप में भाग लिया। जहां रोजगार हेतु कैंप में भाग ले रहे विभिन्न नियोजकों/कंपनियों द्वारा विकलांग व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया और विकलांग व्यक्तियों को यंत्रों और सहायक उपकरणों का वितरण किया गया।

xxiii. एनएचएफडीसी ने 1 से 15 फरवरी, 2015 तक सूरजकुंड में मेले में भाग लिया इसके लिए एनएचएफडीसी ने 17 लाभार्थी परिवर्तित किए।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2014

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, 14.11.2014 से 27.11.2014 तक, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रीय विकलांग और वित्त विकास निगम के 16 लाभार्थियों ने भाग लिया और हस्त शिल्प वस्तुओं का प्रदर्शन किया।

लाभार्थी स्टॉल पर माननीय एसजेई मंत्री और माननीय एसजेई राज्य मंत्री का दौरा

ख (ii). शिल्पोत्सव, दिल्ली हॉट–2014

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, 01.11.2014 से 11.11.2014 की अवधि में, नई दिल्ली में शिल्पोत्सव का आयोजन किया। एक शीर्ष निगम के तौर पर राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम ने भी इसमें भाग लिया। इसके साथ–साथ इसके 35 लाभार्थियों ने भी भाग लिया और अपनी हस्तशिल्प वस्तुओं का प्रदर्शन किया।

लाभार्थी स्टॉल पर एनएचएफडीसी के सीएमडी का दौरा

राष्ट्रीय सम्मेलन 2014

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम ने नई दिल्ली में 29.10.2015 को एससी, का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री; सचिव विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग तथा संयुक्त सचिव और एनएचएफडीसी के सीएमडी राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर

समेकित शिविर –

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम ने, फरीदाबाद में 01.02.2015 को, समेकित कैंप का आयोजन किया।

माननीय मुख्य मंत्री हरियाणा, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, राज्य मंत्री तथा अन्य विशिष्ट अतिथिगण

एनएचएफडीसी के सीएमडी द्वारा समेकित शिविर में संबोधन

समेकित शिविर में विकलांग व्यक्ति

समेकित शिविर –

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कचार, पश्चिम बंगाल में 22.12.2014 को समेकित कैंप का आयोजन किया गया।

8.2 भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिमको)

भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिमको), अनुसूची "ग" केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जो एलिमको के नाम से लोकप्रिय है, की स्थापना वर्ष 1972 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत की गयी थी। माननीय राष्ट्रपति के नाम पर 100% शेयर धारिता वाले इस निगम की प्राधिकृत और चुकता पूंजी दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, क्रमशः 300.00 लाख और 196.50 लाख है। यह एक 'गैर–लाभ कंपनी' है और पिछले 42 वर्षों से बड़े पैमाने पर सबसे किफायती आईएसआई चिह्न वाले विभिन्न प्रकार के सहायता उपकरणों का निर्माण कर रही है। इसके अलावा, एलिमको विभिन्न सरकारी स्कीमों, कॉरपोरेट क्षेत्र की सीएसआर परियोजनाओं, एमपी लैड निधियों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संस्थानों, डीलर नेटवर्क, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के तहत, देश के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले 640 जिलों और 5,500 प्रखंडों में पहुँचते हुए, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए पूरे देश में आर्थोपेडिक बाधिता, श्रवण बाधिता, दृष्टि बाधिता और बौद्धिक विकास की मांग को पूरा करने के लिए, विकलांग व्यक्तियों को सशक्त करने और उनका आत्म सम्मान वापस दिलाने के लिए, इन सहायता उपकरणों का वितरण करता रहा है। निगम ने अब तक 43 लाख विकलांग जनों की सेवा की है और वर्तमान में, प्रतिवर्ष औसतन करीब 1.5 लाख विकलांग जनों की मदद कर रहा है।

एलिमको के उत्पादों का मूल्य वर्ष 2013–14 के 170.38 से कम होकर वर्ष 2014–15 के दौरान 151.42 करोड़ (अनंतिम) हो गया। तथापि, निगम को आशा है कि वह समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2014–15 के दौरान 145 करोड़ रूपए के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। वर्ष 2014–15 में एडीआईपी योजना के अंतर्गत, 5218.13 करोड़ रूपए (अनंतिम) तथा एडीआईपी–एसएसए में 3281.01 लाख रूपए (अनंतिम) का उपयोग किए जाने की आशा है।

इस निगम के संबंध में कुछ मूल ब्यौरे निम्नवत हैं:

1.	स्थापना का वर्ष	:	1972
2.	परिसर क्षेत्रफल	:	44 एकड़
3.	क्षेत्रीय विपणन कार्यालय	:	नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता
4.	सहायक उत्पादन	:	भुवनेश्वर, बेंगलूरू, जबलपुर, चेनालोन
5.	एलिमको आउटरिच केन्द्र	:	गुवाहाटी

2014–15 के दौरान निगम के निष्पादन की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

विवरण	रूपए करोड़ में (अनंतिम)
कारोबार	145.00
उत्पादन का मूल्य	151.42
अधिशेष	22.38
निवल मूल्य	87.65
एडिप स्कीम के अंतर्गत मदद प्राप्त लाभान्वितों की संख्या	64100
एडिप–एसएसए स्कीम के अंतर्गत मदद प्राप्त लाभान्वितों की संख्या	67000
सीएसआर के अंतर्गत मदद प्राप्त लाभान्वितों की संख्या	14355

भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिमको), का आधुनिकीकरण:

एलिमको उपलब्ध संयंत्र मशीनरी तथा उपकरणों के इष्टमीकरण के माध्यम से पिछले 4 दशक से विकलांग जनों को सहयोग प्रदान कर रहा है। तथापि, सुविधाओं तथा रेंज के अद्यतन, नए उत्पादों की गहनता तथा गुणवत्ता में सुधार किए जाने की आवश्यवकता निरंतर महसूस की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप, निगम ने भारत सरकार की एडीआईपी योजना के अंतर्गत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किफायती मूल्य

14.10.14 को कानपुर में माननीय केन्द्रीय मंत्री, श्री थावरचन्द गेहलोत ने, श्री देवेन्द्र सिंह (भोले सिंह), माननीय संसद सदस्य, अकबरपुर लोकसभा, श्री अवनीश कुमार अवस्थी, संयुक्त सचिव (डीडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा श्री डी. आर.सरीन, सीएमडी, एलिमको की उपस्थिति में एलिमको की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत यूनिट 2 का शिलान्यास किया

पर या निःशुल्क रूप से विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण तथा सहायक युक्तियों के विनिर्माण तथा उन्हें उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक अनुसंधान और विकास सहित विशिष्टि आधुनिकीकरण योजना तथा समग्र फेसलिफ्ट के माध्यम से उन्नत सुविधाओं के सृजन पर बल दिया है।

विकलांग जनों के लिए मोटरयुक्त ट्राइसाइकिलः

वर्तमान उत्पादन वर्ष में एलिमको द्वारा, बैटरी प्रचालित, पर्यावरण सहिष्णु, मोटराइज्ड ट्राइसाइकल का इनहाउस विकास कार्य की, पायलट परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एलिमको द्वारा विनिर्मित मोटरयुक्त ट्राइसाइकल, विश्व भर में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विकलांगजनों के लाभ के लिए निर्मित अत्याधुनिक उपकरण का एक अन्य उदाहरण है।

इस उत्कृष्ट मशीन को सर्वप्रथम माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, श्री थावरचन्द गेहलोत द्वारा, 25 सितंबर, 2014 को मध्य प्रदेश की पावन नगरी, उज्जैन में लांच किया गया था।

25.08.2014 को उज्जैन के कंपोजिट कैंप में एडीआईपी योजना के अंतर्गत विकलांग जनों को मोटरयुक्त ट्राइसाइकल प्रदान करते हुए माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

जॉयस्टिक प्रचालित व्हील चेयरः—

एलिमको ने परंपरागत व्हीलचेयरों की तुलना में विकलांग जनों को अधिक किफायती चलनता प्रदान करने के लिए लागत कुशल जॉयस्टिक प्रचालित व्हीलचेयर विकसित की है। यह नया उत्पाद एक चार्ज में 10 से 15 किमी की दूरी तय करने वाले ऊर्जायुक्त व्हीलचेयर का नवीनतम रूप है, जो शारीरिक रूप से विकलांग जनों को उपयोगी चलनता प्रदान करती है।

माननीय केन्द्रीय मंत्री, श्री थावरचन्द गेहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने एलिमको के अपने दौरे के दौरान, इस जॉयस्टिक प्रचालित बैटरी आधारित व्हीलचेयर का अनावरण तथा वितरण किया और एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया की सीएसआर पहल के अंतर्गत 04 ऐसी व्हील चेयरों का वितरण किया।

14.10.2014 को एलिमको, कानपुर के कैंप में कृत्रिम अंगों और जॉयस्टिक प्रचालित व्हीलचेयर प्रदान करते हुए माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

कुष्ठरोग से प्रभावित विकलांग जनों को एडीएल किट का प्रापण:

एलिमको को कुष्ठरोग से पीड़ित विकलांगों के लिए कॉमन एसिस्टिव डेली लिविंग (एडीएल) किट के प्रापण और संवितरण का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

एलिमको को इसके प्रापण और संवितरण का कार्य सौंपा गया था और देश में विकलांग जनों के 'आत्मसम्मान की रक्षा' की वास्तविक, निगमित भावना मिशन के अंतर्गत, इस कार्य को 3 माह की रिकार्ड अवधि (विचार स्तर से लेकर वस्तुओं के वितरण तक) में पूरा कर लिया गया था और नई दिल्ली के तिहाड़पुर क्षेत्र में, इन सहायक यंत्रों और उपकरणों के संवितरण के लिए 55 लाख रूपए मूल्य का एक विशेष कैंप आयोजित किया गया था।

दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का प्रापण:

वर्तमान में एलिमको दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए विभिन्न सहायक यंत्रों और उपकरणों का विनिर्माण कर रहा है जैसे ब्रेल किट, केन व ब्रेले शॉर्ट हैंड मशीन और इसके अतिरिक्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार एलिमको अब अत्याधुनिक तकनीक वाले उपकरणों के प्रापण की तीव्र प्रक्रिया कर रही है, जैसे दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए टेबल, डेजी प्लेयर, स्मार्ट मोबाइल तथा स्मार्ट केन।

कोकलियर इंप्लांट का सफल प्रापण:

श्रवण बाधित व्यक्तियों को, बेहतर श्रवण अनुभव प्रदान करने के प्रति एक कदम के रूप में, एलिमको ने सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धी मूल्य पर 56 कोकलियर इंप्लांटों का सफल प्रापण किया है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चिह्नित व्यक्तियों द्वारा प्रयोग हेतु इन्हें राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान को सौंपा गया है।

एलिमको को ओट्टोबोक, जर्मनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर द्वारा प्रमुख प्रौद्योगिकी सफलता

इस समझौता ज्ञापन से एलिमको और ओट्टोबोक को, भारत में किफायती, अत्याधुनिक लोवर लिम्ब प्रोस्थैटिक प्रणालियों के उत्पादन में एक साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा।

इस समझौते ज्ञापन से भारत में विकलांग जनों के लिए नए युग की लोवर लिंब प्रोस्थैटिक प्रणालियों के विनिर्माण हेतु ओट्टोबोक, जर्मनी से एलिमको, भारत को प्रौद्योगिकी

का हस्तांतरण किया जाएगा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से एलिमको के लिए देश भर में फैले अपने राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से विकलांग जनों को लागत कुशल तथा किफायती लोवर लिंब प्रोस्थैटिक प्रणालियों का उत्पादन संभव हो पाएगा।

इससे मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी.......

इस समझौता ज्ञापन पर श्री डी आर सरीन, सीएमडी, एलिमको तथा श्री बर्नार्ड ओकीफी, प्रबंध निदेशक, ओटोबोक इंडिया द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर सुश्री स्तुति कक्कड़, पूर्व सचिव (डीए) तथा श्री अवनीश कुमार अवस्थी, संयुक्त सचिव, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार भी उपस्थित थे

सफल कैंपों की रिकार्ड संख्या:

सांसदों, विधान सभाओं तथा विधान परिषदों, राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश के विभिन्न स्थलों पर 119 कैंपों के आयोजन को स्वीकृति प्रदान की है। इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी के रूप में एलिमको ने अब तक 48 स्थानों पर इन कैंपों का सफल आयोजन किया है और शेष कैंपों का आयोजन प्रक्रिया में है।

सूरत में ट्राइसाइकल प्रदान करते हुए माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

अध्याय 9

राष्ट्रीय संस्थान और केन्द्र

विकलांगता के क्षेत्र में इस मंत्रालय के अंतर्गत कुल सात राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। ये राष्ट्रीय संस्थान स्वायत्ता निकाय हैं और विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के लिए स्थापित किए गए हैं। विकलांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में संलग्न ये संस्थान, विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवा प्रदान कर रहे हैं और अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहें हैं। ये सात संस्थान निम्नलिखित हैं:–

1. राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान (एनआईवीएच), देहरादून।

2. राष्ट्रीय बहु–विकलांगता सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी) चेन्नई।

3. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक।

4. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान (एवायजेएनआईएचएच), मुंबई।

5. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (एनआईएमएच), सिकंदराबाद

6. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एनआईओएच), कोलकाता।

7. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान (पीडीयूआईपीएच), नई दिल्ली।

इन सात राष्ट्रीय संस्थानों की मूल जानकारी नीचे सारणीबद्ध है:—

क्रम सं.	राष्ट्रीय संस्थान	स्थापना का वर्ष	परिसर क्षेत्रफल	क्षेत्रीय केन्द्र (आरसी / क्षेत्रीय खंड) यदि कोई है	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, यदि राष्ट्रीय संस्थान के अंतर्गत कोई है
1.	राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान (एनआईवीएच),	1979	43	एक क्षेत्रीय केंद्र (चेन्नै) और दो क्षेत्रीय खंड (कोलकाता एवं सिकंदराबाद)	एक सुंदर नगर (हिमाचल प्रदेश)
2.	अली यावर जंग श्रवण बाधित राष्ट्रीय संस्थान (एवायजेएनआईएचएच)	1983	4.77	चार क्षेत्रीय केन्द्र (कोलकाता, सिकंदराबाद, नई दिल्ली एवं भुवनेश्वर)	दो (भोपाल एवं अहमदाबाद)
3.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एनआईओएच)	1978	3.0	दो क्षेत्रीय केन्द्र (देहरादून एवं ऐजवाल)	एक (पटना)
4.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर)	1975	26.66	कोई नहीं	एक (गुवाहाटी)
5.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान (पीडीयूआईपीएच)	1960	1.5	एक (सिकंदराबाद)	दो (लखनऊ एवं श्रीनगर)
6.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (एनआईएमएच)	1984	19.33	तीन क्षेत्रीय केन्द्र (दिल्ली, मुंबई और कोलकाता)	कोई नहीं
7.	राष्ट्रीय बहु विकलांगता सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी)	2005	15.2	कोई नहीं	एक (कोझीकोड़)

9.1 राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, (एनआईवीएच) देहरादून

संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्रशिक्षक और पुनर्वास पेशेवरों को प्रशिक्षण देना या ऐसे प्रशिक्षण को प्रायोजित करना, जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी में अनुसंधान करना, इसे प्रायोजित करना या इसके लिए सब्सिडी प्रदान करना, जिसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट उपकरणों/यंत्रों या उपयुक्त सर्जिकल या चिकित्सा प्रक्रियाओं का प्रभावी मूल्यांकन या नए विशिष्ट उपकरणों/यंत्रों का विकास किया जा सके।

संस्थान की एचआरडी गतिविधियों में विशेष शिक्षण में डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, ओरियंटेशन और संचालन, फील्ड में काम करने वालों और सेवा प्रदाताओं के लिए पुनश्चर्या/ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम, वोकेशनल प्रशिक्षण में डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रम तथा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा शामिल हैं।

अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन का विशिष्ट उद्देश्य सामान्य जनता को सेवाएं मुहैया कराने वाले प्रमुख संस्थानों, व्यक्तियों और विशेष तौर पर निःशक्त व्यक्तियों की क्षमताओं में सुधार लाना है। संस्थान के मुख्यालय में स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रो और चेन्नई स्थित क्षेत्रीय केंद्र ने दृष्टिहीन व्यक्तियों को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के अवसर मुहैया कराए हैं।

दृष्टि बाधितों के लिए संस्थान का मॉडल स्कूल सबसे पुराने शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जो सीबीएसई से संबद्ध है और दृष्टि संबंधी विकलांगता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए मॉडल स्कूल चलाने के अतिरिक्त, संस्थान द्वारा आवश्यकता आधारित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नए मॉडल भी विकसित किए गए हैं।

संस्थान, दृष्टिहीन और मंद दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए, देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय अनुरक्षित करता है और इस संस्थान ने 20 मुख्य धारा वाले पुस्तकालयों के अतिरिक्त 66 पुस्तकालय विस्तार काउंटर स्थापित किए हैं, जिन्हें ऑनलाइन ब्रेल पुस्तकालय से जोड़ा गया है।

संस्थान के मुख्यालय में स्थित औषधालय, सीआरसी, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश और क्षेत्रीय खंड, कोलकाता में ओपीडी क्लिनिक विकलांगताओं के मूलभूत आकलन करने और थेरेपी और रेफरल सेवाएं प्रदान करते रहे हैं। जो व्यक्ति हाल ही में दृष्टि बाधित हुए हैं, उनकी सहायता के उद्देश्य से, संस्थान का अपने मुख्यालय में एक मनोविज्ञान प्रकोष्ठ है।

संस्थान में भर्ती प्रकोष्ठो की स्थापना, वर्ष 1984 में आदर्श भर्ती सेवाएं विकसित करने, दृष्टिहीनों और मंद दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए संगठित और असंगठित क्षेत्रों में उपयुक्त पदों की पहचान करने के लिए की गई थी।

संस्थान ने ब्रेल पुस्तकों की प्रिंटिंग के लिए, प्रभावपूर्ण अवसंरचना तैयार की है। इसमें वर्ष 1951 में स्थापित केंद्रीय ब्रेल मुद्रणालय, 2008 में स्थापित क्षेत्रीय ब्रेल मुद्रणालय और 2009–10 से 2013–14 के बीच शिलांग, आइजॉल, अगरतला और असम में स्थापित चार लघुस्तरीय प्रिंटिंग यूनिटे शामिल हैं। देहरादून स्थित संस्थान का केंद्रीय ब्रेल मुद्रणालय, चार ब्रेल पत्रिकाएं निकालता है। 'अंतरपथ' महिलाओं पर केंद्रित है, 'ब्रेल धारा' और 'ब्रेल क्रॉनिकल' युवाओं पर और ***'नयन रश्मि'*** पत्रिका सामान्य जन के लिए है। केंद्रीय ब्रेल प्रेस (सीबीपी), क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस (आरबीपी) और लघुस्तरीय ब्रेल प्रिंटिंग यूनिटों द्वारा छपने वाला ब्रेल साहित्य अत्यंत कम (सब्सिडीयुक्त) दरों पर दृष्टिहीन व्यक्तियों और संगठनों को सप्लाई किया जाता है।

वर्ष 1952 में स्थापित संस्थान की ब्रेल उपकरणों के निर्माण हेतु कार्यशाला (एमबीए) में बड़े पैमाने पर लेखन, संगणना (कम्पूटिंग), संचलन और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए सहायता उपस्करों और यंत्रों का उत्पादन और वितरण किया जाता था। इन सहायता उपस्करों और यंत्रों की बिक्री दृष्टिबाधित व्यक्तियों, और दृष्टिहीनों के लिए काम करने वाले संगठनों को अत्यंत कम (सब्सिडीयुक्त) दरों पर की जाती थी।

9.1.1 राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान की महत्वपूर्ण गतिविधियां: 2014–15

प्राथमिक अध्यापकों के लिए विशेष शिक्षण में दो वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत

मुख्यालय और एनआईवीएच क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई में प्राथमिक अध्यापकों के लिए विशेष शिक्षण में दो वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किए गए थे। देहरादून स्थित एनआईवीएच मुख्यालय में विशेष शिक्षण विभाग 26 अभ्यार्थियों और चेन्नई स्थित एनआईवीएच क्षेत्रीय केंद्र में 18 छात्रों का दाखिला किया गया। ये पाठ्यक्रम सामान्य तौर पर विशेष शिक्षण अध्यापकों की मांग और उपलब्धता के बीच मौजूदा अंतर को पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी।

दृष्टिबाधितों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जॉब फेयर

संस्थान और सीआरसी, सुंदर नगर द्वारा, निःशक्त व्यक्तियों को आत्म निर्भर बनाने के लिए, नौकरी मेले (जॉब फेयर) का आयोजन किया गया। सीआरसी, सुंदरनगर में 21 मई को आयोजित नौकरी मेले में 127 निःशक्त अभ्यार्थियों ने भाग लिया। अंततः विशाल मेगा मार्ट ने 25 अभ्यार्थियों का चयन किया और 5 आवेदकों का चयन कंपीटेट सिनर्जीज, चंडीगढ़ द्वारा किया गया। एनआईवीएच ने 28 जून 2014 को जॉब मेले का आयोजन किया गया जिसमें 309 निःशक्त व्यक्तियों ने भाग लिया। भर्ती के लिए 55 अभ्यार्थियों को अल्पसूचीगत किया गया। दोनों मेलों में प्रतिष्ठित कंपनियों की उपस्थिति दिखाई दी और वे अभ्यार्थियों के कौशल और योग्यताओं से प्रभावित हुए।

'अनुसंधान मानदंडों, कार्य प्रणाली और प्रोटोकॉल' पर कार्यशाला

संस्थान के परिसर में 7–10 जुलाई, 2014 को **'अनुसंधान मानदंडों, कार्य प्रणाली और प्रोटोकॉल'** पर चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख समन्वयक डॉ. जयंती नारायण, विशेष शिक्षण परामर्शदाता, एलडी एंड आईडी, भूतपूर्व उप निदेशक एनआईएमएच, सिकंदराबाद थे। अनुसंधान सलाहकार समिति, एनआईवीएच की पूर्व समीक्षा के लिए लगभग 10 अनुसंधान प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया गया।

"पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ विशेष स्कूलों की ब्रेल क्षमता का अद्यतन" नामक परियोजना

भारतीय ब्रेल परिषद ने ब्रेल के प्रति छात्रों की रूचि में कमी और ब्रेल पढ़ाने में शिक्षकों की उदासीनता को गंभीरता से लिया। भारतीय ब्रेल परिषद की सिफारिश पर, एनआईवीएच ने अपनी 86वीं बैठक में ईसी के अनुमोदन के बाद "पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ विशेष स्कूलों की ब्रेल क्षमता का अद्यतन" नामक परियोजना आरंभ की है। परियोजना का लक्ष्य ब्रेल शिक्षण और गणित तथा संगीत के ब्रेल कोड के इस्तेमाल, जिसमें विशेष शिक्षण शिक्षकों, दृष्टि बाधित छात्रों और असम, मिजोरम, सिक्किम और मेघालय, इन 4 राज्यों, 8 स्कूलों और सामान्य, स्कूलों के छात्रों के शिक्षकों के चुने हुए समूह द्वारा ब्रेल और गणित के उपकरणों का उपयोग भी शामिल है, के मॉडल कार्यक्रम आरंभ करना है।

तदनुसार, अधोहस्ताक्षरी और 9 स्कूलों के प्राधिकारियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रेल उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता पहले ही दी जा चुकी है। परियोजना के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए सहभागी एजेंसियों के प्रशिक्षण पर एक बैठक 21 से 22 जून, 2014 तक निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत का एनआईवीएच में दौरा

राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान ने, भारत सरकार की एडीआईपी योजना के तहत 14 नवंबर, 2014 को एक विशाल शिविर का आयोजन किया। मुख्य अतिथि, भारत के माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, श्री थावरचन्द गेहलोत ने शिविर का उद्घाटन किया और दृष्टिबाधित छात्रों और प्रशिक्षुओं में आधुनिक सहायक उपकरण वितरित किए, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। यह आत्म निर्भरता की दिशा में अग्रणी कदम होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और अन्य राज्यों से संगठन, स्कूल और व्यक्ति इन उपकरणों और गैजेटों को लेने आए।

मुख्य अतिथि ने दो पुस्तकें यथा एनआईवीएच और सेंट जेवियर्स रिसोर्स सेंटर का संयुक्त प्रकाशन 'इक्विप योर वर्ल्ड' और एनआईवीएच और बीआरए, दिल्ली का संयुक्त प्रकाशन **'मां से मां तक'** भी जारी कीं। कक्षा I से XII के लिए सीबीएसई की ऑडियो टॉकिंग पुस्तकें और उनकी रिलीज इस अवसर का मुख्य अंश थी। मुख्य अतिथि द्वारा ब्रेल शिक्षण पद्धति पर एक फिल्म का अनावरण भी किया गया।

इस अवसर पर विशेष शिक्षण एवं विकलांगता अध्ययन विभाग के भवन का शिलान्यास किया गया। सचिव, श्रीमति स्तुति कक्कड़ और संयुक्त सचिव, श्री अवनीश कुमार अवस्थी, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, इस अवसर पर उपस्थित थे।

लोक सभा चुनाव, अप्रैल–2014 के लिए ब्रेल में (डमी) मतपत्र का प्रकाशन

संस्थान ने केवल एक प्रवेश–सुलभ मतदान केंद्र का मॉडल डिजाइन किया, बल्कि दरअसल यह भारत के निर्वाचन आयोग का विश्वसनीय भागीदार भी

बन चुका है, जिसने दृष्टिहीन नागरिकों द्वारा पूर्ण गोपनीयता से मत डाले जाने के समान अवसर मुहैया कराए। इस संदर्भ में, संस्थान के केंद्रीय ब्रेल मुद्रणालय और क्षेत्रीय ब्रेल मुद्रणालय ने **लोक सभा चुनाव, 2014** के लिए ब्रेल में मतपत्र प्रकाशित करके प्रशंसनीय लक्ष्य हासिल किया। महीने के दौरान केंद्रीय ब्रेल मुद्रणालय ने बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के **104** चुनाव क्षेत्रों के लिए **5,28,582** ब्रेल में मतपत्र प्रकाशित किए। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय ब्रेल मुद्रणालय ने भी **39 संसदीय क्षेत्रों और तमिलनाडु में उपचुनाव के लिए 2,05,088** मतपत्र ब्रेल में प्रकाशित किए।

नौसिखियों के लिए ब्रेल मानचित्र जारी किया जाना

प्रोफेसर सुदेश मुखोपाध्याय, अध्यक्ष, आरसीआई ने 1 दिसंबर 2014 को एनआईवीएच में नौसीखियों के लिए ब्रेल मानचित्र जारी किया।

संस्थान का कंपेंडियम (सार–संग्रह) जारी किया जाना

अध्यक्ष, सामान्य परिषद और सचिव, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 16 अगस्त, 2014 को संस्थान का कंपेंडियम जारी किया। यह कंपेंडियम उन लोगों के लिए एक खजाना है, जो स्वयं को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकेप्ड के इतिहास, लक्ष्यों और उद्देश्यों, संरचना, क्षेत्रों, ढांचे, कार्यों, उपनियमों, नियमों और विनियमों, सिटीजन चार्टर के बारे में अवगत कराना चाहते हैं।

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा *स्वच्छ भारत अभियान* आरंभ किया जाना

श्री अवनीश कुमार अवस्थी, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 2 अक्टूबर को माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। संस्थान के कर्मचारियों, छात्रों और प्रशिक्षुओं के साथ साथ, सुंदरनगर के कर्मचारियों ने भी श्री अवस्थी के कुशल मार्गदर्शन में स्वच्छता की शपथ ली। कर्मचारियों, छात्रों और प्रशिक्षुओं ने सक्रिय रूप से अभियान में शिरकत की और एनआईवीएच के कार्यालयों, मैस, खेल के मैदानों और संपर्क

सड़कों की सफाई की। जैव कूड़े को एकत्रित करके कूड़ेदान में डाला गया और शेष कचरे को थैलों में डाला गया, जिन्हें नगर निगम की कचरा एकत्र गाड़ी द्वारा एकत्रित किया गया। संस्थान में, नगर निगम की गाड़ी की नियमित सेवाएं हैं। कचरे के उपयुक्त और समाचीन निस्तारण के लिए संस्थान के आवासीय कॉलोनियो, विभागों और अन्य स्थानों पर कूड़ेदान रखे गए हैं। संस्थान के विभाग उनको आवंटित दिनों में अपने परिसरों की नियमित रूप से सफाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एनआईवीएच का सामुदायिक रेडियो, प्रतिदिन, देहरादून के समुदाय में जागरूकता सृजित करने से संबंधित **जिंगल** प्रसारित करता है।

इसी प्रकार क्षेत्रीय विभाग, कोलकाता और एनआईवीएच क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के प्रति जागरूकता और भावना निहित करने के लिए पट्टिकाओं और अन्य सामग्री सहित, जागरूकता पदयात्रा आयोजित की गई।

एनआईवीएच, उत्कृष्टता पुरस्कार

संस्थान ने अत्यंत उत्साह सहित 3 दिसंबर, 2014 को विकलांग व्यक्तियों का अंतराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ अजीज कुरेशी ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह का गौरव बढाया। डॉ एस. फारूख, एम.डी., हिमालयन ड्रग्स लिमिटेड, देहरादून, श्री यू.एस. रावत, कुलाधिपति, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, उत्तराखंड ने निम्नलिखित दृष्टिहीन व्यक्तियों को उनके कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एनआईवीएच उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए।

i) डॉ प्रेम सिंह, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष (हिन्दी विभाग), दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

ii) श्री लक्ष्मी सुबेरमनी, पत्रकार, डक्कन हैराल्ड न्यूज डैस्क, बंगलूरू।

iii) कुमारी मोनिका शर्मा, आईबीएम, दिल्ली के साथ कार्यरत।

iv) श्री अवनीश सिंह, डेजी कंसॉटियम, नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर,।

v) श्री बलदेव गुलाटी, व्यावसायी, नई दिल्ली।

माननीय मुख्य अतिथि श्री एम.सी भंडारी ने भी दो संस्थानों यथा **विशेष शिक्षा एवं विकलांगता अध्ययन विभाग तथा लार्ज प्रिंट यूनिट** को उनके उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए ट्रॉफियां प्रदान की। इस अवसर पर संस्थान के साथ कर्मचारियों को, उनके असाधारण योगदान के लिए प्रोत्साहन प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

–डॉ. गीतिका माथुर, चिकित्सा अधिकारी।

–श्री एस.डी. गुप्ता, प्रभारी एमईडी।

–श्री हिम्मत सिंह, विनोद कैन, अध्यापक एमएसवीएच।

–श्री सुभाष ममगई, ब्रेलो ऑपरेटर।

–श्री रणवीर चौहान, उच्च श्रेणी लिपिक।

–श्री खिलपत सिंह पवार, अवर श्रेणी लिपिक।

एनआईवीएच–आरसी : माननीय मुख्यमंत्री पुडुचेरी ने दृष्टि बाधित छात्रों को 17.11.2014 को पत्र सूचना कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सार्वजनिक–सूचना अभियान पुडुचेरी में प्लेक्स टॉक वितरत किए

एनआईवीएच–आरसी : वाईट केन दिवस का आयोजन
दृष्टि बाधित छात्रों और आरसी चेन्नै के स्टॉफ द्वारा 15 अक्तूबर 2014 को रैली

डॉ प्रेम सिंह, प्रथम हिंदी प्रोफेसर, हिंदी विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय

9.2 अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान (एवायजेएनआईएचएच), मुंबई

संस्थान श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए जनशक्ति विकास, अनुसंधान, नैदानिक सेवाओं, आउटरीच और विस्तार सेवाओं, सामाजिक – आर्थिक पुनर्वास सेवाओं, सामग्री विकास और जानकारी, दस्तावेज और जानकारी के प्रसार के संग्रह के उद्देश्यों से स्थापित किया गया था।

यह संस्थान और इसके क्षेत्रीय केन्द्र, शिक्षा (श्रवण बाधिता), वाक और श्रवण (श्रवण विज्ञान और बोल भाषा विकृति विज्ञान) और मीडिया और विकलांगता संचार के क्षेत्र में डॉक्टरेट, स्नातकोत्तर, स्नातक, पूर्वस्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है। इस संस्थान द्वारा श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए डीटीपी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स और भारतीय संकेत भाषा आदि के पाठ्यक्रम भी संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं।

एवायजेएनआईएचएच, वंचितों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से, प्रत्यायित संस्थान (एसएआईईडी), के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए, जो मुख्य धारा के स्कूलों अथवा विशेष स्कूलों की पढाई बीच में छोड़ देते हैं, के लिए निरंतर शिक्षा प्रदान करता है।

यह संस्थान, भारतीय संकेत भाषा (आईएसएल), को पढ़ाने के लिए शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए, भारतीय संकेत भाषा प्रकोष्ठ चलाता है; श्रवण बाधितों को संकेत भाषा, शिक्षक और द्विभाषिया बनने के लिए प्रशिक्षण देता है; श्रवण बाधित बच्चों के लिए द्विभाषी (संकेत और बोल भाषा) कार्यक्रम विकसित करता है; शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/अनुदेशकों, माता–पिता और परिवारों को संकेत भाषा प्रशिक्षण और देश के विभिन्न भागों में प्रयुक्त संकेत भाषा शब्दावली, उनकी भिन्नताओं का दस्तावेजीकरण करता है।

एनआईएचएच श्रवण बाधित व्यक्तियों को विस्तृत निदानात्मक, नैदानिक, शैक्षिक और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करता है। यह श्रवण, वाक और संकेत भाषा बाधिता का मूल्यांकन; श्रवण यंत्रों और इयर माउल्ड के चयन और फिटिंग में सहायता; मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन एवं शैक्षिक मूल्यांकन और मनोचिकित्सीय थैरेपी एवं व्यवहार थैरेपी और वाक एवं भाषा थैरेपी कर, पुनर्वास सेवाएं भी प्रदान करता है।

एवाईजेएनआईएचएच ने विकलांगता सूचना लाइन (दिल) – महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, केरल और पंजाब राज्य की दूरसंचार सर्किलों में एक आईवीआरएस आधारित 24 घंटे टेलीफोन सेवा का शुभारंभ किया।

सफलता की कहानी – I

श्री राजकुमार अप्पइया गौरव, महाराष्ट्र के कोलाहपुर निवासी ने वर्ष 1991 में एचएससी पास करने के पश्चात, 1992 में इस संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया। श्री राजकुमार, जो बाईलेट्रल प्रोफाउंड बधिरता (95 प्रतिशत श्रव्य विकलांगता) से प्रभावित व्यक्ति ने अली यावर जंग श्रवण बाधित राष्ट्रीय संस्थान (एवायजेएनआईएचएच), मुंबई में कंप्यूटर प्रचालन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया था। उसने वर्ष 1992 में महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उसकी निष्ठा और कर्मठता को देखते हुए, एवाईजेएनआईएचएच ने 1994 में उसे कंप्यूटर अनुदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया। श्री राजकुमार ने शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अपना प्रयास जारी रखा और 1996 में बी.ए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्तमान में वह एम.ए. की पढ़ाई कर रहा है।

उसकी कड़ी मेहनत और निष्ठा के परिणामस्वरूप ही, वह अपने व्यावसायिक कैरियर में उत्कृष्टता प्राप्त कर पाया है, जहां उसने अपनी विकलांगता को पीछे छोड़ दिया।

उसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मुम्बई में कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उसने अनुसंधान तथा नियोजन विभाग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया।

वह बीएआरसी, मुम्बई के एक प्रभाग आइसोलेटिड में सॉफ्टवेयर के विकास में भी शामिल रहा।

तत्पश्चात, वर्ष 1998 में उसे मध्य रेल, मुम्बई डिविजन के कार्मिक शाखा में कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया। विभागीय परीक्षा के माध्यम से उसने, वर्ष 2008 में वरिष्ठ लिपिक का पद प्राप्त किया। वर्ष 2010 में मुम्बई रेल विकास निगम लिमिटेड (भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम) में प्रतिनियुक्त आधार पर कार्यालय अधीक्षक के पद पर उनका चयन किया गया।

निम्नलिखित साफ्टवेयरों में अपने योगदान के लिए वे विशेष उल्लेख के पात्र हैं:

1. मुम्बई मंडल के लिए निपटान तथा कल्याण अनुभागों के लिए सॉफ्टवेयर।
2. मुम्बई मंडल में रेल कर्मचारियों के लिए शिकायत प्रकोष्ठ, पेंशन अदालत के लिए सॉफ्टवेयर।
3. डाक मामलों के लिए डाक, सॉफ्टवेयर का विकास।

4. रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए, विकसित मानव संसाधन सूचना प्रणाली।

5. वह निम्नलिखित पुरस्कारों के विजेता है:

- *2009–2010 के लिए मंडल रेल प्रबंधक पुरस्कार।*
- *2006–2007 के लिए मंडल रेल प्रबंधक पुरस्कार।*
- *2005–2006 के लिए हिन्दी पुरस्कार।*
- *वर्ष 2002 के लिए संजीवनी वाल्युम–। (स्थापना मैन्युल) को तैयार करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक पुरस्कार।*
- *वर्ष 2003 के लिए संजीवनी वाल्युम–।। (स्थापना मैन्युल) को तैयार करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक पुरस्कार।*
- *2001–2002 के लिए मंडल रेल प्रबंधक पुरस्कार।*

आज, श्री राजकुमार अप्पया गौरव, उच्च स्वावलंबन वाले एक सफल व्यक्ति हैं, जो अपनी पत्नी तथा एक बेटी के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

सफलता की कहानी – II

मास्टर अशोक रनशूर 2 वर्षीय बालक था, जिसका पद्मश्री डॉ मिलिंद खितराने तथा ईएनटी विभाग के प्रमुख डॉ बची हाथिराम, बी.वाई.एल. नायर चौरिटेबल अस्पताल और टी.एन. मैडिकल कॉलेज द्वारा 3 दिसंबर, 2014 को एडीआईपी संशोधित 2014 के अंतर्गत कोकलियर इंप्लांट का सफल ऑपरेशन किया गया था।

यह शल्यचिकित्सा, बी.वाई.एल. नायर चौरिटेबल अस्पताल में की गई थी। पोस्ट कोकलियर इंप्लांट रीहैबलिटेशन पूर्व, अशोक के शरीर में न्यूरेलिक कोकलियर इंप्लांट यंत्र लगाया गया था और तीन सप्ताह की शल्य चिकित्सा के पश्चात अर्थात् 22.12.2014 को एवाइजेएनआईएचएच, मुम्बई की सीआई इकाई में अशोक का प्रथम स्विच ऑन/मैपिंग सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया था। उसने विभिन्न ध्वनियों के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया प्रदर्शित की थी।

दूसरी मैपिंग, 1 जनवरी, 2014 को की गई थी और उसका उपचार 8 जनवरी, 2014 को आरंभ किया गया था। अशोक के माता–पिता से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अशोक इस इंप्लांटिड डिवाइस के साथ अच्छा कार्य कर रहा है और वह अपने माता–पिता की आवाजों के साथ–साथ विभिन्न वातावरणीय ध्वनियों के प्रति निरंतर प्रतिक्रिया कर रहा है।

इस प्रकार अशोक संशोधित एडीआईपी 2014 योजना के अंतर्गत प्रथम सफल सीआई प्राप्तकर्ता है।

श्री थावरचन्द गेहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भारत सरकार सीआरसी भोपाल के 06 सितंबर, 2014 के दौरे के अवसर पर श्रवण यंत्र वितरित करते हुए

श्री सुदर्शन भगत सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार 13 अक्तूबर 2014 को एवाईजेएनआईएचएच मुंबई में समीक्षा बैठक के दौरान निदेशक तथा विभाग के अध्यक्षों से विचार विमर्श करते हुए

13 जुलाई, 2014 को श्री थावरचन्द गेहलोत, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार सीआरसी, अहमदाबाद दौरे पर

माननीय मंत्री महोदय सीआरसी अहमदाबाद के कैंप लाभार्थियों को संबोधित करते हुए

माननीय मंत्री महोदय विकलांग व्यक्तियों को यंत्र प्रदान करते समय उनके साथ बातचीत करते हुए

9.3 राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एनआईओएच), कोलकाता

राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एनआईओएच), लोको मोटर, दृश्य, वाक् सीखने और मानसिक मंदता जैसी विकलांगता विशिष्ट क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए, देशभर में विकास एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए, एक शीर्ष संस्थान के रूप में सेवा देने के प्रयोजन से, कोलकाता, प. बंगाल में स्थापित किया गया था। एनआईओएच पुनर्वास प्रबंधन, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। इस प्रकार यह लोको मोटर विकलांग व्यक्तियों के लिए निवारक, प्रोत्साहक और पुनर्वास सेवाओं के लिए आवश्यक जनशक्ति विकसित करता है।

एनआईओएच लोको मोटर विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ समय पर और विशेष शल्य हस्तक्षेप और अन्य उपचारात्मक सेवाओं के अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र में जनशक्ति और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने वाला एक शीर्ष संगठन है।

संस्थान के उद्देश्य :

- अस्थि विकलांगता जिसमें संयोजन अथवा गतिशीलता की समस्या के साथ तंत्रिका विकलांगता भी शामिल है, की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान करना/प्रायोजन करना, समन्वय करना अथवा वित्तीय सहायता देना।
- जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी में प्रायोजन, समन्वय अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे सहायक यंत्रों अथवा उपयुक्त शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं अथवा नये सहायक यंत्रों के विकास का प्रभावी मूल्यांकन हो सके।
- अस्थि विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण अथवा पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए, संस्थान द्वारा जैसा आवश्यक समझा गया हो, प्रशिक्षुओं और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक सलाहकारों और इस तरह के अन्य कर्मियों के प्रशिक्षण का संचालन या प्रायोजन के लिए।
- अस्थि विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, पुनर्वास या चिकित्सा के किसी भी पहलू को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया किसी भी या सभी सहायक यंत्रों के निर्माण के लिए विनिर्माताओं को वितरण, बढावा अथवा वित्तीय सहायता।

इस संस्थान की गतिविधियों में मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

1) मानव संसाधन विकास
2) पुनर्वास सेवाएं
3) अनुसंधान और विकास
4) प्रलेखन और सूचना का प्रसार
5) गैर–सरकारी संगठनों की निगरानी
6) जागरूकता सृजन
7) छात्रों का नियोजन
8) अन्य गतिविधियां

ये गतिविधिया संस्थान और उसके संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों एवं क्षेत्रीय केंद्रों पर विभिन्न विभागों/इकाइयों की सहायता से की जाती हैं।

मानव संसाधन विकास

मूल विचार, देश में लोको मोटर विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और मौजूदा मानव संसाधन के ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, उपलब्ध मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संस्थान को सौंपे गए कार्य के लिए, उपयोगिता के इष्टतम मानक के लिए, मानव संसाधन उपलब्ध कराना है।

पुनर्वास सेवाएं

पुनर्वास सेवाएं अस्पताल भर्ती मरीजों, बहिरंग रोगियों और आउटरीच क्षेत्रों के लोगों को प्रदान की जाती हैं :

पुनर्वास सेवाएं मुख्यतः चार वर्गों में रखी जा सकती हैं –

(क) संस्थान आधारित सेवाएं;

(ख) आउटरीच सेवाएं;

(ग) समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएं (सीबीआरएस); और

(घ) क्षेत्रीय और सहयोगात्मक केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं।

संस्थागत सेवाएं :

ये सेवाएं निम्नलिखित विभागों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं:

1) चिकित्सा पुनर्वास;

2) फिजियोथेरेपी;

3) व्यावसायिक थेरेपी;

4) प्रोस्थटिक एवं ऑर्थोटिक;

5) सामाजिक आर्थिक पुनर्वास;

6) पुनर्वास नर्सिंग; और

7) पुनर्वास अभियांत्रिकी।

आउटरीच सेवाएं–

संस्थान अपने आउटरीच यूनिट के माध्यम से विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग की विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडिप) स्कीम के कार्यान्वयन करने के लिए शिविरों का आयोजन करता है।

समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएं (सीबीआरएस)–

संस्थान के, सामाजिक, आर्थिक पुनर्वास विभाग ने, समुदाय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से, विस्तृत पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए, दो पिछड़े क्षेत्रों को अंगीकृत किया है। गोसाबा प्रखंड (दक्षिणी 24 परगना, पश्चिम बंगाल) और लैंगलोम प्रखंड (आइजॉल), मिजोरम।

क्षेत्रीय और सहयोगात्माक केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं

क) क्षेत्रीय केन्द्र–उत्तराखंड और पूर्वोत्तर (एनई) में एक–एक अपने अपने क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

ख) पूर्वोत्तर राज्यों में डीडीआरसीएस को उन्हें एनआईओएच के सहयोगात्मक केन्द्र के रूप में विकसित कर पुनः जीवित करने के लिए की गई एक पहल। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सात डीडीआरसी थे।

ग) एनआईओएच ने एनटीपीसी फाउंडेशन (एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट) के साथ एनटीपीसी परियोजना स्थल के निकट शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने और सशक्त करने के लिए, एनटीपीसी फाउंडेशन के सहयोग से एनटीपीसी फाउंडेशन एनआईओएच विकलांगता पुनर्वास केन्द्र (एनएफएनडीआरसी) शुरु किया है। एनएफएनडीआरसी का मूल उद्देश्य इस जिले और समीप के क्षेत्रों के विकलांग जनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है।

एनआईओएच कोलकाता के स्टॉफ द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी 31.10.2014

निदेशक एनआईओएच, कोलकाता की निदेशक, समाज कल्याण विभाग, अरूणाचल प्रदेश के साथ क्षेत्रीय केन्द्र नाहाल गांव अरूणाचल प्रदेश में बैठक

निदेशक, एनआईओएच कोलकाता की स्टॉफ के साथ 02.10.2014 को स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी

एनआईओएच कोलकाता द्वारा 29.11.2014 को बेहरामपुर, पश्चिम बंगाल में विकलांगों हेतु समेकित कैंप का आयोजन

एनआईओएच कोलकाता द्वारा 29.11.2014 को बेहरामपुर, पश्चिम बंगाल में विकलांगों हेतु समेकित कैंप का आयोजन

एनआईओएच कोलकाता द्वारा 29.11.2014 को बेहरामपुर, पश्चिम बंगाल में विकलांगों हेतु समेकित कैंप का आयोजन

श्री थावरचन्द गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का निदेशक, एनआईओएच कोलकाता द्वारा उनके 11.02.2015 के दौरे के समय स्वागत

श्री लव वर्मा, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का निदेशक, एनआईओएच कोलकाता द्वारा उनके 11.02.2015 के दौरे के समय स्वागत

श्री थावरचन्द गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा 11.02.2015 को आधुनिक पी एंड ओ वर्कशाप का उद्घाटन

श्री थावरचन्द गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा 11.02.2015 को इंडोर वार्ड का दौरा

श्री थावरचन्द गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री 11.02.2015 को एनआईओएच के अधिकारियों के साथ

श्री थावरचन्द गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री 11.02.2015 को स्टॉफ एसोसिएशन के साथ

श्री थावरचन्द गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा 11.02.2015 को एनआईओएच कोलकाता में पौधारोपण

एनआईओएच द्वारा मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में 31.10.2014 को एडिप कैंप

9.4 स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (स्वनिरतार), कटक

यह संस्थान मानव संसाधन का विकास करने तथा सेवा प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों, अनुसंधानों और आऊटरीच कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कार्य करता आ रहा है। यह विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु, डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रॉस्थटिस्टों, ऑर्थोटिस्टों, फिजियोथेरेपिस्टों, व्यावसायिक थेरेपिस्टों, बहुउद्देश्य पुनर्वास थेरेपिस्टो जैसे कार्मिकों तथा ऐसे ही अन्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का दायित्व ग्रहण करता है और उसे प्रायोजित एवं समन्वित करता है।

चलन विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की लगातार बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए, यह संस्थान फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, प्रॉस्थेगटिक्सो और ऑर्थोटिक्स में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता है।

व्यावसायिकों/गैर सरकारी संगठनों को अधिकाधिक प्रेरित करने और समुदाय आधारित पुनर्वास के विषय में उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, यह संस्थान पुनर्वास के क्षेत्र में लघु अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) पाठ्यक्रम, लगातार चलने वाले चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम, कार्यशालाएं तथा सेमिनार संचालित करता है।

स्वनिरतार, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों को, प्रत्यक्ष सेवाएं भी प्रदान करता है। इन सेवाओं में, शारीरिक विकृतियों का सर्जिकल सुधार, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी तथा स्पीच थेरेपी शामिल हैं। इस संस्थान में कृत्रिम अंगों की फिटिंग की जाती है तथा यह अपने यहां और शिविरों के आयोजन द्वारा, न केवल ओडिशा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के दूरस्थ इलाकों में बल्कि, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल, उ.प्र., बिहार, म.प्र., छत्तीसगढ़, झारखण्ड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में भी व्हील चेयर और तिपहिया साइकिल जैसे चलाने में मदद करने वाले सहायक यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति करता है।

1. सफलता की कहानी

श्री आशुतोष त्रिपाठी, 26 वर्षीय (जन्म तिथि 02.07.1987), भुवनेश्वर निवासी है। बीएससी आईटी में स्नातक डिग्री प्राप्त करने के पश्चात उसने आईएमआईटी (इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड इंफार्मेशन टैक्नोलाजी), कटक में अपनी उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए एमबीए में प्रवेश प्राप्त किया। जब वह एमबीए पाठ्यक्रम को कर रहा था, एक दुर्भाग्य पूर्ण रात ने उसकी किस्मत को बदल दिया। 14 अगस्त, 2010 की उस दुर्भाग्य पूर्ण रात को वह हावड़ा से भुवनेश्वर के लिए यात्रा कर रहा था और सिखरपुर रेल क्रॉसिंग, कटक पर वह रेलगाड़ी से गिर गया। वह गंभीर रूप से घायल था और उसे उपचार के लिए एससीबी एमसीएच, कटक लाया गया और बाद में उसे अश्विनी प्राइवेट हॉस्पिटल, कटक में भर्ती कराया गया। निजी अस्पताल में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य देखरेख

के बावजूद उसके बायें हाथ व पैर को बचाया नहीं जा सका तथा उसके बायें ट्रांस्पिबल, बायं ट्रांसरेडियल तथा दायें एमपी जोड़ को काटना पड़ा।

इस युवा के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक उपचार के पूरा होने के पश्चात, श्री आशुतोष अपने जीवन में वापस आ गया, वह कृत्रिम अंगों की फिटमेंट के लिए एसवीएनआईआरटीएआर आया। उसे सर्वप्रथम बायां मॉड्युलर ट्रांसटिबियल प्रोस्थेंसिसि दिया गया जो बहुत हलका है और बिना किसी सस्पेंशन स्क्रैप के उसे आसानी से निकाला लगाया जा सकता है। एसवीएनआईआरटीएआर में ट्रायल फिटमेंट के दौरान उसने कृत्रिम अंगों का प्रयोग करने वाले अन्य विकलांग लोगों को भी देखा तथा उनका अवलोकन किया। वह सुरक्षा की उच्च भावना के साथ लोवर लिंब प्रोस्थेसिस का प्रयोग करने लगा और सामान्य लोगों की भांति चलने लगा। उसे यांत्रिक हाथ सहित बायां इंडोस्कैलेटल ट्रांसरेडियल अपर लिंब भी दिया गया, जो उसे दिन प्रति दिन के कार्यो में सहयोग प्रदान करता है।

एसवीएनआईआरटीएआर में हलके वजन वाले आरामदायक प्रोस्थेंसिसि के फिटमेंट ने उसके जीवन को पुनः बदल दिया। उसने पुनः अपनी एमबीए की पढाई आरंभ की, जो कि इस दुर्घटना के कारण अवरूद्ध हो गई थी। इस समय वह उच्च शिक्षा अर्थात एमबीए (एच आर मार्किटिंग) की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, साथ ही साथ नयापल्ली, भुवनेश्वर में सहायक प्रशासक के रूप में निजी क्षेत्र में कार्य कर रहा है। वह विकलांग होने के बावजूद समाज में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए, बेहतर अवसर की तलाश में है। वह जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। उसके पिता सेवानिवृत्त हैं। उसकी दो बहनें हैं, बड़ी बहन विवाहित है और छोटी बहन अविवाहित। उसका पता हैः

श्री आशुतोष त्रिपाठी,
एट; प्लोट सं. 95/ए,
रोड सं. 11, महावीर नगर,
समनतारापुर, भुवनेश्वर–751002
Mob: 9090488994, 9438339289

श्री आशुतोष त्रिपाठी

श्री आशुतोष त्रिपाठी

2. सफलता की कहानी

श्री संतोष रथ, जिनकी उम्र 27 साल है, एक युवा इलैक्ट्रिशियन हैं, लेकिन क्या हुआ? जब वे हाईटेंशन ईलैक्ट्रिक तार से दुर्घटनाग्रस्त हुए और उनके कोहनी से नीचे के दोनो हाथ बेकार हो गए। उनके सपनों का अंत हुआ और उनका जीवन घोर निराशा और दुख से भर गया।

वह इस संस्थान में आए और विशेषज्ञों की टीम ने उनकी सहायता बाईलेटरल फंगशनल बिलो एल्बो प्रोस्थेसिस प्रदान करके की। लेकिन, इस तरह के उपकरण इस उच्च स्तर की अपंगता में फिट करना बहुत जटिल था। तथापि अभिनव तकनीक की मदद से और सफल अनुसंधान प्रक्रिया द्वारा, इसे सफलता पूर्वक पूरा किया गया। अब वे अपने सभी कार्य सफलता पूर्वक कर रहें हैं और जिस संस्था में वे इलैक्ट्रिशियन थे वहीं चपरासी के पद पर कार्य कर रहें हैं।

अतः प्रौस्थेटिक्स तकनीक ने न केवल उनके कैरियर को आकार दिया, बल्कि उनके जीवन को खुशियों से भर दिया।

संपर्कः— **संतोष कुमार रथ**
द्वारा लक्ष्मी दर रथ
दमदमा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
भुवनेश्वर, जिला खर्दा
दूरभाषः—9040009034

विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार किट का वितरण

श्री थावरचन्द गेहलोत माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री सुदर्शन भगत माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, सुश्री स्तुति कक्कड़ सचिव, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्री अवनीश कुमार अवस्थी, संयुक्त सचिव, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, एसवी निरतार के दौरे के अवसर पर 25 अगस्त, 2014 को सैल्फ एम्पलोयमेंट किट (स्क्रीन प्रिटिंग, एप्लीक और एमब्याड्री किट) हेतु 24 सदस्यों को इन्हें वितरीत किया गया

शिल्पोत्सव–2014 में भागीदारी

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित दिल्ली हाट, नई दिल्ली में 1 से 10 नवंबर, 2014 को आयोजित शिल्पोत्सव 2014 में भागीदारी। कार्यक्रम का उदघाटन, श्री थावरचन्द गेहलोत माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री सुदर्शन भगत माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, द्वारा किया गया। हस्तशिल्प उत्पाद और स्क्रीन प्रिटिंग उत्पाद जिन्हें विकलांग व्यक्तियों द्वारा बनाया गया था उनका प्रदर्शन तथा बिक्री की गई। इन उत्पादों की अतिथियों और आम लोगों ने प्रशंसा की

उद्यमिता विकास कार्यक्रम विकलांग व्यक्तियों के लिए

एसवी निरतार में 31.07.2014 को एमएसएमई कटक के सहयोग से कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 70 महत्वकांक्षी विकलांग युवाओं द्वारा भाग लिया गया

9.5 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान (पीडीयूआईपीएच), नई दिल्ली

यह संस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसे अपंग एवं विकलांग व्यक्तियों की सोसाइटी द्वारा वर्ष 1960 में एक गैर–सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 1975 में इस संस्थान का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण अपने हाथ में लिया और वर्ष 1976 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में इसे पंजीकृत किया। यह 4–विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली–110002 में स्थित है।

इस संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य चलन विकलांगताओं (लोको मोटर डिसेबिलिटी) से ग्रस्त व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने के लिए जनशक्ति का विकास करना है। विभिन्न अपंगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कष्ट को कम करने तथा फिजियोथेरेपी, व्यवसायिक थेरेपी,

प्रॉस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए, यह संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है। तदनुसार, संस्थान निम्नलिखित दीर्घकालिक पाठ्यक्रम संचालित करता है:– (i) फिजिकल थेरेपी (बीपीटी), (ii) व्यावसायिक थेरेपी (बीओटी), (iii) प्रॉस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स (बीपीओ)। इन तीनों पाठ्यक्रमों की अवधि 4½ वर्ष है तथा ये दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं।

❖ **फिजियोथेरेपी विभाग**

यह संस्थान, फिजियोथेरेपी में स्नातक पाठ्यक्रम संचालित करता है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इस पाठ्यक्रम की अवधि चार वर्ष और छह माह है (छह माह की अनिवार्य इंटर्नशिप सहित)। इसमें प्रतिवर्ष 54 छात्र लिए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों को, सीटों का वितरण निम्नानुसार किया जाता है:–

- ऐसे राज्यों के अभ्यर्थी, जहां इस प्रकार की शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- अर्ध सैन्य बल के कार्मिकों सहित, सेना के ऐसे कार्मिकों के बच्चे, विधवाएं, जो युद्ध के दौरान मारे गए हों अथवा विकलांगता से ग्रस्त हो गए हों।
- विदेशी नागरिक।

❖ **वाक एवं श्रवण इकाई**

संस्थान की वाणी एवं श्रवण इकाई मुख्यतः वाक और श्रवण सम्बंधी विकलांगताओं से ग्रस्त बच्चों व्यक्तियों को स्पीच (वाक) थेरेपी प्रदान करती है।

❖ **पुस्तकालय**

व्यावसायिक थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, प्रॉस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के क्षेत्र में साहित्यक और अकादमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थान में एक सुसज्जित पुस्तकालय है। छात्र, व्यवसायी, डॉक्टर एवं ऐसे व्यक्ति भी, जो विकलांगता के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं और विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे हैं, संदर्भ सदस्य बनकर पुस्तकालय की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

❖ **मुद्रणालय**

इस संस्थान में मध्यम आकार का एक मुद्रणालय है, जो संस्थान की अपनी तथा विभाग, मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों की प्रकाशन सम्बंधी एवं अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है।

❖ **एकीकृत प्राथमिक विद्यालय**

संस्थान कम से मध्यम स्तर तक की, लोकोमोटर डिसेबिलिटी (चलन विकलांगता) से ग्रस्त बच्चो को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए, एक एकीकृत स्कूल का संचालन करता है। विकलांगता से ग्रस्त बच्चे, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही, स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस स्कूल को, तत्कालीन दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है।

''शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पण्डित दीन दयाल उपाध्याय संस्थान, सिकन्दराबाद'' के क्षेत्रीय केंद्र को ''शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पण्डित दीन दयाल उपाध्याय संस्थन, नई दिल्ली'' के निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत दिनांक 4 जनवरी, 2005 को स्थापित किया गया था। यह केन्द्र एनआईएमएच परिसर में स्थित है।

यह केन्द्र एडीआईपी योजना के तहत, शारीरिक रूप से विकलांग विभिन्न विकलांगताओं से ग्रस्त जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करके, उन्हें कृत्रिम अंग, कैलीपर, तिपहिया साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, वॉकिंग स्टीक, सर्जिकल बूट और स्प्लिंट जैसे सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदान करके, उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है। दिए गए उपकरणों के प्रभावी उपयोग हेतु, यह ग्राहकों/देखरेख करने वालों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

9.6 राष्ट्रीय मानसिक विकलांग–जन संस्थान (एनआईएमएच), सिकन्दराबाद

इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1984 में ऐसा मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से की गई है, जो जीवन चक्र की आवश्यकताओं के आधार पर, पुनर्वास के गुणवत्ता पूर्ण मॉडलों के माध्यम से, सेवाएं प्रदान करने हेतु, पूरी तरह से तैयार हो। यह संस्थान एक शीर्ष निकाय है जो देश में मानसिक मन्दता के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने, अनुसंधान कराने और सेवाएं प्रदान करने का त्रिपक्षीय कार्य करता है। इस क्षेत्र में नवीनतम गतिविधियों और हाल के रूझानों के आधार पर, संस्थान अनुसंधान और विकास के माध्यम से नए कार्यक्रमों के आयोजन तथा सृजनात्मक कार्यो के प्रयास कर रहा है।

संस्थान ने अपनी विभिन्न गतिविधियों में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों में प्रवेश किया है, जो संगठन के वैश्विक गुणों को प्रदर्शित करता है। एनआईएमएच की गतिविधियां विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीआरपीडी), विधिक अधिनियमों, विकलांग व्यक्तियों के लिए सृजित राष्ट्रीय नीति के प्रावधानों के आधार पर नियोजित की जाती हैं।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग जन संस्थान (एनआईएमएच) का मुख्यालय सिकंदराबाद, तेलंगाना में है। इस संस्थान में छह विभाग हैं, यथा– वयस्क, स्वतंत्र जीवन, सामुदायिक पुनर्वासन तथा परियोजना प्रबंधन, पुस्तकालय तथा सूचना सेवाएं, चिकित्सा विज्ञान, पुनर्वासन मनोविज्ञान और विशेष शिक्षा। एनआईएमएच का नई दिल्ली में मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र है, वर्ष 2014–15 के दौरान एनआईएमएच ने गैंगटोक, सिक्किम राज्य में अपने अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है। इस संस्थान की प्रमुख गतिविधियों को प्रशासनिक अनुभाग से सहयोग प्राप्त होता है।

एनआईएमएच के उद्देश्य

- मानसिक विकलांग जन को सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधनों का विकास तथा श्रम शक्ति का सृजन।
- देश में मानसिक विकृति जन के देखरेख तथा पुनर्वासन के लिए उपयुक्त मॉडलों का विकास करना।
- भारतीय संस्कृति के लिए, उपयुक्त मानसिक विकृति जन के देखरेख तथा पुनर्वासन के लिए उपयुक्त मॉडलों का विकास करना।
- मानसिक रूप से विकृत जन के क्षेत्र में स्वंयसेवी संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- मानसिक मंदता के क्षेत्र में दस्तावेज एवं सूचना केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करना।
- ग्रामीण तथा निम्न आय श्रेणी, तथा जरूरतमंद लोगों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वासन सेवाओं का विकास।
- मानसिक मंदता के क्षेत्र में विस्तार तथा आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन।

यह संस्थान मानसिक मन्दता, समुदाय–आधारित पुनर्वास, पुनर्वास चिकित्सा विज्ञान, आरंभिक हस्तक्षेप और पुनर्वास मनोविज्ञान के क्षेत्र में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता है। विभिन्न स्तरों पर विशेष शिक्षकों की आवश्यकता के मद्देनजर, संस्थान विशेष शिक्षा में बी.एड. कार्यक्रम भी संचालित करता है। यह विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में एम.फिल. कार्यक्रम का भी संचालन करता है जो मानसिक मंदता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए छात्रों को तैयार करता है। एम.फिल. (पुनर्वास मनोविज्ञान) कार्यक्रम से ऐसे

व्यावसायिकों को तैयार किया जाता है, जो मानसिक मन्दता से ग्रस्त व्यक्तियों को व्यापक सेवाएं प्रदान कर सकें।

मानसिक मन्दता से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास कार्य को आरंभिक हस्तक्षेप, सेवाओं के माध्यम से किया जाता है, जैसे–फिजियोथेरेपी/ऑर्थो, बायोकेमिस्ट्री, स्पीच एंड ऑडियोलॉजी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यवहार आशोधन, माता–पिता को परामर्श प्रदान करना तथा व्यावसायिक आंकलन–संबंधी सेवाएं आदि। यह संस्थान, पुनर्वास एवं देखरेख के लिए मॉडल भी विकसित करता है। संस्थान में एक विशेष शिक्षा केन्द्र (एसईसी) भी है जो संस्थान के मानव संसाधन विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। विशेष शिक्षा केंद्र की स्थापना सेवा–पूर्व और सेवा–कालीन प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक परिदृश्य उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त, संस्थान नई दिल्ली में, इसी प्रकार का एक मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र भी संचालित करता है। दोनों ही केन्द्र मानसिक मंदता की भिन्न–भिन्न मात्राओं से ग्रस्त बच्चों सहित 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का पंजीकरण करते हैं।

ऐसे बच्चों के अभिभावकों को, जो दूरस्थ स्थानों से आते हैं और संस्थान की सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, संस्थान के परिसर में पारिवारिक कुटीर उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां गृह–आधारित प्रशिक्षण और प्रदर्शनों के लिए कार्यक्रम योजना प्रदान की जाती है। इन कुटीरों में अपने प्रवास के दौरान, अभिभावकों को यह अवसर प्राप्त होता है कि वे अपने रोजमर्रा के कामों से दूर रहते हुए बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। इसके अतिरिक्त, एनआईएमएच ने विभिन्न जांच उपकरणों, जागरूकता सृजन सामग्रियों और प्रबंधन पैकेजों को विकसित किया है, जिनका देश में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

वयस्क स्वतंत्र जीवन विभाग (डीएआईएल) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार प्लेसमेंट की सेवाओं के माध्यम से, मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के पुनर्वास को प्रोत्साहित करती है। मानसिक मंद वयस्कों को जैनेरिक कौशलों तथा विशिष्ट कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, तत्पश्चात ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाएं व्यावसायिक कार्यों, मार्गदर्शन, काउंसलिंग तथा वर्क स्टेशनों के रूप में प्रदान की जाती हैं। वर्क स्टेशन प्रशिक्षण के उत्पादों जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोकॉपिंग, स्टेशनरी उत्पादों (राइटिंग पैड, फाइल पैड आदि) तथा ऑफसेट प्रिंटिंग का प्रयोग संस्थान द्वारा आंतरिक प्रयोग के लिए किया जाता है। अन्य उत्पादों जैसे ग्रीटिंग कार्ड, ग्लास पेंटिंग, सॉफ्ट टाय, क्राफ्ट वर्क आदि को आगंतुकों और स्टाफ के सदस्यों द्वारा खरीद लिया जाता है। इन लेनदेनों से होने वाली आय को प्रशिक्षु क्लाइंटों को वापस कर दिया जाता है, जो कि उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति स्वरूप है।

इस संस्थान के पास बौद्धिक विकलांगता और संबंधित क्षेत्रों में 14000 से अधिक पुस्तकों और जर्नलों के संग्रह वाला एक सुसज्जित पुस्तकालय है। एनआईएमएच ने आज की तिथि तक 98 मौलिक प्रकाशन किए हैं। संस्थान इंटरनेट के माध्यम से जर्नल आर्टिकलों की फोटोकॉपी उपलब्ध कराता है, एनआईएमएच के प्रकाशनों, वीडियों कैसिटों तथा फ्लापियों का वितरण करता है, नैमी पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करता है, तथा इंटरनेट के माध्यम से रीडिंग सूची तथा समाचारपत्रों की क्लिपिंग और सूचना सेवाएं प्रदान करता है।

संस्थान वर्ष 2014–15 में 7 (10 में से), दीर्घकालीन कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। संस्थान बौद्धिक विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर लोगों के लिए 40–50 अल्पकालीन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। प्रति वर्ष सामान्य सेवाओं के अंतर्गत औसतन 9000 से अधिक नए मामलों तथा एक लाख फॉलोअप मामलों को देखा जाता है। संस्थान प्रति वर्ष एक राष्ट्रीय अभिभावक बैठक, 10 क्षेत्रीय अभिभावक बैठकों और एक विशेष कर्मचारी राष्ट्रीय बैठक का आयोजन करता है। एनआईएमएच प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र के भागों में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। एनआईएमएच ने संस्थान की गतिविधियों पर एक सीडी विकसित की है, जिसे देश के विभिन्न भागों में एनआईएमएच द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया गया है। उपर्युक्त सीडी के अतिरिक्त, एनआईएमएच ने अनेक सॉफ्टवेयर सीडी/वीडियो फिल्में भी विकसित की हैं जो बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक महत्व की हैं। मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन के माध्यम से मानसिक मंदता वाले बच्चों में अत्यधिक सुधार लाया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान एनआईएमएच द्वारा मल्टी सेंसरी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। एनआईएमएच की वेबसाइट (*www.nimhindia.gov.in*) को आशोधित किया गया है, ताकि फ्लैश चित्रों के द्वारा उसे नया रूप प्रदान किया जा सके और विकलांग सहिष्णु बनाया जा सके। संस्थान ने हिन्दी में भी अपनी वेबसाइट को विकसित किया है।

सफलता की कहानी

संजय ने सफलतापूर्वक स्वतंत्र जीवन के 6 माह पूरे कर लिए ....सफलता की एक कहानी

26 फरवरी, 2014 को संजय ने कहा..........

"मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। एक दो लोगों के साथ रह सकता हूं ....
और अपने निर्णय मैं खुद लेना चाहता हूं।
शायद मैं कुछ गलतियां करूं। पर कोई बात नहीं......."

डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त 37 वर्षीय संजय राव का पंजीकरण, एनआईएमएच में पंजीकरण संख्या 651/1993 के अंतर्गत 21 वर्ष की आयु में हुआ था, जो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा नियोजन के लिए अत्यंत ही सही आयु है। उसे एनआईएमएच के सामान्य सेवा पंजीकरण काउंटर पर कार्य का प्रशिक्षण दिया गया तथा एनआईएमएच, द्वारा उसे प्रतिमाह रूपए 2500/– का वजीफा दिया जा रहा है, वह तेलगू, हिन्दी, अंग्रेजी, तीन भाषाएं बोल सकता है। ग्राहकों का उसके प्रति अटूट विश्वास है तथा वे उसका आदर करते हैं। उसका कार्य ग्राहकों की पंजीकरण फाइलें सलीके से रखने तथा ग्राहक के आने पर सही फाईल निकालकर आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने के साथ साथ, ग्राहकों को यह दिशानिर्देशन भी देना है कि उन्हें आगे कब आना चाहिए और वह उन्हें यह भी बताता है कि उन्हें किस परामर्श कक्ष में जाना चाहिए।

एनआईएमएच ने उसे "कार्य प्रशिक्षण" के दौरान कार्यालय कौशल, सम्पर्क व्यवहार तथा सामाजिक कौशल के विकास में सहायता दी। उसका अपना एक बैंक खाता है। वह अकेला यात्रा भी कर सकता है। वह घर में अक्सर अकेला भी रहता है।

परन्तु वह अपने प्यारे माता पिता से दूर रहकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहता था। उसने 2 बैडरूम के फ्लैट में निवास कर रहे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित 29 वर्षीय कृष्णा तेजा के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। माता पिता ने भी अपने बेटे की अकेले रहने की आवश्यकता को समझा। जुलाई, 2014 में वह उस फ्लैट में रहने के लिए चला गया। एनआईएमएच के सामान्य सेवा स्वागत काउंटर पर काम करने के लिए वह नियमित रूप से आ रहा है। सप्ताहअंत में वह घर जाता है। ***अनेक माता–पिता इससे प्रेरित एवं प्रोत्साहित होकर संजय और तेजा.............. जैसे बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्वतंत्र जीवन की व्यवस्था कर रहे हैं। संजय, तेजा और उसके माता पिता को शुभकामनाएं ....***

9.7 राष्ट्रीय बहु विकलांगता सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई

भारत सरकार के विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, के अधीन राष्ट्रीय बहु विकलांगता सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी) की स्थापना वर्ष 2005 में बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। एक से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 में किए गए उल्लेख तथा राष्ट्रीय न्यास (1999) अधिनियम के अनुसार आवश्यकता आधारित पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। देश में सेवाओं उपलब्धता में कमी को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान की स्थापना समूह भावना के माध्यम से अंतर्वेशन की सुविधा, बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों एवं परिवार के सशक्तिकरण का सुनिश्चिय किए जाने के मिशन को ध्यान में रखकर की गई थी।

इसमें बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए जनशक्ति के विकास हेतु दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस संस्थान द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे:–

1. एम.फिल (क्लीनिकल साइक्लोजी) – 2 वर्षीय
2. बी.एड विशेष शिक्षा (बहु विकलांगता) – 1 वर्षीय
3. प्रारम्भिक मध्यवर्तन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा – 1 वर्षीय
4. डी.एड विशेष शिक्षा (स्वालीनता स्पैक्ट्रम विकार) 2 वर्षीय
5. डी.एड विशेष शिक्षा (प्रमस्तिष्क घात) – 2 वर्षीय
6. डी.एड विशेष शिक्षा (बधिरांध) – 2 वर्षीय

एनआईपीएमडी द्वारा जनशक्ति विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए अगले अकादमिक वर्ष 2015–16 से आगे शुरू किए जाने हेतु नीचे उल्लिखित 4½ वर्षीय अवधि के तीन पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। तमिलनाडु डा. एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी से सम्बद्धता के लिए आवेदन दिया गया है। तदनुसार, विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं के अनुसार एनआईईपीएमडी में यह पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के सम्मुख अनुमति प्राप्ति के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

1. बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (बीओटी)

2. बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी)

3. बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी स्पीच एंड लैंगवेज पैथोलॉजी (बीएएसएलपी)

बीएएसएलपी भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के क्षेत्र में आता है अतः एनआईईपीएमडी में वर्ष 2015–16 से बीएएसएलपी के पाठ्यक्रम हेतु मान्यता/अनुमोदन प्राप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ।

विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यवसायिकों एवं कार्मिकों हेतु उपर्युक्त के अलावा 1/2/5/15 दिवसीय अवधि के 100 अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2014–15 की अनुसूची में शामिल किए गए थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सेवा मॉडलों तथा बहु–विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध पुनर्वास कार्यक्रमों पर ध्यान दिए जाने के साथ साथ बहु विकलांगता वाले बच्चों के माता पिता के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

एनआईईपीएमडी द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान बहु–विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए अनेक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। बहु–विकलांगता वाले अधिक से अधिक व्यक्तियों से सम्पर्क के लिए केन्द्र तथा बाह्य व्यवस्थाओं अर्थात कैम्प, विस्तार केन्द्रों की स्थापना, मोबाईल सेवाएं एवं मिश्रित क्षेत्रीय केन्द्रों में पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। एनआईपीएमडी द्वारा समिति फॉर एज्युकेशन एनवॉयरनमेंट सोशल एंड हैल्थ एक्शन (एसईईएसएचए) के सहयोग से गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), वंगाराम, चेन्नई में तथा अश्विनी सोसॉयटी एंड रोटेरी क्लब ऑफ गुडालुर के सहयोग से गुडालुर, नीलगिरी जिला (तमिलनाडु) में, बीआरईएसएच के सहयोग से भद्राचलम, खम्मम जिला, आंध्र प्रदेश में स्थापित किए गए हैं तथा गंगटोक, सिक्किम में स्थापित किए जा रहे हैं ।

एनआईईपीएमडी द्वारा विकलांग व्यक्तियों के परिवार को अल्पकालिक सीमित अवधि का अंतराल प्रदान करने के उद्देश्य से देखभाल सेवाओं में अवकाश प्रदान करने की सेवाएं प्रारम्भ की गई है। प्रारम्भ में इस अवकाश देखभाल की योजना केवल दिन के समय देखभाल के लिए थीं ।

एनआईईपीएमडी का एक अन्य अविस्मरणीय कार्यक्रम माननीय मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत द्वारा हाइड्रोथेरेपी पुल एवं अथलेटिक ट्रैक की आधारशिला का स्थापन करना एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए लाभप्रद एवं सहायक उपकरणों के लिए वितरण कैम्प का आयोजित किया जाना था जो क्रमशः 26 सितम्बर, 2014 तथा 27 सितम्बर 2014 को आयोजित किए।

एनआईईपीएमडी का मॉडल विशेष विद्यालय, प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रेल प्लसी), स्वलीनता (ऑटिज्म), बधिरांध (डीफब्लाइंडनेस) से पीड़ित बच्चों एवं बचपन विशेष शिक्षण की यूनिटों के साथ स्थापित कर लिया गया है। इस मॉडल विद्यालय से प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक अनुभवों की प्राप्ति होगी।

एनआईईपीएमडी द्वारा तमिलनाडु, नई दिल्ली, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरल तथा पूर्वोत्तर राज्यों (मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश एवं असम) में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन एवं कार्यशालाएं भी आयोजित की गई।

प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एनआईईपीएमडी द्वारा बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, पुद्दुचेरी, बिहार, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मुम्बई, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात तथा राजस्थान में स्क्रीन प्रिंटिंग, जेवरात निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, रोएंदार खिलोने बनाने, ग्रिटिंग कार्ड बनाने, चॉक पीस बनाने, रसायन उत्पाद तैयार करने, सिलाई तथा कसीदाकारी, जूट उत्पाद तैयार करने, लिफाफे बनाने, मोबाइल मरम्म्त करने, कॉयर बनाने इत्यादि जैसे अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस योजना से लगभग 1155 लाभग्राही लाभावित हुए।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए जारी एडीआईपी का निष्पादन एनआईपीएमडी द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में किया गया। यह योजना लाभार्थियों की आवश्यकताएं ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन शिविर लगाकर निष्पादित की गई तथा इसके पश्चात सहायक उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए वितरण शिविर आयोजित किए गए। लाभार्थियों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए तथा उपकरणों के संचालन एवं देखभाल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायिकों की सेवाएं प्राप्त की गई।

विभिन्न जिलों में वितरित किए उपकरणों की संख्या से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

- तमिलनाडु में नामाकल, कांचिपुरम, धर्मपुर, अरियालुर, पेराम्बलुर, तेनकासी तथा विल्लुपुरम जिलों में 1690 लाभार्थी।

- केरल में वयानद, मल्लापुरम, कन्नूर तथा कोझिकोड जिलों में 472 लाभार्थी।
- केन्जोहर तथा भुवनेश्वर जिलों में 533 लाभार्थी।
- उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 581 लाभार्थी।
- बिहार के पटना जिले में 192 लाभार्थी।
- राजस्थान के जोधपुर जिले में 372 लाभार्थी।

आंध्र प्रदेश के तिरूपति, चित्तौड़ जिले में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया था तथा शिविर में 5545 लाभग्राहियों में 1685 लाभार्थियों को शिविर स्थल पर सहायक उपकरण एवं सामग्री वितरित की गई थी। इसके अलावा 1022 लाभार्थियों द्वारा इनकी प्राप्ति मुख्यालय से की गई थी। जिससे एडीआईपी योजना के अंतर्गत एनआईईपीएमडी से अब सहायक उपकरण एवं सामग्री प्राप्ति करने वाले लाभार्थियों की संख्या का कुल योग 6567 बैठता है।

इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन कैम्प के माध्यम से शिनाख्त किए गए विभिन्न राज्यों के आगे उल्लिखित निम्नलिखित लाभार्थियों द्वारा सहायक उपकरणों एवं सामग्रियों की प्राप्ति की गई हैः तमिलनाडु के थिरूवल्लुर, कृष्णागिरी तथा वेल्लौर जिलों में 776 लाभग्राही मणिपुर के इम्फाल तथा बिशनपुर जिलों में 543 लाभार्थी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र में 465 लाभार्थी। कुल 1784 लाभार्थियों द्वारा सहायक उपकरणों एवं सामग्रियों की प्राप्ति की आशा की गई है।

उपकरणों में व्हील चेयर्स (वयस्क तथा बालक), एलबो क्रचिस, वॉकर (फोल्डेबल तथा नॉन फोल्डेंबल), चलने की छड़ी तथा हड्डी रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए रोटेबलस; केन हायर सैकेंडरी अथवा कॉलेज अध्ययन कर रहे दृष्टि विहिनों के लिए ब्रेल स्लेट, ब्रेल घड़ी, एबॉक्स, ज्योमिटरी किट; बधिर विकलांगों के लिए सुनने के यंत्र (कान के पीछे वाला मॉडल) तथा मंदबुद्ध एवं बहु विकलांग व्यक्तियों के लिए अध्ययन यापन सामग्री शामिल है।

सफलता की कहानी

मात्र 9 वर्ष 6 माह की आयु का मास्टर **अंबु सेल्वान** काफी सक्रिय एवं सहयोगशील बालक है। वह आक्यूपेशनल थेरेपी से संबंधित समस्या के विस्तृत मूल्यांकन के लिए आक्यूपेशनल थेरेपी विभाग में लाया गया था।

उसका निदान ***माइक्रोसेफाली, एमआर एवं कम दृश्यता से संबंद्ध सेरेब्रल पॉल्सी के लिए किया गया।*** उसका ग्रॉस मोटर, फाईन मोटर, ओरोमोटर, कन्जीनिटिव पर्सेप्टयूल कौशल, एडीएल कौशल तथा खेल कौशल उसकी आयु के अनुरूप नहीं पाया गया।

आक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट में हमने ऊपर उल्लिखित समस्यायों के लिए प्ले थेरेपी, एनडीटी, रूड्स, एप्रोच, बॉयोमैकेनिकल एप्रोच जैसे आक्यूपेशनल थेरेपी मध्यवर्तन किए तथा ओटी संचलन तकनीक जैसे अन्य आवश्यकता आधारित प्रयोग किए गए।

मध्य वर्तनों के माध्यम से उसने अपर लिम्ब प्रोक्सिमल स्टेबिलिटी, ट्रंक कन्ट्रौल कौशल, ओरोमोटर कौशल जैसे कौशल प्राप्त कर संतोषजनक निष्पादन किया। वह हाथों और पैरों के सहारे टिक सकता है, थोड़ी सहायता से घुटनों के बल बैठ सकता है तथा अपना नियंत्रण खुद कर सकता है और गेंद फेंकने, पैग बोर्ड खेल, काग्निटिव कौशल भी कर सकता है। वह अपनी आयु के अनुसार क्रीड़ा कौशल क्षेत्र में हाथ से किए जाने वाले खेलों में प्रतिभागिता के योग्य बन रहा है। वह अपने हाथ ब्रशिंग, खाने तथा साजसज्जा व कौशल जैसे कंघी करने, सफाई इत्यादि, जैसे स्वयं देखभाल वाले मूल एडीएल कौशल सीखने के प्रयासों में सहायता एवं सहयोग दे रहा है और उसके ओरो मोटर कौशल जैसे चबाना, काटना, चूसने जैसे कार्यों में सुधार आ रहा है तथा उपर्युक्त कार्यो में सफलता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप ड्रनिंग समस्याएं संतोषजनक रूप से कम हुई हैं।

खेल कौशल से संबंधित क्षेत्रों अर्थात खेलने की वस्तुओं की स्वयं खोज, उन तक पहुंचना, उठाना और खिलौने चलाने की प्रगति से संतोषजनक परिवर्तन (आयु के अनुरूप) दिखाई दे रहे हैं।

उसके माता पिता को घर पर करने के लिए उचित कार्यक्रम दिया गया था ताकि उसका आयु के अनुरूप उचित रूप से विकास हो सके ।

एनआईईपीएमडी में वर्ष 2012 में 2 वर्ष के मास्टर जेरसन को प्रारम्भिक मध्यवर्तन यूनिट में लाया गया। उसकी आंखें छोटी थी तथा उसकी पलकें भिंची हुई थी। जेरसन अपनी आंखों के फोहे नहीं खोल पाता था और इसे प्टोसिस कहा जाता है। शुरू शुरू में वह किसी स्थान पर बैठने में हिचकता था। वह सदा यह चाहता था कि उसके दादा दादी उसके पास बैठें। कड़े प्रयासों के पश्चात प्रारम्भिक मध्यवर्तन करने से वह बिना हिचक के कमरे में चलना शुरू हो गया। हर रोज जैसे ही वह कक्षा में प्रवेश करता था तो उसके लिए एक गीत गाया जाता था। उसे संगीत पसंद था अतः प्रार्थना गीत से उसे वास्तव में ही उसे स्थान गीत गाने वाले व्यक्तियों की छूकर पहचान कर पाने में सफलता प्राप्त हुई। प्रार्थना गीत के पश्चात वह रॉकिंग चेयर पर बैठ जाता था। शुरूआती दिनों में उसे सब्जियों इत्यादि की पहचान समझाई गई। अब वह सब्जियों की सुगंध एवं स्वरूप एवं आकार से उनकी पहचान कर सकता है। उसे शरीर के अंगों के नाम समझाए गए। शरीर के अंगों की पहचान तथा विभिन्न ब्रुशों द्वारा शरीर के अंगों की ब्रशिंग का ज्ञान उसे धीरे धीरे हुआ। उसे शरीर के विभिन्न स्वरूप की जानकारी अच्छी लगी। उसे हर्बल पाउडर द्वारा शरीर की मालिश की जानकारी दी गई तथा उसे छेदों में वस्तुएं डालना सिखाया गया और गिनती करना सिखाया गया तथा वस्तुओं को खोजनें एवं वस्तुओं को वर्गीकृत करने का ज्ञान भी उसे प्रदान किया गया।

उसे प्ले स्कूल में अन्य बच्चों में शामिल करके बिठाया गया तथा उसने वे शब्द बोलने प्रारम्भ किए जो उसने दूसरे सामान्य बच्चों से सुने थे। उसे ब्रेल पूर्व क्रियाकलापों तथा आकारों का प्रयोग करना सिखाना प्रारम्भ किया गया। अब वह हाथ पर हाथ रखने की तकनीक से ब्रेल द्वारा पढ़ सकता है। वह मध्यवर्तन जैसे मिट्टी के खेल खेलता है। जब कोई दूसरा ड्रम बजाता है तो वह ध्वनि का अनुसरण करते हुए ड्रम बजाने वाले तक पहुंच जाता है। उसे शौच करना सिखाया जा रहा है तथा घर पर उसके दादा दादी को उसके साथ करने के लिए कुछ कार्य दिए जाते हैं। वह आक्यूपेशनल थेरेपी में भाग लेता है।

जेरसन सभी ग्रुपों के क्रियाकलापों जैसे भजन गायन, बाल दिवस समारोह में भाग लेता है तथा अच्छा नृत्य करता है।

अगले वर्ष उसे दृष्टि बाधित विद्यालय में भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है।

9.8 समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, (पीडब्ल्यूडी) 1995, जिसके अंतर्गत सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल पर्यावरण तैयार करने के प्रति उचित उपाय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, के लागू होने के परिणामस्वरूप सीआरसीएस की संस्थापना की योजनाएं तैयार की गई है। संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की योजना भी उसी कार्यनीति का ही एक भाग है जिसके अंतर्गत देश में विकलांग व्यक्तियों तक पहुंच स्थापित करते हुए उनके लिए लिए केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तर एवं निचले स्तर पर अपेक्षित अवसंरचना एवं क्षमता का निर्माण हेतु सुविधाओं के अतिरिक्त उनमें जागरूकता का संचार, व्यवसायिकों को पुनर्वास का प्रशिक्षण, सेवाओं की डिलीवरी इत्यादि उपलब्धि करवाई जानी है। यह आवश्यक समझा गया था कि पुनर्वास स्थापना की प्रक्रिया को गति प्रदान करने तथा राष्ट्रीय संस्थानों, क्षेत्रीय पुनर्वास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों, डीडीआरसीएस इत्यादि द्वारा विकसित नवोपाय मॉडल सेवाओं का सहभाजन राज्य सरकार के साथ करने एवं साथ ही अगम्य विकलांग जनसंख्या तक पहुंच हेतु क्षमता निर्माण करने, पुनर्वास सेवाओं को सशक्त एवं उन्नत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सीआरसीएस की संस्थापना के लिए प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। केन्द्रों की स्थापना उन स्थानों पर की जानी प्रस्तावित थी जहां विकलांग जनों को उपलब्ध करवाने के लिए विद्यमान अवसंरचना अपर्याप्त पाई गई थी तथा जहां ऐसे केन्द्रों की स्थापना आवश्यक समझी गई थी।

9.8.1 चालू समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

वर्तमान में सुन्दरनगर (हिमाचल प्रदेश), श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), गुवाहाटी (असम), पटना (बिहार), भोपाल (मध्य प्रदेश), अहमदाबाद (गुजरात) तथा कोझिकोड (केरल) में आठ समेकित क्षेत्रीय केन्द्र कार्यरत हैं।

अध्याय 10

नई पहलें, योजनाएं और कार्यक्रम

10.1 अनुसंधान और विकास

विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग ने एक नई केन्द्र क्षेत्रक योजना प्रौद्योगिकी उत्पाद और मुद्दों से संबंधित विकलांगता पर अनुसंधान शुरू किया है। जनवरी 2015 में इस उद्देश्य के साथ की जीवन चक्र की आवश्यकताओं के आधार पर सेवा मॉडलों और कार्यक्रमों के अनुसंधान को बढ़ाया जाए, व्यक्ति विशेष और उनके परिवारों का व्यापक विकास किया जाए और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए एक सक्षम वातावरण बनाया जाए तथा विकलांगता की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए और घरेलू समुचित यंत्रों तथा उपकरणों के विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए।

योजना के दो मुख्य घटक है–

i. सहायक प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास उपकरणों का अनुसंधान और विकास; और

ii. विकलांगता से संबंधित आंकड़ों के आवधिक एकत्रीकरण, अध्ययन/अनुसंधान/सर्वे/इंटर्नशिप हेतु योजना।

विभाग के अंतर्गत राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संस्थानों से योजना के अनुसार अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

10.2 भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी)

आईएसएलआरटीसी का उद्देश्य अनुसंधान, शिक्षण सामग्री और पाठयक्रम विकास, आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम सहित व्यापक गतिविधियों के माध्यम से नेटिव संकेत भाषा प्रयोगकर्ताओं के सहयोग से भारतीय संकेत भाषा के प्रयोग तथा विस्तार का संवर्धन करना है जिसके द्वारा भारत में जरूरतमंद बधिर समुदाय हेतु शिक्षा

के लिए अनुवाद सेवाएं, रोजगार और समावेशन के प्रावधान में सुधार लाया जा सके।

मंत्रालय द्वारा भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का अनुमोदन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एक स्वायत्त केन्द्र के रूप में (इग्नू), परियोजना आधार पर पांच वर्ष की अवधि के दौरान 45.00 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 21 जुलाई, 2012 को प्रदान किया गया था। परियोजना को मंत्रालय द्वारा 44.00 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत के साथ शत–प्रतिशत वित्त पोषित किया गया (25.00 करोड़ रूपए गैर आवर्ती व 19.00 करोड़ रूपए आवर्ती)। तथापि विभिन्न कारणों से परियोजना इग्नू के अंतर्गत शुरू नहीं की जा सकी।

इस प्रस्ताव पर ईएफसी की बैठक जो 18.07.2014 को सचिव व्यय की अध्यक्षता में चर्चा की गई। ईएफसी की सिफारिशों के आधार पर एक सीसीईए नोट पीएमओ तथा व्यय विभाग को टिप्पणी हेतु परिचालित किया गया। प्राप्त टिप्पणी के आधार पर विभाग द्वारा यह निर्णय किया गया कि केन्द्रों को अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान, मुम्बई के क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली के साथ मिला दिया जाए और तदनुसार यह मामला विभाग में प्रक्रियाधीन है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईएसएलआरटीसी के लिए बजट आबंटन 20.00 करोड़ रूपए है।

10.3 राष्ट्रीय समावेशी और सार्वभौमिक डिजाईन संस्थान (एनआईआईयूडी)

एनआईआईयूडी का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक डिजाईन और बाधामुक्त वातावरण के मुद्दे का दूर करने के लिए एक केन्द्र की स्थापना करना है ताकि विकलांग व्यक्तियों के जीवन और उनके चलन को आसान बनाने का हर संभव प्रयास किया जा सके और वे आम लोगों की तरह ही समान स्तर पर जी सके। संस्थान सार्वभौमिक डिजाईन समावेशी डिजाईन के आधार पर होगा और प्रत्येक द्वारा वातावरण में पहुंच पर फोकस करेगा साथ ही विकलांग व्यक्तियों द्वारा सुगम्यता को उच्च महत्ता प्रदान करेगा।

इस प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक जो 18.07.2014 को सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में हुई में चर्चा की गई। मामला मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

10.4 मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना

विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार, मानसिक रूग्णता की विकलांगता के रूप में पहचान की गई है। मानसिक रूग्ण व्यक्तियों और उनके परिवारों, आवासीय पुनर्वास सहित को सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान न केवल विशेष जरूरत है बल्कि एक वैधानिक और सांविधिक दायित्व भी है। यद्यपि मानसिक रूग्ण व्यक्ति के थेराप्यूटिक अंग की देखभाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है। पुनर्वास पहलू की देखभाल विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना का प्रावधान है। तदनुसार विभाग ने एनआईएमएचआर को भोपाल में स्थापित करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस उददेश्य के लिए जमीन देने हेतु अपनी सहमति दे दी है। विभाग ने भूमि अधिग्रहण करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और एनआईएमएच की स्थापना करने हेतु परामर्शदाता को नियुक्त किया है।

10.5 विकलांगों हेतु खेलकूद केन्द्र

योजना का उद्देश्य विकलांगता खेलकूद के लिए केन्द्र स्थापित करना है ताकि सही सुविधाएं सही स्थान पर उपलब्ध हों जो विकलांग समुदाय के सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों के विकलांग खेलकूद की आवश्यकताओं के अद्यतन मूल्यांकन पर आधारित है।

जीरकपुर (पंजाब), उज्जैन (मध्य प्रदेश) और आनंदपुरम मंडल (आंध्र प्रदेश) में विकलांगता खेलकूद केन्द्र के लिए स्थल विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

10.6 राज्य स्पाईनल इंजुरी केन्द्र

राज्य स्पाईनल इंजुरी केन्द्र मुख्यतः स्पाईनल इंजुरी के व्यापक प्रबंधन में होंगे। इस योजना के अंतर्गत राज्य की राजधानी/संघ राज्य क्षेत्र के जिला अस्पताल से संबंद्ध एक व्यापक पुनर्वास केन्द्र प्रारंभ में 12 बिस्तरों सहित स्थापित किया जाएगा। 12वीं योजना परिव्यय में योजना हेतु 20.00 करोड़ रूपए का प्रावधान है। योजना तैयार की जा रही है।

10.7 सार्वजनिक–निजी साझेदारी

इंडियन स्पाईनल इंजुरी सैंटर (आईएसआईसी), नई दिल्ली एक गैर–सरकारी संगठन है जो स्पाईनल कोड इंजुरी के मरीजों तथा संबधित बीमारियों के लिए व्यापक पुनर्वास प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध करवाता है इसमें शामिल है– पुर्ननिर्माण सर्जरी, स्टेबलाजेशन, ऑपरेशन, शारीरिक पुनर्वास, मनो सामाजिक पुनर्वास और वोकेशनल पुनर्वास सेवाएं।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार सरकार आईएसआईसी को गरीब मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 25 बैड मुक्त उपलब्ध कराती है इसके अतिरिक्त, केन्द्र भी गरीब मरीजों को बैड मुफ्त उपलब्ध कराता है।

इस स्कीम तहत मेरुदंड क्षतिग्रस्त रोगियों के उपचार एवं पुनर्वास के लिए वर्ष 2014–15 का आबंटन 2.00 करोड़ रूपए है। 15 फरवरी 2015 तक आईएसआईसी को 1.50 करोड़ रूपए जारी कर दिए है।

अध्याय 11

विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

राष्ट्रीय पुरस्कार विकलांग व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों तथा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु कार्य कर रहे व्यक्तियों तथा संगठनों को दिए जाते हैं। यह पुरस्कार विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने तथा उन्हें सामाजिक मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शुरू किए हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 03 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं।

2. राष्ट्रीय पुरस्कार 14 श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं–

I. **श्रेष्ठ कर्मचारी/स्वरोजगाररत विकलांग;**

II. **(क) श्रेष्ठ नियोजक तथा (ख) श्रेष्ठ नियोजन अधिकारी अथवा एजेंसी;**

III. **(क) श्रेष्ठ व्यक्ति तथा (ख) श्रेष्ठ संस्थान–विकलांग व्यक्तियों हेतु कार्य करने वाला;**

IV. **आदर्श व्यक्तित्व;**

V. **विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ श्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास;**

VI. **विकलांग व्यक्तियों हेतु बाधामुक्त वातावरण सृजित करने में किया गया उत्कृष्ट कार्य;**

VII. **पुनर्वासन सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वोत्तम जिला;**

VIII. **राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की श्रेष्ठ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी;**

IX. श्रेष्ठ सृजनशील व्यस्क विकलांग व्यक्ति;

X. श्रेष्ठ सृजनशील विकलांग बच्चा;

XI. श्रेष्ठ ब्रेल प्रेस;

XII. सर्वोत्तम पहुंचनीय वैबसाइट;

XIII. विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संवर्धन में सर्वोत्तम राज्य; और

XIV. सर्वोत्तम विकलांग स्पोर्टपर्सन।

3. 61 पुरस्कारों की कुल संख्या इस साल 3 दिसंबर, 2014 पर प्रदत्त थे। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची नीचे दी गई है:

राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 के विजेताओं की सूची

क्र. सं.	पुरस्कारों की श्रेणी और विजेता का नाम और श्रेणी		
I.	**श्रेष्ठ/स्वनियोजित विकलांग व्यक्ति**		
1.	दृष्टिहीन	पुरुष	डॉ. एन. दशरथ नं. एल–13, लैक्चर्स क्वाटर, बिहाइंड लेडिज होटल जनाना भारती कैंपस, बंगलुरू यूनिवर्सिटी, बंगलुरू–560056
			श्री भाटिया भावेश चन्दुभाई वैक्स म्यूजियम बगदाद प्वांइट रोड, गाँव–मोलेश्वर, पोस्ट माकुतर, तालुका– महाबलेश्वर, जिला सतारा, महाराष्ट्र–412806
		महिला	सुश्री मौसरी बसिस्ठ पूर्वबशर, मध्यग्राम, कोलकाता–700129
			श्रीमती अंजू चौरसिया नियर सीबीएस गैस एजेंसी, नाथ बड़ा रोड़, रासरा, जिला–बलिया, यू.पी.–221712
2.	श्रवण बाधित	पुरुष	श्री राजेश लीखा एफ–82, बाली नगर, नई दिल्ली–110015
		महिला	सुश्री उर्वशी बी. गराला क्यू नं. एईएक्स–6/4, एनटीपीसी टाउनशिप, पोस्ट ऑफिस–अदित्यानगर, सूरत–394516

3.	चलन विकलांगता	पुरुष	श्री देवेन्द्र सिंह अलग 6/153, हजारा कूप, एचएसजी सोसाइटी, अपोजिट एवरर्द नगर, सीओन–चूनाभटटी, मुंबई–40002
			श्री हरबंशलाल ब्रिहलाल भाटिया 35, सुभाष नगर सोसाइटी, गोड डोड रोड, सूरत–395001
		महिला	सुश्री नेहा कपूर 679, द्वितीय तल वैस्ट परमानंद कालोनी, दिल्ली–110009
			श्रीमती एन.आर. सुसीला नं. 4, कामराज एसटी, प्रिया नगर, कडिकामम पुडुचेरी–9
4.	प्रमस्तिष्क अंगघात	पुरुष	श्री बक्काप्रभु एच नं.–एनए–290, बीईएल कालोनी, जलाहाली पोस्ट, बंगलुरू–560013
5.	मानसिक मंदता	पुरुष	श्री प्रणय पुरुषोत्तम बुरडे ए/301, शवाशिश, आपोजिट शोपर्स स्टोप, एस.वी. रोड, अंधेरी (वेस्ट) मुंबई
			श्री प्रकाश के नं.–4, इंदिरा नगर, के.के. रोड, विल्लुपुरम, 605602
6.	बहु–विकलांगता	पुरुष	पगरे मोहननारायण, सावित्री निवास, ओमकार नगर आशिष सोसाइटी पेथ रोड, नासिक
			श्री दिलीप कुमार दास एटी/पीओ–कप्टीपड़ा डिस्ट्रीक्ट मयूरभंज
II.	**श्रेष्ठ नियोक्ता और नियोजन अधिकारी/एजेंसी हेतु पुरस्कार**		
1.	श्रेष्ठ नियोक्ता	(i) सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम/स्वायत्त/स्थानीय सरकारी निकाय	मझगांव डाक लिमिटेड डॉकयार्ड रोड, मुंबई–400010

		(ii) निजी / गैर–सरकारी संगठन	यम रेस्टोरेंट्स इंडिया प्रा0 लि0 12वां तल, टावर–डी ग्लोबल बिजनेस पार्क, एम.जी. रोड गुड़गाँव, हरियाणा, पिन–122002
			टाइटन कम्पनी लिमिटेड रजिस्ट्रड ओफिस नं.–3 एसआईपीसीओटी इंडस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, होसर–635126, तमिलनाडु
2.	श्रेष्ठ नियोजन अधिकारी / एजेंसी	(i) स्वायत्त सरकारी संगठन / सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	श्री हेमन्त सिंह केशवाल हाउस नं. 1292, प्रोग्रेसिव एनक्लेव, सैक्टर–50 बी, चंडीगढ़–160047
		(ii) निजी / गैर–सरकारी संगठनों / कार्यालय	श्रीमती मीरा सी. भाटिया ए–23 अमन अपार्टमेंट, सैक्टर–13, रोहिणी दिल्ली–110085
III.	**विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे श्रेष्ठ व्यक्ति तथा संस्थान हेतु पुरस्कार**		
1.	श्रेष्ठ व्यक्ति	वृत्तिक	नरा नागेश्वर राव, आंध्र प्रदेश प्लॉट नं.–51 / ए, जानकी एनक्लेव, लिगोईगुडा, सरूरनगर, रंगारेड्डी, जिला–हैदराबाद–500035, तेलंगाना
		गैर–वृत्तिक	ननचेरला मेलारेड्डी, तेलंगाना हाउस नं. 7–60 / 2, पाईप लाईन रोड, सुभाष नगर, जिदमेलता, तांगा रेड्डी जिला–500055, तेलंगाना
2.	श्रेष्ठ संस्थान	(i) संगठन विकलांग व्यक्तियों को संपूर्ण व्यापक सेवा मुहैया करा रहे हैं	मानसिक मंदता बच्चों के माता–पिता का एसोसिएशन, मुबंई, महाराष्ट्र 102, ओम श्रद्धा सबूरी सीएचएस, अपोजिट भगवती स्कूल ग्राउंड, विष्णु नगर, नाओपडा, थाणे (वेस्ट)–4000602

		(ii) संगठन बच्चों/विकलांग व्यक्तियों की सम्मिलित शिक्षा का विकास कर रहें हैं	टीअर्स इंस्टीटयूट उत्तर प्रदेश शास्त्रीपुरम फेस–1, सिकंदरा, आगरा
			श्री लोक सेवा सार्वजनिक ट्रस्ट, गुजरात डी, बीना हाउस, गार्बी चोक, नया स्टेशन रोड, भुज–कच्छ, गुजरात–37000
			ऑल मणिपुर मानसिक विकलांग वेलफेयर संगठन, मणिपुर केश कंथोंग टॉप लेर्क, इंफाल; (पंजाब)
IV.	**रोल मॉडल पुरस्कार**		
1.	दृष्टिहीन/अल्पदृष्टि	पुरुष	डॉ. अनिल कुमार अनेजा, दिल्ली फ्लैट नं.– सी4/419, मिलन विहार अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 72, आई.पी. एक्सटेशन, (पटपड़गंज), दिल्ली–110092
			डॉ. रोहित त्रिवेदी, भोपाल, मध्य प्रदेश ई–1/139, एरिया कालोनी, भोपाल, एम.पी. पिन–462016
		महिला	9/8, उषा गंज छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश, 4252001
2.	कुष्ठ रोग	पुरुष	संजय किशनराव पांजडे, महाराष्ट्र सिविल लाईन, पार्तवाड़ा अचलपुर जिला– अमरावती–444805, महाराष्ट्र
3.	श्रवण बाधित	पुरुष	चेरूवू रवी चन्द्र, आंध्र प्रदेश एस/ओ श्री चेरूवू सीताराम, एच–नं. 11–13–181/1, प्लॉट नं. 15/ए, रोड नं.–4 अलकापुरी, हैदराबाद–500035
4.	चलन विकलांगता/प्रमस्तिष्क अंगघात	पुरुष	डॉ. अरशाद अहमद पंडित, जम्मू एवं कश्मीर उमर कॉलोनी–बी, लाल बाजार, हाउस नं.–338, नियर मस्जिद उमर, श्रीनगर–190011
			राजिन्दर जोहर, नई दिल्ली बी–1/500, जनकपुरी, नई दिल्ली–58

		महिला	सुश्री सुवर्णराज, नई दिल्ली हाउस नं.–165, गली नं.–13, बलबीर नगर एक्सटेंशन शाहादरा दिल्ली–110032
			दीपा मलिक, नई दिल्ली 88 ए, डीडीए लैटस, बीहाइंड रेनबो बेकरी, शाहपुजट, नई दिल्ली–110049
5.	मानसिक मंदता/ मानसिक रोगी/ ऑटिज्म	पुरुष	सुरेश नायक सी, कर्नाटक श्रीराम परिसर, बीएस मंदिर, रोड, पुत्तुर (डीके)–574201, कर्नाटक
			श्री प्रणव जयवंत दिवाकर, महाराष्ट्र 37/2, धन संपदा सोसाइटी, पाउंड पाता, इरणवाना, पुणे–411038
V.	**विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार के उद्देश्य में श्रेष्ठ प्रायोगिक अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास हेतु पुरस्कार**		
	विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार के उद्देश्य से किफायती उत्पादों का विकास तथा निर्माण	डॉ. संजीव कुमार बायोमेडिकल इंटरूमेंटेशन यूनिट (वी–2) सीएसआईआर– सेन्टर्ल साइंसटिफिक इंस्टरूमैंटस ओर्गनाइजेंशन, सैक्टर–30–सी, चंडीगढ़–160030 (i) श्री आनंद दास (ii) श्री सुरजीत सिन्हा (iii) श्री अशाया नागराज – सी/ओ 502, ज्योति एंम्बीयेंस, श्रीनिवास नगर, एच.टी. रोड, ईसील पर्सन्स हैदराबाद–500062	

VI.	**विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण सृजन में श्रेष्ठ कार्य हेतु पुरस्कार**	
1.	सरकारी विभाग/ कार्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत निकाय	डॉ. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास यूनिवर्सटी, लखनऊ मोहन रोड, लखनऊ यूपी–2260017
2.	स्थानीय निकाय	कलैक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर नई कलैक्टरेट बिल्डिंग ओहादपुर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
3.	निजी क्षेत्र/ गैर सरकारी संगठन	मोबाइलिटी इंडिया, बंगलुरू पोस्ट बोक्स नं. 7812, प्रथम एवं प्रथम, ए क्रॉस, जे.पी. नगर द्वितीय फेस, बंगलुरू–560078
VII.	**श्रेष्ठ जिलों में पुनर्वास सेवाएं मुहैया कराने हेतु पुरस्कार**	
	1. उत्तरी त्रिपुरा, त्रिपुरा 2. इंदौर, मध्य प्रदेश 3. मयूरभंज, ओडिशा	
VIII.	**राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निकाय का उत्कृष्ट राज्य सरणीयन एजेंसी**	
	तमिलनाडु राज्य एपेक्स मर्यादित बैंक लिमिटेड	
IX.	**श्रेष्ठ प्रौढ़ सृजन विकलांग व्यक्तियों हेतु पुरस्कार**	
	पुरुष	श्री एल. जनार्धन 46, बालाजी नगर, कमलक्कम, वूलियानूर पोस्ट, पुडुचेरी–605110
	महिला	डॉ. दिव्यता गर्ग जी–2/एचआईजी. श्रीकुंज अपार्टमेंट यशोदा परिसर, भीमाकुंज नियर पैट्रोल पंप, कोलर रोड, भोपाल
		सुश्री बेंजी कुमार, दिल्ली जी–38, बी, द्वितीय तल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065

X.	**श्रेष्ठ सृजन विकलांग बच्चों हेतु पुरस्कार**	
	लड़का	मास्टर अक्षय सुनील वैद्य एच नं.–82, काउमुडी बंगलो, अहमदनगर, महाराष्ट्र
		सिद्धार्थ अजय सावंत जी–3, सोना विहार, आर–44, सुदर्शन नगर, नियर सिस्टर निवेदिता स्कूल, एमआईडीसी, डोम्बीवीली (पूर्व), ताल–कल्याण, जिला–थाणे, महाराष्ट्र
	लड़की	अनुशा एस. अलाडाहल्ली डी/ओ अलादहल्ली जी. शिवकुमार, 1360, प्रथम मेन, 4वां क्रॉस विद्यानगर देवमगेरे–570005 के. प्रियंका 283/सी, 7वां क्रॉस, एसटी, धीरन नगर, त्रिचि–9
XI.	**श्रेष्ठ ब्रेल प्रेस**	
XII.	**श्रेष्ठ सुगम्य वेबसाइट**	
1.	सरकारी	रोजगार और स्वरोजगार निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, कोंकण भवन (एनेक्स), तृतीय तल, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई–400614
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय निकाय	वस्त्र समिति, वस्त्र मंत्रालय, जी, बालु रोड, प्रभादेवी चौक, प्रभादेवी, मुंबई
XIII.	**विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के संवर्धन में श्रेष्ठ राज्य**	
	1) मध्य प्रदेश 2) संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	
XIV.	**श्रेष्ठ विकलांग खिलाड़ी**	
	पुरुष	श्री राघवेन्द्र रत्नाकर अन्वेकर सी/ओ स्पोर्टवाइड एचओ–28, सोमवरपेथ, तिलकवाडी, बेलगांव–590006
	महिला	सुश्री लक्ष्मी हाउस नं.–402, गली नं. 3, आर्य नगर, मोहाना रोड बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा–121007

अनुबंध–1

विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग को आबंटित कार्य

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली के अनुसार, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग को आबंटित विषय हैः–

1. निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची I संघ सूची के अन्तर्गत आते हैः

दान में दी गई राहत वस्तुओं/आपूर्तियों के कर–मुक्त आयात हेतु भारत–अमेरिका, भारत–यू.के., भारत–जर्मनी, भारत–स्विट्जरलैंड तथा भारत–स्वीडन करार तथा इस प्रकार की आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले।

2. निम्न लिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची III – समवर्ती सूची के अन्तर्गत आते हैं *(केवल विधान के संबंध में) :*

"सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आबंटित सीमा को छोड़कर"

3. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची II – राज्य सूची अथवा सूची III – समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जहां तक ऐसे क्षेत्रों के संबंध में वे विद्यमान हैः

"विकलांगों और रोजगार हेतु अयोग्य व्यक्तियों को सहायता सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आबंटित सीमा को छोड़कर"।

4. विकलांगता और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों के संबंध में नोडल विभाग के रूप में कार्य करनाः

टिप्पणी: विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग विकलांग व्यक्तियों से संबन्धित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजन तथा समन्वय के लिए नोडल विभाग होगा। तथापि, इस समूह के संबंध में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समग्र प्रबंधन और निगरानी आदि का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

5. विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास तथा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लक्षित विशेष योजनाएं, जैसे सहायक यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति, छात्रवृत्तियां, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायती ऋण और स्व–रोजगार के लिए सब्सिडी आदि।

6. पुनर्वास व्यावसायिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण।

7. विभाग से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और करार, जैसे संयुक्त राष्ट्र विकलांग–जन अधिकार सम्मेलन।

8. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में जागरूकता सृजन, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण।

9. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में धर्मार्थ और धार्मिक अनुदान तथा स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।

10. **अधिनियम / विधान**

    (i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 (1992 का 34);

    (ii) विकलांग–जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1);

    (iii) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44)।

11. सांविधिक निकाय

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद्।

(ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।

(iii) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास।

12. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम स्वायत्ता निकाय

(i) राष्ट्रीय विकलांग–जन वित्त एवं विकास निगम–कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत।

(ii) कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर।

13. राष्ट्रीय संस्थान

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग–जन संस्थान, नई दिल्ली।

(ii) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग–जन संस्थान, कोलकाता।

(iii) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून।

(iv) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग–जन संस्थान, सिकन्दराबाद।

(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधितार्थ संस्थान, मुम्बई।

(vi) स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक।

(vii) राष्ट्रीय बहु–विकलांगता–ग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई।

(viii) भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली।

अनुबंध–2

2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की राज्य वार जनसंख्या

क्र. सं.	राज्य	2001 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या	2011 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या
1	आंध्र प्रदेश	13,64,981	22,66,607
2	अरूणाचल प्रदेश	33,315	26,734
3	असम	5,30,300	4,80,065
4	बिहार	18,87,611	23,31,009
5	छत्तीसगढ़	4,19,887	6,24,937
6	दिल्ली	2,35,886	2,34,882
7	गोवा	15,749	33,012
8	गुजरात	10,45,465	10,92,302
9	हरियाणा	4,55,040	5,46,374
10	हिमाचल प्रदेश	1,55,950	1,55,316
11	जम्मू व कश्मीर	3,02,670	3,61,153
12	झारखंड	4,48,377	7,69,980

जारी...

2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की राज्य वार जनसंख्या

क्र. सं.	राज्य	2001 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या	2011 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या
13	कर्नाटक	9,40,643	13,24,205
14	केरल	8,60,794	7,61,843
15	मध्य प्रदेश	14,08,528	15,51,931
16	महाराष्ट्र	15,69,582	29,63,392
17	मणिपुर	28,376	54,110
18	मिजोरम	16,011	15,160
19	मेघालय	28,803	44,317
20	नागालैंड	26,499	29,631
21	ओडिशा	10,21,335	12,44,402
22	पंजाब	4,24,523	6,54,063
23	राजस्थान	14,11,979	15,63,694
24	सिक्किम	20,367	18,187

जारी...

अनुबंध–2

2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की राज्य वार जनसंख्या

क्र. सं.	राज्य	2001 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या	2011 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या
25	तमिलनाडु	16,42,497	11,79,963
26	त्रिपुरा	58,940	64,346
27	उत्तर प्रदेश	34,53,369	41,57,514
28	उत्तराखंड	1,94,769	1,85,272
29	पश्चिम बंगाल	18,47,174	20,17,406
30	अंडमान–निकोबार द्वीप	7,057	6,660
31	चंडीगढ़	15,538	14,796
32	दमन व दीव	3,171	2,196
33	दादरा व नगर हवेली	4,048	3,294
34	लक्षद्वीप	1,678	1,615
35	पुडुचेरी	25,857	30,189
	योग	**2,19,06,769**	**2,68,10,557**

अनुबंध–3

10.2.2015 तक की स्थिति के अनुसार 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति की तुलना (जैसी सूचना उपलब्ध है)

क्र. सं.	राज्य	2001 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या	विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए व्यक्तियों की संख्या		2011 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या	विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए व्यक्तियों की संख्या	
			योग	प्रतिशत		योग	प्रतिशत
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज
1	आंध्र प्रदेश	1364981	1070386	78.42	2266607	1070386	47.22
2	अरूणाचल प्रदेश	33315	2292	6.88	26734	2292	8.57
3	असम	530300	185605	35.00	480065	185605	38.66
4	बिहार	1887611	953351	50.51	2331009	953351	40.90
5	छत्तीसगढ़	419887	227193	54.11	624937	227193	36.35
6	दिल्ली	235886	64466	27.33	234882	64466	27.45
7	गोवा	15749	17274	109.68	33012	17274	52.33
8	गुजरात	1045465	333738	31.92	1092302	333738	30.55
9	हरियाणा	455040	308016	67.69	546374	308016	56.37

जारी...

अनुबंध–3

10.2.2015 तक की स्थिति के अनुसार 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति की तुलना (जैसी सूचना उपलब्ध है)

क्र. सं.	राज्य	2001 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या	विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए व्यक्तियों की संख्या		2011 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या	विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए व्यक्तियों की संख्या	
			योग	प्रतिशत		योग	प्रतिशत
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज
10	हिमाचल प्रदेश	155950	72695	46.61	155316	72695	46.80
11	जम्मू व कश्मीर	302670	117676	38.88	361153	117676	32.58
12	झारखंड	448377	459007	102.37	769980	459007	59.61
13	कर्नाटक	940643	764395	81.26	1324205	764395	57.72
14	केरल	860794	422087	49.03	761843	422087	55.40
15	मध्य प्रदेश	1408528	646898	45.93	1551931	646898	41.68
16	महाराष्ट्र	1569582	864100	55.05	2963392	864100	29.16
17	मणिपुर	28376	21663	76.34	54110	21663	40.04
18	मिजोरम	16011	8362	52.23	15160	8362	55.16

जारी...

अनुबंध–3

10.2.2015 तक की स्थिति के अनुसार 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति की तुलना (जैसी सूचना उपलब्ध है)

क्र. सं.	राज्य	2001 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या	विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए व्यक्तियों की संख्या		2011 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या	विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए व्यक्तियों की संख्या	
			योग	प्रतिशत		योग	प्रतिशत
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज
19	मेघालय	28803	27626	95.91	44317	27626	62.34
20	नागालैंड	26499	1532	5.78	29631	1532	5.17
21	ओडिशा	1021335	761758	74.58	1244402	761758	61.21
22	पंजाब	424523	333180	78.48	654063	333180	50.94
23	राजस्थान	1411979	420043	29.75	1563694	420043	26.86
24	सिक्किम	20367	9756	47.90	18187	9756	53.64
25	तमिलनाडु	1642497	1075189	65.46	1179963	1075189	91.12
26	त्रिपुरा	58940	66539	112.89	64346	66539	103.41
27	उत्तर प्रदेश	3453369	1720141	49.81	4157514	1720141	41.37

जारी...

अनुबंध–3

10.2.2015 तक की स्थिति के अनुसार 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति की तुलना (जैसी सूचना उपलब्ध है)

क्र. सं.	राज्य	2001 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या	विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए व्यक्तियों की संख्या		2011 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की कुल जनसंख्या	विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए व्यक्तियों की संख्या	
			योग	प्रतिशत		योग	प्रतिशत
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज
28	उत्तराखंड	194769	85208	43.75	185272	85208	45.99
29	पश्चिम बंगाल	1847174	899013	48.67	2017406	899013	44.56
30	अंडमान–निकोबार द्वीप समूह	7057	7019	99.46	6660	7019	105.39
31	चंडीगढ़	15538	19556	125.86	14796	19556	132.17
32	दमन व दीव	3171	328	10.34	2196	328	14.94
33	दादरा व नगर हवेली	4048	2523	62.33	3294	2523	76.59
34	लक्षद्वीप	1678	1302	77.59	1615	1302	80.62
35	पुडुचेरी	25857	23961	92.67	30189	23961	79.37
	योग	**21906769**	**11993878**	**54.75**	**26810557**	**11993878**	**44.74**

अनुबंध–4

राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की सूची

क्र. सं.	राज्य	समन्वयक और संगठन का नाम	फोन नंबर	ई–मेल
1	आंध्र प्रदेश	सुश्री मंजूला कल्याण, समन्वयक, एसएनएसी स्वयंक्रूशी, 17, श्री मलानी हाउसिंग को आपरेटिव सोसायटी, इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी, त्रिमूल्गानी, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश–500 015	040–27992420 / 27990741	swayamkrushimk@gmail.com
2 एवं 3	अरूणाचल प्रदेश व असम	श्री हीरो हितो हबीबी, समन्वयक, एसएनएसी शिशु सरोथी सेंटर फॉर रिहेब्लिटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी ऑफ राम कृष्ण मिशन रोड, बिरूबारी गुवाहाटी–781016, असम, पिन–781016	0361–2478912 09864888190	shishu_sarothi@yahoo.com
4	बिहार	श्री अजीत कुमार झा, समन्वयक, एसएनएसी समर्पण (चाइल्ड कंशर्न) न्यू बहादुरपुर रोड, राजेंद्र नगर, पटना–800016, बिहार	07631616764 / 9304629826	samarpanbihar@rediffmail.com

जारी...

अनुबंध–4

राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की सूची

क्र. सं.	राज्य	समन्वयक और संगठन का नाम	फोन नंबर	ई–मेल
5	चंडीगढ़	श्री अनिल कुमार, समन्वयक, एसएनएसी मंदबुद्धि बच्चों के लिए क्षेत्रीय संस्थान, सेक्टर–31, चंडीगढ़	09803100924	drchavanbs@gmail.com
6	छत्तीसगढ़	सुश्री पी.आर. शिर्के, स्नेह संपदा विद्यालय, 32–बंग्लो चौक, सेक्टर–8, भिलाई नगर दुर्ग–490006	0788–2242853, 896479	snehsampada2007@rediffmail.com
7 एवं 8	गुजरात व दीव	श्री मिहिर जानी, समन्वयक, एसएनएसी ब्लाइंड पीपुल एसोसिएशन, (इंडिया), जगदीश पटेल चौक, सरदास मार्ग, वस्त्रपुर, अहमदाबाद–380015, गुजरात	9925144885	blinabad1@sancharnet.in mihirjgd@gmail.com

जारी...

राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की सूची

क्र. सं.	राज्य	समन्वयक और संगठन का नाम	फोन नंबर	ई–मेल
9	दिल्ली	स्मृति शंकर, समन्वयक, एसएनएसी, मुस्कान, सेक्टर–बी, पॉकेट–2, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070	011–41761873, 41761874 / 9868464945	muskaan32@gmail.com smritishankar@gmail.com
10	गोवा	सुश्री पासेसिंया रोड्रिग्ज ए कार्डजो, समन्वयक, एसएनएसी, संगठन, सोनावर्दो, राइया, सालसेट, गोवा आवासीय पता	9850478216	contactus@sangath.com
11	हिमाचल प्रदेश	श्री नरेंद्र गर्ग, समन्वयक, एसएनएसी सी–35, सेक्टर–2, नई शिमला, शिमला–171009	9805135765	udaanhp@gmail.com
12	हरियाणा	सुश्री गीता चतुर्वेदी, समन्वयक, एसएनएसी विश्वास, विजन फॉर हेल्थ वेल्फेयर एंड स्पेशल नीड्स, सेक्टर–46, आर्य समाज रोड, निकट यूनिटेक साइबर पार्क, गुड़गांव–122002 हरियाणा	9811060854	vishwas.nj.gmail.com

जारी...

अनुबंध–4

राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की सूची

क्र. सं.	राज्य	समन्वयक और संगठन का नाम	फोन नंबर	ई–मेल
13	झारखंड	श्री प्रमोद कुमार, समन्वयक, एसएनएसी दीपशिखा इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ, स्वामी श्रद्धानंद रोड, रांची–834001, झारखंड	09304544256	deepshikhainfo@ gmail.com
14	कर्नाटक	सुश्री तुलसी, समन्वयक, एसएनएसी सेवा–इन–एक्शन, रु 36, एस.टी. बेड लेआउट 1 मेन, कोरामंगला, बंगलौर	09538276934	sevainaction@ gmail.com
15	केरल	श्री आर वेणुगोपाल नैयर, समन्वयक, एसएनएसी आश्रय, पुलियि, किलिकोलूर–पोस्ट ऑफिस, कोलम, जिला, केरल–691 004	09446315656	ashrayapulliyil@ gmail.com

जारी...

राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की सूची

क्र. सं.	राज्य	समन्वयक और संगठन का नाम	फोन नंबर	ई–मेल
16	मध्य प्रदेश	श्री पंकज मारू, समन्वयक, एसएनएसी नागदा जेनिथ सोशल वेलफेयर सोसायटी, श्री राम कॉलोनी, सामुदायिक भवन के पीछे, नागदा जंक्शन–456335	7366–241565 / 9425195626	snehnagda@gmail.com
17	मणिपुर	सुश्री लइसराम टोकेंद्र रिकी रि–क्रिएशन, ए वालंटरी एजेंसी (स्फटिक सोसायटी ऑफ मणिपुर) इंफाल वेस्ट, मोइरांगखोम, सोंगईजाम लेइरक–795001	09862138446 / 09856148324	recreation_ava@rediffmail.com
18	मिजोरम	सुश्री लालधिनपुई, समन्वयक, एसएनएसी फाकलैंड वेंग, जेमबाबाक, आइजोल–796017, मिजोरम	9862320032 / 03892350019	Mz_4789@yahoo.com

जारी...

अनुबंध–4

राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की सूची

क्र. सं.	राज्य	समन्वयक और संगठन का नाम	फोन नंबर	ई–मेल
19	महाराष्ट्र	श्री विशाल कदम, समन्वयक, एसएनएसी आधिकारिक पता– सोपान ट्रस्ट, बी.एम.सी. स्कूल बिल्डिंग, नटवर नगर, रोड़ नं. 05, जोगेश्वरी (पू)	919702871969	sopantrust@ rediffmail.com snacmah@gmail.com
20	मेघालय	सुश्री बेलबोरा, समन्वयक, एसएनएसी मेघालय पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर डिसेबल्ड, ईस्ट खासी हिल्स, मुख्यालय विक्टोरिया वालांग, लोवर लौमीरे, टेम्पल रेाड, शिलांग, ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	9436103472	ameghalayaparents @yahoo.co.in

जारी...

अनुबंध–4

राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की सूची

क्र. सं.	राज्य	समन्वयक और संगठन का नाम	फोन नंबर	ई–मेल
21	नागालैंड	सुश्री मैरी लोथा, समन्वयक, एसएनएसी नागालैंड पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर डिसेबल्ड, एनएपीएडी आफिस, ए जी फार्मेसी के सामने पोस्ट बॉक्स 965, कोहिमा–797 001, नागालैंड	09436207709	napadngl2@gmail.com

अनुबंध–4

राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की सूची

क्र. सं.	राज्य	समन्वयक और संगठन का नाम	फोन नंबर	ई–मेल
21	नागालैंड	सुश्री मैरी लोथा, समन्वयक, एसएनएसी नागालैंड पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर डिसेबल्ड, एनएपीएडी आफिस, ए जी फार्मेसी के सामने पोस्ट बॉक्स 965, कोहिमा–797 001, नागालैंड	09436207709	napadngl2@gmail.com
22	ओडिशा	सुश्री नलिनि मोहंती, समन्वयक, एसएनएसी एन2/41, आइआरसी गांव, नयापल्ली, भुवनेश्वर	919437142221	ihsbbsr@gmail.com snacodisha@gmail.com
23	पंजाब	श्री जगदीश चंद्र शर्मा, सेंट फ्रांसिस होम, झंडेवाल, पोस्ट ऑफिस, डलहौजी रोड, पठानकोट	9779799465	st.francishomepkt@gmail.com

जारी...

अनुबंध–4

राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की सूची

क्र. सं.	राज्य	समन्वयक और संगठन का नाम	फोन नंबर	ई–मेल
24	पुडुचेरी	सुश्री ए. नथैया, समन्वयक, एसएनएसी बेबी सारा होम, 07, राजगणपति नगर, कायनथोपी, अरियाकुपम, पुडुचेरी–605007	9787754220	babysarahs@ rediffmail.com
25	राजस्थान	सुश्री अंजू सोनी, समन्वयक, एसएनएसी 3/4 कबीर एवेन्यू, एसएफएस मानसरोवर, जयपुर राजस्थान	9314378093	umangjaipur@ gmail.com
26	सिक्किम	श्री राम प्रसाद धकाल, समन्वयक, एसएनएसी स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ सिक्किम, जीवन थिंग मार्ग, डेवलपमेंट एरिया, गंगटोक–737101, सिक्किम	96478–58218	skm_spastics@ yahoo.co.in

जारी...

राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की सूची

क्र. सं.	राज्य	समन्वयक और संगठन का नाम	फोन नंबर	ई–मेल
27	त्रिपुरा	सुश्री सुश्मिता डे, समन्वयक, एसएनएसी अभय मिशन, रामनगर, रोड नं. 1, पोस्ट ऑफिस–रामनगर, अगरतला, त्रिपुरा–799002.	09862182776	abhoymission@rediffmail.com
28	तमिलनाडु	श्री जनकिरमन, समन्वयक, एसएनएसी द स्पास्टिक्स सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु सीएसआइआर, तारामणि, चेन्नई–600113	09952935763	spastn@dataone.in
29	उत्तराखंड	सुश्री मनिंदर कौर, समन्वयक, एसएनएसी राफेल, राडीर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर, पोस्ट बॉक्स 157, देहरादून–248001, उत्तराखंड	9760055663	snacuttarakhand@gmail.com

जारी...

अनुबंध–4

राष्ट्रीय न्यास के राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की सूची

क्र. सं.	राज्य	समन्वयक और संगठन का नाम	फोन नंबर	ई–मेल
30	उत्तर प्रदेश	श्री सिद्धार्थ दुबे, समन्वयक, एसएनएसी चेतना, सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ–226024 उत्तर प्रदेश स्थायी पता– गांव व पोस्ट बिजौली, जिला–इटावा, उ.प्र.–206124	09369224981 / 09473871798	chetna_sansthan2007 @rediffmail.com
31	पश्चिम बंगाल	सुश्री सोनाली नंदी, समन्वयक, एसएनएसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी पी–35 / 1, तारताला रोड कोलकाता–700 088	09831057152	sonalin31@gmail.com

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां राज्य स्तर पर समन्वय समिति (एसएलसीसी) गठित है, की सूची

क्र. सं.	राज्य	गठित एसएलसीसी
1	आंध्र प्रदेश	हां
2	असम	हां
3	बिहार	हां
4	दिल्ली	हां
5	गुजरात	हां
6	हरियाणा	हां
7	हिमाचल प्रदेश	हां
8	झारखंड	हां
9	केरल	हां
10	कर्नाटक	हां
11	मध्य प्रदेश	हां
12	मेघालय	हां
13	मणिपुर	हां
14	मिजोरम	हां

जारी...

अनुबंध–5

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां राज्य स्तर पर समन्वय समिति (एसएलसीसी) गठित है, की सूची

क्र. सं.	राज्य	गठित एसएलसीसी
15	नागालैंड	हां
16	ओडिशा	हां
17	पंजाब	हां
18	राजस्थान	हां
19	सिक्किम	हां
20	तमिलनाडु	हां
21	त्रिपुरा	हां
22	उत्तराखंड	हां
23	उत्तर प्रदेश	हां
24	पश्चिम बंगाल	हां
	केन्द्र शासित क्षेत्र	
25	चंडीगढ़	हां
26	पुडुचेरी	हां

अनुबंध–6

एडिप स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2014–15 के दौरान कार्यान्वयन अभिकरणों/राष्ट्रीय संस्थानों/एलिमको को निधियां जारी करने को दर्शाने वाला विवरण (15.02.2015 तक)

क्र. सं.	अभिकरण के प्रकार	अभिकरणों की संख्या	जारी धनराशि (लाख रूपए में)
1	एनजीओ/आईआरसीएस/डीडीआरसी	33	835.60
2	राज्य सरकार के कार्पोरेशन	2	140.00
3	राष्ट्रीय संस्थान/कंपोजिट रीजनल सेंटर	7	1598.16
4	एलिम्को	1	6813.40
	योग	**43**	**9387.16**

अनुबंध–7

वर्ष 2014–15 के दौरान, (15.02.2015 तक) विकलांग व्यक्तियों को यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता योजना के अंतर्गत शिविर गतिविधियों के लिए एनजीओ/डीडीआरसी/राज्य सरकार/आईआरसीएस को अनुदान सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय आवंटन (लाख रू. में)	जारी राशि (लाख रू. में)	सहायता दिए गए एनजीओ की संख्या	सहायता दी गई परियोजनाएं
1	आंध्र प्रदेश	265.00	–	–	–
2	बिहार	450.00	–	–	–
3	छत्तीसगढ़	120.00	–	–	–
4	गोवा	8.00	–	–	–
5	गुजरात	215.00	87.30	8	8
6	हरियाणा	105.00	–		0
7	हिमाचल प्रदेश	35.00	6.50	2	2
8	जम्मू और कश्मीर	70.00	–	–	–
9	झारखंड	150.00	5.25	1	1
10	कर्नाटक	250.00	–	–	

जारी...

अनुबंध–7

वर्ष 2014–15 के दौरान, (15.02.2015 तक) विकलांग व्यक्तियों को यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता योजना के अंतर्गत शिविर गतिविधियों के लिए एनजीओ/डीडीआरसी/राज्य सरकार/आईआरसीएस को अनुदान सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय आवंटन (लाख रू. में)	जारी राशि (लाख रू. में)	सहायता दिए गए एनजीओ की संख्या	सहायता दी गई परियोजनाएं
11	केरल	150.00	90.00	1	1
12	मध्य प्रदेश	300.00	38.00	4	4
13	महाराष्ट्र	550.00	23.15	2	2
14	ओडिशा	240.00	–	–	–
15	पंजाब	120.00	–	–	–
16	राजस्थान	300.00	148.00	1	1
17	तमिलनाडु	230.00	–	–	–
18	उत्तर प्रदेश	810.00	52.33	5	5
19	उत्तराखंड	40.00	–	–	
20	पश्चिम बंगाल	390.00	26.64	3	3

जारी...

अनुबंध–7

वर्ष 2014–15 के दौरान, (15.02.2015 तक) विकलांग व्यक्तियों को यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता योजना के अंतर्गत शिविर गतिविधियों के लिए एनजीओ/डीडीआरसी/राज्य सरकार/आईआरसीएस को अनुदान सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय आबंटन (लाख रू. में)	जारी राशि (लाख रू. में)	सहायता दिए गए एनजीओ की संख्या	सहायता दी गई परियोजनाएं
21	अंडमान एवं निकोबार	8.00	–	–	–
22	चंडीगढ़	4.00	–	–	–
23	दादर एवं नागर हवेली	4.00	4.50	1	1
24	दमन और दीव	6.00	–	–	
25	दिल्ली	50.00	11.25	1	1
26	लक्षद्वीप	5.00	–	–	–
27	पुडुचेरी	10.00	–	–	–
28	अरुणाचल प्रदेश	35.00	–	–	–
29	असम	620.00	22.50	1	1

जारी...

वर्ष 2014–15 के दौरान, (15.02.2015 तक) विकलांग व्यक्तियों को यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता योजना के अंतर्गत शिविर गतिविधियों के लिए एनजीओ/डीडीआरसी/राज्य सरकार/आईआरसीएस को अनुदान सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय आबंटन (लाख रू. में)	जारी राशि (लाख रू. में)	सहायता दिए गए एनजीओ की संख्या	सहायता दी गई परियोजनाएं
30	मणिपुर	70.00	–	–	–
31	मेघालय	57.00	–	–	–
32	मिजोरम	24.00	–	–	–
33	नागालैंड	40.00	18.35	2	2
34	सिक्किम	21.00	14.66	1	1
35	त्रिपुरा	83.00	–	–	–
36	तेलंगाना	165.00	–	–	–
	योग	**6000.00**	**548.43**	**33**	**33**

अनुबंध–8

वर्ष 2014–15 के दौरान, एडिप योजना के अंतर्गत एनजीओ/राज्य कार्पोरेशन/डीडीआरसी/आईआरसीएस को शिविर गतिविधियों हेतु सहायता अनुदान के एजेंसी–वार ब्यौरे (15.02.2015 तक)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	जिलों के नाम	जारी राशि
1	मध्य प्रदेश	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, (डीडीआरसी), जबलपुर, सेठ गोविंददास (विक्टोरिया) जिला अस्पताल कैंपस, पुरानी एक्सरे बिल्डिंग जबलपुर, मध्य प्रदेश	जबलपुर	6.00
		जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र, जिला अस्पताल कैंपस, सनवाद रोड, खरगोन मध्य प्रदेश–451001	खरगोन	5.00
		इंडियन रेड क्रास सोसायटी, (डीडीआरसी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रमुख दमोह, मध्य प्रदेश–470661	दमोह	15.00
		जिला पुनर्वास केंद्र, पोस्ट बॉक्स संख्या 36, कल्याणपुरा रोड, रंगपुरा जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश–457661	झाबुआ	12.00
		योग		**38.00**

जारी...

अनुबंध–8

वर्ष 2014–15 के दौरान, एडिप योजना के अंतर्गत एनजीओ/राज्य कार्पोरेशन/डीडीआरसी/आईआरसीएस को शिविर गतिविधियों हेतु सहायता अनुदान के एजेंसी–वार ब्यौरे (15.02.2015 तक)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	जिलों के नाम	जारी राशि
2	**केरल**	केरल राज्य विकलांग जन कल्याण कारपोरेशन लिमिटेड पुजापुरा, तिरूवनंतपुरम–695012, तिरूवनंतपुरम, केरल	तिरूवनंतपुरम	
			मलप्पुरम	
			कोल्लम	
			कोझीकोड	
			एर्नाकुलम	
			त्रिशूर	
			पलक्कड़	90.00
			अलाप्पुझा	
			कन्नूर	
			कोट्टायम	
			इडुक्की	
			पथानामथिट्टा,	
			कासरगोड	
			वायनाड	
		योग		**90.00**

जारी...

अनुबंध–8

वर्ष 2014–15 के दौरान, एडिप योजना के अंतर्गत एनजीओ / राज्य कार्पोरेशन / डीडीआरसी / आईआरसीएस को शिविर गतिविधियों हेतु सहायता अनुदान के एजेंसी–वार ब्यौरे (15.02.2015 तक)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	जिलों के नाम	जारी राशि
3	राजस्थान	नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, 483–सेक्टर–4 हिरेन मागरी, उदयपुर, पिन कोड – 313002, राजस्थान	अलवर	
			डूंगरपुर	
			हनुमानगढ	
			झुनझुनू	
			जालौर	
			बाडमेर	
			पाली	148.00
			नागौर	
			चित्तौड़गढ़	
			सिरोही	
			टोंक	
			चुरू	
			भरतपुर	
			बांरा	
		योग		**148.00**

जारी...

अनुबंध–8

वर्ष 2014–15 के दौरान, एडिप योजना के अंतर्गत एनजीओ/राज्य कार्पोरेशन/डीडीआरसी/आईआरसीएस को शिविर गतिविधियों हेतु सहायता अनुदान के एजेंसी–वार ब्यौरे (15.02.2015 तक)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	जिलों के नाम	जारी राशि
4	**गुजरात**	वी–वन सोसायटी, भूमिजा कॉम्पलेक्स, बीएमसी प्राइमरी स्कूल नं. 6 के निकट, रेड चर्च के सामने, बड़ौदा–39002	नर्मदा	4.00
			छोटाउदरपुर	
		जय श्री मारुति नंदन किसान विकास ट्रस्ट, गुजरात	दाहोद	10.50
			पंचमहल	
			वडोदरा	
		मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, के जी पटेल चिल्ड्रन अस्पताल, जालाराम मार्ग, वड़ोदरा–3900018 (गुजरात)	आनंद	12.30
			भरूच	
			पोरबंदर	
			राजकोट	
			पंचमहल	
			कच्छ	
		जिला विकलांगता रिहेब्लिटेशन सेंटर, वडोदरा, निकट सीएसएस विभाग, डिपार्टमेंट, एसएसजी अस्पताल, वडोदरा पिन कोड–390001	वडोदरा	10.00

जारी...

अनुबंध–8

वर्ष 2014–15 के दौरान, एडिप योजना के अंतर्गत एनजीओ/राज्य कार्पोरेशन/डीडीआरसी/आईआरसीएस को शिविर गतिविधियों हेतु सहायता अनुदान के एजेंसी–वार ब्यौरे (15.02.2015 तक)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	जिलों के नाम	जारी राशि
		श्रीमद् राजचंद्र अस्पताल, धरमपुर, वालसाड, गुजरात, पिन कोड–396050	नवसारी	3.00
		जिला विकलांगता रिहैबलिटेशन सेंटर, अहमदाबाद, गुजरात	अहमदाबाद	10.00
		ब्लाइंड वेलफेयर कांउसिल, मांडव रोड, पंचमुखी हनुमान मंदिर, पी.ओ. बॉक्स नं. 115 दाहोद–389151	दाहोद	7.50
			पंचमहल	
		श्री ब्रह्मा समाज सेवा ट्रस्ट, 402, सपना अपार्टमेंट, आदर्श उच्च विद्यालय रोड के पास, निकट एसटी स्टैंड, पाटन–384265	बनासकांठा	30.00
			पाटन	
			सुरेंद्र नगर	
			मेहसाना	
			कच्छ	
			साबरकांठा	
		योग		**87.30**

जारी...

अनुबंध–8

वर्ष 2014–15 के दौरान, एडिप योजना के अंतर्गत एनजीओ / राज्य कार्पोरेशन / डीडीआरसी / आईआरसीएस को शिविर गतिविधियों हेतु सहायता अनुदान के एजेंसी–वार ब्यौरे (15.02.2015 तक)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	जिलों के नाम	जारी राशि
5	**हिमाचल प्रदेश**	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, सोलन उपायुक्त कार्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश – पिन कोड–173212	सोलन	1.50
		इंडियन रेड क्रास सोसायटी, जिला शाखा, मंडी जिला शाखा, मंडी, हिमाचल प्रदेश–पिन कोड–175001	मंडी	5.00
		योग		**6.50**
6	**दिल्ली**	अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट, (रजि.) कड़कड़डूमा, विकास मार्ग, दिल्ली–110092	पूर्वी दिल्ली	11.25
			उत्तर पूर्वी दिल्ली	
			दक्षिण दिल्ली	
			दक्षिण पश्चिम दिल्ली	
		योग		**11.25**

जारी...

अनुबंध–8

वर्ष 2014–15 के दौरान, एडिप योजना के अंतर्गत एनजीओ / राज्य कार्पोरेशन / डीडीआरसी / आईआरसीएस को शिविर गतिविधियों हेतु सहायता अनुदान के एजेंसी–वार ब्यौरे (15.02.2015 तक)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	जिलों के नाम	जारी राशि
7	उत्तर प्रदेश	कल्याणम करोति, कल्याण धाम, मसानी–दिल्ली लिंक रोड, सरस्वती कुंड, मथुरा, उ.प्र.	मथुरा	16.50
			झांसी	
		प्रभात ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, ग्राम व पोस्ट रेवती, तहसील आंवला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश–243001	बरेली	12.00
		डीडीआरसी रामपुर, गांव मधुपुरी, पोस्ट डिगोई, तहसील ओला, जिला बरेली, उ.प्र.	रामपुर	12.00
		रावत शिक्षा समिति, चावर गेट, जलेशर, अदा हाथरस, महामाया नगर उ.प्र.	हाथरस	5.00
		सरस्वती एजुकेशनल सोसायटी, हरथला, सोनकपुर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	6.83
		योग		**52.33**

जारी...

अनुबंध–8

वर्ष 2014–15 के दौरान, एडिप योजना के अंतर्गत एनजीओ / राज्य कार्पोरेशन / डीडीआरसी / आईआरसीएस को शिविर गतिविधियों हेतु सहायता अनुदान के एजेंसी–वार ब्यौरे (15.02.2015 तक)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	जिलों के नाम	जारी राशि
8	दादर व नगर हवेली	सचिव, इंडियन रेड क्रास सोसायटी (डीडीआरसी), रेड क्रास हाउस, एस.टी. बस स्टैंड के सामने, सिलवासा, दादरा व नगर हवेली	सिलवासा	4.50
		योग		**4.50**
9	झारखंड	मुक्ति संस्थान, अल्बर कंपाउंड, पुरुलिया रोड, रांची 83400, झारखंड	कोडरमा	5.25
			गोड्डा	
		योग		**5.25**
10	पश्चिम बंगाल	बिक्रम नगर उद्यान संघ–गांव बिक्रमनगर, पोस्ट हेरिया, जिला पूर्वी मेदिनपुर पिन–721430	पूर्वा मेदिनीपुर	20.04
		हावड़ा ग्रीन वर्ल्ड, इच्छापुर एचआइटी रोड, कमरदंगा (बालीगोला) हावड़ा–711104, पश्चिम बंगाल	हावड़ा	1.75
		विकास भारतीय वेलफेयर सोसायटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	हुगली	4.85
		योग		**26.64**

जारी...

अनुबंध–8

वर्ष 2014–15 के दौरान, एडिप योजना के अंतर्गत एनजीओ / राज्य कार्पोरेशन / डीडीआरसी / आईआरसीएस को शिविर गतिविधियों हेतु सहायता अनुदान के एजेंसी–वार ब्यौरे (15.02.2015 तक)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	जिलों के नाम	जारी राशि
11	**महाराष्ट्र**	अपंग जीवन विकास संस्था, अमरावती, महाराष्ट्र–444606	अमरावती	13.15
		अयोध्या चेरीटेबल ट्रस्ट, पुणे, महाराष्ट्र	पुणे	10.00
		योग		**23.15**
पूर्वोत्तर राज्य				
12	**असम**	छात्र कल्याण मिशन पोस्ट ऑफिस पाठशाला जिला बरपेटा, असम, पिन कोड–781325	बारपेटा	22.50
		योग		**22.50**
13	**सिक्किम**	जिला विकलांगता रिहेब्लिटेशन सेंटर (डीडीआरसी) एसटीएनएम अस्पताल आर्थोपेडिक विभाग, गंगटोक, सिक्किम सरकार–737101	गंगटोक	14.66
		योग		**14.66**

जारी...

वर्ष 2014–15 के दौरान, एडिप योजना के अंतर्गत एनजीओ/राज्य कार्पोरेशन/डीडीआरसी/आईआरसीएस को शिविर गतिविधियों हेतु सहायता अनुदान के एजेंसी–वार ब्यौरे (15.02.2015 तक)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	जिलों के नाम	जारी राशि
14	**नागालैंड**	चेरी ब्लोसमस सोसायटी, लेरी दगजो, कोहिमा, नागालैंड, पिन कोड–797001	फेक	11.75
			वोखा	
			मोकोचुंग	
			जुनेभोटो	
			दीमापुर	
			कोहिमा	
			मान	
			तुएनसांग	
		यांके बहुउद्देश्यीय कल्याण सोसायटी, हाउस नं. 224, डंकन बोस्ती, दीमापुर, नागालैंड–797112	कोहिमा	6.60
			दीमापुर	
			वोखा	
			तुएनसांग	
			फेक	
			जुनेभोटो	
		योग		**18.35**
		कुल योग		**543.93**

अनुबंध–9

2014–15 के लिए एनआईएस/सीआरसी/एलिमको की कैंप गतिविधियों के लिए जारी निधि का राज्यवार विवरण (15.2.2015 तक)

क्र. स.	संगठन का नाम	कैंप गतिविधियों के लिए जारी निधि (लाख रू. में)	राज्य जिनके लिए जारी की गई निधि
1	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, उत्तराखंड, उत्तराखंड	100.00	अखिल भारतीय
2	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेब्लिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च ओलाटपुर, पोस्ट ऑफिस बैरोई कटक एनआईआरटीआरएआर	83.00	ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार/उत्तरी पूर्वी क्षेत्र
3	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड (एनआईएमएच), मानव विकास नगर, पोस्ट ऑफिस, सिकंदराबाद	40.15	अखिल भारतीय
4	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी (एनआईइपीएमडी), चेन्नै	162.50	अखिल भारतीय

जारी...

अनुबंध–9

2014–15 के लिए एनआईएस/सीआरसी/एलिमको की कैंप गतिविधियों के लिए जारी निधि का राज्यवार विवरण (15.2.2015 तक)

क्र. स.	संगठन का नाम	कैंप गतिविधियों के लिए जारी निधि (लाख रू. में)	राज्य जिनके लिए जारी की गई निधि
5	पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड, दिल्ली	215.00	अखिल भारतीय
6	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, बी.टी. रोड, बोन–हुगली, कोलकाता–700090	100.00	अखिल भारतीय
7	अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड, के.सी. मार्ग, बांद्रा रीक्लेमेशन, मुंबई–400050	100.00	अखिल भारतीय
8	आर्टिफिशियल लिंब मैनुफैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलिमको) उत्तर प्रदेश	200.00	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र
	योग	**1000.65**	

अनुबंध–10

एडिप स्कीम के तहत (15.02.2015 तक) 2014–15 के दौरान, एनजीओएस/डीडीआरसीएस मुख्यालय गतिविधियों के लिए जारी निधि

(क) 2014–15 के दौरान एडिप स्कीम के तहत मुख्यालय गतिविधियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुसंशित कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए जारी निधि			
क्र. सं.	राज्य	कार्यदायी अभिकरण का नाम	राशि (लाख रू. में)
1	केरल	नेशनल इंस्टीट्यूट फार स्पीच एंड हियरिंग, (एनआईएसएच) करीमनल, त्रिवेंद्रम, केरल	50.00
2	पश्चिम बंगाल	ग्रीन वर्ल्ड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	2.50
3	राजस्थान	नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	300.00
4	दिल्ली	अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट, कड़कड़डूमा, विकास मार्ग–110092	11.25
		इंडियन स्पाइनल इंजरी, दिल्ली	30.00
5	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संस्थान अमरावती, महाराष्ट्र	11.85
6	गुजरात	मेडिकल केयर सेंटर, वड़ोदरा, गुजरात	3.75
		श्रीमद रादचंद्र अस्पताल, गुजरात	0.75
7	उत्तर प्रदेश	सरस्वती एजुकेशन सोसायटी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	3.12

जारी...

एडिप स्कीम के तहत (15.02.2015 तक) 2014–15 के दौरान, एनजीओएस/डीडीआरसीएस मुख्यालय गतिविधियों के लिए जारी निधि

क्र. सं.	राज्य	कार्यदायी अभिकरण का नाम	राशि (लाख रू. में)
8	दादरा व नगर हवेली	आइआरसीएस, सिलवासा	3.75
9	पंजाब	डीडीआरसी (इंडियन रेड क्रास सोसायटी) पंजाब	10.20
		उप योग (अ)	**427.17**
		(ब) 2014–15 के दौरान एनआईएस/सीआरसी/एलिमको की मुख्यालय गतिविधियों के लिए जारी निधि का राज्यवार विवरण	
1	उत्तराखंड	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, 116, राजपुर रोड, देहरादून–248001	400.00
2	दिल्ली	पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजीकली हैंडीकैप्ड, 4, विष्णु दिगंबर मार्ग, नई दिल्ली	60.00
3	पश्चिम बंगाल	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, बी.टी. रोड, बोन–हुगली, कोलकाता–700090	50.00
4	ओडिशा	स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेब्लिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च (एसवीएनआईआरटीएआर)	150.00

जारी...

अनुबंध–10

एडिप स्कीम के तहत (15.02.2015 तक) 2014–15 के दौरान, एनजीओएस/डीडीआरसीएस मुख्यालय गतिविधियों के लिए जारी निधि

क्र. सं.	राज्य	कार्यदायी अभिकरण का नाम	राशि (लाख रू. में)
5	तमिलनाडु	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरमेंट ऑफ परसंस विद मल्टीपल डिसेबिलिटी (एनआईइपीएमडी), तमिलनाडु	37.50
6	महाराष्ट्र	अली यार जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड, के.सी. मार्ग, बांद्रा, मुंबई–400050	100.00
7	उत्तर प्रदेश	आर्टिफिशियल लिंब मैनुफैक्चीरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलीमको) उत्तर प्रदेश	1900.00
		उप योग (ब)	**2697.50**
		योग (अ+ब)	**3124.67**

अनुबंध–11

2014–15 के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत आयोजित विशेष कैंप (15.02.2015 तक)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विशेष कैंप का नाम	जारी राशि (लाख रू. में)
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	85.84
2	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	47.21
3	आंध्र प्रदेश	अनाकपल्ली	60.00
4	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	17.41
5	असम	मांगलोदोई	40.56
6	बिहार	सीतामढ़ी सदर, पुपती, सुरखंडी, छरोत, बाथर्थ मेजरगंज और नानपुर, सीतामढ़ी (बिहार)	19.03
7	बिहार	पालिगंग व विक्रम पटना	29.77
8	छत्तीसगढ़	रायपुर	89.52
9	छत्तीसगढ़	राजनांदगांव	36.12
10	गुजरात	सूरत	76.69
11	झारखंड	रांची	
12	झारखंड	गुमला	55.94
13	झारखंड	बिश्नूपुर	

जारी...

अनुबंध–11

2014–15 के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत आयोजित विशेष कैंप (15.02.2015 तक)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विशेष कैंप का नाम	जारी राशि (लाख रू. में)
14	झारखंड	लोहरदगा	10.48
15	मध्य प्रदेश	शाजापुर, शुजालपुर	111.07
16	मध्य प्रदेश	उज्जैन व नागदा	
17	मध्य प्रदेश	छतरपुर	11.2
18	मध्य प्रदेश	देवास	15.05
19	मध्य प्रदेश	खंडवा	75.89
20	पंजाब	जिरकपुर, (मोहाली) एसएएस नगर, पंजाब	41.20
21	हरियाणा	फरीदाबाद	125
22	हरियाणा	पलवल	
23	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	96.5
24	उत्तर प्रदेश	बरकेदा, पीलीभीत	32.54
25	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	100.38
26	उत्तर प्रदेश	बहेड़ी, बरेली	35.81
27	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	129.74

जारी...

2014–15 के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत आयोजित विशेष कैंप (15.02.2015 तक)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विशेष कैंप का नाम	जारी राशि (लाख रू. में)
28	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	61.06
29	उत्तर प्रदेश	फेना, बलिया,	25.08
30	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी, बेबोरल, मुंडेई यूपी	12.53
31	उत्तर प्रदेश	फरूखाबाद	112.05
32	उत्तर प्रदेश	भदोही	29.12
33	उत्तर प्रदेश	अकबरपुर, कानपुर देहात	40.83
34	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	85.06
		योग	**1708.68**

अनुबंध–12

2014–15 के दौरान दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान के ब्यौरे (28.02.2015 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
	आंध्र प्रदेश				
1	अंजली इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहेब्लिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड एंड अदर डिसेबल्डड	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	237408
2	अन्नाम्मा स्कूल फॉर द हियरिंग एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड बेबी केयर सेंटर	श्रवण बाधित व अस्थि विकलांगों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2013–14	1082313
3	अन्नाम्मा स्कूल फॉर द हियरिंग एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड बेबी केयर सेंटर	श्रवण बाधित व अस्थि विकलांगों के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2013–14	360771
4	अन्नाम्मा स्कूल फॉर द हियरिंग एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड बेबी केयर सेंटर	श्रवण बाधित व अस्थि विकलांगों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014–15	865850

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
5	बैकवर्ड एरिया रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	एमआर बच्चो के लिए विशेष आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	330130
6	बैकवर्ड एरिया रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	एमआर बच्चो के लिए विशेष आवासीय विद्यालय	प्रथम	2013–14	1072440
7	केयर लैंड	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	1094797
8	केयर लैंड	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	1678958
9	चैतन्य डिसेबल वेलफेयर सोसायटी	एमआर व सीपी के लिए आवासीय व डे केयर ट्रेनिंग सेंटर	द्वितीय और अंतिम	2013–14	222047
10	चैतन्य इंस्टीट्यूट फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड्	एमआर व डीफ के लिए विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1769359
11	चैतन्य महिला मंडली	डीफ के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	418474
12	दर्शिनी हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसायटी	ओएच के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	707618
13	इमाकुलेट हर्ट ऑफ मैरी सोसायटी	डीफ के लिए विशेष आवासीय विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	415458
14	इमाकुलेट हर्ट ऑफ मैरी सोसायटी	डीफ के लिए विशेष आवासीय विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1158465
15	जे एंड जे करूणोदय इंस्टीट्यूट फार एमआर	एमआर के लिए वीटीसी व विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	194040
16	कला सोशल वेलफेयर सोसायटी	नेत्रहीनों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	262637

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
17	कल्याणी रूरल रिहेब्लिटेशन एंड एजुकेशन सोसायटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल और वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2012–13	444476
18	कल्याणी रूरल रिहेब्लिटेशन एंड एजुकेशन सोसायटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल और वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2013–14	912695
19	लक्ष्मी महिला मंडली	पीएच के लिए वीटीसी व रिहेब्लिटेशन	द्वितीय और अंतिम	2013–14	163580
20	लीमा डीफ एंड मेंटली हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन	एमएच व डीफ के लिए आवासीय दिवा केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2012–13	208932
21	मानसिक विकास केंद्र	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	द्वितीय	2012–13	202959
22	मानसिक विकास केंद्र	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	प्रथम	2013–14	380182
23	मानसिक विकास केंद्र	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	तीसरा व अंतिम	2012–13	111979
24	मानसिक विकास केंद्र	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	द्वितीय और अंतिम	2013–14	380183
25	मानसिक विकास केंद्र	सर्वे, इडेन, अवर, ईआइएचबी ट्रेनिंग प्रोग्राम	द्वितीय और अंतिम	2012–13	946598
26	मानसिक विकास केंद्र	सर्वे, इडेन, अवर, ईआइएचबी ट्रेनिंग प्रोग्राम	प्रथम	2013–14	1167537

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
27	मानसिक विकास केंद्र	सर्वे, इडेन, अवर, ईआइएचबी ट्रेनिंग प्रोग्राम	बकाया	2012–13	204604
28	मानसिक विकास केंद्र	सर्वे, इडेन, अवर, ईआइएचबी ट्रेनिंग प्रोग्राम	द्वितीय और अंतिम	2013–14	1167537
29	मानसिक विकास केंद्र	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (खम्माम)	द्वितीय	2012–13	280335
30	मानसिक विकास केंद्र	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (खम्माम)	प्रथम	2013–14	534840
31	मानसिक विकास केंद्र	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (खम्माम)	तीसरा व अंतिम	2012–13	295671
32	मानसिक विकास केंद्र	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (खम्माम)	द्वितीय और अंतिम	2013–14	534840
33	मानसिक विकास केंद्र	प्री स्कूल सह पैरेंट काउंसलिंग	द्वितीय	2012–13	274238
34	मानसिक विकास केंद्र	प्री स्कूल सह पैरेंट काउंसलिंग	प्रथम	2013–14	525900
35	मानसिक विकास केंद्र	प्री स्कूल सह पैरेंट काउंसलिंग	तीसरा व अंतिम	2012–13	200925
36	मानसिक विकास केंद्र	प्री स्कूल सह पैरेंट काउंसलिंग	द्वितीय और अंतिम	2013–14	432559
37	मानसिक विकास केंद्र	एमआर के लिए केंद्र (विजयवाड़ा)	प्रथम	2012–13	144000

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
38	मानसिक विकास केंद्रम	एमआर के लिए केंद्र (विजयवाड़ा)	द्वितीय और अंतिम	2012–13	790460
39	मनोचेतना	एमआर व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	1011926
40	मनोचेतना	एमआर व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	758944
41	मदर टेरेसा स्कूल फॉर द ब्लाइंड	वीएच के लिए स्कूल	पूर्ण और अंतिम	2012–13	346696
42	मदर टेरेसा स्कूल फॉर द ब्लाइंड	वीएच के लिए स्कूल	पूर्ण और अंतिम	2013–14	494949
43	बधिरों के लिए ओमकार लायंस एजुकेशन सोसायटी	बधिरों के लिए विशेष विद्यालय व घर	पूर्ण और अंतिम	2012–13	706125
44	पावनी इंस्टीट्यूट फॉर मल्टीपल हैंडीकैप्ड एंड स्पेसटिक्स	एमआर व डीफ के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	146340
45	प्रगति चैरिटीज	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (आवासीय)	द्वितीय और अंतिम	2012–13	1013295
46	प्रगति चैरिटीज	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (आवासीय)	पूर्ण और अंतिम	2013–14	2012716
47	प्रगति चैरिटीज	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (आवासीय)	प्रथम	2014–15	1207629
48	प्रगति चैरिटीज	एचएच के लिए विद्यालय (आवासीय)	द्वितीय और अंतिम	2012–13	1149488
49	प्रगति चैरिटीज	एचएच के लिए विद्यालय (आवासीय)	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1898820

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
50	प्रगति चैरिटीज	एचएच के लिए विद्यालय (आवासीय)	प्रथम	2014–15	681293
51	प्रियदर्शिनी सर्विस ऑर्गनाइजेशन	विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2012–13	1779421
52	प्रियदर्शिनी सर्विस ऑर्गनाइजेशन	विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय सह वीटीसी	प्रथम	2013–14	3666711
53	प्रियदर्शिनी सर्विस ऑर्गनाइजेशन	विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	3666712
54	राष्ट्रीय सेवा समिति	सहायाग्राम में विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	169680
55	राष्ट्रीय सेवा समिति	सहायाग्राम में विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	595125
56	राष्ट्रीय सेवा समिति	सहायाग्राम में विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	127725
57	राष्ट्रीय सेवा समिति	एमआर बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	770765
58	राष्ट्रीय सेवा समिति	तिरूपति व चित्तूर में एमआर के लिए दिवसीय देखभाल केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2012–13	291121

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
59	राष्ट्रीय सेवा समिति	तिरूपति व चित्तूर में एमआर के लिए दिवसीय देखभाल केंद्र	प्रथम	2013–14	1251991
60	रविर्चेला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसायटी	एलसीपी के लिए रिहेब्लिटेशन सेंटर	द्वितीय और अंतिम	2012–13	217185
61	रविर्चेला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसायटी	एलसीपी के लिए रिहेब्लिटेशन सेंटर	प्रथम	2013–14	399218
62	रविर्चेला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसायटी	एलसीपी के लिए रिहेब्लिटेशन सेंटर	द्वितीय और अंतिम	2013–14	133072
63	रूरल इंडिया मेडिकल एंड रिलीफ सोसायटी	एमएच के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	771393
64	एस.के.आर. पीपुल्स वेलफेयर सोसायटी	डीफ के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	72284
65	सबीथा एजुकेशनल सोसायटी	मानसिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	159963
66	सिरी इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड	एमआर बच्चों के लिए दिवसीय देखभाल केंद्र	प्रथम	2013–14	2032870
67	सिरिसा रिहेब्लिटेशन सेंटर	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	291356

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
68	सोशल एसोसिएशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट	दृष्टिहीनों, बधिर एवं मूक तथा एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	193963
69	सोसायटी फॉर एजुकेशन ऑफ दि डीफ एवं ब्लाईंड	बधिर के लिए स्कूल व हॉस्टल	प्रथम	2013–14	1822095
70	सेंट अन्नस सोशल सोसायटी द्वारा संचालित सेंट अन्नस मनोविकास केंद्र	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय (करनूल)	द्वितीय और अंतिम	2012–13	740817
71	सेंट अन्नस सोशल सोसायटी द्वारा संचालित सेंट अन्नस मनोविकास केंद्र	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय (करनूल)	प्रथम	2013–14	1265950
72	सेंट अन्नस सोशल सोसायटी द्वारा संचालित सेंट अन्नस मनोविकास केंद्र	एमआर के लिए एकीकृत विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	838374
73	सेंट अन्नस सोशल सोसायटी द्वारा संचालित सेंट अन्नस मनोविकास केंद्र	एमआर के लिए एकीकृत विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	1530441
74	एमएच के कल्याण के लिए सूर्य किरण पैरेंट एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (मकेरला)	प्रथम	2013–14	1090776
75	एमएच के कल्याण के लिए सूर्य किरण पैरेंट एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (मकेरला)	द्वितीय और अंतिम	2013–14	363594

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
76	एमएच के कल्याण के लिए सूर्य किरण पैरेंट एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (करमपुदी)	प्रथम	2013–14	646504
77	एमएच के कल्याण के लिए सूर्य किरण पैरेंट एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (करमपुदी)	द्वितीय और अंतिम	2013–14	215501
78	एमएच के कल्याण के लिए सूर्य किरण पैरेंट एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (पिदुगुराला)	प्रथम	2013–14	496046
79	एमएच के कल्याण के लिए सूर्य किरण पैरेंट एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (पिदुगुराला)	द्वितीय और अंतिम	2013–14	165349
80	एमएच के कल्याण के लिए सूर्य किरण पैरेंट एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (नलगोंडा)	प्रथम	2013–14	897870
81	द रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	225169
82	द रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	604062
83	उमा शैक्षिक व तकनीकी सोसायटी (उमा मनोविकास केंद्रम)	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	544714
84	उमा शैक्षिक व तकनीकी सोसायटी (उमा मनोविकास केंद्रम)	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1581116

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
85	उमा शैक्षिक व तकनीकी सोसायटी (उमा मनोविकास केंद्रम) (काकीनाडा)	एमआर के लिए विशेष विद्यालय और अर्ली इंटरवेंशन	द्वितीय और अंतिम	2012–13	1357243
86	उमा शैक्षिक व तकनीकी सोसायटी (उमा मनोविकास केंद्रम) (काकीनाडा)	एमआर के लिए विशेष विद्यालय और अर्ली इंटरवेंशन	पूर्ण और अंतिम	2013–14	2399254
87	उमा शैक्षिक व तकनीकी सोसायटी (उमा मनोविकास केंद्रम) (काकीनाडा)	एमआर के लिए विशेष विद्यालय और अर्ली इंटरवेंशन		2014–15	1439552
88	वाणी एजुकेशनल अकादमी	मूक एवं बधिरों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	433707
89	वाणी एजुकेशनल अकादमी	मूक एवं बधिरों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	433706
90	रेस्क्यू यॉट के लिए विक्टरी इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट	डीफ के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	285120
91	महिला व बाल कल्याण केंद्र	एमआर के लिए वीटीसी स्कूल व हास्टल	द्वितीय और अंतिम	2012–13	1069998
92	जियोन एजुकेशन सोसायटी	दृष्टिहीन व विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	128776
				योग	**70770305**

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
		असम			
1	आशा पुनर्वास केंद्र (आर्मी वेलफेयर सोसायटी)	आशा विद्यालय, गुवाहाटी	पूर्ण और अंतिम	2013–14	463081
2	धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन	विकलांगों के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	1616280
3	धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन	विकलांगों के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	538760
4	धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन	विकलांगों के लिए वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2013–14	709340
5	धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन	विकलांगों के लिए वीटीसी	प्रथम	2014–15	1293024
6	धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	379710

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
7	धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	414718
8	धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन	हाफ वे होम	द्वितीय और अंतिम	2013–14	161237
9	डिकरोंग वैली एनवायर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	हाफ वे होम	द्वितीय और अंतिम	2013–14	236811
10	ग्लोबल हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर (जीएचईसी)	विकलांगों के लिए वीटीसी	प्रथम	2013–14	515916
11	ग्राम विकास परिषद	विकलांगों के लिए वीटीसी	तीसरा व अंतिम	2012–13	97594
12	ग्राम विकास परिषद	विकलांगों के लिए वीटीसी	प्रथम	2013–14	470016
13	गुवाहाटी यूथ सोसायटी	हाफ वे होम	द्वितीय और अंतिम	2013–14	200269
14	कछाजुली फिजिकली हैंडीकैप्ड स्कूल व ट्रेनिंग सेंटर	पीएच के लिए विद्यालय व प्रशिक्षण केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	644606
15	नार्थ ईस्ट वालंटरी एसोसिएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट (नेवार्ड)	मूक व बधिरों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	303198

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
16	नार्थ ईस्ट वालंटरी एसोसिएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट (नेवार्ड)	हाफ वे होम	द्वितीय और अंतिम	2013–14	200269
17	श्री श्री सेवा आश्रम	एचएच, एमआर, सीपी के बहु विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	283091
18	श्री श्री सेवा आश्रम	एचएच, एमआर, सीपी के बहु विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	679418
19	वोडविची	वीटीसी व शेल्टरड वर्क्सशाप	द्वितीय और अंतिम	2013–14	175009
20	वोडविची	लो विजन सेंटर	द्वितीय और अंतिम	2013–14	148563
21	वोडविची	हाफ वे होम	द्वितीय और अंतिम	2013–14	196494
				योग	**9727404**
		बिहार			
1	बाबा बैद्यनाथ बालिका मूक बधिर विद्यालय	एचएच बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1346850
2	बाबा गरीब नाथ विकलांग सहजन सेवा संस्थान	एचएच के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1540285
3	ज्ञान सरोवर	वीएच के लिए वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2012–13	865818
4	ज्ञान सरोवर	वीएच के लिए वीटीसी	प्रथम	2013–14	1028517
				योग	**4781470**

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
छत्तीसगढ़					
1	मानसिक विकलांगों के लिए आकांक्षा लायनस स्कूल	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	135893
2	अंकुर	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	269183
3	ज्ञानोदय एसोसिएशन	श्रवण बाधितों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	269565
4	लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट	एचएच के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	39492
5	निशक्त जन कल्याण सेवा समिति	दृष्टिहीन व बधिर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	191376
				योग	**905509**
दिल्ली					
1	अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट	एकीकृत विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	705150
2	एसोसिएशन फार एडवांसमेंट एंड रिहेब्लिटेशन ऑफ हैंडीकैप्ड (एएआरओएच)	एमआर के लिए स्कूल	पूर्ण और अंतिम	2012–13	42451
3	चंद्रभूषण सिंह मेमोरीयल महिला, बाल एवं श्रवण विकलांग शिक्षा एवं पुनर्वास संस्थान	एचएच के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	755700

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
4	इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय विद्यालय (पीआर)	बकाया	2012–13	300000
5	इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय विद्यालय (एलएन)	बकाया	2012–13	124320
6	नेशनल एबिलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया	रीजनल एबिलिम्पिक	प्रथम	2014–15	3034129
7	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (दिल्ली)	बहु विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	111956
8	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (दिल्ली)	बहु विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	869400
9	संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	80637
				योग	**6023743**
		गोवा			
1	विकलांग बच्चों के लिए लोक विश्वास प्रतिष्ठान स्कूल	बधिर एवं मूकों के लिए विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	630900
2	विकलांग बच्चों के लिए लोक विश्वास प्रतिष्ठान स्कूल	बधिर एवं मूकों के लिए विद्यालय	प्रथम	2014–15	378540
				योग	**1009440**

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
		गुजरात			
1	अक्षर ट्रस्ट	श्रवण बाधितों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	497421
2	अक्षर ट्रस्ट	श्रवण बाधितों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	537457
3	अपंग मानव कल्याण केंद्र	वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम	प्रथम	2014–15	128066
4	अर्पन चैरिटेबल ट्रस्ट	विशेष विद्यालय सह वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2012–13	253077
5	ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन	लो विजन सेंटर	द्वितीय और अंतिम	2013–14	20573
6	ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन	लो विजन सेंटर	पूर्ण और अंतिम	2014–15	219090
7	ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन	आइडीबीआई प्री–वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर मल्टीपल डिसेबल	पूर्ण और अंतिम	2012–13	54054
8	ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन	एम्पिलायमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज	द्वितीय और अंतिम	2013–14	32473
9	ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन	एम्पिलायमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज	प्रथम	2014–15	98322
10	डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया	ओएच के लिए विद्यालय	प्रथम	2014–15	1074769
11	डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया	ओएच के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2014–15	617381

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
12	हूमन डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन	एमआर के लिए विशेष दिवसीय देखभाल स्कूल	प्रथम	2014–15	125489
13	जिला अपंग पुनर्वास केंद्र	डीडीआरसी, नाडियाड	पूर्ण और अंतिम	2012–13	210689
14	मनोविकास चैरिटेबल ट्रस्ट	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	482740
15	मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	120855
17	मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	512295
18	मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट	एमआर बच्चों के लिए विकास केंद्र	प्रथम	2014–15	571218
19	मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट	एमआर बच्चों के लिए विकास केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	166576
20	सद्भावना रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट	विकलांगों के लिए विशेष स्कूल (एमएच)	पूर्ण और अंतिम	2012–13	84896
21	श्री डी एस पारीख एंड अमृतबेन पारीख बधिर एवं मूक विद्यालय	विकलांगों के लिए वीटीसी की स्टाफ सेलरी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	36900
22	श्री विवेकानंद समुत्थान मानव सेवा एवं केलावनी ट्रस्ट	एमआर के लिए विशेष छाया विद्यालय	प्रथम	2014–15	97632

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
23	श्री जगत भारती एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	प्रथम	2014–15	178497
24	श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय	मंदबुद्धि बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	35100
25	मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए उत्कर्ष कल्याण ट्रस्ट	मंदबुद्धि बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	82612
				योग	**6238182**
		हरियाणा			
1	आल इंडिया कानफेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड (गुड़गांव)	वीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2013–14	348072
2	आल इंडिया कानफेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड (गुड़गांव)	वीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014–15	930485
3	अमर ज्योति फाउंडेशन	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	151779
4	आशा स्कूल अंबाला (सेना कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली के अधीन)	आशा स्कूल अंबाला	पूर्ण और अंतिम	2013–14	544830
5	एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ हैंडिकैप्ड	बधिर बच्चों के लिए स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2013–14	149797

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
6	एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ हैंडिकैप्ड	बधिर बच्चों के लिए स्कूल	प्रथम	2014–15	428688
7	बाल कल्याण के लिए जिला परिषद	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	132859
8	बाल कल्याण के लिए जिला परिषद	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	352800
9	डीओटी आशा सेंटर (आर्मी वेलफेयर सोसायटी)	आशा स्कूल, हिसार	प्रथम	2013–14	425003
10	श्रवण बाधित एवं वाक विकलांगों के लिए हरियाणा कल्याण सोसायटी	सिरसा में एचएच के लिए आरकेजी कल्याण केंद्र	पूर्ण और अंतिम	2012–13	80363
11	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (हिसार)	वीएच के लिए आवासीय विद्यालय सह वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2012–13	264766
12	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (हिसार)	वीएच के लिए आवासीय विद्यालय सह वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2013–14	424242
13	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (हिसार)	एमआर बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम	पूर्ण और अंतिम	2012–13	83656
14	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (रोहतक)	एमआर बच्चों के लिए घर व वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2012–13	154316
15	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (रोहतक)	एमआर बच्चों के लिए घर व वीटीसी	प्रथम	2013–14	824910

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
16	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (रोहतक)	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (कलानौर)	पूर्ण और अंतिम	2012–13	182198
17	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (रोहतक)	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (कलानौर)	पूर्ण और अंतिम	2013–14	442302
18	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (रोहतक)	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (कलानौर)	प्रथम	2014–15	265381
19	खुशबू वेलफेयर सोसायटी	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	125888
20	नेशनल एसोसिएशन फॉर द इंटीग्रेशन एंड रिहेब्लिटेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड	एमआर बच्चों के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	179699
21	नेशनल एसोसिएशन फॉर द इंटीग्रेशन एंड रिहेब्लिटेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड	एमआर बच्चों के लिए विद्यालय	प्रथम	2014–15	439251
22	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कार्पोरेशन	डीडीआरएस	तीसरा व अंतिम	2013–14	1305030
23	बधिरों के लिए रोटरी वेलफेयर सोसायटी	मूक एव बधिर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	674951
24	सूर्योदय एजूकेशन सोसायटी	एमआर एवं एचएच के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	320820

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
25	सूर्योदय एजूकेशन सोसायटी	एमआर एवं एचएच के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	205180
26	तपन रिहेब्लिटेशन सोसाइटी	एचएच एंड एमआर बच्चों के लिए प्रशिक्षण, पुनर्वास तथा शिक्षा केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	29623
27	तपन रिहेब्लिटेशन सोसाइटी	एचएच एंड एमआर बच्चों के लिए प्रशिक्षण, पुनर्वास तथा शिक्षा केंद्र	प्रथम	2014–15	691463
				योग	**10158352**
		हिमाचल प्रदेश			
1	चेतना	एमआर के लिए दिवसीय देखभाल केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	38506
2	चेतना	एमआर के लिए दिवसीय देखभाल केंद्र	बकाया	2013–14	268156
3	चेतना	सीबीआर कार्यक्रम	द्वितीय और अंतिम	2013–14	83802
4	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (कुल्लू)	दृष्टिहीनों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	196200
5	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (कुल्लू)	दृष्टिहीनों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	293085
				योग	**879749**
		जम्मू व कश्मीर			
1	आशा स्कूल एडब्ल्यूएस फंड	आशा स्कूल, उधमपुर	पूर्ण और अंतिम	2012–13	388541

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
2	आशा स्कूल एडब्ल्यूएस फंड	आशा स्कूल, उधमपुर	प्रथम	2013–14	434830
3	आशा स्कूल एडब्ल्यूएस फंड	आशा स्कूल, उधमपुर	द्वितीय और अंतिम	2013–14	144944
4	होप विकलांग केंद्र	विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	20765
5	विकलांगों के लिए जम्मू रेड क्रॉस होम	विकलांगों के लिए घर	द्वितीय और अंतिम	2012–13	248784
6	विकलांगों के लिए जम्मू रेड क्रॉस होम	विकलांगों के लिए घर	पूर्ण और अंतिम	2013–14	708735
				योग	**1946599**
		झारखंड			
1	ओंकार सेवा संस्थान	एलसीपी का पुनर्वास (वीटीसी)	द्वितीय और अंतिम	2013–14	20848
2	ओंकार सेवा संस्थान	एलसीपी का पुनर्वास (वीटीसी)	प्रथम	2014–15	611901
				योग	**632749**
		कर्नाटक			
1	अखिल कर्नाटक वीराशिवा महासभा	विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	193973
2	एसोसिएशन फॉर द रिहेब्लिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय	तीसरा और अंतिम	2012–13	310558

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
3	रंगाराव मैमोरियल स्कूल फॉर द डिसेबल्ड	एचएच के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	372400
4	श्री रामना महर्षि अकादमी फॉर द ब्लाइंड	वोएच के लिए वीटीसी (टीआरडीसी)	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1281258
5	श्री रामना महर्षि अकादमी फॉर द ब्लाइंड	एलसीपी का पुनर्वास	द्वितीय और अंतिम	2013–14	544344
6	श्री रामना महर्षि अकादमी फॉर द ब्लाइंड	एलसीपी का पुनर्वास	प्रथम	2014–15	1741100
7	श्री रेनुका (याल्लम) विद्या वर्धक संघ	एमआर बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	609073
8	श्री अरूधा एजुकेशनल सोसाइटी फॉर डिसेबल्ड	दृष्टीहीनों के लिए आवासीय विद्यालय	तीसरा व अंतिम	2012–13	251902
9	उत्तर कन्नड जिला विकलांग कल्याण केंद्र	एचएच के लिए स्कूल	पूर्ण और अंतिम	2012–13	198861
10	विश्वधर्म महिला मट्ठू मक्काला शिक्षण सेवाश्रम समिति	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	248570
11	विश्वधर्म महिला मट्ठू मक्काला शिक्षण सेवाश्रम समिति	पीएच के लिए आवासीय विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	2044537
				योग	**7796576**

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
			केरल		
1	अल्फोन्स स्कूल सेंटर	एमआर के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	235917
2	अल्फोन्स स्कूल सेंटर	एमआर के लिए विद्यालय	प्रथम	2014–15	411759
3	अनुग्रह सदन	सीपी बच्चों व बहुउद्देश्यीय विकलांग	द्वितीय और अंतिम	2013–14	46973
4	अनुग्रह सदन	सीपी बच्चों व बहुउद्देश्यीय विकलांग	प्रथम	2014–15	516576
5	आशा भवन	पीएच के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	127242
6	आशाकिरन एसोसिएशन फॉर मेंटली रिटार्डेड परसन्स	एमआर के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	318072
7	आशा निलयम	एमआर के लिए विद्यालय सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2012–13	372439
8	विकलांगों के कल्याण के लिए संघ	एमआर बच्चों के लिए संस्थान	पूर्ण और अंतिम	2012–13	227997
9	बेथानिया रिहेब्लिटेशन सेंटर फॉर द डिसेबल्ड	पीएच बालिकाओं के लिए वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2012–13	392545
10	बेथानिया रिहेब्लिटेशन सेंटर फॉर द डिसेबल्ड	पीएच बालिकाओं के लिए वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2013–14	649851
11	बेथानिया रिहेब्लिटेशन सेंटर फार द डिसेबल्ड	पीएच बालिकाओं के लिए वीटीसी	प्रथम	2014–15	365895

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
12	कारमेल ज्योति चैरिटेबल सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	334585
13	कारमेल ज्योति चैरिटेबल सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	683350
14	चैरिटेबल सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	259457
15	चैरिटेबल सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	762540
16	मंदबुद्धि के लिए चावरा विशेष विद्यालय	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	1177679
17	मंदबुद्धि के लिए चावरा विशेष विद्यालय	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	1547143
18	डामिएन इंस्टीट्यूट	एलसीपी विकलांगों के घर	द्वितीय और अंतिम	2013–14	70689
19	दीप्थी सेंटर	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	तीसरा व अंतिम	2012–13	290051
20	दीप्थी सेंटर	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1200777
21	दीप्थी सेंटर	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	889475

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
22	एम्मस विला	मानसिक विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	310602
23	एम्मस विला	मानसिक विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	973667
24	एर्नाकुलम वूमेन्स एसोसिएशन	एमआर के लिए शिक्षा सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	80700
25	एर्नाकुलम वूमेन्स एसोसिएशन	एमआर के लिए शिक्षा सह वीटीसी	प्रथम	2014–15	202933
26	फेथ इंडिया	विकलांगों को प्रशिक्षण व पुनर्वास (एर्नाकुलम)	पूर्ण और अंतिम	2013–14	376339
27	फेथ इंडिया	विकलांगों को प्रशिक्षण व पुनर्वास (एर्नाकुलम)	प्रथम	2014–15	599274
28	फेथ इंडिया	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (पलक्कड़)	द्वितीय और अंतिम	2013–14	416920
29	फेथ इंडिया	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (पलक्कड़)	द्वितीय और अंतिम	2013–14	14536
30	फेथ इंडिया	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (पलक्कड़)	प्रथम	2014–15	1365539

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
31	जेसी सोसाइटी फॉर रिहेब्लिटेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड	एमआर बच्चों के लिए संस्थान	द्वितीय और अंतिम	2013–14	101998
32	जेसी सोसाइटी फॉर रिहेब्लिटेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड	एमआर बच्चों के लिए संस्थान	प्रथम	2014–15	319097
33	कार्तिक नायर स्मारक समिति	ओएच के लिए पुनर्वास केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	187526
34	करूणा चैरिटेबल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	251924
35	करूणा चैरिटेबल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	573327
36	केरल इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड	वीएच के लिए वीटीसी सह रिहेब्लिटेशन सेंटर	द्वितीय और अंतिम	2013–14	178335
37	केरल इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड	वीएच के लिए वीटीसी सह रिहेब्लिटेशन सेंटर	प्रथम	2014–15	393030
38	केरल रिहेब्लिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली एफेक्टेड (कृपा प्राविडेंस होम)	विकलांगों के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	603742

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
39	मनोविकास	मानसिक विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	391635
40	मरीन सर्विस सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	321789
41	मर्सी होम चैरिटेबल सोसायटी	एमआर के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	1
42	मर्सी होम चैरिटेबल सोसायटी	एमआर के लिए विद्यालय	प्रथम	2014–15	359370
43	एमजीएम बेथानी शांति भवन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	503388
44	एमजीएम बेथानी शांति भवन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	973476
45	एमजीएम बेथानी शांति भवन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	734225
46	पोप जॉन पॉल पीस होम	प्रोफाउंड एमआर बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	292509
47	पोप जॉन पॉल पीस होम	प्रोफाउंड एमआर बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र	प्रथम	2014–15	632268
48	प्रतीक्षा चैरिटेबल सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	265980

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
49	मंद बुद्धि बच्चों के लिए प्रतीक्षा भवन विद्यालय	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	361054
50	मंद बुद्धि बच्चों के लिए प्रतीक्षा भवन विद्यालय	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	722033
51	विशेष जरूरत वाले बच्चों की देखभाल के लिए रक्षा सोसायटी	एमआर के लिए दिवसीय देखभाल केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2012–13	186705
52	रीच–सोसाइटी फॉर रिमेडियल एजुकेशन एसेसमेंट काउंसलिंग हैंडिकैप्ड	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	790767
53	रीच–सोसाइटी फॉर रिमेडियल एजुकेशन एसेसमेंट काउंसलिंग हैंडिकैप्ड	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	463300
54	रेहाब फाउंडेशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	149042
55	रेहाब फाउंडेशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	451872
56	विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए रोटरी इंस्टीट्यूट	एमआर के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	199903

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
57	विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए रोटरी इंस्टींट्यूट	एमआर के लिए विद्यालय	प्रथम	2014–15	1104049
58	सनजोस वेलफेयर सेंटर	एमआर के लिए विद्यालय	तीसरा व अंतिम	2012–13	343501
59	सनजोस वेलफेयर सेंटर	एमआर के लिए विद्यालय	प्रथम	2013–14	1092676
60	सनजोस वेलफेयर सेंटर	एमआर के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	332726
61	शांति भवन सोशल सेंटर	ओएच बच्चों के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	136822
62	शांति भवन सोशल सेंटर	ओएच बच्चों के लिए वीटीसी	प्रथम	2014–15	297537
63	विकलांग बच्चों के लिए शांतिनिलयम	एमआर के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	333266
64	विकलांग बच्चों के लिए शांतिनिलयम	एमआर के लिए विद्यालय	प्रथम	2014–15	1091853
65	शांतिमग्राम सोशल वेलफेयर सर्विस सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	201866
66	शांतिमग्राम सोशल वेलफेयर सर्विस सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	575154

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
67	सेवा निकेतन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	86696
68	सेवा निकेतन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	427515
69	श्री पी.आर.एस. पिल्ले मेमोरियल बाल विकास ट्रस्ट	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	210919
70	श्री पी.आर.एस. पिल्ले मेमोरियल बाल विकास ट्रस्ट	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	368536
71	स्नेह सदन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	349551
72	स्नेह सदन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	986891
73	स्नेह राम चैरिटेबल सोसायटी	एमआर के लिए विद्यालय व प्रशिक्षण केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	470076
74	सोशल वेलफेयर सेंटर	बढ़ती एमआर बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	933714
75	सोशल वेलफेयर सेंटर	बढ़ती एमआर बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	277358
76	सोशल वेलफेयर सेंटर	एमआर बच्चों के लिए संस्थान	तीसरा व अंतिम	2012–13	599323

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
77	सोशल वेलफेयर सेंटर	एमआर बच्चों के लिए संस्थान	प्रथम	2013–14	1532790
78	सोशल वेलफेयर सेंटर	एमआर बच्चों के लिए संस्थान	द्वितीय और अंतिम	2013–14	509310
79	सोशल वेलफेयर सेंटर	एमआर बच्चों के लिए संस्थान	प्रथम	2014–15	1567013
80	मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्वास के लिए सोसायटी	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	935038
81	मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्वास के लिए सोसायटी	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	839390
82	सोसाइटी ऑफ डॉटर्स ऑफ सेंट कैमिलस	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय सह प्रशिक्षण केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2012–13	622038
83	सेंट जोसफ मेंटल हेल्थ केयर होम	मानसिक रोगियों का पुनर्वास (हॉफ वे होम)	द्वितीय और अंतिम	2013–14	285750
84	सेंट जोसफ मेंटल हेल्थ केयर होम	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	246434
85	विकास सोशल सर्विस सोसायटी	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	845701

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
86	विकास सोशल सर्विस सोसायटी	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	1121999
87	विकास सोशल सर्विस सोसायटी	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	342949
88	विकास सोशल सर्विस सोसायटी	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	674982
89	विमला ह्रदय विशेष विद्यालय	एमआर के लिए विशेष विद्यालय सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	136700
90	विमला ह्रदय विशेष विद्यालय	एमआर के लिए विशेष विद्यालय सह वीटीसी	प्रथम	2014–15	527748
91	विमला महिला समाजम	एमआर बच्चों के लिए विद्यालय	तीसरा व अंतिम	2012–13	757386
92	विमला महिला समाजम	एमआर बच्चों के लिए विद्यालय	प्रथम	2013–14	2008570
93	विमला महिला समाजम	डीएसई (एमआर) पाठ्यक्रम	पूर्ण और अंतिम	2013–14	221790
94	महिला कल्याण केंद्र	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	224465
95	महिला कल्याण केंद्र	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	652941
				योग	**49902841**

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
			मध्य प्रदेश		
1	आशा आवा केंद्र (आर्मी वेलफेयर सोसायटी)	आशा स्कूल, जबलपुर	प्रथम	2013–14	225625
2	दीनदयाल अन्त्योदय मिशन, बालाघाट	डीडीआरसी, बालाघाट	प्रथम	2014–15	506926
3	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र	डीडीआरसी, छिंदवाड़ा	पूर्ण और अंतिम	2012–13	209580
4	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र	डीडीआरसी, छिंदवाड़ा	प्रथम	2013–14	382277
5	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र	डीडीआरसी, छिंदवाड़ा	द्वितीय और अंतिम	2013–14	120393
6	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र	डीडीआरसी, छिंदवाड़ा	प्रथम	2014–15	575100
7	फेमस महिला कल्याण समिति	बधिर और मूकों के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	117791
8	फेमस महिला कल्याण समिति	बधिर और मूकों के लिए वीटीसी	प्रथम	2014–15	471366
9	गोपाड विकलांग शिक्षा समिति	विकलांगों के लिए वीटीसी सह स्कूल	पूर्ण और अंतिम	2012–13	1223046
10	गोपाड विकलांग शिक्षा समिति	विकलांगों के लिए वीटीसी सह स्कूल	प्रथम	2013–14	821857

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
11	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	डीडीआरसी, गुना	प्रथम	2013–14	69405
12	मध्य प्रदेश विकलांग सहायता समिति	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	39412
13	मध्य प्रदेश विकलांग सहायता समिति	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	965700
14	नागदा जेनिथ समाज कल्याण सोसायटी	बहु विकलांग लोगों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	585988
15	नागदा जेनिथ समाज कल्याण सोसायटी	बहु विकलांग लोगों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2014–15	0
16	सीमा समाज कल्याण सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	172500
17	सीमा समाज कल्याण सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	बकाया	2013–14	329933
18	श्री तुलसी प्रज्ञाचक्षु एवं बधिर एच.एस. विद्यालय	वी.एच. व एचएच के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	550500
19	श्री तुलसी प्रज्ञाचक्षु एवं बधिर एच.एस. विद्यालय	वी.एच. व एचएच के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	1350000

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
20	श्री श्री उत्कर्ष समिति	एमआर व पीएच के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	46769
21	श्री श्री उत्कर्ष समिति	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	176460
22	वंदन पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	126108
23	विकलांग सेवा भारती	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	53780
24	विकलांग सेवा भारती	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	बकाया	2013–14	98178
				योग	**9218694**
		महाराष्ट्र			
1	आधार मगास्वर्गीया महिला संस्था सोलापुर	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	148100
2	अहिल्या देवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल	श्रवण बाधितों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	999805
3	अहिल्या देवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल	श्रवण बाधितों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	333268

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
4	अहिल्या देवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल	श्रवण बाधितों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	1114000
5	अंकुर ग्राम विकास संस्था	एचएच के लिए विशेष आवासीय विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1300707
6	अंकुर ग्राम विकास संस्था	एचएच के लिए विशेष आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	780424
7	अपंग जीवन विकास संस्था	विकलांगों के लिए वोकेशनल स्कूल	द्वितीय	2014–15	564334
8	अपंग जीवन विकास संस्था	डीडीआरसी, अमरावती	प्रथम	2014–15	688500
9	अपंग जीवन विकास संस्था	डी.एड कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन	द्वितीय और अंतिम	2013–14	132200
10	अपंग जीवन विकास संस्था	डी.एड कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन	प्रथम	2014–15	484650
11	अपंग जीवन विकास संस्था	विकलांगों के लिए वोकेशनल स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2013–14	448496
12	अपंग जीवन विकास संस्था	विकलांगों के लिए वोकेशनल स्कूल	प्रथम	2014–15	1128667
13	अरूणोदय बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था	पीएच के लिए वीटीसी	प्रथम	2013–14	684066

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
14	अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट	विकलांगों के लिए केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2012–13	390600
15	हरिसुंदर महिला बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय	2013–14	93696
16	हरिसुंदर महिला बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय	तीसरा व अंतिम	2013–14	120000
17	हरिसुंदर महिला बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	837342
18	जन विकास संस्था	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	287910
19	जीवन विकास प्रतिष्ठान	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र	पूर्ण और अंतिम	2012–13	120954
20	जीवन विकास प्रतिष्ठान	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र	पूर्ण और अंतिम	2013–14	386518
21	जीवन विकास प्रतिष्ठान	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2014–15	167550

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
22	स्वर्गीय अंशू नारायण पाटील बहुउद्देशीय संस्था	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (यावल तालुका)	प्रथम	2014–15	200820
23	स्वर्गीय अंशू नारायण पाटील बहुउद्देशीय संस्था	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (चोपदा तालुका)	प्रथम	2014–15	217815
24	स्वर्गीय आर.जे. नायक बहुउद्देशीय संस्था	वीआई के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	157605
25	महाशक्ति शिक्षण आरोग्य व क्रीड़ा प्रसारक बहुउद्देशीय संस्था	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	414477
26	महाशक्ति शिक्षण आरोग्य व क्रीड़ा प्रसारक बहुउद्देशीय संस्था	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	648284
27	महात्मा गांधी सेवा संघ जिला पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी / डीडीआरएस)	डीडीआरसी, औरंगाबाद	पूर्ण और अंतिम	2012–13	397121
28	महात्मा गांधी सेवा संघ जिला पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी / डीडीआरएस)	डीडीआरसी, औरंगाबाद	पूर्ण और अंतिम	2013–14	584896

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
29	मानव विकास संस्था	विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	126645
30	मानव विकास संस्था	विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	179658
31	मनुदेवी शिक्षण प्रसारक मंडल	एचएच के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	328296
32	मास्टर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	221413
33	मौली महिला मंडल	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	180288
34	मौली स्वयंसेवी संस्था मोरगवान	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	271967
35	मौली स्वयंसेवी संस्था मोरगवान	एचएच के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	294468
36	नवदुर्गा बहुउद्देशीय मंडल	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2013–14	542884
37	समाज प्रबोधन शिक्षण मंडल शकनूर	श्रवण बाधित	पूर्ण और अंतिम	2013–14	770262
38	समाज प्रबोधन शिक्षण मंडल शकनूर	श्रवण बाधित	प्रथम	2014–15	624537

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
39	संधि निकेतन शिक्षण संस्थान	एमआर के लिए पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2013–14	291591
40	संधि निकेतन शिक्षण संस्थान	एमआर के लिए पुनर्वास केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	399591
41	संधि निकेतन शिक्षण संस्थान	एमआर के लिए पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2014–15	518387
42	सावली	एमआर व सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2012–13	74283
43	श्री दत्ता ग्रामी व शहरी विद्या प्रसारक मंडल	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	168983
44	श्री धनदाई माता बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था	एमआर के लिए विशेष विद्यालय, धुले	प्रथम	2014–15	202926
45	श्री एच.बी.पी. शंकरबुआ चौधरी शैक्षणिक संस्था	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	159574
46	श्री हरि सेवा फाउडेंशन	दृष्टिहीन बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	600284

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
47	श्री हरि सेवा फाउडेंशन	दृष्टिहीन बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	तीसरा व अंतिम	2012–13	180735
48	श्री हरि सेवा फाउडेंशन	दृष्टिहीन बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	200094
49	श्री जगदंबा विद्या प्रसारक मंडल	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	190643
50	श्री जगदंबा विद्या प्रसारक मंडल	एचएच के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	258548
51	श्री संत ध्यानेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	92352
52	विदर्भ अपंग विकास संस्था	बधिर व मूकों के लिए आवासीय विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	639238
53	विदर्भ शिक्षण बहुउद्देशीय व अपंग कल्याण संस्था	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	259436
54	युवा बहुउद्देशीय संस्था	एचएच के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	352827
55	युवा बहुउद्देशीय संस्था	एचएच के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	416358
				योग	**22379073**

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
		मणिपुर			
1	अखिल मणिपुर मानसिक विकलांग व्यक्ति कल्याण संगठन	व्यक्तियों के लिए वीटीसी सीपीएमआर सहित	द्वितीय और अंतिम	2013–14	356453
2	अखिल मणिपुर मानसिक विकलांग व्यक्ति कल्याण संगठन	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	431253
3	बेहतर जीवन स्थितियां और अनुसंधान संगठन	वीटीसी	प्रथम	2014–15	242739
4	बेहतर जीवन स्थितियां और अनुसंधान संगठन	मानसिक विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2013–14	113240
5	बेहतर जीवन स्थितियां और अनुसंधान संगठन	मानसिक विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2014–15	196128
6	विष्णुपुर जिला ग्रामीण समाज कल्याण सोसायटी	विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	163418
7	विकास गतिविधि केंद्र	हॉफ वे होम	प्रथम	2014–15	66705
8	मानसिक स्वास्थ्य केंद्र	एमआर के लिए विशेष विद्यालय सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	231080

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
9	मानसिक स्वास्थ्य केंद्र	एमआर बच्चों की देखभाल	द्वितीय और अंतिम	2013–14	150560
10	मानसिक स्वास्थ्य केंद्र	मानसिक रोगियों के लिए हॉफ वे होम	द्वितीय और अंतिम	2013–14	190710
11	गरीब व श्रमिकों के विकास की परिषद (सीडीपीएल)	पीएच के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	438193
12	शिक्षण व ग्रामीण विकास संगठन थोबल, मणिपुर	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	प्रथम	2014–15	512171
13	फाउडेंशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट (फोर्ड)	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	प्रथम	2014–15	219531
14	इम्फाल गार्जियन सोसायटी	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	द्वितीय और अंतिम	2013–14	10083
15	इम्फाल गार्जियन सोसायटी	एमआर व बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	364284
16	कमजोर वर्ग के सामाजिक विकास हेतु संस्थान	विकलांगों के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	88834
17	कांगचुप एरिया ट्राइबल वीमेन सोसायटी	विशेष विद्यालय सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	554619

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
18	विकलांगों के लिए खा–मणिपुर पैरेंटस एसोसिएशन	एमआर व सीपी बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	185269
19	ओइनम इबोहल पोलिटैक्निक	वीटीसी	प्रथम	2014–15	323341
20	समाज सेवा में अग्रणी व्यक्ति (पीएएसएस)	मानसिक रोगियों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	349439
21	समाज सेवा में अग्रणी व्यक्ति (पीएएसएस)	मानसिक रोगियों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	176312
22	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, थोबल, मणिपुर	हॉफ वे होम	प्रथम	2014–15	177684
23	सामाजिक तथा स्वास्थ्य विकास संगठन	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	प्रथम	2014–15	256464
24	सामाजिक तथा स्वास्थ्य विकास संगठन	विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	467780
25	सामाजिक तथा स्वास्थ्य विकास संगठन	हॉफ वे होम	द्वितीय और अंतिम	2013–14	149013

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
26	महिला विकास कार्यक्रम केंद्र	वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	423963
27	महिला विकास कार्यक्रम केंद्र	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	प्रथम	2014–15	278296
28	ग्रामीण क्षेत्र विकास संघ (आरएडीए)	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	177372
29	महिला आर्थिक विकास सोसायटी	विकलांगों के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	326493
30	टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस	विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	256500
31	टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस	पीएच/एमआर/एचआई/सीपी के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	548445
32	याइफाबी हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड	वीटीसी	प्रथम	2014–15	203563
33	यूथ स्टेप फारवर्ड चंदेल, मणिपुर	वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	प्रथम	2014–15	236934
				योग	**8866869**

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
		मेघालय			
1	ड्वार जिंगरीमेन स्कूल फॉर चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन	एमआर व स्पेस्टिक के लिए एजुकेशन सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2012–13	413085
2	ड्वार जिंगरीमेन स्कूल फॉर चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन	एमआर व स्पेटिक के लिए एजुकेशन सह वीटीसी	प्रथम	2013–14	389550
				योग	**802635**
		मिजोरम			
1	स्पेटिक सोसायटी ऑफ मिजोरम	सीपी, एमएच व एचएच के लिए एजुकेशन एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	पूर्ण और अंतिम	2012–13	1038487
2	स्पेटिक सोसायटी ऑफ मिजोरम	सीपी, एमएच व एचएच के लिए एजुकेशन एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	प्रथम	2013–14	965390
				योग	**2003877**
		ओडिशा			
1	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन	बहु विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	236115

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
2	अरूण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स	विकलांगों के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	124176
3	एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्प इन रूरल एरिया (आसरा)	सेरेब्रल पाल्से के लिए स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2012–13	407514
4	एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्प इन रूरल एरिया (आसरा)	सेरेब्रल पाल्से के लिए स्कूल	प्रथम	2013–14	597024
5	एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टीविटीज	विकलांगों के लिए वीटीसी (जगतसिंहपुर)	पूर्ण और अंतिम	2013–14	754050
6	एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टीविटीज	विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1737555
7	एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन	साइको के लिए हॉफ वे होम	द्वितीय और अंतिम	2013–14	79043
8	भैरबी क्लब	ओएच के लिए वीटीसी अंतिम	द्वितीय और	2013–14	158414
9	भैरबी क्लब	बहुविकलांगजनों के विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	279045
10	भैरबी क्लब	एलसीपी के लिए पुनर्वास केंद्र (कुष्ठ आरोग गृह)	द्वितीय और अंतिम	2013–14	159371
11	भैरबी क्लब	सीबीआर कार्यक्रम	द्वितीय और अंतिम	2013–14	230967

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
12	भारत ज्योति	विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	614128
13	मानसिक रोगियों के लिए बीजू पटनायक विशेष विद्यालय (जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा संचालित)	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	163758
14	पुनर्वास सेवाओं एवं अनुसंधान हेतु केंद्र (सीआरएसआर)	स्पेस्टिक्स बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	298544
15	सेंटर फॉर रिहेब्लिटेशन सर्विस व रिसर्च	सीबीआर कार्यक्रम	द्वितीय और अंतिम	2013–14	196010
16	जिला विकलांग विद्यालय	विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	410227
17	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (सहाया)	द्वितीय और अंतिम	2012–13	430345
18	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (सहाया)	पूर्ण और अंतिम	2013–14	686295
19	जय किसान यूथ क्लब	एलसीपी का पुनर्वास	द्वितीय और अंतिम	2013–14	325457

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
20	मानसिक व शारीरिक विकलांगों के लिए जिबनज्योति वेलफेयर एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	556554
21	कवि नरसिंह मठ ब्लाइंड एंड डीफ स्कूल	नेत्रहीनों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	928580
22	कवि नरसिंह मठ ब्लाइंड एंड डीफ स्कूल	नेत्रहीनों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	1126588
23	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एंड सोशल एक्शन	एमआर के लिए विद्यालय	तीसरा व अंतिम	2012–13	380560
24	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एंड सोशल एक्शन	एमआर के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	362575
25	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान	विकलांगों के लिए वीटीसी	बकाया	2012–13	150309
26	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान	विकलांगों के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	411250
27	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	352332
28	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान	डीफ और ब्लाइंड के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	806339
29	ओपन लर्निंग सिस्टम	सीपीएमआर के लिए वीटीसी सह रिहेब्लिटेशन सेंटर	द्वितीय और अंतिम	2013–14	162184

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
30	ओपेन लर्निंग सिस्टम	सेरेब्रल पाल्सी बच्चों हेतु स्पेशल एजुकेशन	द्वितीय और अंतिम	2013–14	283997
31	ओडिशा बहुउद्देशीय विकास केंद्र	एलसीपी के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	65135
32	पतितपाबन सेवा संघ	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1002675
33	क्षेत्रीय पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र	स्पस्टिक बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	230432
34	क्षेत्रीय पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र	एमआर बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	311906
35	शहीद युवा संघ	वाक् एवं श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	314935
36	सरस्वती चैरिटेबल फाउंडेशन	एचएच/एमआर/दृष्टिहीन के लिए	द्वितीय और अंतिम	2012–13	720162
37	सरस्वती चैरिटेबल फाउंडेशन	एचएच/एमआर/दृष्टिहीन के लिए	प्रथम	2013–14	1006209
38	शिशु सखा संघ	मूक व बधिरों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	331479
39	शिशु सखा संघ	मूक व बधिरों के लिए विशेष विद्यालय	बकाया	2013–14	441972

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014—15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
40	शिशु सखा संघ	एमआर के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013—14	351297
41	सोसाइटी फॉर एनवायर्नमेंटल डेवलपमेंट एंड वालंटरी एक्शन (एसईवीए)	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013—14	503658
42	द इंस्टीट्यूट फॉर हेलपिंग डिसेबल्ड	एमएच के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013—14	158636
43	यूनियन फॉर लर्निंग, ट्रेनिंग एंड रिफार्मेटिव एक्टिविटीज	विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013—14	281291
44	उत्कल कल्याण सेवा संघ	मूक व एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012—13	382455
45	उत्कल कल्याण सेवा संघ	मूक व एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013—14	1622601
46	विजया	दृष्टिहीन, बधिर व गूंगी बालिकाओं के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2013—14	283620
47	स्वैच्छिक ग्रामीण सुधार संगठन	दृष्टिहीन व बधिरों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013—14	250406
48	महिलाओं के लिए समुदाय प्रबंधन समूह	एलसीपी के लिए पुनर्वास केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013—14	484314
				योग	**22152489**

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
			पुडुचेरी		
1	श्री पटचियापन्ने सोसाइटी फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड रिहेब्लिटेशन ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड	एचएच के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	538573
2	श्री पटचियापन्ने सोसाइटी फार एजुकेशन, रिसर्च एंड रिहेब्लिटेशन ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड	एचएच के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	179524
				योग	**718097**
			पंजाब		
1	अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	98033
2	आशा दीप वेलफेयर सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	279150
3	आशा दीप वेलफेयर सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	949428
4	चेतक आशा स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, भटिंडा	आशा स्कूल, भटिंडा अंतिम	पूर्ण और	2013–14	576000

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
5	चेतक आशा स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, भटिंडा	आशा स्कूल, भटिंडा	प्रथम	2014–15	345600
6	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (फरीदकोट)	दृष्टिहीनों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	326268
7	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (फरीदकोट)	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	201448
8	इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड	इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड	पूर्ण और अंतिम	2012–13	342665
9	नवजीवनी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	1245614
10	नवजीवनी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	875098
11	मूकों के लिए रेड क्रॉस स्कूल	मूक व बधिर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	555429
12	मूकों के लिए रेड क्रॉस स्कूल	मूक व बधिर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1039170
13	वोकेशनल रिहेब्लिटेशन ट्रेनिंग सेंटर	दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा वीटीसी वर्कशॉप	द्वितीय और अंतिम	2012–13	613216

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
14	वोकेशनल रिहेब्लिटेशन ट्रेनिंग सेंटर	दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा वीटीसी वर्क्सशाप	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1160283
15	वोकेशनल रिहेब्लिटेशन ट्रेनिंग सेंटर	नेत्रहीनों के लिए शिक्षा वीटीसी वर्क्सशाप	प्रथम	2014–15	696169
16	वेस्टर्न कमांड आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (आर्मी वेलफेयर सोसायटी)	आशा स्कूल, चंडीमंदिर	पूर्ण और अंतिम	2012–13	346930
17	वेस्टर्न कमांड आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (आर्मी वेलफेयर सोसायटी)	आशा स्कूल, चंडीमंदिर	पूर्ण और अंतिम	2013–14	462884
				योग	**10113385**
		राजस्थान			
1	आवा आशा विद्यालय	आशा विद्यालय, जोधपुर	द्वितीय और अंतिम	2013–14	19960
2	बाधित बाल विकास केंद्र	डीफ के लिए होस्टल व वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	101273
3	दिशा–विकलांग जनों के लिए एक संसाधन केंद्र	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	271611
4	दिशा–विकलांग जनों के लिए एक संसाधन केंद्र	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	60008

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
5	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र	डीडीआरसी जोधपुर	पूर्ण और अंतिम	2012–13	187662
6	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र	डीडीआरसी जोधपुर	प्रथम	2013–14	292184
7	जैमिनी शिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान	विकलांगों के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2012–13	142180
8	जैमिनी शिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान	विकलांगों के लिए वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2013–14	428348
9	एल के सी श्री जगदंबा अंध विद्यालय समिति	दृष्टि बाधित व बधिर के लिए विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	2372265
10	मरूधरा बाल शिक्षण संस्थान	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	44418
11	मर्सी रिहेब्लिटेशन सोसाइटी	बहुविकलांग लोगों के लिए विशेष विद्यालय सह पुनर्वास केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	34636
12	नारायण सेवा संस्थान	विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	60125
13	नारायण सेवा संस्थान	सीबीआर कार्यक्रम	द्वितीय और अंतिम	2013–14	204289
14	नव चेतना मानसिक एवं मूक बधिर विद्यालय समिति	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	183060

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
15	नवदीप विकास समिति	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	99898
16	नवदीप विकास समिति	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	254180
17	प्रज्ञा निकेतन (भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की इकाई)	दृष्टिहीनों के लिए हॉस्टल	द्वितीय और अंतिम	2013–14	186000
18	प्रयास संस्था	वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	150430
19	प्रयास संस्था	वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	499914
20	प्रयास, विशेष शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	विशेष शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	तीसरा व अंतिम	2012–13	269284
21	प्रयास, विशेष शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	विशेष शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1009877
22	पंडित छितरमल लता कल्याण सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	82466
23	राजेश पायलट स्मृति ग्रामोद्योग शिक्षा समिति	मूक व बधिरों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	114694
24	सौर चेतना एवं ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	189769

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
25	सेठ निनुआ राम चैरिटेबल पब्लिक कल्याण समिति	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	93057
26	सेठ निनुआ राम चैरिटेबल पब्लिक कल्याण समिति	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	413117
27	शिखर सोसायटी फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	524925
28	सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड	एमआर के लिए विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	79875
29	सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड	एमआर के लिए विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	644655
30	उमंग	मानसिक विकलांगों के लिए विद्यालय तथा सीपी के लिए परियोजना	तीसरा व अंतिम	2012–13	161487
31	उमंग	मानसिक विकलांगों के लिए विद्यालय तथा सीपी के लिए परियोजना	प्रथम	2013–14	403687
32	उमंग	मानसिक विकलांगों के लिए विद्यालय तथा सीपी के लिए परियोजना	द्वितीय और अंतिम	2013–14	179563
				योग	**9758897**

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
		तमिलनाडु			
1	मानसिक विकलांगों के लिए कार्मेल सेंटर	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	255647
2	चैशायर होम्स इंडिया (चेन्नई)	विकलांगों के लिए वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2012–13	318597
3	चैशायर होम्स इंडिया (चेन्नई)	विकलांगों के लिए वीटीसी	प्रथम	2013–14	365904
4	इफ्फथा मिशन	दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए हॉस्टल	पूर्ण और अंतिम	2012–13	169455
5	दृष्टिहीनों के लिए आई. ई. एल. सी. स्कूल	हास्टल सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	250020
6	इंडियन एसोसिएशन फॉर द ब्लांइड	वीएच के लिए स्टेनोग्राफी कोर्स	द्वितीय और अंतिम	2013–14	64492
7	इंडियन एसोसिएशन फॉर द ब्लांइड	वीएच के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2013–14	438066
8	इंडियन एसोसिएशन फॉर द ब्लांइड	वीएच के लिए हॉस्टल	द्वितीय और अंतिम	2013–14	269685
9	इंडियन एसोसिएशन फॉर द ब्लांइड	ब्रेल लाइब्रेरी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	48105
10	मानसिक विकलांगों के लिए कोंगू एरीवलयम विद्यालय	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	450515

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
11	मानसिक विकलांगों के लिए कोंगू एरीवलयम विद्यालय	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	1003075
12	एम एस चेल्लामुथु ट्रस्ट एंड रिसर्च फाउंडेशन	मनोरोगियों के लिए वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2013–14	990169
13	मूर्थुजाविया एजुकेशनल एंड कल्चरल फाउंडेशन और साउथ इंडिया	श्रवण बाधितों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	127137
14	नवज्योति ट्रस्ट	विकलांगों और एमआर के लिए वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2012–13	124592
15	पाल्लिग्राम उद्यम सोसायटी (उद्यम पुनर्वास केंद्र)	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	581400
16	पथवे रन बॉय डा. दत्तू राव मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट	एमआर की शिक्षा और पुनर्वास केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	365044
17	राष्ट्रीय सेवा समिति	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	121446

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
18	राष्ट्रीय सेवा समिति	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	104763
19	दृष्टिहीन महिलाओं के लिए पुनर्वास केंद्र	वीटीसी व शेल्टर्ड वर्कशॉप	प्रथम	2014–15	195463
20	द स्कूल फॉर यंग डीफ चिल्ड्रन (बाल विद्यालय)	श्रवण बाधित के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	233535
				योग	**6477110**
			तेलंगाना		
1	ए हैंडीकैप्ड सर्विस फाउंडेशन	डीफ एवं दृष्टिहीन बच्चों के लिए आवासीय विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2012–13	1476885
2	ए हैंडीकैप्ड सर्विस फाउंडेशन	डीफ एवं दृष्टिहीन बच्चों के लिए आवासीय विशेष स्कूल	प्रथम	2013–14	1959311
3	आत्मीय मानसिक विकास केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल और वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	1151467
4	अनुराग हूमन सर्विसेज	एमआर के लिए वीटीसी	प्रथम	2013–14	205159
5	अनुराग हूमन सर्विसेज	एमआर के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	144085

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
6	अनुराग हूमन सर्विसेज	एमआर बच्चों के लिए दिवसीय देखभाल केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	376466
7	अरूण स्पेशल सेंटर	एमआर के लिए आवासीय स्कूल और वीटीसी	प्रथम	2013–14	1087863
8	आशा ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर दि डिसेबल्ड	मानसिक और बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	232695
9	चाइल्ड गाइडेंस सेंटर	एमआर के लिए विशेष विद्यालय सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2012–13	1412622
10	चाइल्ड गाइडेंस सेंटर	एमआर के लिए विशेष विद्यालय सह वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2013–14	3273264
11	डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड	वीएच के लिए हॉस्टल एवं स्पेशल स्कूल	पूर्ण और अंतिम	2013–14	2649420
12	देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	1212690
13	देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2013–14	2406284
14	दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहेब्लिटेशन सेंटर (आंध्र महिला सभा) हैदराबाद	विकलांगों के लिए रिहेब्लिटेशन सेंटर / वोकेशनल ट्रेनिंग	पूर्ण और अंतिम	2013–14	487844

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
15	दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहेब्लिटेशन सेंटर (आंध्र महिला सभा) हैदराबाद	एमआर व एचएच के लिए स्पेशल एजुकेशन सेंटर	प्रथम	2013–14	1144715
16	मानसिक विकलांगों के लिए इको क्लब ब्रह्मा संस्थान	एचएच के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	355345
17	मानसिक विकलांगों के लिए इको क्लब ब्रह्मा संस्थान	एचएच के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	564619
18	मानसिक विकलांगों के लिए इको क्लब ब्रह्मा संस्थान	एचएच के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	198206
19	गीतांजली अकादमी ऑफ एजुकेशन	एमएच के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	191785
20	हेलेन केल्लर्स स्कूल फॉर डीफ एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन	एमएच के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1726620
21	हूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सोसायटी	पीएच के लिए वीटीसी व पुनर्वास केंद्र	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1775980
22	किरनम	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	1175613

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
23	किरनम	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	391871
24	लक्ष्य साधना सोसायटी फॉर द मेंटली हैडिकैप्ड	एमआर के लिए वीटीसी व आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	326817
25	न्यू डान बॉस्को एजुकेशनल सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	1279586
26	पीएडब्ल्युएमइएनसीएपी	वीटी व शेल्टर्ड वर्कशाप (मनोचेतना)	द्वितीय और अंतिम	2013–14	325440
27	पीएडब्ल्युएमइएनसीएपी	वीटी व शेल्टर्ड वर्कशाप (मनोचेतना)	प्रथम	2014–15	988447
28	पीएडब्ल्युएमइएनसीएपी	एमआर के लिए विशेष शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र और पुनर्वास केंद्र (मनोकृषि)	द्वितीय और अंतिम	2013–14	457141
29	पीएडब्ल्युएमइएनसीएपी	एमआर के लिए विशेष शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र और पुनर्वास केंद्र (मनोकृषि)	प्रथम	2014–15	1451036
30	प्रकाशम युवाजन संघम	विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	200628

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
31	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय विद्यालय	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	483975
32	सबीथा एजुकेशनल सोसायटी	मानसिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा सह वीटीसी	प्रथम	2014–15	499805
33	साधना सोसाइटी फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड	एमआर के लिए विशेष आवासीय विद्यालय, नलगोंडा	द्वितीय और अंतिम	2013–14	282083
34	साधना सोसाइटी फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	485403
35	साइ सेवा संघ	एमआर के लिए वीटीसी व विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	236537
36	संतोष एजुकेशनल सोसायटी	पीएच के लिए समेकित विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	196204
37	शांति निकेतन	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	576675
38	शांति निकेतन	हॉफ वे होम फॉर साइको सोशल रिहेब्लिटेशन व ट्रीटमेंट	द्वितीय और अंतिम	2013–14	148264
39	शेकिनाह फाउंडेशन	विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	391548
40	स्नेह सोसायटी फॉर रूरल कंस्ट्रक्शन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	550862

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
41	स्नेह सोसायटी फॉर रूरल कंस्ट्रक्शन	दृष्टि बाधितों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	279045
42	श्री साई एजुकेशनल सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	275291
43	श्री साई एजुकेशनल सोसायटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	660729
44	विशेष बच्चों के लिए श्री विद्या सेंटर	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	189567
45	सेंट मार्थोमा एजुकेशनल सोसायटी	मानसिक व बहु विकलांग व्यक्तियों के लिए विद्यालय	प्रथम	2013–14	1202431
46	स्वीकार अकादमी ऑफ रिहेब्लिटेशन साइंस	बधिरों के अध्यापकों हेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	द्वितीय और अंतिम	2012–13	60130
47	स्वीकार अकादमी ऑफ रिहेब्लिटेशन साइंस	बधिरों के अध्यापकों हेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	प्रथम	2013–14	207165
48	स्वीकार अकादमी ऑफ रिहेब्लिटेशन साइंस	बधिरों के अध्यापकों हेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	द्वितीय और अंतिम	2013–14	144435
49	स्वीकार अकादमी ऑफ रिहेब्लिटेशन साइंस	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	2059200
50	स्वीकार अकादमी ऑफ रिहेब्लिटेशन साइंस	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	686400

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
51	स्वीकार अकादमी ऑफ रिहेब्लिटेशन साइंस	डीफ के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2012–13	3445599
52	स्वीकार अकादमी ऑफ रिहेब्लिटेशन साइंस	डीफ के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	1148533
53	स्वीकार अकादमी ऑफ रिहेब्लिटेशन साइंस	डीफ के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	3849525
54	स्वीकार अकादमी ऑफ रिहेब्लिटेशन साइंस	डीफ के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	825081
55	स्वीकार अकादमी ऑफ रिहेब्लिटेशन साइंस	डीफ के लिए विशेष विद्यालय	बकाया	2013–14	489600
56	एमएच के शोध एवं पुनर्वास हेतु ठाकुर हरी प्रसाद संस्थान	एमआर संस्था (हैदराबाद)	द्वितीय और अंतिम	2012–13	169500
57	एमएच के शोध एवं पुनर्वास हेतु ठाकुर हरी प्रसाद संस्थान	एमआर संस्था (हैदराबाद)	प्रथम	2013–14	3702843
58	एमएच के शोध एवं पुनर्वास हेतु ठाकुर हरी प्रसाद संस्थान	एमआर संस्था (हैदराबाद)	पूर्ण और अंतिम	2013–14	347550
59	द करीमनगर जिला स्वतंत्रता सेनानी ट्रस्ट	एमआर के लिए विद्यालय सह वीटीसी	प्रथम	2013–14	1313111

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
60	थेरेसा मानसिक विकलांग पुनर्वास केंद्र	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	685890
61	उषोदय एजुकेशन सोसायटी	पीएच के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2012–13	304777
62	वेजेसना फॉउंडेशन	पीएच के लिए स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2013–14	345217
63	जिला सर्वोदय एजुकेशन सोसायटी	पीएच बच्चों के लिए आवासीय स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2013–14	181953
64	आत्मीय मानसिक विकास केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल और वीटीसी	प्रथम	2014–15	962509
65	आंध्र प्रदेश स्टेट फोरम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन	एमआर के लिए विशेष आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	271857
66	आंध्र प्रदेश स्टेट फोरम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन	एमआर के लिए विशेष आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	652455
67	अनुराग हूमन सर्विसेज	एमआर के लिए वीटीसी	प्रथम	2014–15	218420
68	अनुराग हूमन सर्विसेज	एमआर बच्चों के लिए दिवसीय देखभाल केंद्र	प्रथम	2014–15	903519
69	अरूण स्पेशल सेंटर	एमआर के लिए आवासीय स्कूल और वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	331972

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
70	अरूण स्पेशल सेंटर	एमआर के लिए आवासीय स्कूल और वीटीसी	प्रथम	2014–15	870291
71	ब्रेश भद्राचलम एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट रिहेब्लिटेशन एंड एजूकेशनल सोसायटी फॉर हैंडीकैप्ड	एचआई, एमआर एंड वीटीसी आवासीय विद्यालय	प्रथम	2013–14	1013186
72	चाइल्ड गाइडेंस सेंटर	एमआर के लिए स्पेशल स्कूल और वीटीसी	प्रथम	2014–15	2430580
73	डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड	वीएच के लिए हॉस्टल एवं स्पेशल स्कूल	प्रथम	2014–15	1589652
74	ग्रेसी आर्गनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट सर्विसेज	मूक–बधिरों के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	279391
75	लक्ष्य साधना सोसायटी फॉर द मेंटली हैंडिकैप्ड	एमआर के लिए वीटीसी व आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	767511
76	प्रकाशम युवाजन संघम	विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2014–15	472507
77	राधा इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्डेड	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	156813

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
78	साधना सोसायटी फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड	एमआर के लिए स्पेशल स्कूल और वीटीसी	प्रथम	2014–15	1164966
79	साधना सोसायटी फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड	एमआर के लिए विशेष आवासीय विद्यालय, नलगोंडा	प्रथम	2014–15	733698
80	शांति निकेतन	मानसिक विकलांगों के लिए आवासीय संस्थान	प्रथम	2014–15	1188756
81	शांति निकेतन	मानसिक विकलांगों के लिए आवासीय संस्थान	द्वितीय और अंतिम	2014–15	956709
82	शांति निकेतन	हॉफ वे होम फॉर साइको सोशल रिहेब्लिटेशन व ट्रीटमेंट	प्रथम	2014–15	412030
83	शांति निकेतन	हॉफ वे होम फॉर साइको सोशल रिहेब्लिटेशन व ट्रीटमेंट	द्वितीय और अंतिम	2014–15	288095
84	शांति निकेतन	विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय सह वीटीसी	प्रथम	2014–15	985230
85	शांति निकेतन	विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2014–15	873060
86	स्नेह सोसायटी फॉर रूरल कंस्ट्रक्शन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	1322070

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
87	स्नेह सोसायटी फॉर रूरल कंस्ट्रक्शन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2014–15	1079295
88	स्नेह सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन	दृष्टि बाधितों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	669708
89	दृष्टि विकलांगों की शिक्षा व पुनर्वास हेतु सोसायटी	सीबीआर कार्यक्रम	प्रथम	2013–14	810162
90	दृष्टि विकलांगों की शिक्षा व पुनर्वास हेतु सोसायटी	सीबीआर कार्यक्रम	बकाया	2012–13	260885
91	एमएच व ग्रामीण बच्चों के अभिभावकों के लिए स्वयं सेवा एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	145519
92	एमएच व ग्रामीण बच्चों के अभिभावकों के लिए स्वयं सेवा एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2014–15	671130
93	स्वीकार अकादमी ऑफ रिहेब्लिटेशन साइंस	एमआर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2014–15	1911065
94	उषोदय एजुकेशनल सोसायटी	पीएच के लिए वीटीसी	प्रथम	2014–15	731466
95	उषोदय एजुकेशनल सोसायटी	पीएच के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2014–15	614169

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
96	जिला सर्वोदय एजुकेशन सोसायटी	पीएच बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2014–15	496909
97	नार्थ त्रिपुरा डीफ एंड डम्ब स्कूल	एचएच के लिए स्कूल	पूर्ण और अंतिम	2013–14	720936
				योग	**84011353**
		उत्तर प्रदेश			
1	आदर्श मूक बधिर विद्यालय	एचएच के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	99008
2	अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति	शैक्षिक सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	612945
3	अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति	शैक्षिक सह वीटीसी	प्रथम	2014–15	1743660
4	अंबेडकर शिक्षा समिति	विकलांगों के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	162959
5	अंबेडकर शिक्षा समिति	विकलांगों के लिए वीटीसी	पूर्ण और अंतिम	2014–15	721013
6	आनंद ट्रेनिंग चैरिटेबल सोसायटी	एमआर बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र	प्रथम	2013–14	1327054
7	आर्य सुगंध संस्थान (पूर्व में अपंग आशय जन विकास संस्थान)	विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	330307

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
8	बधिरों के लिए बीसीजी विद्यालय	एचआई के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	507526
9	बाधित बाल विकास समिति	मूक व बधिरों के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2013–14	1114385
10	भागीरथ सेवा संस्थान	विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	319976
11	भारतीय चौहान समिति	विकलांगों के लिए वीटीसी व शिक्षा	प्रथम	2013–14	902016
12	भारतीय चौहान समिति	विकलांगों के लिए वीटीसी व शिक्षा	द्वितीय और अंतिम	2013–14	345816
13	भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान	विकलांगों के लिए वीटीसी व शिक्षा	प्रथम	2013–14	493970
14	चेतना	एमआर के लिए विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	527663
15	मूक व बधिर विद्यालय	मूक व बधिरों के लिए विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1583198
16	दिशा समिति, बरेली	पीएच के लिए वीटीसी व शिक्षा	पूर्ण और अंतिम	2012–13	288125
17	दिशा समिति, बरेली	पीएच के लिए वीटीसी व शिक्षा	पूर्ण और अंतिम	2013–14	558193
18	फ्रेंड्स ऑफ हैंडीकैप्ड–इंडिया	एमआर व डीफ के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	1420020

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
19	फ्रेंडस ऑफ हैंडीकैप्ड–इंडिया	एमआर व डीफ के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	507541
20	ग्रामोद्योग जन सेवा संस्थान	एचआई के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	55348
21	ग्रामोद्योग जन सेवा संस्थान	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	257999
22	ग्रामोद्योग जन सेवा संस्थान	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	643586
23	विकलांग विकास परिषद	एमआर के लिए विद्यालय	प्रथम	2013–14	1134472
24	विकलांग विकास परिषद	एमआर के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	560519
25	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (गोरखपुर)	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र	पूर्ण और अंतिम	2014–15	400564
26	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्ट्डीज एंड रिसर्च इन रिहेब्लिटेशन	डीएसई (एमआर) कार्यक्रम	पूर्ण और अंतिम	2012–13	487418
27	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्ट्डीज एंड रिसर्च इन रिहेब्लिटेशन	डीएसई (एमआर) कार्यक्रम	प्रथम	2013–14	356400
28	विकलांगों के लिए एकीकृत संस्थान	विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	615260

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
29	विकलांगों के लिए एकीकृत संस्थान	विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2013–14	698172
30	जॉनसन शैक्षणिक संस्थान	श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	323910
31	के एस जे उच्च विद्यालय	विकलांगों के लिए छात्रावास विद्यालय	प्रथम	2013–14	1707581
32	के एस जे उच्च विद्यालय	विकलांगों के लिए छात्रावास विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	569194
33	कल्याणम करोती	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	834492
34	मनीष सेवा संस्थान	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (ग्रामीण परियोजना)	पूर्ण और अंतिम	2013–14	684976
35	मेरठ बाल कल्याण न्यास	एमएच के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1308080
36	निर्वाण	एमआर के लिए वीटीसी सह एजुकेशन	प्रथम	2013–14	384613
37	पावाहारी स्मृति परिषद	एचएच के लिए आवासीय विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	829628
38	पावाहारी स्मृति परिषद	मूक व बधिरों के लिए आवासीय विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	1339904
39	प्राज्ञ नारायन मूक बधिर विद्यालय समिति	बधिरों के लिए विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	137720

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
40	रावत शिक्षा समिति	एचआई व वीआई के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	857027
41	रावत शिक्षा समिति	एचआई व वीआई के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	285536
42	समर्पण संस्थान	एमआर व एचएच के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	755881
43	सम्मान	विकलांगों के लिए विशेष स्कूल	पूर्ण और अंतिम	2012–13	221220
44	सम्मान	विकलांगों के लिए विशेष स्कूल	पूर्ण और अंतिम	2013–14	816390
45	सरस्वती एजुकेशनल सोसायटी	एचएच व विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय व वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	348180
46	सर्वहारा उत्थान समिति	एचएच के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	175333
47	सीमा सेवा संस्थान	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	675342
48	श्री कृष्ण आदर्श विद्या मंदिर	एमआर व एचएच के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	752688
49	श्री वृंदावन अंध महाविद्यालय	वीएच के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2013–14	806375
50	श्री वृंदावन अंध महाविद्यालय	वीएच के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	268792

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
51	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय	वीएच के लिए आवासीय विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	2461920
52	सुमित्रा स्मारक शिक्षण सेवा समिति	एचआई व एमआर के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	281678
53	द सोसायटी ऑफ कृषि ज्योति	श्रवण बाधितों के लिए आवासीय स्कूल	पूर्ण और अंतिम	2013–14	3695040
54	उपासना जन कल्याण सेवा समिति	डीडीआरसी, रामपुर	प्रथम	2014–15	508680
55	उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय	बधिरों के लिए आवासीय विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	1127950
				योग	**40933243**
		उत्तरांचल			
1	आशा स्कूल, देहरादून	एमआर व पीएच के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2012–13	404903
2	बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग	डीफ के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	633640
3	बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग	डीफ के लिए विशेष विद्यालय	प्रथम	2013–14	495972
4	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)	प्रथम	2012–13	120035

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
5	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)	द्वितीय	2012–13	23118
6	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)	पूर्ण और अंतिम	2013–14	229130
7	हैप्पी फेमिली हेल्थ केयर एंड रिसर्च एसोसिएशन	डीडीआरसी, हरिद्वार	प्रथम	2013–14	407115
8	हैप्पी फेमिली हेल्थ केयर एंड रिसर्च एसोसिएशन	डीडीआरसी, हरिद्वार	द्वितीय और अंतिम	2013–14	135705
9	इंदिरा राष्ट्रीय चेतना एवं समाजोत्थान संस्थान	स्कूली सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2012–13	493846
10	नन्ही दुनिया बधिर विद्यालय	डीफ के लिए आवासीय विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	119574
11	नन्ही दुनिया बधिर विद्यालय	डीफ के लिए आवासीय विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	161192
12	राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर	एमआर के लिए वीटीसी सह हॉस्टल व दिवसीय देखभाल केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2012–13	217219

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
13	राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर	एमआर के लिए वीटीसी सह हॉस्टल व दिवसीय देखभाल केंद्र	प्रथम	2013–14	868128
14	राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर	एमआर के लिए वीटीसी सह हास्टल व दिवसीय देखभाल केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2013–14	165252
15	राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर	मंद बुद्धि व्यक्तियों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम	द्वितीय और अंतिम	2012–13	28459
16	विकलांग मंदबुद्धि कल्याण समिति	एमएच के लिए विशेष विद्यालय	द्वितीय और अंतिम	2013–14	143959
				योग	**4647247**
		पश्चिम बंगाल			
1	अलाकेंदु बोध निकेतन आवासीय	मैन पावर डेवलपमेंट टीचर्स ट्रेनिंग	द्वितीय और अंतिम	2012–13	8634
2	आनंद भवन	एचएच के लिए विशेष शिक्षा सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	236340
3	आनंद भवन	अस्थि विकलांगों के लिए पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2013–14	535564

जारी...

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	2014–15 के दौरान जारी अनुदान का ब्यौरा		
			किस्त	वर्ष के लिए	राशि (रू.)
4	बिकाशयन	एमआर के लिए दिवसीय देखभाल केंद्र	प्रथम	2013–14	755362
5	श्रवण एवं मानसिक विकलांगों के लिए कोतवाली सलेहा मैमोरियल स्कूल	एमएच व एचएच बच्चों के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	187520
6	विकलांगों के लिए मनोविकास केंद्र पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान	एमआर के लिए विशेष विद्यालय (6 इकाईयां)	पूर्ण और अंतिम	2013–14	286875
7	मेंटायड	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2012–13	214012
8	मेंटायड	एमआर के लिए विशेष विद्यालय	पूर्ण और अंतिम	2013–14	420193
9	निमतौरी तामलुक उन्नायन समिति	विकलांगों के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2013–14	88756
10	आर के मिशन ब्लाइंड ब्वायज अकादमी, नरेंद्रपुर	ब्रेल प्रेस रखरखाव	प्रथम	2013–14	1630592
				योग	**4363848**

अनुबंध–13

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष 2014–15 में (28.02.2015 को) राज्यवार जारी अनुदान सहायता एवं लाभार्थियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राशि जारी की गई (लाख रू. में)				लाभार्थियों की संख्या				सहायता करने वाले संगठन			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2487.87	1275.5	1538.08	707.70	5482	21668	20613	16336	95	105	98	50
3	अरुणाचल प्रदेश	9.66	0.00	20.06	0.00	5482	0	1926	0	1	0	2	0
4	असम	174	119.75	162.31	97.27	5596	1452	1908	2836	16	13	22	14
5	बिहार	137.68	43.43	90.39	47.81	1950	801	1218	449	8	7	8	3
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	54.69	11.87	80.56	9.05	581	216	984	358	4	3	6	5
8	दादर एवं नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन एवं द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

जारी...

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष 2014–15 में (28.02.2015 को) राज्यवार जारी अनुदान सहायता एवं लाभार्थियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राशि जारी की गई (लाख रू. में)				लाभार्थियों की संख्या				सहायता करने वाले संगठन			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
10	दिल्ली	188.78	137.98	229.23	60.23	4333	2850	3950	1719	12	15	16	8
11	गोवा	0.00	11.6	3.25	10.09	0	201	108	170	0	1	1	1
12	गुजरात	49.68	30.95	113.8	62.38	35141	5541	4636	1856	8	8	19	18
13	हरियाणा	159.14	87.35	273.21	101.58	1756	1213	10640	12778	16	12	12	17
14	हिमाचल प्रदेश	38.3	28.14	39.54	8.79	913	1214	1836	300	3	7	6	3
15	जम्मू एवं कश्मीर	15.63	3.67	3.73	19.46	152	54	50	352	3	1	1	3
16	झारखंड	0.00	9.17	3.85	6.32	0	326	180	360	0	2	2	1
17	कर्नाटक	1146.63	348.00	480.87	77.96	10405	4650	7290	1112	57	44	47	10
18	केरल	1005.96	488.05	572.88	499.02	11583	2706	7404	7586	47	52	56	51
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

जारी...

अनुबंध–13

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष 2014–15 में (28.02.2015 को) राज्यवार जारी अनुदान सहायता एवं लाभार्थियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राशि जारी की गई (लाख रू. में)				लाभार्थियों की संख्या				सहायता करने वाले संगठन			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
20	मध्य प्रदेश	158.72	102.78	120.12	92.18	5383	22709	767	1438	14	18	19	14
21	महाराष्ट्र	228.92	111.5	146.12	223.79	49455	7865	10350	2354	12	25	19	37
22	मणिपुर	191.07	128.5	324.8	88.66	1568	2416	4751	2493	13	19	21	30
23	मेघालय	63.99	79.86	15.45	8.02	783	1009	243	107	5	3	1	1
24	मिजोरम	22.68	5.89	2.03	20.03	241	35	40	352	2	1	1	1
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	605.59	399.85	608.58	221.52	9445	7517	11199	3356	43	41	39	40
27	पुडुचेरी	12.65	12.05	6.28	7.18	216	225	115	222	1	1	1	1
28	पंजाब	97.65	47.72	13.54	101.13	1740	985	101	1677	9	7	2	10
29	राजस्थान	144.46	111.67	159.19	97.58	3818	2255	3143	3452	16	22	25	22

जारी...

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष 2014–15 में (28.02.2015 को) राज्यवार जारी अनुदान सहायता एवं लाभार्थियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राशि जारी की गई (लाख रू. में)				लाभार्थियों की संख्या				सहायता करने वाले संगठन			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	405.1	199.87	375.41	64.77	18993	6347	37654	1536	33	22	34	17
32	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	840.11	0	0	0	10791	0	0	0	69
33	त्रिपुरा	10.66	12.58	25.14	0.00	0	147	188	48	2	2	2	0
34	उत्तर प्रदेश	597.65	503.76	590.02	409.33	14857	20333	7968	5285	39	48	49	42
35	उत्तराखंड	63.83	45.35	27.95	46.47	1638	2527	498	858	7	6	6	9
36	पश्चिम बंगाल	544.52	342.72	337.7	43.63	38758	33430	27039	494	32	33	35	9
	डीडीआरसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	94000	65000	0	0	0	0
	कुल	**8615.51**	**4699.56**	**6364.09**	**3972.06***	**255307**	**154692**	**260799**	**145675***	**498**	**518**	**550**	**486***

* (28.02.2015 के अनुसार)

अनुबंध–14

2014–15 के दौरान, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई अनुदान सहायता के राज्य–वार ब्यौरे का सार (28.02.2015 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य के नाम	जारी की गई राशि (लाख रू. में)	सहायता प्रदत्त गैर सरकारी संगठन	सहायता प्रदत्त परियोजनाएं	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	707.70	50	92	16336
2	बिहार	47.81	3	4	449
3	छत्तीसगढ़	9.05	5	5	358
4	गोवा	10.09	1	2	170
5	गुजरात	62.38	18	25	1856
6	हरियाणा	101.58	17	27	12778
7	हिमाचल प्रदेश	8.79	3	5	300
8	जम्मू व कश्मीर	19.46	3	6	352
9	झारखंड	6.32	1	2	360
10	कर्नाटक	77.96	10	11	1112
11	केरल	499.02	51	95	7586
12	मध्य प्रदेश	92.18	14	24	1438
13	महाराष्ट्र	223.79	37	55	2354
14	ओडिशा	221.52	40	49	3356

जारी...

2014–15 के दौरान, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई अनुदान सहायता के राज्य–वार ब्यौरे का सार (28.02.2015 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य के नाम	जारी की गई राशि (लाख रू. में)	सहायता प्रदत्त गैर सरकारी संगठन	सहायता प्रदत्त परियोजनाएं	लाभार्थी
15	पंजाब	101.13	10	18	1677
16	राजस्थान	97.58	22	32	3452
17	तमिलनाडु	64.77	17	20	1536
18	तेलंगाना	840.11	69	97	10791
18	उत्तर प्रदेश	409.33	42	55	5285
19	उत्तराखंड	46.47	9	16	858
20	पश्चिम बंगाल	43.63	9	10	494
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य				
1	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0
2	असम	97.27	14	21	2836
3	मणिपुर	88.66	30	33	2493
4	मेघालय	8.02	1	2	107
5	मिजोरम	20.03	1	2	352

जारी...

अनुबंध–14

2014–15 के दौरान, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई अनुदान सहायता के राज्य–वार ब्यौरे का सार (28.02.2015 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य के नाम	जारी की गई राशि (लाख रू. में)	सहायता प्रदत्त गैर सरकारी संगठन	सहायता प्रदत्त परियोजनाएं	लाभार्थी
6	नागालैंड	0.00	0	0	0
7	सिक्किम	0.00	0	0	0
8	त्रिपुरा	0.00	0	0	48
	संघ राज्य क्षेत्र				
1	अंडमान व निकोबार	0.00	0	0	0
2	चंडीगढ़	0.00	0	0	0
3	दादरा व नगर हवेली	0.00	0	0	0
4	दमन व दीव	0.00	0	0	0
5	दिल्ली	60.23	8	9	1719
6	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0
7	पुडुचेरी	7.18	1	2	222
	डीडीआरसी				65000
	योग	**3972.06**	**486**	**719**	**145675**

अनुबंध–15

2014–15 के दौरान, सिपडा योजना के तहत राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को जारी धनराशि (मुख्य शीर्ष 3601) (15.02.2015 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उद्देश्य	जारी अनुदान सहायता राशि (लाख रू. में)
1	राजस्थान	लिफ्ट व रैंप का निर्माण	145.00
		कलेक्ट्रेट बिल्डिंग	5.48
2	पुडुचेरी	बाधामुक्त वातावरण का निर्माण (दृष्टिहीन स्कूल)	4.51
		राज्य आयुक्त के कार्यालय को सशक्त बनाना	10.47
3	जम्मू व कश्मीर	लिफ्ट व रैंप का निर्माण (दृष्टिहीन स्कूल)	6.40
4	मध्य प्रदेश	श्रवण बाधित बच्चों के लिए केंद्र बनाना, दक्षता विकास और बाधामुक्त वातावरण का निर्माण	113.07
		राज्य आयुक्त के कार्यालय को सशक्त बनाना	14.95
		शौचालय व रैंप का निर्माण	184.30

जारी...

अनुबंध–15

2014–15 के दौरान, सिपडा योजना के तहत राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को जारी धनराशि (मुख्य शीर्ष 3601) (15.02.2015 तक)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	उद्देश्य	जारी अनुदान सहायता राशि (लाख रू. में)
	मध्य प्रदेश	शाजापुर के कलेक्ट्रेट में लिफ्ट का निर्माण	37.02
		बाधामुक्त वातावरण का निर्माण	200.75
5	सिक्किम	राज्य आयुक्त के कार्यालय को सशक्त बनाना	11.45
6	मणिपुर	राज्य आयुक्त के कार्यालय को सशक्त बनाना	15.00
7	ओडिशा	विभिन्न जिलों में प्रारम्भिक हस्तक्षेप केंद्र की स्थापना करना	99.00
		योग	**847.4**

वर्ष 2014–15 के दौरान, सिपडा योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों / संस्थानों / संगठनों को जारी निधियां (मुख्य शीर्ष 2235)

क्र. सं.	संगठन	उद्देश्य	राशि (लाख रू. में)
1	टेक्नोलॉजी इनफारमेशन फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट ऑफ काउंसिल, नई दिल्ली	पीडब्ल्युडी में असिस्टिव डिवाइसेज की तैयारी	19.69
2	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नई दिल्ली की सेवाएं	पीडब्ल्यूडी के ई पोर्टल हेतु डीपीआर तैयार करना	13.45
3	मानसिक विकलांगों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट, सिकंदराबाद	बाधामुक्त वातावरण	21.63
4	डीडीआरसी, मणिपुर	पांच वर्ष सहायता अनुदान में लोगों की उन्नति	4.09
5	डीडीआरसी, बरेली, उ.प्र.	बरेली में डीडीआरसी, की स्थापना	12.90
6	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, औरंगाबाद	औरंगाबाद बिहार में डीडीआरसी का संचालन	5.51
7	सीआरसी, सुंदरनगर	सहायता अनुदान	81.60
		सहायता अनुदान	75.40

जारी...

अनुबंध–16

वर्ष 2014–15 के दौरान, सिपडा योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थानों/संगठनों को जारी निधियां (मुख्य शीर्ष 2235)

क्र. सं.	संगठन	उद्देश्य	राशि (लाख रू. में)
8	सीआरसी भोपाल	सहायता अनुदान	25.57
		सहायता अनुदान	27.50
		सहायता अनुदान	122.00
9	सीआरसी, गुवाटी	सहायता अनुदान	67.20
		सहायता अनुदान	137.20
10	लखनऊ	सहायता अनुदान	50.00
11	मानसिक विकलांगों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून	निर्माण का अनुमान	176.00
12	सीआरसी, कोझीकोड (केरल)	सहायता अनुदान	98.00
13	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	एक्सेसिव वेबसाइट	18.79
14	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन	8500 पीडब्ल्युडी में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग	1000.00

जारी...

अनुबंध–16

वर्ष 2014–15 के दौरान, सिपडा योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थानों/संगठनों को जारी निधियां (मुख्य शीर्ष 2235)

क्र. सं.	संगठन	उद्देश्य	राशि (लाख रू. में)
15	सीआरसी पटना	सहायता अनुदान	55.00
		सहायता अनुदान	18.00
		सहायता अनुदान	13.00
16	डीडीआरसी, मेडक, तेलंगाना	सहायता अनुदान	17.20
17	डीडीआरसी, शिवपुरी म.प्र.	सहायता अनुदान	5.82
18	डीडीआरसी, डोडा जम्मू व कश्मीर	सहायता अनुदान	4.92
19	डीडीआरसी, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	सहायता अनुदान	3.41
20	डीडीआरसी, उत्तरी त्रिपुरा	सहायता अनुदान	11.03
	डीडीआरसी, पश्चिमी खासी जिला मेघालय	सहायता अनुदान	18.82
21	डीडीआरसी, जालौर, राजस्थान	सहायता अनुदान	3.02

जारी...

अनुबंध–16

वर्ष 2014–15 के दौरान, सिपडा योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों / संस्थानों / संगठनों को जारी निधियां (मुख्य शीर्ष 2235)

क्र. सं.	संगठन	उद्देश्य	राशि (लाख रू. में)
	सीआरसी श्रीनगर	सहायता अनुदान	121.80
		सहायता अनुदान	122.75
22	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	बाधामुक्त वातावरण का निर्माण	24.85
23	सीआरसी अहमदाबाद	सहायता अनुदान	82.50
24	डीडीआरसी कानपुर देहात	सहायता अनुदान	12.10
		योग	**2470.75**

अनुबंध–17

सिपडा के अंतर्गत 2014–15 में खोले गए नए डीडीआरसी

क्र. सं.	डीडीआरसी का नाम	राज्य	किस्त	राशि (रू.)
1	डीडीआरसी बरेली	उत्तर प्रदेश	प्रथम वर्ष जीआईए	12,90,000
2	डीडीआरसी मेडक	तेलगांना	प्रथम वर्ष जीआईए	17,20,000
3	डीडीआरसी पश्चिमी खासी पहाड़ी	मेघालय	प्रथम वर्ष जीआईए	18,82,000
4	डीडीआरसी कानपुर देहात	उत्तर प्रदेश	प्रथम वर्ष जीआईए	12,10,000
			कुल	**रू. 61,02,000/–**

अनुबंध–18

2014–15 के दौरान सिपडा के अंतर्गत वित्तपोषित चालू डीडीआरसी

क्र. सं.	डीडीआरसी का नाम	राज्य	किस्त	राशि (रू.)
1.	डीडीआरसी हरिद्वार	उत्तराखंड	2013–14 पहली किस्त	407115
2.	डीडीआरसी गुना	मध्य प्रदेश	2013–14	69405
3.	डीडीआरसी जोधपुर	राजस्थान	2012–13	187662
4.	डीडीआरसी जोधपुर	राजस्थान	2013–14	292184
5.	डीडीआरसी छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	2012–13	209580
6.	डीडीआरसी छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	2013–14 पहली किस्त	382277
7.	डीडीआरसी नाडियाड	गुजरात	2012–13	210689
8.	डीडीआरसी हरिद्वार	उत्तराखंड	2013–14 दूसरी व अंतिम किस्त	135705
9.	डीडीआरसी लातूर	महाराष्ट्र	2012–13	120954
10.	डीडीआरसी लातूर	महाराष्ट्र	2013–14	386518
11.	डीडीआरसी टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	2012–13 पहली किस्त	120035
12.	डीडीआरसी अमरावती	महाराष्ट्र	2014–15 पहली किस्त	688500

जारी...

2014–15 के दौरान सिपडा के अंतर्गत वित्तपोषित चालू डीडीआरसी

क्र. सं.	डीडीआरसी का नाम	राज्य	किस्त	राशि (रू.)
13.	डीडीआरसी औरंगाबाद	महाराष्ट्र	2012–13	397121
14.	डीडीआरसी औरंगाबाद	महाराष्ट्र	2013–14	584896
15.	डीडीआरसी टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	2013–14	229130
16.	डीडीआरसी टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	2012–13 दूसरी व अंतिम किस्त	23118
17.	डीडीआरसी बालाघाट	मध्य प्रदेश	2014–15 पहली किस्त	506926
18.	डीडीआरसी छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	2013–14 दूसरी व अंतिम किस्त	120393
19.	डीडीआरसी छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	2014–15 पहली किस्त	575100
20.	डीडीआरसी लातूर	महाराष्ट्र	2014–15 पहली किस्त	167550
21.	डीडीआरसी रामपुर	उत्तर प्रदेश	2014–15 पहली किस्त	508680
22.	डीडीआरसी गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	2014–15	400564
			योग	**रू. 67,24,102/–**

अनुबंध–19

2014–15 के दौरान सिपडा के अंतर्गत वित्त पोषित चालू डीडीआरसी

क्र. सं.	डीडीआरसी का नाम	राज्य	किस्त	राशि (रू.)
1.	डीडीआरसी चूड़ाचांदपुर	मणिपुर	2013–14	408800
2.	डीडीआरसी औरंगाबाद	बिहार	दूसरा वर्ष जीआईए पहली किस्त	551315
3.	डीडीआरसी शिवपुरी	मध्य प्रदेश	तीसरा वर्ष जीआईए	582352
4.	डीडीआरसी डोडा	जम्मू व कश्मीर	पांचवा वर्ष जीआईए	491781
5.	डीडीआरसी विजयनगरम	आंध्र प्रदेश	दूसरा वर्ष जीआईए पहली किस्त	341295
6.	डीडीआरसी उत्तर त्रिपुरा	त्रिपुरा	चौथा वर्ष जीआईए	1102861
7.	डीडीआरसी जालौर	राजस्थान	तीसरा वर्ष जीआईए	301656
8.	डीडीआरसी पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश	तीसरा वर्ष जीआईए	670962
9.	डीडीआरसी मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	तीसरा वर्ष जीआईए	426580
			योग	रू. **48,77,602/–**

राष्ट्रीय संस्थानों / समेकित क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा लंबी अवधि पाठ्यक्रमों (एक या एक से अधिक वर्ष के) को चलाने का विवरण

1. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, (एवाईजेएनआईएचएच), मुंबई			
क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
एवाईजेएनआईएचएच, मुंबई का पाठ्यक्रम			
1	श्रवण विज्ञान में स्नातकोत्तर, वाणी–भाषा विकृति विज्ञान	2 वर्ष	19
2	शिक्षा में स्नातकोत्तर (श्रवण बाधित)	1 वर्ष	23
3	श्रवण विज्ञान में स्नातक, वाणी–भाषा विकृति विज्ञान	4 वर्ष	43
4	श्रवण विज्ञान में स्नातक (श्रवण बाधित)	1 वर्ष	39
5	मीडिया और विकलांगता संप्रेषण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष	18
6	संकेत भाषा दुभाषिया पाठ्यक्रम में डिप्लोमा	1 वर्ष	15
7	श्रवण मौखिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1 वर्ष	10

जारी...

अनुबंध–20

राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा लंबी अवधि पाठ्यक्रमों (एक या एक से अधिक वर्ष के) को चलाने का विवरण

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता का पाठ्यक्रम			
1	श्रवण विज्ञान में स्नातकोत्तर, वाणी–भाषा विकृति विज्ञान	2 वर्ष	15
2	शिक्षा में स्नोतकोत्तर (श्रवण बाधित)	1 वर्ष	10
3	श्रवण विज्ञान में स्नातक, वाणी–भाषा विकृति विज्ञान	4 वर्ष	31
4	शिक्षा में स्नातक (श्रवण बाधित)	1 वर्ष	23
5	शिक्षा में स्नातक (श्रवण बाधित) दूरस्थ शिक्षा	1 वर्ष	40
6	शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा–डीएचएच)	2 वर्ष	31
7	संकेत भाषा में दुभाषिया पाठ्यक्रम में डिप्लोमा	1 वर्ष	15
8	कंप्यूटर अनुप्रयोग पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	1 वर्ष	40

जारी...

अनुबंध–20

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र सिकंदराबाद में पाठ्यक्रम			
1	विज्ञान में स्नाकोत्तर (श्रवण विज्ञान, वाणी–भाषा विकृति विज्ञान)	2 वर्ष	15
2	विज्ञान में स्नातक (श्रवण, वाणी भाषा विकृति विज्ञान)	4 वर्ष	31
3	विज्ञान में स्नातक (श्रवण बाधित)	1 वर्ष	31
4	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (डीएचएच)	2 वर्ष	31

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
एनआरसी दिल्ली, में पाठ्यक्रम			
1	श्रवण विज्ञान में स्नातक, वाणी–भाषा विकृति विज्ञान	4 वर्ष	31
2	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (डीएचएच)	2 वर्ष	31
3	श्रवण, भाषा व वाणी में डिप्लोमा	1 वर्ष	31
4	संकेत भाषा दुभाषिया पाठ्यक्रम में डिप्लोमा	1 वर्ष	15
5	श्रवण बाधितों के लिए कंप्यूटर अनुप्रयोग पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	1 वर्ष	20

जारी...

अनुबंध–20

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
टीसीटीडी जोन ओडिशा में पाठ्यक्रम			
1	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (डीएचएच)	2 वर्ष	31
2	श्रवण भाषा व वाणी में डिप्लोमा	1 वर्ष	31

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
सीआरसी भोपाल के कोर्स			
1	श्रवण, भाषा व वाणी में डिप्लोमा	1 वर्ष	25
2	शिक्षा–विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर)	2 वर्ष	25
3	प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	1 वर्ष	25

जारी...

2. राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (निरतार), कटक, ओडिशा			
क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
एसवीएनआइटीएआर, कटक में पाठ्यक्रम			
1	भौतिक चिकित्सा में स्नातक (बीपीटी)	4 ½ वर्ष	62
2	व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक (बीओटी)	4 ½ वर्ष	62
3	प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक में स्नातक (सीपीओ)	4 ½ वर्ष	46
4	भौतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर	02 वर्ष	15
5	व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर (एमओटी)	02 वर्ष	15

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
सीआरसी गुवाहाटी, में पाठ्यक्रम			
1	डिप्लोमा इन हियरिंग, लैंग्वेज एंड स्पीच (डीएचएलएस)	1 वर्ष	25

जारी...

अनुबंध–20

3. राष्ट्रीय बहुविकलांग ग्रस्त व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी), चेन्नई			
क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
एनआईईपीएमडी, चेन्नई के पाठ्यक्रम			
1.	एम.फिल (क्लिनिकल साइकोलॉजी)	02 वर्ष	08
2.	बी.एड विशेष शिक्षा (एमडी)	01 वर्ष	20
3.	अर्ली इंटरवेंशन में पीजी डिप्लोमा	01 वर्ष	10
4.	डी.एड विशेष शिक्षा (एएसडी)	02 वर्ष	50
5.	डी.एड विशेष शिक्षा (सीपी)	02 वर्ष	50
6.	डी.एड विशेष शिक्षा (डीबी)	02 वर्ष	50

4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, (एनआईएमएच), सिकंदराबाद			
क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
एनआईएमएच, सिकंदराबाद में पाठ्यक्रम			
1.	विकलांगता में एम.एससी (ईआई)	2 वर्ष	10
2.	विशेष शिक्षा में एम.एड (एमआर)	1 वर्ष	31
3.	एम.फिल इन रिहेब्लिटेशन साइकोलॉजी (एमआर)	2 वर्ष	14
4.	विशेष शिक्षा में बी.एड (एमआर)	1 वर्ष	25

जारी...

अनुबंध–20

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
5.	मास्टर इन डिसबेलिटी रिहेब्लिटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन	2 वर्ष	20
6.	पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन	1 वर्ष	20
7.	डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेब्लिटेशन	1 वर्ष	25
8.	डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	1 वर्ष	25
9.	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेब्लिटेशन (एमआर)	1 वर्ष	25

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली में उपलब्ध केंद्र			
1.	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	2 वर्ष	31
2.	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (दूरस्थ माध्यम)	1 वर्ष	25

जारी...

अनुबंध–20

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
क्षेत्रीय केंद्र मुंबई में उपलब्ध कोर्स			
1.	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	1 वर्ष	25
2.	डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	1 वर्ष	25
3.	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेब्लिटेशन (एमआर)	1 वर्ष	25

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में उपलब्ध कोर्स			
1.	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	1 वर्ष	25
2.	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	2 वर्ष	31
3.	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेब्लिटेशन (एमआर)	1 वर्ष	25

5. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, (एनआईओएच), कोलकाता

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
एनआईओएच, कोलकाता में कोर्स			
1.	मास्टर इन फिजियोथेरेपी	2 वर्ष	6
2.	मास्टर इन आकुपेशनल थेरेपी	2 वर्ष	6

जारी...

अनुबंध–20

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
3.	मास्टर इन साइंस प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक्स	2 वर्ष	6
4.	डिप्लोमा नेशनल बोर्ड इन फिजीकल मेडिसन एंड रिहेब्लिटेशन डीएनबी (पीएमआर)	2 वर्ष	2
5.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिसेबिलिटी रिहेब्लिटेशन एंड मैनेजमेंट (पीजीडीडीआरएम)	1 वर्ष	15
6.	एम.एससी. रिहेब्लिटेशन नर्सिंग	2 वर्ष	10
7.	फिजियोथेरेपी में स्नातक	4 एवं ½ वर्ष	52
8.	आकुपेशनल थेरेपी में स्नातक	4 एवं ½ वर्ष	51
9.	प्रोस्थेटिक व आर्थोटिक्स में स्नातक	4 एवं ½ वर्ष	34

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
क्षेत्रीय केंद्र, आइजोल में पाठ्यक्रम			
1	डिप्लोमा इन रिहेब्लिटेशन (डीआरटी)	2 ½	10

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
क्षेत्रीय केंद्र, देहरादून में पाठ्यक्रम			
1	डिप्लोमा इन रिहेब्लिटेशन (डीआरटी)	2 ½	10
2.	सीपी		10

जारी...

अनुबंध–20

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
सीआरसी पटना में उपलब्ध पाठ्यक्रम			
1	डीएचएलएस	1 वर्ष	25
2	डीआरटी	2 ½	25
3	सीपीओ	1 वर्ष	25

6. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, (आईपीएच), नई दिल्ली			
क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
शारीरिक विकलांग संस्थान, आईपीएच, नई दिल्ली			
1.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी)	4½ वर्ष	54
2	बैचलर ऑफ आकुपेशनल थेरेपी (बीओटी)	4½ वर्ष	54
3	बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक (बीपीओ)	4½ वर्ष	31

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
समेकित क्षेत्रीय केंद्र, सीआरसी, लखनऊ			
1.	डी.एड. एसई (VI)	2 वर्ष	25

जारी...

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
समेकित क्षेत्रीय केंद्र, सीआरसी, श्रीनगर			
1	पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रिहेब्लिटेशन साइकोलॉजी	1 वर्ष + 3 माह इंटर्नशिप	20
2	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन	1 वर्ष	25
3.	बैचलर इन रिहेब्लिटेशन थेरेपी (बीआरटी)	3 ½ वर्ष + माह इंटर्नशिप	10
4.	प्रोस्थटिक्स एंड आर्थोटिक्स में डिप्लोमा	2 ½ वर्ष	20

7. राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, एनआईवीएच, देहरादून			
क्र. सं.	**पाठ्यक्रम का नाम**	**पाठ्यक्रम की अवधि**	**सीटों की संख्या**
एनआईवीएच, देहरादून में			
1	कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	1 वर्ष	21
2	ब्रेल शार्टहैंड (हिंदी)	1 वर्ष	16
3	एफएम ब्रॉडकास्टिंग एंड जर्नलिज्म	1 वर्ष	10
4	जापानीज मेडिकल मैनुअल थेरेपी में व्यवसायी पाठ्यक्रम	2 वर्ष	15
5	लाइट इंजीनियरिंग	1 वर्ष	09
6	चेयर्स री–कैनिंग	1 वर्ष	25

जारी...

अनुबंध–20

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई			
1	ट्रेनिंग कोर्स इन एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरीशिप	(1 वर्ष)	15

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
समेकित क्षेत्रीय केंद्र, सीआरसी, सुंदरनगर			
1	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (वी.I)	2 वर्ष	55
2	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	2 वर्ष	55
3	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (एचआई)	2 वर्ष	55
4	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (सीपी)	2 वर्ष	55

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग

....

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में परिभाषित शब्दावली

(क) ''अंधता'' उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित है, अर्थातः–

i. दृष्टि का पूर्ण अभाव; या

ii. सुधारक लेंसो के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक न हो; या

iii. दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे बदतर है;

(ख) ''निःशक्तता'' से अभिप्रेत है–

i. अन्धता;

ii. कम दृष्टि;

iii. कुष्ठ रोग मुक्त;

iv. श्रवण बाधित;

v. चलन विकलांगता;

vi. मानसिक मंदता;

vii. मानसिक रूग्णता;

(ग) ''स्थापन'' से केन्द्रीय, प्रांतीय या अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम अथवा सरकार अथवा किसी स्थानीय कम्पनी के स्वामित्वाधीन या सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत किसी सरकार के विभाग है;

(घ) "श्रवण बाधित" से अभिप्राय है संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हाानि;

(ड़) "निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थान" से निःशक्त व्यक्तियों के प्रवेश, देखरेख, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास या किसी अन्य सेवा के लिए संस्था अभिप्रेत हैं;

(च) "कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कुष्ठ से रोग मुक्त हो गया है किन्तु–

i. हाथों या पैरों में सवेंदना की कमी और नेत्र और पलक में कमी सवेंदना की कमी और आंशिक घात से ग्रस्त है किन्तु प्रकट विरूपता से ग्रस्त नही है;

ii. प्रकट विरूपता और आंशिक घात से ग्रस्त है, किन्तु उसके हाथों और पैंरो में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे वह सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप कर सकता है;

iii. अत्यन्त शारीरिक विरूपता और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है जो उसे कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने से रोकती है;

(छ) "चलन विकलांगता" से हड्डियों, जोड़ो या मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो;

(ज) "चिकित्सा प्राधिकारी" से कोई ऐसा अस्पताल या संस्था अभिप्रेत है जो समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विनिदिष्ट की जाए;

(झ) "मानसिक रूग्णता" से मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकार अभिप्रेत है;

(ण) "मानसिक मंदता" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति की चित्त की अवरूद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था जो विशेष रूप से वृद्धि की अवसामान्यता द्वारा अभिलक्षित होती है;

(त) "निःशक्त व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निःशक्तता के कम से कम चालीस प्रतिशत से ग्रस्त है;

(थ) "अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक मुक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है।

(द) "पुनर्वास" ऐसी प्रक्रिया के प्रति निर्देश करता है जिसका उदेश्य निःशक्त व्यक्तियों को, उनका सर्वोत्तम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कृत्यकारी स्तर प्राप्त करने में और उसे बनाए रखने में समर्थ बनाना है;

(ध) "विशेष रोजगार कार्यालय" से कोई ऐसा कार्यालय या स्थान अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा रजिस्ट्रर रख कर अन्यथा निम्नलिखित की बाबत जानकारी का संग्रहण करने और देने के लिए स्थापित और अनुरक्षित किया गया है:–

i. ऐसे व्यक्ति, जो निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों में से कर्मचारियों को काम में लगाना चाहते है;

ii. ऐसे निःशक्त व्यक्ति, जो नियोजन चाहते है; और

iii. ऐसे रिक्त स्थान, जिनके लिए नियोजन चाहने वाले निःशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है।

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांग ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में परिभाषित शब्दावली

(क) "ऑटिज्म" स्वालीनता का अर्थ है असमानता निपुर्ति की स्थिति जो मनुष्य के संचार व्यवहार और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है और बांरबारता मूलक और विधिवादी व्यवहार से चिंहित करती है।

(ख) बहुनिशक्तताओं (बहु विकलांग) का अर्थ है दो या दो अधिक निःशक्तताओं का सहयोजन, जैसा कि आवश्कताओं वाला व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का एक) की धारा दो की उपधारा एक परिभाषित करती है।

(ग) निशक्तता वाला व्यक्ति का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जो स्वालीनता का मस्तिष्क का घात, मानसिक मंदिता अथवा किसी स्थिति या ऐसी दो या दो से अधिक निष्क्रियता से ग्रस्त है और इसमें गंभीर बहुनिशक्तता वाला व्यक्ति भी शामिल होता है।

(घ) गंभीर निशक्तता का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो क्षेत्र में विशेष दक्षता रखता है जो निशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देगा।

(ड़) गंभीर निशक्तता का अर्थ ऐसी निशक्तता है जो एक या अधिक बहुनिशक्तताओं का 80% या अधिक भाग रखती हैं।

भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 में परिभाषित शब्दावली

(क) "मान्यताप्राप्त पुनर्वास अर्हता" से अनुसूची में सम्मिलित अर्हताओं में से कोई अर्हता अभिप्रेत है।

(ख) "पुनर्वासवृत्तिक" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं:–

(i) श्रवण वैज्ञानिक और वाक् चिकित्सक;

(ii) लाक्षणिक मनोविज्ञानी;

(iii) श्रवणसहाय और कर्ण तंत्रिका तकनीकी;

(iv) पुनर्वास इंजीनियर और तकनीकी;

(v) असुविधाग्रस्त से शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए विशेष अध्यापक;

(vi) असुविधाग्रस्त से संबंधित व्यवसाय परामर्शी, रोजगार अधिकारी और स्थान अधिकारी;

(vii) बहुउद्देशीय पुनर्वास चिकित्सक, तकनीकी;

(viii) वृत्तिकों के ऐसे अन्य प्रवर्ग, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, परिषद् के परामर्श, से समय–समय पर अधिसूचित करे।

[एनआईएमएच] द्वारा अपने कार्य चालन में प्रयोग किये जा रहे है महत्वपूर्ण और सामान्य शब्दों तथा संक्षिप्त अक्षरों की शब्दावली

शब्द	संक्षिप्त अक्षर	परिभाषा
एक्टीव रेंज ऑफ मोशन	आरओएम	चलन सीमा एक शब्द है जिसका अर्थ है शरीर का एक जोड़ अथवा हिस्सा जो सामान्य गति से काम करता है।
एक्टीविटिज ऑफ डेली लीविंग	एडीएल	इसका तात्पर्य दैनिक स्वंय क्रियाकलापों से है जैसे खाना, नहाना, कपड़े पहनना आदि।
एसिसटेंस टू डिसेब्ल्ड परसन्स फॉर परचेज/ फीटिंग ऑफ एड्स/ अपलाईनसिस	एडिप	विकलांग व्यक्तियों को चलाने फिरने में मद्द करने के लिए देश में अच्छी गुणवत्ता वाले यंत्रों को सहायक उपकरणों की आपूर्ति योजना।
एटेनशन डेफिसिट हाइपरएक्टीव डिस्आर्डर	एडीएचडी	एक ऐसी कमी जो बचपन में विकसित होती है ध्यान न देने के कारण अतिसक्रियताए आवेशशीलता के कारण विकसित होता है।
ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्आर्डर	एएसडी	यह एक विकास सम्बन्धी कमी है जो सामान्यतः तीन वर्ष की आयु से पहले होती है तथा सामाजिकरण बातचीत और एक समान व्यवहार के मिलने से विकसित होती है।
क्रोनोलोजिकल ऐज	सीए	व्यक्ति के जन्म से अब तक की शारीरिक आयु।

[एनआईएमएच] द्वारा अपने कार्य चालन में प्रयोग किये जा रहे है महत्वपूर्ण और सामान्य शब्दों तथा संक्षिप्त अक्षरों की शब्दावली

शब्द	संक्षिप्त अक्षर	परिभाषा
कम्युनिटी बेस्ट रिहेब्लिटेशन	सीबीआर	विकलांग व्यक्तियों का और पुनर्वास, अवसरों की सामान्यतः सामाजिक व्यवहार के विकास के लिए समुदाय विकास के भीतर एक योजना।
कम्पोजिट रिहेब्लिटेशन सेन्टर	सीआरसी	देश में फोक्स किए गए क्षेत्रों मे विकलांग पुनर्वास गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए डिसेबिलिटी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राष्ट्रीय संस्थान का एक विस्तार केंद।
डेवलेपमेंटल कोशिएन्ट	डिक्यू	जब किसी व्यक्ति की विकासात्मक आयु वास्तविक आयु द्वारा विभाजित करके 100 से गुणा की जाती है तब बनाया गया एक तरीका।
डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेब्लिटेशन सेन्टर	डीडीआरसी	जिला स्तर पर विकलांग व्यक्तियों हेतु पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए डिसेबिलिटी कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक योजना।
डॉउनस सिन्ड्रोम	डीएस	डाउन सिन्ड्रोम क्रोमोसोमल ऐबरेन्ड स्थिति है जो बौधिक विकलांगता से जुड़ी है। शैशव काल में फेशियल एम्पीयल्स और कमजोर मस्सल के रूप में दिखाई देता है। इससे ग्रसित सभी व्यक्ति संज्ञात्मक विलम्ब महसूस करते है परन्तु बौद्धिक विकलांगता आमतौर पर कम अथवा मामूली होती है।

[एनआईएमएच] द्वारा अपने कार्य चालन में प्रयोग किये जा रहे है महत्वपूर्ण और सामान्य शब्दों तथा संक्षिप्त अक्षरों की शब्दावली

शब्द	संक्षिप्त अक्षर	परिभाषा
इन्डीविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम	आईईपी	किसी विशेष व्यक्ति की समग्र योग्यता के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करता हैं।
इन्टेलीजेन्स कोशियन्ट	आईक्यू	मानसिक आयु और वास्तविक आयु को 100 से गुणा करने पर प्राप्त औसत/मानसिक आयु इन्टेलीजेन्स जाँच द्वारा प्राप्त की जाती है।
लर्निंग डिसेबिलिटी/ स्पेसिफीक लर्निंग डिसेबिलिटी	एलडी/ एसएलडी	सामान्य बौद्धिक कार्यचालन औसत अथवा औसत अथवा से ऊपर होने पर भी अधिग्रहण तथा सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तार्किक तथा गणितीय योग्यता के प्रयोग में कठिनाइयां द्वारा विकसित कमी।
मेन्टल एज	एमए	इंटेलीजेन्ट टेस्ट से प्राप्त।
सोशल एज	एसए	एस, एक कार्य सक्षमता है जो बातचीत स्वयं निर्देशक, सामाजिक संदर्भ में इस उम्र में ऐसे लक्षण से प्राप्त की जाती है।
सोशल स्कील ट्रेनिंग	एसएसटी	सामाजिक कौशल बढ़ाने के लिए थेराप्युटिक स्टिमुलेशन दिया जाता है।

[एनआईएमएच] द्वारा अपने कार्य चालन में प्रयोग किये जा रहे है महत्वपूर्ण और सामान्य शब्दों तथा संक्षिप्त अक्षरों की शब्दावली

शब्द	संक्षिप्त अक्षर	परिभाषा
वोकेशनल रिहेब्लिटेशन सेंटर	वीआरसी	श्रम मंत्रालय के अंर्तगत वीआरसी में विकलांग व्यक्ति के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार हेतु समताओं का मूल्यांकन किया जाता है।
वोकेशनल ट्रेनिंग	वीटी	वयस्क विकलांगो को स्वतंत्र जीवन यापन के लिए विभिन्न रोजगार गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

एलिमको द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे महत्त्वपूर्ण संक्षिप्त अक्षर

संकेत अक्षर/ संक्षिप्त अक्षर	परिभाषा
एलिमको	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम
जीआईए	अनुदान सहायता
पीडब्ल्यूडी	विकलांग व्यक्ति
टी/सी	ट्राईसाइकिल
एच/ए	श्रवणयंत्र
एएफओ	एंकल फुट ओरथोसिस (लघु पैर ब्रेस)
एचकेएएफओ	हिप नी फुट ओरथोसिस
आरसीआई	भारतीय पुनर्वास परिषद्
ए एण्ड ए	यंत्र एवं उपकरण
पी एण्ड ओ	प्रोस्थेटिक्स और ओरथोटिक्स
डब्ल्यू/सी	व्हीलचेयर

एलिमको द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे महत्त्वपूर्ण संक्षिप्त अक्षर

संकेत अक्षर/ संक्षिप्त अक्षर	परिभाषा
बीटीई	बिहाइन्ड द इयर हिएरिंग एट
केएचएफओ	नी एंकल फुट ओरथोसिस
बीआईएल	द्विपक्षीय
एमआर	मानसिक मंदता
सीडब्ल्यूएसएन	विशेष ध्यान दिए जाने हेतु बच्चा

एलिमको द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे महत्त्वपूर्ण संक्षिप्त अक्षर

संकेत अक्षर/ संक्षिप्त अक्षर	परिभाषा
बीटीई	बिहाइन्ड द इयर हिएरिंग एट
केएचएफओ	नी एंकल फुट ओरथोसिस
बीआईएल	द्विपक्षीय
एमआर	मानसिक मंदता
सीडब्ल्यूएसएन	विशेष ध्यान दिए जाने हेतु बच्चा

संक्षिप्ताक्षरों की सूची – भारत में विकलांग प्रबंधन

एएसी	आगमैन्टेटिव एंड आलटरनेटिव कम्यूनिकेशन
एबीआर	ऑडिटरी ब्रेनस्टैम रेस्पोन्स
एआईआईएसएच	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग
एआईपीएमआर	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मैडिकल एंड रिहेब्लिटेशन
एवाईजेएनआईएचएच	अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैन्डीकैप
बीएमएफ	बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क
सीसीसी	केन्द्रीय समन्वय समिति
सीसीपीडी	विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त
सीईओ	केन्द्र कार्यकारी समिति
सीआरई	कन्टीन्यूईंग रिहेब्लिटेशन एज्यूकेशन
डीएआईएसई	डिजिटल एक्सेसिबल इंफोरमेशन सिस्टम
डीडीआरसी	जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र
डीएफए	डेसी फॉर ऑल
डीपीईपी–आईईडी	डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एज्यूकेशन प्रोग्राम एज्यूकेशन फॉर द डिसेबल

संक्षिप्ताक्षरों की सूची – भारत में विकलांग प्रबंधन

डीपीओ	विकलांग संस्थान
डीआरसी	जिला पुनर्वास केन्द्र
आईईडी	इंटिग्रेटिड एज्यूकेशन फॉर डिसेबल
आईईडीसी	इंटिग्रेटिड एज्यूकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन
आईपीएच	पं. दीनदयाल शारीरिक विकलांग संस्थान
आईएसआईसी	इंडियन स्पाइनल इंजुरी सैंटर
एमआरडब्ल्यू	बहुउद्देशीय पुनर्वास कामगार
एनएचएफडीसी	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
एनआई	राष्ट्रीय संस्थान
एनआईएमएच	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान
एनआईएमएचएएनएस	मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोविज्ञान के लिए राष्ट्रीय संस्थान
एनआईओएच	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान
एनआईआरटीएआर	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान
एनआईवीएच	राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान

संक्षिप्ताक्षरों की सूची – भारत में विकलांग प्रबंधन

एनपीआरपीडी	विकलांगों के लिए पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
पीपीआई	परमानेन्ट फिजिकल इंपेयरमैंट
पीडब्ल्यूडी एक्ट	विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
आरआरटीसी	क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र
आरएसआईसी	क्षेत्रीय मेरूदण्ड क्षति केन्द्र
एसई	विशेष शिक्षा

विकलांगता संबंधी शब्दकोश

क्र. सं.		परिभाषा
1.	एडेप्टिव बिहेवियर स्केल	किसी व्यक्ति की, उसके वातावरण के साथ समुचित व्यवहार के संबंध में, योग्यता का मूल्याकंन करने के लिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटारडेशन द्वारा विकसित एक स्केल।
2.	एकोस्टीक एड्स	किसी व्यक्ति को सुनने में मदद के लिए कोई माध्यम।
3.	एक्टीविटीज ऑफ डेली लिविंग	मूल वैयक्तिक गतिविधियां जिसमें नहाना, खाना, कपड़े पहनना, चलना, बिस्तर से चेयर पर लाना, प्रसाधन का इस्तेमाल, दवाई आदि देना, सामाजिकरण, कार्याचालन संप्रेक्षण, कार्य संबंधी चलना फिरना, सैक्सुअल अभिव्यक्ति, शामिल है।
4.	एटेंशन डेफीसिट डिसॉर्डर (एडीडी)	एटेंशन डेफीसिट अथवा हाईपर एक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी)।
5	एलजाइमर्स डीसीज	एक प्रग्रामी इरीवरसीवल बीमारी जो डिजनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स तथा मेमोरी के खो जाने से होती है और जिसके कारण व्यक्ति अपनी मूलभूत जीवन यापन संबंधी जरुरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है तथा अकार्यशील हो जाता है।
6.	ऐम्बुलेट्री	सहायक उपकरणों के साथ अथवा उनके बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सक्षम।

विकलांगता संबंधी शब्दकोश

क्र. सं.		परिभाषा
7.	अमेरिकन साइन लेन्गवेज	श्रवण बाधित व्यक्तियों की एक दृष्टिगत भाषा (हाथ की मुद्राओं का प्रयोग करते हुए), जिसकी अपनी शब्दावली, ग्रामर, इडियम्स और सिन्टैक्स होता है। एएसएल अमेरिका में प्रयोग की जाने वाली सबसे सामान्य सांकेतिक भाषा का रुप है। यह संकेत अंग्रेजी अथवा किसी अन्य बोलचाल की भाषा पर आधारित नहीं।
8.	एटेक्सिया	एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति फाइन्ड एण्ड ग्रोस मोटर मूवमेन्ट एण्ड बैलेन्स को नियंत्रित करने में बेहद परेशानी महसूस करता है, जिसके कारण सैरेबैलम का नुकसान होता है।
9	एटेन्शन डेफीसिट डिसॉर्डर (एडीडी)	सामान्यतः एडीडी के रुप में जानी जाती है जो न्यूरोलोजिकल डिसेबिलिटी है और इसके लक्षणों में समुचित रुप से ध्यान न देने के कौशल में कमी, इम्पलसिव बिहेवियर और कुछ मामलों में हाइपर एक्टिविटी। एडीडी को क्रोनिक बिहेवियर के रुप में जाना जाता है जो कम से कम छः महीने तक रहता है और सात वर्ष की आयु से पहले दिखाई देता है। व्यवहार में–फिजिटिंग, बैठै रहने में मुश्किल, निर्देशों का पालन करने में मुश्किल, काम को अपूर्ण छोड़ना और जब दूसरे बोल रहे होते हैं, तब उन्हें नहीं सुनना।
10.	कैलिपर	स्कीनफोल्ड थिकनैस को मापने के लिए कैलिब्रेटिड डिवाइस।

विकलांगता संबंधी शब्दकोश

क्र. सं.		परिभाषा
11.	क्लेफ्ट लिप एण्ड/पेलेट	मुँह की ऊपरी सतह और सॉफ्ट पेलेट के बीच में गैप जो कभी कभी ऊपरी होठ तक होता है। परिणामस्वरुप होठ के विभिन्न हिस्से अथवा पेलेट एक साथ नहीं बढ़ पाते और एक होठ अथवा सक्त पेलेट नहीं बना पाते जो सामान्यतः सुधार योग्य होता है। इसका प्रभाव खाने, बोलने, सुनने और दांतों के निर्माण पर पड़ता है।
12.	कोकलियर इमप्लांट	जो एक प्रकार का इलैक्ट्रोड और इलैक्ट्रोडस जो कोकलियर में रखा जाता है और कान के पास स्कीन के अन्दर एक इन्डक्शन कोइल से जुड़ा होता है। दूसरा यूनिट शरीर पर लगाया जाता है जो ध्वनि को इलैक्ट्रिकल स्टीमुलस में परिवर्तित करता है जिससे आठवी नर्व के न्यूरोन्स को इलैक्ट्रिकली स्टीमुलेट्स किया जाता है। इससे उन व्यक्तियों को सीमित रुप में सुनने की सुविधा प्रदान की जाती है जो परंपरागत श्रवण यंत्रों के माध्यम से लाभ नहीं उठा सकते।
13.	डीफ–बिलाइन्डनेस	कॉनकमीटेन्ट हियरिंग और दृष्टि बाधिता जिसके कॉम्बिनेशन से ऐसी गंभीर बातचीत और अन्य विकासात्मक और शैक्षिक जरुरतें होती हैं।
14.	डेमेंशिया	एक जैविक मानसिक कमी जिसमें पूर्व अर्जित बौद्धिक योग्यता में कमी आती है, जिसके कारण सामाजिक और व्यवसायिक कार्यों में, व्यवहार में कमी आती है, स्मृति व्यवधान इसका प्रमुख लक्षण है। इसके अतिरिक्त स्पष्ट रुप से सोचने, निर्णय लेने, इम्पल्स नियंत्रण और/अथवा व्यक्तित्व में परिवर्तन बाधित होता है। डेमेंशिया प्रगामी, स्टैटिक अथवा रिवर्सेबल हो सकता है जो उपयुक्त इलाज की उपलब्धता सहित पैथोलॉजी पर निर्भर करता है।

विकलांगता संबंधी शब्दकोश

क्र. सं.		परिभाषा
15.	डाउन–सिन्ड्रोम	ऐसी अवस्था जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मिलटी मुख्यतः एक अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण होती है।
16.	डाइसथ्रिया	वाक समस्याओं का समूह जब ध्वनि स्लर्ड हो जाती है और वाक स्पीच में भी कमी होती है। पिच, लाउडनैस, रिदम और स्पीच की गुणवत्ता में परिवर्तन को देखा जा सकता है।
17.	डिस्केलक्यूलिया	मैथामेटिकल प्रतिकों अथवा कार्य को समझने और प्रयोग करने में कठिनाई।
18.	डिसफ्लूऐंसी	स्पीच, स्टरिंग के सरल प्रवाह में अवरोध।
19.	डिसगिसिया	स्वाद को समझने में अक्षमता।
20.	डिसग्राफिया	लिखने की एक कमी, जिसके कारण लोगों को शब्द बनाने अथवा एक निर्धारित जगह के भीतर लिखने में परेशानी होती है।
21.	डिसकिनेसिया	वॉलियन्टरी मसल्स के समन्वय में आंशिक बाधिता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति जिससे कलम्सी मूवमेंट और कम शारीरिक नियंत्रण हो पाता है।
22.	डिसलेक्सिया	एक प्रकार की अधिगम विकलांगता, जहां परम्परागत क्लासरुम अनुभव के बावजूद कोई व्यक्ति लिखित अक्षरों, अंको तथा शब्दों, पीछे की ओर से पढ़ने की समस्या तथा गंदी हैन्डराइटिंग से ग्रस्त होती है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर तब होता है जब पढ़ने में अक्षमता के कारण न्यूरोलॉजिकल डिसफंगशन का संदेह होता है।

पहचाने गये पद–2013 की सूची में प्रयोग किए जाने वाले संक्षिप्ताक्षर

एस	बैठना
एसटी	खड़ा होना
डब्ल्यू	चलना
बीएन	झुकना
सीआरएल	रेंगना
सीएल	चढ़ना
जेयू	कूदना
एल	उठाना
केसी	घुटना
आरडब्ल्यू	पढ़ना और लिखना
एमएफ	उंगलियों की सहायता से समझाना
पीपी	खींचना और गिरना
एसई	देखना
सी	बातचीत करना
एच	सुनना

पहचाने गये पद–2013 की सूची में प्रयोग किए जाने वाले संक्षिप्ताक्षर

ओए	एक भुजा
बीए	दोनों भुजा
ओएल	एक भुजा और एक पैर
बीएलए	दोनों पैर और भुजा
बीएलओए	दोनों पैर और एक भुजा
ओएल	एक पैर
बीएल	दोनों पैर
सीपी	प्रमस्तिष्क अंगघात
एलसी	पौढ़ उपचारित
ओएच	अस्थि विकलांग
वीएच	दृष्टि बाधित
बी	दृष्टिहीन
एलवी	कम दृष्टि
एचएच	श्रवणबाधित

विकलांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट (1998–99)

बेहतर भाषा बोलने की ओर एक कदम

विकलांग व्यक्तियों को संबोधित करते समय समुचित ढंग/भाषा का प्रयोग करने के लिए कृपया निम्नलिखित पर विचार करे :

के स्थान पर.....	ऐसा कहे.....
विकलांग अथवा अपंग बच्चा	नि:शक्त बच्चा
पालसीड व सीडी अथवा स्पॉस्टीक	प्रमस्तिष्क अंगघात से ग्रसित व्यक्ति
एफलिक्टिड अथवा से ग्रसित, विक्टिम	ऐसा व्यक्ति जो
मूक अथवा गूँगा	वाकरहित
धीमा	विकास सम्बन्धी विलम्ब
सनकी अथवा पागल	भावनात्मक रूप से अव्यवस्थित अथवा मानसिक रूप से बीमार
गूँगा अथवा बहरा	कम सुनने वाला अथवा श्रवण संबंधी कमी वाला व्यक्ति
मंद बुद्धि	मंदिता से ग्रसित व्यक्ति
मंगोलोइट	निम्नोतर लक्षण
सुस्त और मूर्ख	सीखने संबंधी विकलांगता

विकलांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट (1998–99)

बेहतर भाषा बोलने की ओर एक कदम

विकलांग व्यक्तियों को संबोधित करते समय समुचित ढंग/भाषा का प्रयोग करने के लिए कृपया निम्नलिखित पर विचार करे :

के स्थान पर.....	ऐसा कहे.....
क्रिपल्ड/अपंग	शारीरिक विकलांगता वाला
जन्मजात कमी	जन्मजात विकलांगता
दौरा पड़ना	सीजर्स
लंगड़ा	चलन बाधित
अमान्य अथवा लकवाग्रस्त	स्तंभित
बौना	छोटे कद का

विकलांग व्यक्तियों के साथ बेहतर बातचीत हेतु दिशा निर्देश

तुम्हारे मन में किसी विकलांग मुनष्य के लिए क्या विचार आता है। जब उनसे मिलते हैं! क्या हम सोचते हैं। कि वह क्या नहीं कर सकते बल्कि यह सोचने के बजाय वह क्या कर सकते हैं। क्या विकलांग मनुष्य भगवान के अभाग्य बच्चे हैं। या वह भगवान से कम हैं तो हम उन्हें भिन्न क्यों मनते हैं।

अगली बार हम इस प्रकार के विकलांग मनुष्यों से मिलते या बात करते हैं तो उनमें समानता का भाव रखेंगे। कुछ तरीके:

- अगर आप नहीं जानते कि कठिन कार्य कैसे करना है। निश्चित रहें और विकलांग मनुष्य को मौका दें।
- विकलांगों के लिए सकारात्मक सोच रखें उनसे आपसी ताल–मेल बढ़ायें। आप अवश्य ही कुछ रोचक व्यक्तित्व पायेगें।
- अगर सहायता की आवश्यकता हो तो प्रदान करें। मगर अति साहसिक नहीं बनना चाहिए। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उस व्यक्ति का सम्मान करें।
- दुपहिया कुर्सी (व्हील चेयर) बिना मांगें प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए।
- व्हील चेयर और अन्य प्रकार की सहायता बिना मांगे नहीं दें।
- विकलांगता की चर्चा न करें अगर स्वतः ही चर्चा न हो।
- उचित स्थान या वातावरण प्रदान करें। विकलांग व्यक्ति को बात करने के लिए ज्यादा समय या स्थान की आवश्यकता हो सकती है।
- विकलांग व्यक्ति की प्रशंसा करें। उन कष्टो को याद रखें जिसे वे लोग समाज से उन्मुख होते हैं।
- विकलांगता के ऊपर उस व्यक्ति से सीधी बात करें। किसी मध्य व्यक्ति या बिचोलिये की सहायता न ले।

- किसी विकलांग व्यक्ति से चर्चा के समय उनके प्रश्नों का उत्तर पूरी सतर्कता व ध्यान से दें। उनसे चर्चा के समय हमारा रवैया सकारात्मक होना चाहिए।
- जिस व्यक्ति को बोलने में कठिनाई हो, ऐसे व्यक्ति से ऐसे प्रश्न ही पूछें जिनका उत्तर छोटे रूप में या हाव–भाव से संकेत रूप में दिया जा सकता है।
- सुनने की कठिनाई वाले व्यक्ति से बोलते समय धीरे बोलें और शांत रहें।
- रात्रि भोजन के समय भोजन बांटने की अनुमति मांगे जाने पर ही उनकी मद्द करें। अनुमति लेना ज्यादा आरामदेय हो सकता है। अगर व्यक्ति अपना भोजन स्वयं ही रसोई में करना चाहता है! अगर आप दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ भोजन कर रहे हैं तो उसे, टेबल पर रखें बर्तन और पकवानों के बारे में बताएं।

संदर्भः

1. विकलांग व्यक्ति (सामान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995
2. ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास विकलांगता अधिनियम, 1999
3. भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992
4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान – महत्त्वपूर्ण एवं सामान्य प्रयोग किये जाने वाले शब्द और संक्षिप्तियों की शब्दावली
5. महत्वपूर्ण संक्षिप्तियाँ :– भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
6. भारत में विकलांगता प्रबंधन (एस.सी. महापात्रा)
7. विकलांगता शब्दकोश (अरूप सेनगुप्ता)
8. अधिसूचना संख्या – 16–15/2010–डीडी. III दिनांक 29 जुलाई, 2013
9. विकलांग व्यक्ति के लिए मुख्य आयुक्त का वर्ष 1998–99 का प्रतिवेदन।

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग
http://www.socialjustice.nic.in

डिजाईन एवं मुद्रक बंगाल ऑफसेट वर्क्स